FOR REFERENCE ONLY.
NOT TO BE ISSUED

त्रयोदश माला, खंड 4, अंक 4

सोमवार, 28 फरवरी, 2000
9 फाल्गुन, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 2...60
Date 12/4/2001

(खण्ड 4 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 4, तीसरा सत्र, 2000/1921 (शक)]

अंक 4, सोमवार, 28 फरवरी, 2000/9 फाल्गुन, 1921 (शक)

विषय	कालम
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 60	9–85
अतारांकित प्रश्न संख्या 427 से 656	85–431
सभा पटल पर रखे गए पत्र	432
नियम 193 के अधीन चर्चा	
राज्य सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति	435–438
श्री किरीट सोमैया	436

लोक सभा

सोमवार, 28 फरवरी, 2000/9 फाल्गुन, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री कोलुर वसवनागौड़ (बेल्लारी)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 41, श्री पुन्नुलाल मोहले।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): हमने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी है *...(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा): कृपया एक मिनट। हाल ही में आपने स्थगन प्रस्ताव के निवेदन पर हमारी बात सुनने की कृपा की थी। यह मामला केवल एक पार्टी से संबंधित नहीं है अपितु सभा में एक बड़े वर्ग से संबंधित है *...(व्यवधान)* इस मामले में आपको सभा की राय लेनी चाहिए। आपने यथासंभव नरम विकल्प चुना है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के बाद मैं आपकी बात सुन सकता हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस बात को समझें कि पिछले तीन दिनों से आपने प्रश्न काल चलने नहीं दिया है। प्रश्न काल के बाद जो आप कहना चाहेंगे, मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज मैंने प्रश्नकाल के निलम्बन के बारे में सूचनाओं को अस्वीकार किया है। कृपया इस बात को समझें कि प्रश्नकाल के बाद मैं आपकी बात सुन सकता हूँ। मैं सदस्यों से सहयोग करने का आग्रह कर रहा हूँ। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): जब हमने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी तो आपने कहा कि मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। आपने हमसे रेलवे बजट में बाधा न डालने के लिए कहा। हम रेलवे बजट में बाधा न डालने पर सहमत हो गए। लेकिन आपने यह भी कहा था कि आप सोमवार को हम से बात करेंगे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं खड़ा हूँ आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। श्री रूपचन्द पाल जी कृपया बैठ जाइए। आप अपना निवेदन बाद में कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, आपने हमसे विचार-विमर्श किए बिना, नियम 193 के अधीन यह चर्चा करने संबंधी निर्णय लिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको प्रश्न काल के पश्चात् अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए क्योंकि पिछले तीन दिनों से सभा में प्रश्न काल नहीं हो सका।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, मैं आपको अभी यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपने हमें क्या आश्वासन दिया था। आपने कहा था कि आप हमसे परामर्श करने के बाद चर्चा की अनुमति देंगे। लेकिन निर्णय लेने से पूर्व आपने हमसे परामर्श करने की आवश्यकता तक नहीं समझी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात प्रश्न-काल के बाद सुनूंगा। अब, प्रश्न संख्या 41 लेंगे। श्री पुन्नू लाल मोहले-अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 42-श्री तिरुनावकरसू।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्यों हम विपक्ष में बैठे सदस्यों ने इस बात को इतनी गम्भीरता से लिया है। इसे सामान्य दैनिक मुद्दे की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। महोदय, मैं आपसे सम्मानपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): ये प्रश्न काल है तो ये क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने पिछले तीन दिनों से प्रश्न काल को नहीं चलने दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मदन लाल खुराना, मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने की अनुमति दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: पहले क्वश्चन आवर हो जाए उसके बाद इनको जो कहना है वह कहें या तो आपने क्वश्चन आवर सस्पेन्ड किया हुआ है तो बताएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल उन्हें ही सुन रहा हूं। मैंने प्रश्न काल को स्थगित नहीं किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं समझता हूं कि श्री मदन लाल खुराना स्वयं रा.स्व.सं. के शिकार हैं। वे क्यों हमारी बात नहीं सुन रहे हैं? *...(व्यवधान)* इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अध्यक्ष महोदय की बात सुनें। वे कम से कम माननीय अध्यक्ष महोदय की बात तो सुनें। उन्होंने मुझे अनुमति दी है *...(व्यवधान)*।

महोदय, यदि वे समझते हैं कि उनकी सुविधानुकूल ही सभा में बोलने की अनुमति दी जाए तो इस तरह तो सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): अध्यक्ष महोदय, वे इस तरह हुक्म नहीं दे सकते।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं किसी पर कोई हुक्म नहीं चला रहा हूं। मैंने अपना हाथ उठाया था। महोदय, आपने मुझे अवसर दिया यह आपकी सहृदयता है लेकिन मैं अभी तक एक भी वाक्य पूरा नहीं कर पाया हूं *...(व्यवधान)*

महोदय, मुझे पता है हम अक्सर कहते हैं कि प्रश्न-काल में सामान्यत: बाधा नहीं डालनी चाहिए और हम उसका पालन करते हैं। लेकिन कतिपय ऐसे मुद्दे हैं जिन पर समूची सभा उद्वेलित है इसलिए हम चाहते थे कि इस मामले पर ठीक प्रकार से चर्चा हो। इस पर केवल बातें ही नहीं होनी चाहिए। यदि इस पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करनी है तो इसका अर्थ है, इस पर केवल बातें करना सम्पूर्ण देश यह जानना चाहता है कि सरकार की असली प्रतिक्रिया क्या है, सभा के सदस्य क्या महसूस करते हैं और हम यह भी जानना चाहते हैं कि एन.डी.ए. के हमारे मित्र क्या महसूस करते हैं *...(व्यवधान)* श्री चंद्रबाबू नायडू और श्री करुणानिधि ने इस पर आपत्ति उठाई थी।

श्री वैको (शिवकाशी): इसमें गलत क्या है?

श्री सोमनाथ चटर्जी: इसलिए, हम यह जानना चाहते हैं कि सभा में उनकी पार्टियों का क्या दृष्टिकोण है। केवल बातें करने से ही कुछ नहीं होगा।

महोदय, यह ऐसा मुद्दा है जो हमारी संविधान की मूल भावना, हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए चिंता का विषय है; यह इससे संबंधित है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष रह पाएगा या नहीं। कृपया इसे दैनिक सामान्य मामले की तरह न लें। उनके पास बहुमत है। वे इस मुद्दे से निपट लेंगे। वे इससे भयभीत क्यों हैं? वे इसे सभा में क्यों नहीं आजमाते? सरकार इस मुद्दे से बचना चाहती है। वे इस पर समुचित चर्चा नहीं करना चाहते। इसलिए, महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस मुद्दे पर नियम 184 के अधीन चर्चा करने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल): जब कहा गया था तो मैं भी था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रश्न काल की अवधि चर्चा की अवधि बनती जा रही है। आप पहले ही यह निर्णय ले चुके हो कि इस मामले पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की जाए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: संसदीय कार्य मंत्री जी हमें भी दो मिनट बोलने दीजिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, वे आपके अधिकार को चुनौती दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: हमने भी नियम 184 के तहत नोटिस दिया हुआ है और बहस नियम 193 के तहत दर्शाई गई है। सवाल यह है कि जनता जानना चाहती है, उन्होंने हमें चुना है, जब हमारे देश में संविधान बना था तो हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम अपने देश को सार्वभौमिक, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनायेंगे। लेकिन कर्मचारी या अधिकारी संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे या राजनैतिक दलों अथवा आर.एस.एस. के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। यह एक गंभीर मामला है। हमने नियम 184 के तहत सूचना दी हुई है, इसलिए अध्यक्ष महोदय नियम 184 के तहत ही बहस कराई जानी चाहिए और इस नियम के तहत बहस इसलिए करानी चाहिए क्योंकि सहयोगी दल भी इससे अप्रसन्न हैं, देश को पता चले कि सहयोगी दल क्या चाहते हैं, यह भी सच्चाई सामने आनी चाहिए कि वे जनता के मध्य धर्म निरपेक्ष बनेंगे तथा सदन में आर.एस.एस. का साथ देंगे। श्री चंद्रबाबू नायडू ने जैसा कहा, श्री करुणानिधि ने कहा, ये सरकार का समर्थन कर रहे हैं, इन्होंने इसका विरोध किया है। हम देश की जनता को बतायेंगे *...(व्यवधान)* यह संविधान से जुड़ा हुआ मामला है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपको प्रश्न काल के बाद अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: हमने प्रतिज्ञा की है कि हम अपने देश को सार्वभौमिक, लोकतांत्रिक, समाजवादी और गणतंत्र बनायेंगे, यह प्रतिज्ञा की गई है तो आज अधिकारी किसके प्रति प्रतिबद्ध होंगे—संविधान के प्रति या किसी राजनीतिक दल के प्रति। अगर यह परम्परा देश में होगी *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री माधवराव सिंधिया, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद अनुमति दूंगा। प्रतिदिन आप प्रश्न काल को चलने नहीं दे रहे हैं। क्या यह तरीका है? कई सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं और आप उन्हें पूछने नहीं दे रहे हैं। आप पिछले तीन दिनों से लगातार प्रश्न काल में बाधा पहुँचा रहे हैं। आप सभा में वही प्रक्रिया दोहरा रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): इनके पास एक ही इश्यू रह गया है, यह कोई तरीका है, आप एक सैंसिबल अपोजीशन हैं *...(व्यवधान)* ये चुनाव में हार गये हैं इसलिए अपनी झेंप मिटा रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि प्रश्न काल में बाधा न डालें। मैं प्रत्येक को प्रश्न काल के बाद अनुमति दूंगा।

श्री माधवराव सिंधिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्रमवार समूची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। हमने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी थी, आपने उसे अनुमति नहीं दी। उसके बाद आपने रेलवे बजट के प्रस्तुतीकरण में बाधा न डालने का निवेदन किया था और कहा था कि आप इस मामले पर किसी अन्य तरीके से चर्चा की अनुमति देंगे। आपने कहा कि आप इस पर हमसे विचार-विमर्श करेंगे और इस पर किसी नियम के अंतर्गत चर्चा की अनुमति देंगे। इसलिए, हमने रेलवे बजट की प्रस्तुतीकरण में बाधा नहीं डाली। परन्तु, उसके पश्चात, आपने हमारे विचारों को सुने बिना ही अपने कक्ष में यह निर्णय ले लिया कि इसे नियम 193 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाए। मुझे नहीं लगता कि यह विपक्ष के साथ समुचित बर्ताव हो रहा है। आपने साफ कहा था कि आप चर्चा के तरीके पर हमसे परामर्श करेंगे। परन्तु यह बड़े दु:ख की बात है कि आपने इस मामले को नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करने की अनुमति दी। इसलिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। अब प्रश्न संख्या 42—श्री तिरूनावकरसू।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह मामला आज ही चर्चा के लिए नियत किया गया है। यदि सदस्य इच्छुक हों तो हम इस मामले पर प्रश्न काल के तुरंत बाद भी चर्चा कर सकते हैं। परन्तु प्रतिदिन प्रश्न काल में बाधा डालना ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ: महोदय, अभी आप सभा की बैठक स्थगित कीजिए, तत्पश्चात् हम इस पर चर्चा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग दीजिए। मैं आपको प्रश्न काल के बाद अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल: अध्यक्ष महोदय, हम नियम 184 के अधीन चर्चा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचंद पाल, मैंने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह तरीका ठीक नहीं है। कृपया इस बात को समझिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचंद पाल, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे प्रश्न काल पूर्ण करने दीजिए, उसके बाद ही मैं आप सबको सुनूंगा। श्री येरननायडू

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय ने मेरा नाम पुकारा है....

अध्यक्ष महोदय: आपका मुद्दा क्या है?

श्री के. येरननायडू: महोदय, वे शोर मचा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपका निवेदन क्या है?

श्री के. येरननायडू: माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री मुलायम सिंह यादव ने मुख्य मंत्री का नाम लिया जो मेरी पार्टी टी.डी.पी. के हैं। मेरी पार्टी का रुख एकदम स्पष्ट है। इसमें कोई दो मत नहीं है *...(व्यवधान)* हमने पूरा दिन लिया। इस मामले पर सभा भी दो बार स्थगित हुई। दूसरे दिन भी, सभा स्थगित हुई *...(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनिए *...(व्यवधान)*

तथापि, श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्रीमती गीता मुखर्जी ने सूचनाएँ दी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसे स्वीकार किया। अब, यह सभा की सम्पत्ति है। *...(व्यवधान)* मुझे कुछ कहना है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन्हें पूरा करने दीजिए। यह क्या है?

श्री के. येरननायडू: महोदय, बोलना सदस्य का अधिकार है *...(व्यवधान)* मुझे कुछ कहना है। यह मेरा अधिकार है। मैं किसी अन्य विषय पर नहीं बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री के. येरननायडू: कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। महोदय, मैं कार्यसूची के अनुसार ही बोल रहा हूँ। मैं माननीय वरिष्ठ सदस्यों को यह सलाह दे रहा हूं कि यह प्रश्न काल है *...(व्यवधान)*

यह सभा की सम्पत्ति है। कई सदस्यों ने तारांकित प्रश्नों को उठाया है। इसलिए, कृपया प्रश्न काल को चलने दीजिए। उसके बाद, वे जो कुछ भी कहना चाहें कहने दीजिए। यह ठीक नहीं है। प्रतिदिन, आप प्रश्न काल में बाधा डाल रहे हैं। यह ठीक नहीं है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, आप प्रश्न काल के बाद कह सकते हैं। सभी माननीय सदस्य अपने अपने प्रश्न को प्रश्न काल में पूछने के लिए उत्सुक हैं। मेरा यही निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे निवेदन करता हूँ। कृपया प्रश्न काल चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद ही, मैं आप जो कहना चाहते हैं, वह सुनूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न संख्या 42, श्री तिरुनावकरसू

श्री तिरुनावकरसू (पुडुक्कोट्टई): प्रश्न संख्या 42 *...(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य: नहीं, नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

दुर्लभ जड़ी-बूटियां

***41. श्री पुन्नू लाल मोहले:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में पाई जाने वाली दुर्लभ जड़ी-बूटियों के विकास एवं संरक्षण हेतु कोई विशेष कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दुर्लभ जड़ी-बूटियों की तस्करी को रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) दुर्लभ औषधीय पौधों के विकास और संरक्षण के लिए ऐसी कोई विशेष कार्य योजना नहीं है। परन्तु इन उद्देश्यों को निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है:

(1) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गैर-इमारती लकड़ी उत्पादों सहित औषधीय पौधों के संरक्षण एवं विकास के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्य भाग ले रहे हैं।

(2) संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल 86 नेशनल पार्क और 448 वन्यजीव अभयारण्य, जंगली वनस्पतियों सहित औषधीय पौधों के संरक्षण में सहायता कर रहे हैं।

(3) डी ए एन आई डी ए सहायता प्राप्त परियोजना, जिसका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सरकारें कार्यान्वयन कर रही हैं, के अंतर्गत औषधीय पौध संरक्षण क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित करके औषधीय पौधों का स्व-स्थाने संरक्षण किया जा रहा है। इन कार्यों को अगले दो वर्ष में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भी शुरू किया जाएगा। ऐसे नेटवर्क को अन्य राज्यों में भी धीरे-धीरे शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) औषधीय पौधों की तस्करी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल जंगली पौध प्रजातियों को वन भूमि अथवा निर्दिष्ट स्थलों से इकट्ठा करने पर कानूनन प्रतिबंध लगाया गया है।

(2) 29 जंगलों से लिए गए पौध प्रजातियों अथवा पौधों के हिस्सों और उनसे प्राप्त रसायनों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(3) 29 प्रतिबंधित प्रजातियों के पौधों/पौधों के हिस्सों की कृष्ट किस्मों को कृषि प्रमाणपत्र और सी आई टी ई एस परमिट, जो भी लागू हो, प्रस्तुत करने की शर्त पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

(4) वन्यजीव प्राधिकरणों के पास जंगली पौधों के अवैध व्यापार की सूचना प्राप्त होने पर उनके द्वारा जांच की जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

***42. श्री तिरुनावकरसू:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सड़क संबंधी सुविधाओं और उनकी स्थिति में सुधार के लिए लागत में भागीदारी तथा निधियों के आबंटन का तरीका क्या है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के इस प्रयोजनार्थ आबंटन हेतु परिकल्पित निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार राज्यवार चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(घ) पूर्वी समुद्र तटीय परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी समुद्र तटीय राजमार्ग परियोजना के साथ लगे महत्वपूर्ण शहरों को इस परियोजना से जोड़ने के लिए राज्य सरकारों का भी सहयोग लिया है;

(च) यदि हां, तो क्या पुडुक्कोट्टई को अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों तथा तैयार किये जाने वाली सुपर राजमार्ग परियोजनाओं से जोड़ा जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है।

राज्यों में इस प्रयोजनार्थ निधियों को प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई, यातायात की मात्रा और आवंटित निधियों के उपयोग की स्थिति के आधार पर वितरित किया जाता है।

केन्द्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) से राज्य सड़क परियोजनाओं से निधियों का वितरण प्रत्येक राज्य में पैट्रोल की खपत के अनुपात में किया जाता है।

(ख) योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 9वीं योजना में कुल 8,862.02 करोड़ रु. की राशि का आबंटन किया है। प्रत्येक वर्ष निधियों का राज्यवार आबंटन प्रत्येक राज्य में चल रहे और स्वीकृत कार्यों पर निर्भर होता है। वर्ष 1999-2000 के लिए निधियों का आबंटन विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) केन्द्रीय क्षेत्र में कोई पूर्वी तटीय सड़क परियोजना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) पुडुक्कोट्टई नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 210 पर है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45 और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 49 से जुड़ा हुआ है। इस समय किसी सुपर राजमार्ग की परिकल्पना नहीं की गई है।

विवरण I

वर्ष 1999-2000 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल कार्य) के अंतर्गत निधियों का आबंटन (लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999-2000
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5045.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00
3.	असम	2186.83
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00
5.	बिहार	6000.00
6.	चंडीगढ़	100.00
7.	दिल्ली	1200.00
8.	गोवा	1500.00
9.	गुजरात	10451.43
10.	हरियाणा	4500.00
11.	हिमाचल प्रदेश	4500.00
12.	जम्मू और कश्मीर	135.00
13.	कर्नाटक	4600.08
14.	केरल	10468.12
15.	मध्य प्रदेश	3226.75
16.	महाराष्ट्र	10354.31
17.	मणिपुर	1010.75
18.	मेघालय	1730.28
19.	मिजोरम	300.00
20.	नागालैंड	750.00
21.	उड़ीसा	4350.00
22.	पांडिचेरी	319.46
23.	पंजाब	2000.00
24.	राजस्थान	5778.17
25.	सिक्किम	0.00
26.	तमिलनाडु	6500.00
27.	त्रिपुरा	50.00
28.	उत्तर प्रदेश	11005.35
29.	पश्चिम बंगाल	5738.02
30.	जोगीघोपा पुल	0.00

1	2	3
31.	मंत्रालय	100.00
32.	बी आर डी बी	11230.00
33.	एन एच ए आई	0.00
34.	अन्य संस्थान	0.00
	कुल	115129.57

विवरण II

विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित चल रहे निर्माण कार्यों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	चल रहे निर्माण कार्यों की संख्या (12/99 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	70
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	101
4.	बिहार	72
5.	चंडीगढ़	3
6.	दिल्ली	5
7.	गोवा	23
8.	गुजरात	49
9.	हरियाणा	21
10.	हिमाचल प्रदेश	60
11.	जम्मू और कश्मीर	8
12.	कर्नाटक	77
13.	केरल	52
14.	मध्य प्रदेश	63
15.	महाराष्ट्र	157
16.	मणिपुर	31
17.	मेघालय	36
18.	मिजोरम	9
19.	नागालैंड	14
20.	उड़ीसा	66
21.	पांडिचेरी	9
22.	पंजाब	35
23.	राजस्थान	68
24.	सिक्किम	0
25.	तमिलनाडु	87
26.	त्रिपुरा	0
27.	उत्तर प्रदेश	74
28.	पश्चिम बंगाल	64
29.	मंत्रालय	0
30.	बी और डी बी	0
	कुल	1254

दूरसंचार कम्पनियों पर बकाया धनराशि

***43. श्री पवन कुमार बंसल:**
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेलुलर लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि के भुगतान की अंतिम तिथि (समय-सीमा) 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 मार्च, 2000 कर दी है;

(ख) यदि हां, तो नगरवार उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और इनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि बकाया है और वह धनराशि उन पर किस-किस अवधि से बकाया है;

(ग) कितनी कम्पनियां, राजस्व भागीदारी प्रणाली के अंतर्गत आ गई हैं;

(घ) उनसे कितना राजस्व एकत्र किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने विगत में भी कई बार लाइसेंस शुल्कों की बकाया राशि के भुगतान के लिए ऐसी समय-सीमा घोषित की थी;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अंतिम तिथि के रूप में घोषित तिथियों का ब्यौरा क्या है और बकाया राशि के भुगतान के लिए समय सीमा बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या सेलुलर आपरेटर एसोसिएशन ने सरकार से और रियायतें देने की मांग की है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, हां।

(ख) इस समय जो लाइसेंसधारक माइग्रेशन की प्रक्रिया में हैं, 24.2.2000 को उनकी बकाया लाइसेंस शुल्क की स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) 20 सेल्यूलर कंपनियां, जिनके पास 34 सेल्यूलर लाइसेंस हैं राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था में आ चुकी हैं तथा इस समय माइग्रेशन की प्रक्रिया में हैं।

(घ) 1.8.99 से 31.3.2000 तक की अवधि से संबंधित अग्रिम रूप से एकत्र की गई राजस्व हिस्सेदारी के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। उक्त राजस्व, सकल राजस्व के 15 प्रतिशत अनंतिम राजस्व शेयर पर आधारित है, जो अंतिम निर्णय के अनुसार बदल सकता है। भविष्य में राजस्व वसूली की मात्रा, लइसेंसधारक कंपनियों के अर्जन स्तर पर निर्भर करेगी, जिसका पूर्वाकलन करना कठिन है।

(ङ) और (च) अधिकतर सेल्यूलर लाइसेंसधारी लाइसेंस फीस के बकाये का भुगतान नहीं कर रहे थे और अनेक रियायतें जैसे लाइसेंस फीस भुगतान की समय-सीमा बढ़ाने, लाइसेंस की अवधि में विस्तार आदि की मांग कई कारणों से कर रहे थे, जिसमें कुछ इस प्रकार हैं, उनकी परियोजनाओं का अव्यवहार्य होना, नकद राशि के प्रवाह की शिथिलता और सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न क्लीयरैंसिस में कथित देरी। सरकार ने एक अंतरिम व्यवस्था के तहत लाइसेंसधारकों से प्रतिबद्धता सिद्ध करने हेतु उनसे 25.1.99 को, संचित लाइसेंस शुल्क के कम से कम 20 प्रतिशत भाग का भुगतान 28.2.99 तक करने को कहा। इसके बावजूद, कुछ लाइसेंसधारकों ने 20 प्रतिशत पिछले बकायों का भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप, उनकी बैंक गारंटी भुनाने की प्रक्रिया कर दी गई और छः लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। फलतः विभिन्न कोटों में, कई कानूनी कार्यवाहियां प्रारंभ हो गई। सरकार ने संपूर्ण स्थिति के मद्देनजर, लाइसेंसधारकों को नई टेलीकॉम नीति 1999 की राजस्व भागीदारी प्रणाली के तहत स्थानांतरण हेतु एक पैकेज दिया। दिए गए पैकेज के अनुसार बकायों का 35 प्रतिशत 15.8.99 तक देना था, शेष बकायों को 30.11.99 तक बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूति करना था और पूर्ण बकाया राशि का भुगतान 31.1.2000 तक करना था। कुछ लाइसेंसधारक, इस समय सीमा का पालन विभिन्न आर्थिक समस्याओं विशेषतः दिल्ली हाई कोर्ट में माइग्रेशन (स्थानांतरण) पैकेज के विरुद्ध दायर की गई जनहित याचिका द्वारा उत्पन्न कथित अनिश्चितता के कारण नहीं कर पाये। एक अंतिम अवसर के रूप में प्रतिभूति जमा करने की तिथि 29.2.2000 तक तथा पूर्ण बकाया राशि के भुगतान की तिथि 15.3.2000 तक बढ़ा दी गई है जिसके लिए लाइसेंसधारकों को अतिरिक्त पेनेल्टी का भुगतान करना होगा।

(छ) से (झ) जी, हां। सेल्यूलर उद्योग की इक्विटी की लॉक-इन अवधि, समाप्त किए गए लाइसेंसों को बहाल करने आदि जैसी कतिपय समस्याएं चली आ रही हैं, जिनको सरकार देख रही है। सरकार ने एनटीपी-99 का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्य बातों के साथ-साथ दूरसंचार क्षेत्र में अनवरत समस्याओं के समाधान हेतु उपायों का पता लगाने और उनके संबंध में सिफारिश करने के लिए 13.12.99 को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी समाभिरूपता दल नियुक्त किया है। उक्त दल की सिफारिश प्राप्त होने पर सरकार निर्णय लेगी।

विवरण I

माइग्रेशन के तहत सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं (सर्किल) के लाइसेंसधारकों के प्रति बकाया सेल्यूलर लाइसेंस शुल्क की स्थिति

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सेवा क्षेत्र	लाइसेंस शुल्क का बकाया मूल	ब्याज	कुल	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	भारती	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	
2.	बिरला	गुजरात	0.00	0.10	0.10	
		महाराष्ट्र	0.00	0.10	0.10	
3.	एस्कोटेल	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	
		केरल	0.00	0.00	0.00	
		उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	0.00	0.00	0.00	
4.	फस्सेल	गुजरात	60.18	87.06	147.25	19.9.98* से
5.	हेक्साकॉम	उत्तर पूर्वी	0.00	0.00	0.00	
		राजस्थान	0.00	5.69	5.69	
6.	जे.टी. मोबाइल	आंध्र	0.00	0.00	0.00	
		कर्नाटक	0.00	0.08	0.08	
7.	मोदीकॉम	कर्नाटक	90.09	43.34	133.43	4.7.98** से
		पंजाब	84.61	39.40	124.01	4.7.98** से
8.	श्रीनिवास	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	
9.	आरपीजी	मध्य प्रदेश	0.00	0.25	0.25	
10.	रिलायन्स	पश्चिमी बंगाल	0.00	0.21	0.21	
		असम	0.00	0.01	0.01	
		बिहार	0.00	2.95	2.95	
		हिमाचल प्रदेश	0.00	0.07	0.07	
		मध्य प्रदेश	0.00	0.25	0.25	
		उड़ीसा	0.00	1.92	1.92	
		उत्तर पूर्वी	0.00	0.01	0.01	
11.	टाटा	आंध्र प्रदेश	0.00	4.02	4.02	
12.	वीपीएल	केरल	0.00	3.12	3.12	
	यूएस	तमिलनाडु	0.00	5.04	5.04	
		महाराष्ट्र	0.00	10.19	10.19	
	कुल		234.89	203.81	438.70	

मेट्रो लाइसेंसधारी

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सेवा क्षेत्र	लाइसेंस शुल्क का बकाया मूल (अनंतिम)**	ब्याज*	कुल	अवधि
1.	भारती	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	
2.	स्टरलिंग	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	
3.	एच. मैक्स	मुंबई	0.00	0.00	0.00	
4.	बी पी एल	मुंबई	0.00	0.00	0.00	
5.	स्काईसेल	चेन्नई	0.00	0.00	0.00	
6.	आरपीजी	चेन्नई	0.00	0.00	0.00	
7.	मोदी	कलकत्ता	0.00	0.00	0.00	
8.	ऊषा	कलकत्ता	0.00	0.00	0.00	
	कुल		0.00	0.00	0.00	

टिप्पणी:

* दिखाई गई ब्याज की राशि अनंतिम है इसे बाद में अंतिम रूप दिया जाएगा।

** दिखाई गई तारीखें मूल भुगतान सूची के अनुसार हैं।

*** कंपनी के उपभोक्ता आधार के सत्यापन के बाद चौथे वर्ष और उससे आगे के लाइसेंस शुल्क और ब्याज की पुनरीक्षा की जा रही है।

विवरण II

एन टी पी-99 के अंतर्गत प्राप्त राजस्व हिस्से का भुगतान
सी.एम.टी.एस. (सर्किल)

क्र.सं.	प्रचालक का नाम	प्रचालन क्षेत्र	1.8.99 से 31.10.99 तक के लिए देय 15% राजस्व हिस्सा हिस्सा	1.11.99 से 31.1.2000 तक के लिए देय 15% राजस्व	1999-2000 से 31.3.2000 तक के लिए देय 15% राजस्व हिस्सा
1	2	3	4	5	6
1.	भारती	हिमाचल प्रदेश	0.13	0.15	0.11
2.	बिरला	गुजरात, महाराष्ट्र	3.69 (दोनों)	3.69 (दोनों)	2.74 (दोनों)
3.	एस्कोटेल	हरियाणा	0.56	0.62	0.58
		केरल	1.19	1.32	0.98
		उ.प्र. (प.)	1.18	1.63	1.25

1	2	3	4	5	6
4.	फेस्सल	गुजरात	2.30	2.60	2.28
5.	हेक्साकॉम	उत्तर पूर्वी	0.00	0.00	0.00
		राजस्थान	0.87	1.01	0.87
6.	जेटी मोबाइल	आंध्र	1.41	1.46	1.06
		कर्नाटक	1.65	1.40	1.51
7.	मोदीकॉम	कर्नाटक	5.70	6.77	5.94
		पंजाब	(दोनों)	(दोनों)	(दोनों)
8.	श्रीनिवास	तमिलनाडु	0.71	0.91	1.32
9.	आरपीजी	मध्य प्रदेश	0.41	0.36	
10.	रिलायन्स	पश्चिमी बंगाल			
		असम			
		बिहार	1.51	1.77	
		हिमाचल प्रदेश	(सभी सर्किल)	(सभी सर्किल)	
		मध्य प्रदेश			
		उड़ीसा			
		उत्तर-पूर्व			
11.	टाटा	आंध्र प्रदेश	1.99	2.29	1.98
12.	बीपीएल	केरल	1.15	1.41	1.17
	यूएस वेस्ट	तमिलनाडु	1.78	1.81	1.44
		महाराष्ट्र	1.82	2.65	2.19
			28.05	31.85	25.43

एन टी पी-99 के अंतर्गत प्राप्त राजस्व हिस्सेदारी भुगतान
सी.एम.टी.एस. (मेट्रो)

क्र.सं.	प्रचालक का नाम	प्रचालन क्षेत्र	1.8.99 से 31.10.99 तक देय 15 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी	1.11.99 से 31.1.2000 तक देय प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी	1.2.2000 से 31.3.2000 तक के लिए देय 15 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी
1	2	3	4	5	6
1.	भारती	दिल्ली	9.28	10.00	10.15
2.	स्टरलिंग	दिल्ली	6.35	6.60	4.86
3.	एच. मेक्स	मुंबई	8.73	9.00	8.00

1	2	3	4	5	6
4.	बीपीएल	मुंबई	9.08	10.46	6.88
5.	स्काईसेल	चेन्नई	1.34	1.49	1.24
6.	आरपीजी	चेन्नई	1.56	1.25	1.50
7.	मोदी टेल	कलकत्ता	2.00	1.79	1.21
8.	ऊषा	कलकत्ता	1.42	1.96	
			39.76	42.55	33.84
		कुल जोड़	67.81	+ 74.40 = 201.48 करोड़ रु.	+ 59.27

मिट्टी के तेल का आबंटन

*44. **श्री सुकदेव पासवान:**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों को मिट्टी के तेल के आबंटन के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या जनसंख्या के आधार पर मिट्टी के तेल का कोटा आबंटित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को उनकी मांग की तुलना में मिट्टी के तेल के किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आबंटन में कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ङ) मिट्टी तेल एक आबंटित उत्पाद है और केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक/मासिक आबंटन राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए किया जाता है। मिट्टी तेल का आबंटन पूर्व-आधार पर अर्थात् प्रतिव्यक्ति अपेक्षाकृत कम उपलब्धता वाले राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि प्रदान करने के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान की गई वृद्धि में से अतिरिक्त आबंटन सहित पिछले वर्ष के आबंटन के आधार पर किया जाता है ताकि अंतरराज्यीय विषमता को कम किया जा सके।

विभिन्न राज्यों से मिट्टी तेल के अतिरिक्त आबंटन के लिए समय समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। मिट्टी तेल देश में कमी वाला उत्पाद है तथा उत्पाद उपलब्धता, विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों और भारी राजसहायता के कारण वितरण विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए वार्षिक आबंटन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1996-97 से 1999-2000 की अवधि के लिए मिट्टी तेल का राज्यवार आबंटन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97 (एमटी)	1997-98 (एमटी)	1998-99 (एमटी)	1999-2000 (एमटी)
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार	4676	4743	7155	6736
आंध्र प्रदेश	628138	650785	675056	679848

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	9675	9948	10240	10295
असम	256772	263760	271235	272623
बिहार	647512	679329	863745	870036
चंडीगढ़	21348	21562	21778	15408
दादर और नागर हवेली	3170	3202	3237	3238
दिल्ली	243334	245768	248325	204672
दियू/दमण	3003	3033	3064	2438
गोआ	27677	27954	28257	28075
गुजरात	814341	822339	831600	832432
हरियाणा	159099	164653	170563	171731
हिमाचल प्रदेश	57345	58984	60737	61067
जम्मू और कश्मीर	86392	88828	91433	91921
कर्नाटक	498797	513054	528301	531167
केरल	279701	289540	300006	302078
लक्षद्वीप	894	906	919	921
मध्य प्रदेश	508539	532741	661812	666632
महाराष्ट्र	1542924	1558397	1576298	1577953
मणिपुर	21498	22064	22670	22781
मेघालय	19682	20245	20847	20960
मिजोरम	7649	7868	8102	8146
नागालैण्ड	13414	13797	14207	14284
उड़ीसा	227701	239501	316597	318903
पांडिचेरी	15162	15329	15342	15363
पंजाब	332224	337118	342376	343127
राजस्थान	345753	361736	440060	443265
सिक्किम	7711	7794	7885	7895
तमिलनाडु	682026	698837	716830	720076
त्रिपुरा	30577	31451	32386	32562
उत्तर प्रदेश	1128847	1178862	1391123	1401255
पश्चिम बंगाल	763609	785065	808013	812309
योग	9389194	9659193	10490199	10490199

[हिन्दी]

संविधान की समीक्षा

*45. डा. अशोक पटेल:
श्री जी.एम. बनातवाला:

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संविधान की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) संविधान के कौन-कौन से अनुच्छेदों/पहलुओं की समीक्षा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई पैनल/समिति गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो उस पैनल/समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उसके विचारार्थ विषय क्या हैं और उसके द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की संभावना है;

(च) क्या विभिन्न क्षेत्रों से सरकार के इस कदम का व्यापक विरोध हुआ है;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा यह कार्य करने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने और सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (घ) सरकार ने, शासन संबंधी राष्ट्रीय एजेंडा के अनुसरण में, जिसमें एक प्रतिज्ञा की गई है कि विगत पचास वर्षों से अधिक समय में भारत के संविधान के कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए उसकी समीक्षा करने तथा उसमें किन्हीं संभावित परिवर्तनों के निमित्त उचित सिफारिशें करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। सरकार ने तारीख 22 फरवरी, 2000 के संकल्प द्वारा "संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग" का गठन किया है।

(ङ) आयोग एक अध्यक्ष और दस सदस्यों से मिलकर बना है। आयोग को सौंपा गया काम यह है कि वह विगत पचास वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह समीक्षा करे कि संसदीय लोकतंत्र के मौलिक ढांचे में रहते हुए, संविधान किस प्रकार शासन की दक्षतापूर्ण, अबाध और प्रभावकारी प्रणाली की परिवर्तनशील आवश्यकताओं और आधुनिक भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति सर्वोत्तम हो सकता है तथा ऐसे परिवर्तनों की, यदि कोई हों, सिफारिश करे जो संविधान के उपबंधों में, उसके मूल स्वरूप या विशेषताओं से छेड़छाड़ किए बिना अपेक्षित हैं। आयोग एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(च) से (ज) आयोग की स्थापना के विरोध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, शासन संबंधी राष्ट्रीय एजेण्डा में की गई प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए, जो राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में अभिपुष्ट किया गया था, जिसके प्रति संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया, आयोग की स्थापना करना आवश्यक समझा गया था।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को देय बकाया धनराशि

*46. श्री नरेश पुगलिया:
श्री इन्द्रजीत गुप्त:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने कुछ राज्यों को बकाया धनराशि का भुगतान न करने के कारण विद्युत आपूर्ति बंद करने के नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को राज्यों से शीघ्र बकाया धनराशि के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) जी, हां।

(ख) एनटीपीसी ने पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत आपूर्ति के विनियमन हेतु नोटिस जारी किए हैं जो 1.3.2000 से प्रभावी होंगे, दक्षिणी क्षेत्र में केरल राज्य विद्युत बोर्ड तथा उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को विद्युत आपूर्ति के नियमन के नोटिस 10.3.2000 से प्रभावी होंगे।

डब्ल्यूबीएसईबी, बीएसईबी, केएसईबी और यूपीपीसीएल द्वारा एनटीपीसी को देय कुल बकाया राशियां 31 जनवरी, 2000 की

स्थिति के अनुसार 1175.76 करोड़ रु., 2174.17 करोड़ रु., 116.20 करोड़ रु., तथा 1759.11 करोड़ रु. हैं जिसमें क्रमश: 342.30 करोड़ रु., 664.01 करोड़ रु., 33.54 करोड़ रु. और 557.91 करोड़ रु. का अधिभार शामिल है।

डब्ल्यूबीएसईबी और बीएसईबी के मामले में एनटीपीसी द्वारा अक्तूबर, 1999 में जारी विनियमन नोटिसों के प्रत्युत्तर में उनके द्वारा की गई वचनबद्धताओं को पूरा न किए जाने के कारण नोटिस दिए गए साथ ही, इन राशियों द्वारा एनटीपीसी की बकाया राशियों के भुगतान में भी निरंतर चूक होती रही है, जिससे काफी विशाल मात्रा में बकाया राशियां एकत्रित हो गई थी।

केएसईबी के मामले में कायमकुलम सीसीपीपी से विद्युत आपूर्ति हेतु अपर्याप्त भुगतानों के कारण नोटिस दिया गया था। हालांकि नाप्था की कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण विद्युत की लागत में प्रभावशाली रूप से वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, केएसईबी द्वारा भुगतान में कमी होने की वजह से लगभग 240 करोड़ रु. की काफी बड़ी बकाया राशि इकट्ठी हो गई।

यूपीपीसीएल के मामले में चालू मासिक बिलों का समय पर भुगतान न किए जाने तथा साख-पत्र को अपेक्षित स्तर तक न बढ़ाए जाने के कारण नोटिस दिया गया।

(ग) एनटीपीसी और सरकार एनटीपीसी की बकाया राशियों की वसूली के लिए विभिन्न उपाय कर रही है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(1) एनटीपीसी प्रबंधन संबंधित राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य सरकार के साथ बकाया राशियों की वसूली के लिए कार्रवाई कर रहा है।

(2) चालू मासिक बिलों की पूरी राशि को शामिल करने के लिए जो राज्य साख-पत्र खोलते हैं, उन राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एनटीपीसी द्वारा सितम्बर, 1999 से एक विशेष प्रोत्साहन स्कीम प्रारंभ की गई है।

(3) एनटीपीसी चूककर्ता राज्यों को विद्युत आपूर्ति का विनियमन भी करता है।

(4) नई विद्युत परियोजनाओं के मामले में, एनटीपीसी विद्युत क्रय करारों में भुगतान संबंधी सुरक्षा उपायों हेतु प्रयास कर रहा है जिसमें साख-पत्र के लिए राज्य सरकार की बैक-अप गारंटी भी शामिल है।

(5) इस स्थिति की विद्युत मंत्रालय द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा भी की जाती है और मामले को जब और जैसे भी आवश्यक होता है मुख्य सचिव/विद्युत मंत्री/मुख्यमंत्री के स्तर पर उठाया जाता है।

(6) ऐसी भी एक विधान है जिसके अन्तर्गत 31.12.96 तक की बकाया राशियों की सीधे ही विद्युत मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय विनियोजन के जरिये वसूली करके एनटीपीसी को दी जा रही है।

(7) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र विद्युत यूटिलिटियों को देय बकाया राशियों के एक हिस्से के परिसमापन के लिए प्रतिभूतिकरण के एक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

नदियों में प्रदूषण

*47. **श्री रामसागर रावत:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की अधिकांश नदियों को इनमें विषैला औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ तथा गन्दा पानी छोड़ने से अत्यधिक प्रदूषित किया जा रहा है और गंगा तथा यमुना जैसी नदियों की पवित्रता का इससे घोर उल्लंघन हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई आलोचना तथा उसके निर्देशों के बावजूद नदियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने में सरकार के असफल रहने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं जांच के आधार पर देश की 22 मुख्य नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों को अभिनिर्धारित किया गया है। इन नदियों में प्रदूषण मुख्यत: बड़े शहरों से अनुपचारित म्युनिसीपल सीवेज का निस्तारण और नदी बेसिन में स्थित घोर प्रदूषणकारी उद्योगों के बहिस्राव निस्तारण के कारण होता है। इस सूची में शामिल अनेक मुख्य नदियों में गंगा और यमुना भी शामिल है। यमुना नदी का प्रदूषण स्तर विशेष तौर पर दिल्ली में और गंगा का कानपुर, इलाहबाद और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में बहुत अधिक है।

(ख) इसके अतिरिक्त 1985 में शुरू की गई गंगा कार्य योजना चरण-1 के 31.3.2000 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था। सरकार ने इन नदियों में अनुपचारित म्युनिसीपल सीवेज के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 2013 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का अनुमोदन

किया है। इस योजना में गंगा कार्य योजना चरण-2 शामिल है जिसमें गंगा और इसकी तीन सहायक नदियां यमुना, गोमती और दामोदर का अतिरिक्त प्रदूषण निवारण कार्य शामिल है। इस कार्य योजना को अप्रैल 1993 और अक्तूबर, 1996 की अवधि के दौरान हिस्सों में अनुमोदित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत शुरू किए गए प्रदूषण निवारण कार्य कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की मौजूदा पर्यावरण कानूनों के अंतर्गत निगरानी की जा रही है। गंगा एवं यमुना सहित इन नदियों में बहिस्राव निस्तारण करने वाले घोर प्रदूषणकारी दोषी उद्योगों को उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं। कुल 187 घोर प्रदूषणकारी उद्योगों का अभिनिर्धारण किया गया है जो गंगा में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। इनमें से 91 यूनिटें निस्तारण मानकों का अनुपालन कर रही है और 32 यूनिटें बन्द हो गई हैं तथा शेष 64 दोषी यूनिटों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यमुना नदी के मामले में निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन न करने के लिए दिल्ली में लगभग 300 जल प्रदूषित करने वाली यूनिटों को 18 नवम्बर, 1999 से 10 फरवरी 2000 के बीच बिजली पानी काटने सहित बन्द करने के निर्देश दिए गए थे। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 302 औद्योगिक यूनिटों का अभिनिर्धारण किया है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यमुना नदी में बहिस्राव निस्तारण कर रहे थे। इनमें से 135 यूनिटें निस्तारण मानकों का अुपालन कर रही हैं, 48 यूनिटों ने अपनी यूनिटें अपने आप बन्द कर दी हैं, 12 यूनिटें बोर्ड के निर्देशों पर बन्द हो गई हैं, 24 यूनिटों को बोर्ड द्वारा यूनिट बन्द करने के निर्देश जारी किये गये हैं और शेष 83 यूनिटों के विरुद्ध पर्यावरण कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इन अभिनिर्धारित नदी क्षेत्रों की जल गुणता में सुधार राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के पूरा होने और उद्योगों से प्रदूषण निवारण के उपायों का कार्यान्वयन किये जाने के बाद ही होगा।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सड़क परियोजनाएं

***48. श्री भीम दाहाल:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने, नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करने, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार करने और राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने संबंधी अनेक परियोजनाएं सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इनके पूरे किये जाने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) से (ग) पूर्वोत्तर राज्यों में, जिसमें सिक्किम भी शामिल है, राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए चालू कार्यों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	रा.रा. संख्या	खंड	स्वीकृत लागत लाख रु.	31.12.99 को स्थिति		पूरा करने की तारीख
				वास्तविक %	वित्तीय लाख रु.	
1	2	3	4	5	6	7
		(क) राज्य लो.नि.वि. द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ा करने संबंधी परियोजनाएं				
असम						
1.	31 बी	2.10 से 8.00 कि.मी.	426.50	62	10.32	30.09.2000
2.	31 बी	9.00 से 12.00 कि.मी.	258.25	22	2.42	30.09.2000
3.	37	46.00 से 47.00 कि.मी.	30.79	10	0.22	31.03.2000
4.	52	20.00 से 21.00 कि.मी.	49.96	0	0.00	31.03.2000
		कुल	765.60		12.96	

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर						
5.	39	385-90 कि.मी.	92.30	50	63.07	30.06.2000
6.	39	371.150-380 कि.मी.	160.40	90	132.27	31.03.2000
7.	39	390.00-400 कि.मी.	278.10	45	75.00	31.12.01
8.	39	410.860-430.400 कि.मी.	964.18	0	0.00	31.03.03
9.	39	400/0 से 407/0 कि.मी.	239.86	0	0.00	31.03.03
10.	39	311/0 से 314/0 कि.मी.	415.66	0	0.00	31.03.03
11.	39	314/0 से 317/600 कि.मी.	431.62	0	0.00	31.03.03
		कुल	2582.12		270.34	
मेघालय						
12.	51	65-85 कि.मी. (कि.मी. 77-79 को छोड़कर) और 83-85 कि.मी.	1308.76	12	296.27	31.03.02
13.	40	10-21 कि.मी.	426.70	80	440.50	31.03.2000
14.	40	22.050-29.900 कि.मी.	356.75	60	266.84	31.03.2000
15.	40	102.068 से 104.475	325.50	0	0.00	31.03.2003
		कुल	2417.71		1003.61	
नागालैंड						
16.	36	2.00 से 3.00 कि.मी.	49.94	100	39.27	पूरा हो चुका
17.	36	3.00 से 4.50 कि.मी.	48.78	100	20.71	12/99 में पूरा हुआ
18.	61	1.00 से 6.00 कि.मी.	387.60	80	123.14	30.06.2000
		कुल	486.32		183.12	
		कुल (18 संख्या)	6251.75		1470.03	
		(ख) सीमा सड़क संगठन द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ाकरण परियोजनाएं				
अरुणाचल प्रदेश						
19.	52ए	0-10 कि.मी.	771.00	90	704.00	31.03.2001

1	2	3	4	5	6	7
असम						
20.	53	बदरपुर-जिरीबाम सड़क				
		(1) 3.2-28.46 कि.मी.	347.00			
		(2) 30.58-44.56 कि.मी.	535.00			
		कुल	882.00	55	483.00	31.03.2002
मणिपुर						
21.	53	जिरीबाम-इम्फाल सड़क				
		(1) 3.22-96 कि.मी. और 101.00-122.20 कि.मी.	3133.00			
		(2) 96.00-101.00 कि.मी.	212.00			
		(3) 186.48-221.14 कि.मी.	2586.00			
		कुल	5931.00	35	2174.00	31.03.2002
मिजोरम						
22.	54	सिल्चर-एजवाल				
		(1) 0-70 कि.मी.	1187.00	75	942.00	31.03.2001
त्रिपुरा						
23.	44	2.7-120.00 कि.मी.	3974.00	80	3302.00	31.03.2001
		कुल: (5 संख्या)	12745.00		7605.00	
		कुल जोड़ : (23 संख्या)	18996.75		9075.03	

विदेशी विधि परामर्शदाताओं का भारत में प्रवेश

*49. **श्री सुरेश कुरुप:**
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करके भारत में विदेशी विधि फर्मों के प्रवेश को अनुमति देने और इस प्रकार विदेशी विधि परामर्शदाताओं/अधिवक्ताओं को भारत में वकालत करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले दिनों देश के विभिन्न भागों में अधिवक्ता और वकीलों के कुछ वर्गों ने इस मुद्दे पर हड़ताल की थी और उन्होंने सरकार के इस कदम के विरोध में निकट भविष्य में भी हड़ताल पर जाने की धमकी दी है;

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई मांगों सहित इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय बार काउंसिल ने भी इस बारे में सरकार को कोई मांगें पेश की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(छ) अधिवक्ताओं, वकीलों और भारतीय बार काउंसिल द्वारा की गई मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) विधि आयोग द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के संबंध में तैयार किए गए कार्यकरण-पत्र में भारत में विदेशी राष्ट्रिकों और विधि-फर्मों के विधिक वृत्ति में प्रवेश करने के सुझाव के प्रश्न पर और हाल ही में सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा किए गए संशोधनों के प्रश्न पर भी अपना विरोध करते हुए, वकील 24 फरवरी, 2000 से न्यायालय कार्य से विरत होकर हड़ताल पर चले गए थे।

(ङ) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने विधि आयोग द्वारा अधिवक्ता अधिनियम के संबंध में तैयार किए गए कार्यकरण-पत्र पर अभी तक अपने विचार प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

प्रमुख पत्तनों और परियोजनाओं का कार्य निष्पादन

***50. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रमुख पत्तनों के कार्य निष्पादन तथा उनमें चल रहीं परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो मानक मानदण्डों तथा गत तीन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में तत्संबंधी परियोजनावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में प्रमुख पत्तनों के समक्ष पेश आ रही प्रमुख समस्याओं का ब्यौरा क्या है तथा उनके समाधान के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है;

(घ) देश में प्रमुख पत्तनों पर गत तीन वर्षों के दौरान माल यातायात में वृद्धि संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) और (ख) महापत्तनों के कार्यनिष्पादन और चालू परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान महापत्तनों के कार्य निष्पादन सूचक नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं।

क्र.सं.	सूचक	1996-97	1997-98	1998-99
1.	औसत बर्थिंग पूर्व अवरोधन समय (दिन)	3.1	2.4	2.1
2.	औसत टर्न-राऊंड समय (दिन)	7.5	6.6	5.9
3.	औसत प्रति पोत बर्थ दिवस आउटपुट (टन)	4497	4634	4915
4.	बर्थ पर कुल समय की तुलना में औसत बेकार समय (प्रतिशत)	36%	30%	29%

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि सभी निष्पादन सूचक लगातार सुधार दर्शाते रहे हैं।

100 करोड़ रु. से अधिक लागत की परियोजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार है, जिन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है:

क्र.सं.	स्कीम	स्वीकृति की तारीख	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)		पूरा करने की तारीख		ब.अ. 1999-2000	अभी तक संचित व्यय	चालू वर्ष के बजट से हुआ व्यय
			मूल	संशोधित	मूल	संशोधित			
1.	इन्नौर में नए पत्तन का निर्माण।	23.4.93	593.00	950.00 करोड़ (स्वीकृति प्रदान की जानी है)	अप्रैल, 98	जुलाई, 2000	294.00 करोड़	576.85 करोड़	164.18 करोड़
2.	पारादीप में यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग सुविधाओं का निर्माण।	23.4.93	587.41	825.11 करोड़ (स्वीकृति प्रदान की जानी है)	अप्रैल, 98	दि., 2000	319.00 करोड़	491.52 करोड़	162.04 करोड़
3.	मुम्बई में मैरिन आयल टर्मिनल पर 7 सब-मैरिन पाइपलाइनों को बदलना।	28.03.95	165.15	286.60 करोड़ (स्वीकृति प्रदान की जानी है)	दिस., 1997	जून, 2000	160.00 करोड़	96.64 करोड़	91.40 करोड़

(ग) महापत्तनों को आमतौर पर निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है:

(1) पुराने तथा अप्रचलित उपस्कर

(2) कामगारों की निम्न उत्पादकता

(3) पत्तन के कार्यकरण में व्यावसायिकता का अभाव।

महाराष्ट्र राज्य में दो महापत्तन हैं, नामत: जवाहर लाल नेहरू और मुंबई पत्तन। चूंकि, जवाहर लाल नेहरू पत्तन के सामने कोई मुख्य समस्या नहीं है लेकिन मुंबई पत्तन न्यास को घटते हुए कार्गो, फालतू जनशक्ति तथा ऊपरी खर्चों में बढ़ोत्तरी इत्यादि की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(1) सरकार ने पत्तन उपस्करों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

(2) पत्तन सैक्टर को गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया है।

(3) मौजूदा पत्तनों के चरणबद्ध रूप से निगमीकरण हेतु निर्णय लिया गया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ बेहतर प्रबंधन प्रथाएं लागू की जा सकें।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान माल यातायात की मात्रा के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

वर्ष	यातायात (मिलियन टन)
1996-97	227.26
1997-98	251.66
1998-99	251.72

(ङ) 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार कार्गो हैंडलिंग क्षमता 240 मिलियन टन थी। चूंकि, इस क्षमता पर अत्यधिक भार है, अत: पत्तन यातायात की संभावित बढ़ोत्तरी के मद्देनजर नौवीं योजना में महापत्तनों में 160 मिलियन अतिरिक्त क्षमता सृजित करने के लिए पत्तनों के आधुनिकीकरण हेतु उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

लंबित मामलों का निपटान

*51. **श्री शिवराज सिंह चौहान:**
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में संवैधानिक मामलों, दीवानी, श्रम, चुनाव, रिट याचिकाओं, जनहित याचिकाओं, विशेष अनुमति याचिकाओं, न्यायालय की अवमानना संबंधी याचिकाओं से संबंधित कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) ये मामले कब से लंबित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कोई नई कार्ययोजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामले निपटाये गए?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय में तारीख 1.2.2000 को 20,260 मामले (फाइलों की वास्तविक संख्या) लंबित थे।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की बाबत स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	लंबित मामले	निम्नलिखित तारीख को
1	2	3	4
(1)	इलाहाबाद	812143	6/99
(2)	आंध्र प्रदेश	150018	9/99
(3)	मुम्बई	275405	9/99
(4)	कलकत्ता	301852	6/99
(5)	दिल्ली	170901	6/99
(6)	गौहाटी	38037	1/99
(7)	गुजरात	121532	1/99
(8)	हिमाचल प्रदेश	11909	9/99
(9)	जम्मू-कश्मीर	75987	6/99
(10)	कर्नाटक	82487	9/99
(11)	केरल	302331	9/99
(12)	मध्य प्रदेश	102031	9/99
(13)	मद्रास	357095	9/99
(14)	उड़ीसा	114548	9/99
(15)	पटना	82908	9/99
(16)	पंजाब और हरियाणा	178639	6/99
(17)	राजस्थान	119498	9/99
(18)	सिक्किम	203	9/99

वर्गवार, लंबित मामलों की अवधि और लंबित रहने के कारणों की जानकारी का विवरण इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ने, मामलों को शीघ्रता से निपटाए जाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन करना, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों में वृद्धि करना, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना करना तथा विवाद समाधान की माध्यस्थम् और सुलह जैसी अनुकल्पिक पद्धतियों को अपनाया जाना भी सम्मिलित है। लोक अदालतों को, विवादों के समाधान के लिए अनुपूरक मंच के रूप में, कानूनी आधार प्रदान किया गया है।

पूर्वोक्त के अतिरिक्त भारत के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने मामलों को शीघ्रता से निपटाए जाने के लिए अनेक उपाय किये हैं, अर्थात्, ऐसे मामलों का समूहन और वर्गीकरण करना जिनमें विधि के समान प्रश्न अंतर्वलित है, विशिष्ट न्यायपीठों की स्थापना करना, अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करना आदि।

(ङ) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1997, 1998 और 1999 में निपटाए गए मामलों की संख्या

		1997	1998	1999
(क)	भारत का उच्चतम न्यायालय	36569	35233	लागू नहीं होता
(ख)	उच्च न्यायालय			

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	1997 निपटाए गए मामलों की संख्या	1998 निपटाए गए मामलों की संख्या	1999 निपटाए गए मामलों की संख्या
(1)	इलाहाबाद	291333	146579	73655+
(2)	आंध्र प्रदेश	142099	144367	98123*
(3)	मुम्बई	88252	84881	59906*
(4)	कलकत्ता	63127	64594	29182+
(5)	दिल्ली	44618	61887	31453+
(6)	गौहाटी	18077	17540	लागू नहीं होता
(7)	गुजरात	47711	56422	लागू नहीं होता
(8)	हिमाचल प्रदेश	13665	9665	6447*
(9)	जम्मू-कश्मीर	20753	34275	28993+
(10)	कर्नाटक	85059	120653	71976*
(11)	केरल	76075	103579	90897*
(12)	मध्य प्रदेश	79094	78719	61813*
(13)	मद्रास	110761	121581	94930*
(14)	उड़ीसा	33557	36926	26888*
(15)	पटना	93306	105833	77345*
(16)	पंजाब और हरियाणा	119037	131306	60328+
(17)	राजस्थान	56684	52764	36655*
(18)	सिक्किम	227	699	660*

+6/99 तक के आंकड़े

*9/99 तक के आंकड़े

[अनुवाद]

गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

***52. श्री रामजीवन सिंह:**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में देश के प्रमुख पत्तनों के गोदी कर्मचारियों ने हड़ताल की थी जिससे नौवहन सेवाएं पंगु हो गई थीं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उसके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रमुख पत्तन को अनुमानत: किनती-कितनी हानि हुई;

(घ) क्या पत्तन कर्मचारियों और सरकार के बीच कोई सौहार्दपूर्ण समझौता हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(छ) सरकार उनके विवादों का निपटान कब तक करने पर सहमत हुई है; और

(ज) उक्त निपटान के कारण सरकारी राजकोष पर कितना अतिरिक्त भार पड़ा है/पड़ने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): (क) और (ख) महापत्तनों में पत्तन और गोदी कामगार वेतन संशोधन और सेवा शर्तों के उदारीकरण संबंधी अपनी मांगों पर जोर डालने के लिए दि. 18.1.2000 से 22.1.2000 तक हड़ताल पर चले गए। इस हड़ताल के दौरान पत्तन कुछ हद तक पत्तन प्रचालन कर सके। अनिवार्य कार्गों की हैंडलिंग बनाए रखी गई।

(ग) जनवरी, 2000 माह के दौरान महापत्तनों पर 22.736 मिलियन टन यातायात हैंडल करने का लक्ष्य था। इसके मुकाबले में 21.116 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया गया। कार्गो हैंडलिंग में आई इस कमी को चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में पूरा किए जाने की उम्मीद है। अत: हड़ताल के कारण हुए घाटे का आकलन करना मुश्किल है।

(घ) जी हां।

(ङ) से (छ) 21 और 22 जनवरी, 2000 को जल-भूतल परिवहन मंत्री और परिसंघ के नेताओं के बीच हुए विचार-विमर्श के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

(1) पत्तन कामगारों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ते (सी सी ए) के स्थान पर पत्तन भत्ता दिया जाएगा और इसका भुगतान 1.1.98 से किया जाएगा।

(2) पत्तनों कामगारों के पास बढ़ी हुई सीमा के साथ विद्यमान दरों पर मकान किराया भत्ता अथवा सरकारी दरों पर मकान किराया भत्ता में से किसी एक के चयन का विकल्प होगा।

(3) दि. 6.12.1994 के पिछले समझौते की जो शर्तें लागू नहीं की गई हैं उन पर स्थानीय रूप से विचार किया जाएगा। इस मुद्दे का समाधान न होने की स्थिति में इसे मध्यस्थ/न्याय-निर्णायक के पास भेज दिया जाएगा।

(4) यदि मकान किराया भत्ते का भुगतान पूर्व प्रभाव से अर्थात् 1.1.98 से किया जाता है तो समझौते की अवधि पर सरकार उचित स्तर पर विचार करेगी तथा 31.3.2000 से पहले इन मुद्दों के समाधान के प्रयास किये जायेंगे।

(5) परिसंघों द्वारा हड़ताल नोटिसों में उठाए गए मुद्दों पर बी डब्ल्यू एन सी स्तर पर विचार-विमर्श किया जाएगा तथा 28.2.2000 तक इनका समाधान कर लिया जाएगा।

(6) पत्तनों में उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए मुद्दे न्याय-निर्णायक को सौंप दिए जाएंगे। वह प्रत्येक पत्तन की स्थानीय परिस्थितियों और अन्य संगत कारकों पर गौर कर सकता है और 6 माह की अवधि में अपने फैसले को अंतिम रूप देगा और यह दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

(7) हड़ताल में भागीदारी के कारण किसी भी कामगार का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

(ज) इस समझौते का सरकारी खजाने पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह व्यय पत्तनों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से वहन किया जाएगा।

टेलीग्राफ सेवाओं का आधुनिकीकरण

*53. **श्री के. मुरलीधरन:**
श्री मानसिंह पटेल:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर केरल और गुजरात में टेलीग्राफ सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ बजट में कोई आबंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केरल तथा गुजरात में आधुनिकीकरण का यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, हां।

(ख) तीव्र टेलीग्राम संचारण के लिए टेलीग्राफ ऑफिसों को जोड़ने तथा नेटवर्क के लिए स्टोर एवं फॉरवर्ड मैसेज स्विचिंग प्रणाली (एसएफएमएस), फार्मेटेड टर्मिनल कंसेंट्रेटर्स (एफटीसी) तथा इलेक्ट्रॉनिकी की बोर्ड कंसेंट्रेटर्स (इकेबीसी) जैसे माइक्रोप्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रानिक मैसेज स्विचें प्रदान की गई हैं। फैक्स सुविधा के लिए ब्यूरोफैक्स सेवा प्रदान की हैं। केरल तथा गुजरात राज्यों में भी टेलीग्राफ सेवाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) कोई अलग से बजट आबंटन नहीं किया गया है। तथापि, ऐसे कार्यक्रमों की मांग को इस वर्ष के टेलेक्स तथा टेलीग्राफ के लिए आबंटित विकासात्मक निधियों से पूरा किया जाता है।

(ङ) यद्यपि आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है, केरल में चालू वर्ष के लिए आधुनिकीकरण कार्य पूरा हो गया है तथा मार्च 2000 तक गुजरात में इस कार्य के पूरा हो जाने की संभावना है।

विवरण

प्रणाली	स्थिति	जिला मुख्यालय
1	2	3
अंडमान निकोबार सर्किल		
इकेबी	पोर्ट ब्लेयर	पोर्ट ब्लेयर
आंध्र प्रदेश सर्किल		
एसईएमएसएस 128 एल	हैदराबाद	हैदराबाद
एसईएमएसएस 64 एल	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा
एसएफटी 162	गुंटूर	गुंटूर
	विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम
	राजामुंद्री	काकीनाड़ा
	करनूल	करनूल
	हैदराबाद	हैदराबाद
	हैदराबाद	हैदराबाद
	विजयवाड़ा	मछलीपट्टनम
	राजामुंद्री	काकीनाड़ा
	नेल्लूर	नेल्लूर

1	2	3
	अनन्तापुर	अनन्तापुर
	विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम
	कुडप्पा	कुडप्पा
	तिरुपति	चित्तूर
फोनोग्राम कन्सेनट्रेटर	हैदराबाद	हैदराबाद
ईकेजीसी	एलूरू	एलूरू
	नेल्लूर	नेल्लूर
	काकीनाड़ा	काकीनाड़ा
	श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम
	आंगोली	ओंगोली
	कुडप्पा	कुडप्पा
असम दूरसंचार सर्किल		
एसईएमएसएस 64 एल	गुवाहाटी	गुवाहाटी
एस एफ 141	सिल्चर	सिल्चर
ई के वी सी	गुवाहाटी	गुवाहटी
	डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़
	तिनसुकिया	तिनसुकिया
	जोरहाट	जोरहाट
	सिल्चर	सिल्चर
	करीमगंज	करीमगंज
	नईगांव	नईगांव
	बोंगईगांव	बोंगईगांव
बिहार दूरसंचार सर्किल		
एसएफएमएसएस 39 एल	पटना	पटना
एसएफएमएसएस 32एल	रांची	रांची
एसएफटी 162	पटना	पटना
	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
	कटिहार	कटिहार
	बेगूसराय	बेगूसराय
	भागलपुर	भागलपुर
	धनबाद	धनबाद
ई के वी सी	छपरा	छपरा
	रांची	रांची

1	2	3
गुजरात दूरसंचार सर्किल		
एसएफएमएसएस 128 एल	अहमदाबाद	अहमदाबाद
एसएफएमएसएस 32 एल	राजकोट	राजकोट
एसएफटी 141	अहमदाबाद	अहमदाबाद
एफ टी सी	बड़ोदरा	बड़ोदरा
	राजकोट	राजकोट
	भावनगर	भावनगर
	अहमदाबाद	अहमदाबाद
टीपी कन्सेन्ट्रेटर	सूरत	सूरत
फोनोग्राम कन्सेन्ट्रेटर	अहमदाबाद	अहमदाबाद
ई के बी सी	अहमदाबाद-2 अदद	अहमदाबाद
	राजकोट-2 अदद	राजकोट
	सूरत-2 अदद	सूरत
	भावनगर	भावनगर
	जामनगर	जामनगर
	वड़ोदरा	वड़ोदरा
	आनन्द	नाडियाड
	गोधरा	गोधरा
	भरूच	भरूच
	वापी	वलसाड
	वलसाड	वलसाड
	मेहसाना	मेहसाना
	सुरेन्द्रनगर	सुरेन्द्रनगर
	जूनागढ़	जूनागढ़
हरियाणा दूरसंचार सर्किल		
एसएफएमएसएस 32 एल	अम्बाला	अम्बाला
ई के बी सी	अम्बाला कैंट	अम्बाला
	अम्बाला शहर	-वही-
	यमुनानगर	-वही -
	हिसार	हिसार
	फरीदाबाद	फरीदाबाद
	करनाल	करनाल
	कुरुक्षेत्र	-वही-
	रोहतक	रोहतक

1	2	3
हिमाचल प्रदेश दूरसंचार सर्किल		
एसएफएमएसएस 32 एल	शिमला	शिमला
ई के बी सी	शिमला-2 अदद मंडी सोलन हमीरपुर धर्मशाला	शिमला मंडी सोलन हमीरपुर कांगड़ा धर्मशाला में
जम्मू-कश्मीर दूरसंचार सर्किल		
एसएफएमएसएस 32 एल एफटीसी	जम्मू श्रीनगर	जम्मू श्रीनगर
ई के बी सी	जम्मू-2 अदद	जम्मू
कर्नाटक दूरसंचार सर्किल		
एसएफएमएसएस 128 एल	बेंगलूर	बेंगलूर
एसएफएमएसएस 64 एल	हुबली	हुबली
एसएफएमएसएस 32 एल	गुलबर्गा	गुलबर्गा
एसएफटी 141	बेंगलूर	बेंगलूर 24.11.94 को समाप्त कर दी गई
एस एफ टी 162	बेंगलूर	बेंगलूर 17.5.95 को समाप्त कर दी गई
फोनोग्राम	बेंगलूर	बेंगलूर
कन्सेन्ट्रेटर	बंगलूर	बेंगलूर
ईकेबीसी	बिदर बीजापुर बागलकोट जामखंडी बेल्लारी होसपेट बेलगोव-2 अदद गोकाक संकेश्वर	बिदर बीजापुर बेल्लगी बेलगांव

1	2	3
	चित्रादुर्गा	चित्रादुर्गा
	देवनगिरि	
	चिकमगलूर	चिकमगलूर
	मंगलूर-2 अदद	मंगलूर
	कुंडापुरा	
	पट्टूर	
	उडप्पी	
	धरवाड़	धरवाड़
	हुबली	
	गडग	
	रानेबेन्नूर	
	गुलबर्गा	गुलबर्गा
	हस्सन	हस्सन
	माडीकेड़ी	माडीकेड़ी
	कोलार	कोलार
	मांडया	मांडया
	मैसूर-2 अदद	मैसूर
	रायचूर	रायचूर
	शिमोगा	शिमोगा
	टमकूर	टमकूर
	टिपटूर	टमकूर
	करवाड़	करवाड़
केरल दूरसंचार सर्किल		
एसएफएमएसएस 128 एल	एर्नाकुलम	एर्नाकुलम
एसएफएमएसएस 64 एल	त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम
एसएफएमएसएस 32 एल	कालीकट	कालीकट
फोनोग्राम कन्सेन्ट्रेटर	कोचीन	एर्नाकुलम
बहुभाषी कन्सेन्ट्रेटर	त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम
ईकेबीसी	क्विलोन	क्विलोन
	पथनमथिट्टा	पथनमथिट्टा
	तिरुवल्ला	-वही-
	कोट्टयाम	कोट्टयाम
	एल्लेप्पी	एल्लेप्पी
	कोचीन	एर्नाकुलम

1	2	3
	मुवट्टुपुजा	एर्नाकुलम
	त्रिचूर	त्रिचूर
	कुन्नमकुलम	त्रिचूर
	कालीकट	कालीकट
	पालघाट	पालघाट
	तेलिचेरि	कन्नूर
	कन्नूर	-वही-
	मुवट्टुपुजा	एर्नाकुलम
	कुन्नमकुलम	त्रिचूर
	इरंगलाकुडा	-वही-
मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल		
एसएफएमएसएस 64 एल	भोपाल	भोपाल
एसएफएमएसएस 32 एल	रायपुर	रायपुर
एसएफएमएमएस 32 एल	इंदौर	इंदौर
एसएफएमएसएस 32 एल	जबलपुर	जबलपुर
एसएफएमएसएस 32 एल	टीटीसी जबलपुर	जबलपुर
इकेबीसी	भोपाल	भोपाल
	जबलपुर	जबलपुर
	छिन्दवाड़ा	छिंदवाड़ा
	होशंगाबाद	होशंगाबाद
कोई अन्य प्रणाली		
बीआईटीएमएसएस	इंदौर	इंदौर
महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल		
एसएफएमएसएस 2 × 128 एल	मुम्बई	मुम्बई
एसएफएमएसएस 64 एल	पुणे	पुणे
एसएफएमएसएस 64 एल	नागपुर	नागपुर
एसएफएमएसएस 32 एल	शोलापुर	शोलापुर
एसएफएमएसएस 32 एल	कोल्हापुर	कोल्हापुर
एसएफएमएसएस 32 एल	औरंगाबाद	औरंगाबाद
एसएफएमएसएस 32 एल	पणजी	पणजी
एसएफटी 141	मुम्बई-3 अदद	मुम्बई (निष्क्रिय रखा गया)

1	2	3
एफटीसी	मुम्बई-2 अदद	मुम्बई
	नागपुर	नागपुर
	नासिक	नासिक
	पुणे	पुणे
	पणजी	पणजी
फोनोग्राम कन्सेट्रेटर	मुम्बई	मुम्बई
	मुम्बई-2 अदद	मुम्बई
	पुणे	पुणे
	नागपुर	नागपुर
इकेबीसी	अहमदनगर	अहमदनगर
	अकोला	अकोला
	अमरावती	अमरावती
	औरंगाबाद-2 अदद	औरंगाबाद
	बर्सी	सोलापुर
	भण्डारा	भण्डारा
	भुसावल	जलगांव
	बुल्धाना	बुल्धाना एटी खामगांव
	चन्दरापुर	चन्दरापुर
	धुले	धुले
	गोन्डिया	भंडारा
	जलगांव	जलगांव
	जालना	जालना
	करात	सतारा
	कोल्हापुर	कोल्हापुर
	लातूर	लातूर
	मारगांव	पणजी
	महद	जीएम, रायगढ़ एटी मुम्बई में
	मुम्बई-3 अदद	मुम्बई
	मुम्बई	मुम्बई
	नागपुर-3 अदद	नागपुर
	नांदेड़	नादंडे
	नासिक	नासिक
	नासिक रोड	नासिक
	पंधारपुर	सोलापुर
	परभनी	परभनी
	पुणे-3 अदद	पुणे
	रत्नागिरि-2 अदद	रत्नागिरि
	सांगली	सांगली

सांगली

1	2	3
	सतारा	सतारा
	सवान्तवाडी	सिंधुदुर्ग
	सोलापुर-2 अदद	सोलापुर
	वर्धा	वर्धा
	यवतमाल	यवतमाल
	अहमदनगर	अहमदनगर
	अकोला	अकोला
	नासिक	नासिक
	पुणे	पुणे
	मुम्बई	मुम्बई
उत्तर-पूर्व दूरसंचार सर्किल		
एसएफएमएसएस 32 एल	शिलांग	शिलांग
एसएफटी 141	शिलांग	शिलांग
इकेबीसी	इटानगर	इटानगर
	आइजोल	आईजोल
	अगरतला	अगरतला
एनटीआर दूरसंचार सर्किल		
एसएफएमएसएस 128 एल	नई दिल्ली	नई दिल्ली
एफटीसी	नई दिल्ली	नई दिल्ली
फोनोकॉम कंसेन्ट्रेटर	-वही- 2 अदद	-वही-
इकेबीसी	-वही- 2 अदद	-वही-
द्विभाषी कंसैट्रेटर	-वही- 2 अदद	-वही-
उड़ीसा दूरसंचार सर्किल		
एसएफएमएसएस 32 एल	कटक	कटक
एसएफएमएसएस 32 एल	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर
एसएफटी 141	कटक	कटक (काम नहीं कर रहा)
एसएफटी 162	कटक	कटक
	सम्बलपुर	सम्बलपुर
इकेबीसी	कटक	कटक (काम नहीं कर रहा)
पंजाब दूरसंचार सर्किल		
एसएफएमएसएस 64 एल	जालंधर	जालंधर
एसएफएमएसएस 32 एल	चंडीगढ़	चंडीगढ़

1	2	3
एफटीसी	जालंधर	जालंधर
इकेबीसी	भटिण्डा	भटिण्डा
	होशियारपुर	होशियारपुर
	लुधियाना	लुधियाना
	चंडीगढ़	चंडीगढ़
	चंडीगढ़	चंडीगढ़
	जालंधर-2 अदद	जालंधर
	अमृतसर-2 अदद	अमृतसर
	फिरोजपुर-2 अदद	फिरोजपुर
	पटियाला	पटियाला
	पठानकोट	पठानकोट
	मोगा	मोगा
राजस्थान दूरसंचार सर्किल		
एसएफएमएसएस 64 एल	जयपुर	जयपुर
एसएफएमएसएस 32 एल	जोधपुर	जोधपुर
एफटीसी	जयपुर	जयपुर
	जोधपुर	जोधपुर
इकेबीसी	जयपुर-3 अदद	जयपुर
	जयपुर	-वही-
	झुनझुनू	झुनझुनू
	सीकर	सीकर
	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर
	कोटा-2 अदद	कोटा
	भरतपुर	भरतपुर
	अलवर	अलवर
	चुरु	चुरु
	सुजानगढ़	-वही-
	नागौर	नागौर
	मकराना	नागौर
	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
	बीकानेर-2 अदद	बीकानेर
	जोधपुर-3 अदद	जोधपुर
	जालौर	जालौर
	सिरोही	सिरोही
	पाली	पाली

1	2	3
	सुमेरपुर	–वही–
	अजमेर–2 अदद	अजमेर
	बेआसर	–वही–
	उदयपुर–2 अदद	उदयपुर
	भिलवाड़ा	भिलवाड़ा
तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल		
एसएफएमएसएस 128 एल	चेन्नै	चेन्नै
एसएफएमएसएस 64 एल	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर
एसएफएमएसएस 64 एल	मदुरई	मदुरई
एसएफएमएसएस 64 एल	त्रिची	त्रिची
एसएफएमएसएस 32 एल	–वही–	–वही–
एसएफएमएसएस 32 एल	सलेम	सलेम
एसएफएमएसएस 32 एल	तिरुनलवेली	तिरनेलवेली
एसएफएमएसएस 32 एल	वेल्लोर	वेल्लोर
एसएफटी 141	चेन्नै–2 अदद	चेन्नै (2 प्रणालियों की स्क्रेपिंग अनुमोदित)
	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर (स्क्रेपिंग जारी है)
	मदुरई	मदुरई (स्क्रेपिंग जारी है)
	त्रिचि	त्रिची (स्क्रेपिंग जारी है)
एसएफटी 162	चेन्नै–2 अदद	चेन्नै (एवजी के रूप में प्रयोग)
एफटीसी	थन्जावूर	थन्जावूर
	चेन्नै	चेन्नै
	चेन्नै	चेन्नै
	त्रिचि	त्रिची (फोनोग्राम कंसेट्रेटर)
	मदुरई	मदुरई (की तरह इस्तेमाल किया गया)
फोनोग्राम कंसेंट्रेटर	चेन्नै	चेन्नै
	चेन्नै	चेन्नै
	मम्बालम	
	चेन्नै	–वही–
	इथिरज सलाई	

1	2	3
बहुभाषी कंसेंट्रेटर	चेन्नै	चेन्नै
ईकेबीसी	त्रिची-2 अदद	त्रिची
	चेन्नई	चेन्नई
	इथीराज सलाई	
	पांडिचेरी	पांडिचेरी
	विल्लुपुरम	विल्लुपुरम
	करूर	करूर
	राजपालयम	शिवकाशी
	वेल्लूर-2 अदद	सेल्लोर
	तिरुवन्नामलाई	तिरुवन्नामलाई
		कोयम्बटूर
		-वही-
	मदुरई-3 अदद	मदुरई
	सलेम-3 अदद	सलेम
	इरोद	इरोद
	कल करालकुडी	शिवगंगा
	विरुधुनगर	शिवकाशी
	रामनाथपुरम	रामनाथपुरम
	पुडुकोपट्टई	पुडुकोपट्टई
	थन्जावूर-2	थंजावूर
	कुम्बाकुनम	-वही-
	तिरूनेलवेली-5 अदद	तिरुनेवेली
	नागरकोइल-2 अदद	नागरकोलइल
	टूटीकोरिन-2 अदद	टूटीकोरिन
	धर्मपुरी	धर्मपुरी
	चेन्नै-4 अदद	चेन्नै
	चेन्नै	-वही-
	परमाकुडी	शिवगंगा
	शिवकाशी	शिवकाशी
	तेनकासी	तिरुनेवेली
	अम्बासमुद्रम	-वही-
	तिरुचेंदुर	टूटीकोरिन
	कोवीलपट्टी	-वही-
	शिवगंगा	शिवगंगा
	डिंडीगल	डिंडीगल
	कुड्डालोरे	कुड्डालोरे
	पट्टुकोटई	थन्जावूर
	नागपट्टनम	नागपट्टनम
	थेनी	थेनी

1	2	3
	चिदम्बरम	कुड्डालोर
	कुझीथुरई	नगरकोईल
	अरुप्पूकोट्टई	शिवकाशी
	नामक्काल	नामक्काल
	कृष्णागिरि	धर्मपुरी
	तिरुवारूर	तिरुवारूर
उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार सर्किल		
एसएफएमएसएस 128 एल	लखनऊ	लखनऊ
एमएसएस 32 एल	कानपुर	कानपुर
एसएफएमएसएस 32 एल	वाराणसी	वाराणसी
एफटीसी	गोरखपुर	गोरखपुर
	कानपुर	कानपुर
	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
बहुभाषी कंसेंट्रेटर	लखनऊ-2 अदद	लखनऊ
इकेबीसी	लखनऊ	लखनऊ
	वाराणसी	वाराणसी
	कानपुर	कानपुर
	इलाहाबाद	इलाहाबाद
	गोरखपुर	गोरखपुर
	फैजाबाद	फैजाबाद
	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
	आजमगढ़	आजमगढ़
	देवरिया	देवरिया
	बलिया	बलिया
	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
	जौनपुर	जौनपुर
	बाँदा	बाँदा
	झांसी	झांसी
उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल		
एसएफएमएसएस 32 एल	देहरादून	देहरादून
एसएफएमएसएस 32 एल	आगरा	आगरा
एसएफएमएसएस 32 एल	बरेली	बरेली

1	2	3
एफटीसी	मेरठ	मेरठ
एस	मुरादाबाद बरेली	मुरादाबाद
इकेबीसी	बरेली देहरादून गाजियाबाद हल्दवानी मुरादाबाद मेरठ मथुरा सहारनपुर श्रीनगर अलीगढ़	बरेली देहरादून गाजियाबाद टेलीफोन जिला एम.टी. मुख्यालय हल्दवानी में मुरादाबाद मेरठ मथुरा सहारनपुर पौड़ी गढ़वाल अलीगढ़
पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल		
एसएफएमएसएस 128 एत	कलकत्ता	कलकत्ता
एसएफटी 162	सिलीगुड़ी दुर्गापुर	दार्जीलिंग वर्दवान
इकेबीसी	खडगपुर मिदनापुर तमलुक बांकुरा रानीगंज बर्दवान पुरुलिया आसनसोल कूचबिहार कलकत्ता-2 अदद सीए-अलीपोर सीए-रासबिहारीं एवीई सीए-नगरबाजार हावड़ा बरसात बन्देल श्रीरामपुर बोलापुर	मिदनापुर -वही- -वही- बांकुरा बर्दवान -वही- पुरुलिया बर्दवान जलपाईगुड़ी कलकत्ता -वही- -वही- -वही- हावड़ा बरसात चिन्चूरा -वही- सूरी

1	2	3
	बेरहामपुर	बेरहामपुर
	कृष्णानगर	कृष्णानगर
	रायगंज	रायगंज
	बालुरघाट	मुख्यालय-बालुरघाट
	जलपाईगुड़ी	जलपाईगुड़ी
	गंगटोक	गंगटोक
	सिलीगुड़ी	दार्जिलिंग
	माल्दा	माल्दा
	कलकत्ता	कलकत्ता
	दार्जिलिंग	दार्जिलिंग

लीजेन्ड:

1. एस एफ एम एस एस – स्टोर तथा फारवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम
2. एस एफ टी – स्टोर तथा फारवर्ड टर्मिनल
3. ई के बी सी – इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड कन्सेन्ट्रेटर
4. टी पी – टेलीप्रिन्टर
5. एफ टी सी – फोरमैटेड टर्मिनल कन्सेन्ट्रेटर

[हिन्दी]

बिजली कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*54. **श्री रिजवान जहीर:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विभिन्न राज्यों में बिजली कर्मचारियों द्वारा अनेकों बार हड़ताल की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कड़े उपायों के बावजूद हड़तालें जारी रहीं;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने हड़ताल से संबधित मुद्दों समाधान करने हेतु क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम रूप में हुए समझौते का ब्यौरा क्या

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मचारी दिनांक 14.1.2000 से 25.1.2000 तक हड़ताल पर थे। इस हड़ताल को कुछ दूसरे राज्य विद्युत बोर्डों के कर्मचारियों द्वारा एक दिवसीय टोकन हड़ताल के माध्यम से समर्थन प्राप्त था।

(घ) भारत सरकार राज्यों में विद्युत क्षेत्र की सुधार प्रक्रिया को समर्थन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। यह विश्वास किया जाता है कि विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्य करने अनिवार्य है। जब तक कि सुधार कार्य शीघ्रतापूर्वक चालू नहीं किये जाते तब तक सुधार तो क्या यहां तक कि विद्युत आपूर्ति की वर्तमान गुणवत्ता को भी बनाए रखना कठिन है।

(ङ) उत्तर प्रदेश में हड़ताल उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य बातों के साथ-साथ इस पुन: आश्वासन के साथ समाप्त हुई थी कि कर्मचारियों का शोषण नहीं किया जाएगा और उनकी सेवा शर्तों, ग्रेच्युटी का भुगतान, भविष्य निधि और पेंशन आदि की पूरी सुरक्षा की जाएगी तथा इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किये जायेंगे।

[अनुवाद]

पारेषण और वितरण कार्य हेतु राज्य बिजली बोर्डों को धनराशि

*55. **श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:**
डा. रमेश चंद तोमर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोई विशेष कोष स्थापित करने का है ताकि वित्तीय संकट का सामना करने वाले राज्य बिजली बोर्ड विद्युत पारेषण और वितरण के क्षेत्र में सुधार ला सकें;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय संकट का सामना कर रहे राज्य बिजली बोर्डों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य बिजली बोर्डों ने अधिक धनराशि दिए जाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी वित्तीय संस्थानों ने राज्य बिजली बोर्डों को धनराशि प्रदान की है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) सरकार एक नई स्कीम आरंभ करने पर विचार कर रही है जिसके तहत राज्य विद्युत यूटिलिटियों की प्रचालनात्मक क्षमता में सुधार लाने और पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के उद्देश्य से सभी स्तरों पर मीटरों के प्रावधान समेत उप-पारेषण और वितरण परियोजनाओं में निवेश करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों को निधियां प्रदान की जाएगी। तथापि, राज्य सरकार द्वारा सुधार और पुनर्संरचना से संबंधित शर्तों को स्वीकार करने की शर्त पर निधियों को मुहैया कराया जाना निर्भर करेगा।

(ख) वर्ष 1997-98 के लिए राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (ग्रिडको) की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

* 31.3.2000 को विद्युत उत्पादकों को ग्रिडको द्वारा देय कुल मिलाकर 1160.4 करोड़ रुपये धनराशि को कर मुक्त बॉण्डों में परिवर्तित करना।

* पीएफसी और आरईसी के लिए ऋणों का पुन: कार्यक्रम तैयार करना।

* विश्व बैंक से 206 करोड़ रुपये का सुलभ ऋण (विश्व बैंक द्वारा पहले से स्वीकृत 350 मिलियन अमरीकी डॉलर के अतिरिक्त)

* विश्व बैंक से 1000 करोड़ रुपये) (50% अनुदान सहायता के रूप में और 50% ऋण के रूप में) की विशेष सहायता प्राप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की सिफारिशों हेतु अनुरोध किया है ताकि विद्युत क्षेत्र में राज्य सरकार की पुनर्संरचना संबंधी प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जा सके।

* सरकार ने दिनांक 12 फरवरी, 2000 को कर्नाटक सरकार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य को वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार की वचनबद्धता का प्रावधान किया गया है।

* चरणबद्ध तरीके से अपने उप पारेषण और वितरण नेटवर्क का उन्नयन करना।

* प्रणालीगत हानि कम करने से संबंधित कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए।

* गांवों और हैमलेटों के 100% विद्युतीकरण हेतु आरईसी के जरिए पर्याप्त वित्तपोषण हेतु।

* पीएफसी अनुदान और ब्याज मुक्त ऋणों के जरिए सुधार एवं पुनर्संरचना से संबंधित अध्ययन कार्य आरंभ करने के लिए।

* वित्तीय संस्थानों और अन्य स्रोतों से निधियां जुटाने में राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए।

(ङ) और (च) गत तीन वर्षों के दौरान पारेषण एवं वितरण कार्यों के लिए रा.वि. बोर्डों को विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 1997-98 के लेखों के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा अर्जित लाभ एवं हानि इंगित करने वाला विवरण
(आर्थिक सहायता बिना)

राज्य विद्युत बोर्डों का नाम		करोड़ रुपयों में
1		2
1.	एपीएसईबी	-1134.46
2.	एएसईबी	-439.58
3.	बीएसईबी	-225.42
4.	जीईबी	-1363.62
5.	एचएसईबी	-712.79
6.	एचपीएसईबी	29.45

1	2
7. केईबी	-321.77
8. केएसईबी	-296.70
9. एमपीईबी	-753.01
10. एमएसईबी	36.61
11. एमईएसईबी	-52.00
12. ओएसईबी	*
13. पीएसईबी	-555.27
14. आरएसईबी	-639.53
15. टीएनईबी	-317.75
16. यूपीएसईबी	-1547.97
17. डब्ल्यूबीएसईबी	-164.18
सभी राज्य विद्युत बोर्ड	-8457.99

विवरण II

गत 3 वर्षों के दौरान पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए रा. वि. बोर्डों को प्रदान की गई विदेशी सहायता के ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	ऋणदाता एजेंसी	1999-2000	1998-99	1997-1998	जोड़
1.	उड़ीसा पावर सैक्टर रिस्ट्रक्चर	उड़ीसा	आईबीआरडी	50.00	70.00	87.50	207.50
2.	हरियाणा पावर सैक्टर रिस्ट्रक्चर	हरियाणा	आईबीआरडी	93.00	70.00	0.00	163.00
3.	ए.पी. पावर सैक्टर रिस्ट्रक्चर	आंध्र प्रदेश	आईबीआरडी	60.00	33.86	0.00	93.86
4.	आटोमेशन चेन्नई मैट्रो	तमिलनाडु	एडीबी	33.00	22.64	67.40	123.04
5.	पावर सैक्टर इम्प्रूवमेंट	मल्टी/आरईसी	जेबीआईसी	100.00	75.00	63.02	238.02
6.	श्रीशैलम पावर ट्रांसमिशन	ए.पी.	जेबीआईसी	188.80	115.00	222.15	525.95
7.	अनपारा पावर ट्रांसमिशन	यू.पी.	जेबीआईसी	100.00	105.00	236.23	441.23
8.	डब्ल्यू.बी. ट्रांसमिशन प्रणाली	पश्चिम बंगाल	जेबीआईसी	70.00	4.00	0.00	74.00
9.	सिम्हाद्री एण्ड वेजांग ट्रांस.	ए.पी.	जेबीआईसी	20.00	18.00	0.00	38.00
10.	ए.पी. एनर्जी क्षमता परियोजना	ए.पी.	यू.के.	15.00	8.00	30.30	53.30
11.	उड़ीसा पावर सैक्टर रिस्ट्रक्चर	उड़ीसा	यू.के.	19.00	62.15	63.12	144.27
12.	पावर क्षमता सुधार मल्टी/पीएफसी		आईबीआरडी	0.00	72.12	350.00	422.12
13.	पावर क्षमता सुधार मल्टी/पीएफसी		एडीबी	0.00	176.03	385.13	561.16
	जोड़			748.80	831.80	1504.85	3085.45

*द्वितीय नार्थ मद्रास पावर प्रोजेक्ट के लिए एडीबी ऋण में शामिल है।

विद्युत अधिनियमों में परिवर्तन

*56. **श्री सुबोध राय:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) ने सरकार को निजी निवेश को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए विद्युत अधिनियमों में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सुझावों पर विचार करने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) जी, हां। भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) ने विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 में परिवर्तन के सुझाव प्रदान किए हैं।

(ख) और (ग) विद्युत मंत्रालय ने सुधार प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विधायी परिवर्तनों का सुझाव जो कि आवश्यक समझे गये हैं, परामर्शदाता के रूप में नेशनल काउंसिल ऑफ एपलाईड इकनौमिक रिसर्च (एनसीएईआर) से अनुरोध किया था। सीआईआई द्वारा प्रदान किए गए सुझाव एनसीएईआर को भेज दिए गए थे।

विद्यमान तीन विद्युत कानूनों (भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998) को बदलने के लिए एनसीएईआर ने विद्युत विधेयक का एक प्रारूप प्रस्तुत किया है। विधेयक के प्रारूप में सभी राज्य विद्युत बोर्डों के निगमीकरण और उसकी पृथक-पृथक संस्थाओं, जो कि लाभ केन्द्रों, चाहे सार्वजनिक हो या निजी, पर आधारित जिम्मेवारियों के लिए प्रावधान करेगी, में पुनर्संरचना करने तथा विद्युत विनियामक आयोग 1998 के अनुरूप विनियामक आयोग की स्थापना करने अथवा उन्हें सशक्त बनाने का सुझाव प्रदान किया गया है। इसमें सभी उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से कुशलता और प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें भूमिकाओं और जिम्मेवारियों की स्पष्ट रूपरेखा का भी प्रावधान किया गया है।

इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस छेड़ने और एनसीएईआर द्वारा सुझाए गए प्रारूप विधेयक पर सहमति प्राप्त करने के लिए इसकी प्रतियां सभी संबंधितों को उनकी टिप्पणियां सुझाव और सलाह प्राप्त करने के लिए परिचालित कर दी गई हैं।

महिला आरक्षण विधेयक

*57. **श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी संविधान (संशोधन) विधेयक के बारे में समिति की बैठकों के जरिए या किसी और तरीके से कोई सहमति बनी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करने का उपबंध करने के लिए संविधान (85वां संशोधन) विधेयक, 1999, 23 दिसम्बर, 1999 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था। एक पायलट विधेयक, अर्थात्, संविधान (81वां संशोधन) विधेयक, 1996 के पुर:स्थापित किये जाने से ही यह मुद्दा प्रकाश में आया है, उत्तरवर्ती सरकारों की ओर से सभी राजनीतिक दलों के बीच सर्वानुमति बनाने के लिए निरन्तर प्रयास किये जाते रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ इस संबंध में बैठकें आयोजित की गई और कुछ विसम्मत स्वरों को छोड़कर अधिकांश राजनीतिक दलों ने अभी तक इस विधेयक का समर्थन किया है। सरकार इस विधेयक पर पुरजोर चर्चा कराने और इसे यथाशक्य शीघ्र पारित कराने के लिए कटिबद्ध है।

नीतीश सेनगुप्ता समिति की सिफारिशें

*58. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि:**
श्री के. येरननायडू:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नीतीश सेन गुप्त समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकारी क्षेत्र को तेल कम्पनियों के हितों की रक्षा के लिए अन्य क्या उपाय किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) नीतिश सेनगुप्त समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी एस यू) की तेल कंपनियों के हितों की रक्षा करने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:

(1) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ एन जी सी), इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन (एच पी सी), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन (बी पी सी) और गैस अथारिटी आफ इंडिया (गेल) को नवरत्न का दर्जा देना तथा तदुपरांत संबंधित दिशानिर्देशों के भीतर निर्णय लेने के संबंध में प्राधिकारों का और प्रत्यायोजन।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों द्वारा संयुक्त उद्यमों का गठन।

(3) विविधीकरण।

(4) व्यवसाय प्रक्रिया का पुनरर्निर्धारण।

(5) क्षमताओं में वृद्धि।

(6) प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करना और नियंत्रणमुक्ति।

पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि

*59. **श्री आर.एल. भाटिया:**
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी और विभिन्न राज्यों में कीमत में वास्तव में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप माल और यात्रियों की परिवहन लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) उपभोक्ताओं विशेषत: किसानों व अन्य कमजोर वर्गों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) कीमतों में वृद्धि का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) भारत सरकार ने पेट्रोल तथा एल पी जी (घरेलू) की भण्डारण स्थल तक की कीमतों में 01.03.1999 के बाद संशोधन नहीं किया है। फिर भी, दो उत्पादों की खुदरा बिक्री कीमतें कुछ राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा बिक्री कर की दरों में संशोधन के कारण संशोधित कर दी गई हैं। बिक्री कर दरों में वृद्धि तथा खुदरा बिक्री मूल्यों में तदनुरूपी वृद्धि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयुक्त सार्वजनिक वाहन पेट्रोल या एल पी जी का इस्तेमाल नहीं करते। यात्री वाहन जो पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, उनकी संख्या नगण्य हैं। राज्यों द्वारा बिक्री कर दरों में किए गए संशोधन के कारण पेट्रोल तथा एल पी जी के मूल्यों में अंतर केवल मामूली रहा है। इससे उपभोक्ताओं विशेषकर किसानों तथा कमजोर वर्गों को कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई है।

विवरण

खुदरा बिक्री कीमतों तथा बिक्री कर दरों में वृद्धि दर्शाने वाला विवरण

उत्पाद: एम एस-87 (पेट्रोल)

स्थान	राज्य	खुदरा कीमत (रुपए/लीटर)		बिक्री कर (प्रतिशत)	
		संशोधन पूर्व	संशोधित	संशोधन पूर्व	संशोधित
दिल्ली	दिल्ली	24.00	25.94	11.00	20.00
कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	24.56	26.98	11.91	23.00
गुवाहाटी	असम	25.38	26.33	17.60	22.00
शिलौंग	मेघालय	23.77	25.96	10.20	20.40
मुंबई	महाराष्ट्र	28.25	28.47	27.00	28.00

उत्पाद : एल पी जी (घरेलू)

स्थान	राज्य	खुदरा कीमत (रुपए प्रति सिलेंडर)		बिक्री कर (प्रतिशत)	
		संशोधन पूर्व	संशोधित	संशोधन पूर्व	संशोधित
दिल्ली	दिल्ली	146.15	151.60	4.00	8.00
जयपुर	राजस्थान	159.35	159.85	13.44	13.80
जालंधर	पंजाब	157.35	160.45	8.80	11.00
इम्फाल	मणिपुर	155.40	156.85	7.00	8.00
मुंबई	महाराष्ट्र	149.60	153.20	5.40	8.00

टिप्पणी: संशोधन पूर्व आंकड़े 1.11.99 की तारीख के अनुसार हैं तथा संशोधित आंकड़े 1.2.2000 के अनुसार हैं।

[हिन्दी]

वनरोपण अभियान

***60. श्री हरिभाई चौधरी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वनरोपण करने और वनों की कटाई रोकने के लिए कोई अभियान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वनरोपण जैसा कार्य पंचायतों को सौंपने के लिए कोई प्रयास किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार अपनी कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से वनीकरण को प्रोत्साहित करती है, ये स्कीमें राज्य आयोजना बजटों के माध्यम से राज्य सरकारों की वनीकरण/वृक्षारोपण स्कीमों और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अतिरिक्त पूरे देश में कार्यान्वित की जाती हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आधुनिक दावानल नियंत्रण स्कीम का उद्देश्य वन-नाशन को रोकना है। इस प्रयोजन के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1982 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 जैसे संसद के विशिष्ट अधिनियम भी हैं। हाल ही के वर्षों में वनीकरण को प्रोत्साहित करने तथा वन-नाशन को रोकने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख पहल की गई है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की संकेतक सूची जिनमें वनीकरण शामिल हैं:

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रचालित स्कीमें:

1. एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम।
2. क्षेत्रोन्मुखी ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम।
3. गैर-इमारती वन उत्पाद (औषधीय पादपों सहित) का विकास एवं संरक्षण स्कीम।
4. स्वैच्छिक अभिकरणों के लिए सहायता अनुदान स्कीम।
5. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की भोगाधिकार हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित आदिवासियों और ग्रामीण निर्धनों को सहयोजित करने से संबंधित स्कीम।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रचालित स्कीमें:

1. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)
2. मरू विकास कार्यक्रम (डीडीपी)
3. एकीकृत परती भूमि विकास परियोजना स्कीम

कृषि मंत्रालय द्वारा प्रचालित स्कीमें:

1. नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों (कैचमैंट्स) में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण।
2. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना।
3. क्षार मृदा पुनरुद्धार।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वनीकरण स्कीमों से संबंधित दिशा-निर्देशों में यह संकल्पना की गई है कि ये स्कीमें लोगों की भागीदारी से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाएं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के उपबंधों के अनुसार संयुक्त वन प्रबंधन इन स्कीमों के दिशा-निर्देशों का एक अभिन्न अंग हैं। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार ने अपने 1 जून, 1990 के परिपत्र के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए थे। अब तक देश की 36,075 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा प्रबंधित 10.25 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 22 राज्यों में संयुक्त वन प्रबंधन संकल्पों को अंगीकार किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन हेतु विभिन्न राज्य संकल्पों के अनुसार पंचायतों के प्रतिनिधि भी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्य हैं। ग्रामीण विकास विभाग की उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डी आर डी ए)/जिला परिषदों के पक्ष में परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। अधिकांश जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला परिषदों के अध्यक्ष अब जिला पंचायतों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ग्रामीण स्तर पर जल संभरण (वाटरशैड) समिति का प्रावधान है। जहां ग्राम पंचायतों के दो सदस्य जल संभरण समिति के भी सदस्य होते हैं और वे जल संभरण परियोजना कार्यों को सम्पादित करते हैं।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों को घाटा

427. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय घाटे में चल रहे राज्य विद्युत बोर्डों की संख्या कितनी है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड को कुल कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य विद्युत बोर्डों को पुनर्जीवित करने के लिए 3000 करोड़ रुपये का विशेष कोष स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यवार, उन राज्य विद्युत बोर्डों का ब्यौरा क्या है जिन्हें यह राशि आवंटित किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) वर्ष 1997-98 के लेखा संबंधी वार्षिक विवरण के अनुसार 14 राज्य विद्युत बोर्डों को सब्सिडी का ध्यान रखे बगैर हानियों का सामना करना पड़ा है।

(ख) वर्ष 1997-98 के लिए प्रत्येक बिजली बोर्ड की राज्यवार हानियां (सब्सिडी के बगैर) संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) राज्य विद्युत बोर्ड संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। अतएव राज्य बिजली बोर्डों में पुनर्गठन संबंधी कोई योजना कार्यनीति तैयार करना राज्य सरकार का दायित्व है। सरकार पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने की दृष्टि से सभी स्तरों पर मानीटरिंग सहित विशिष्ट परियोजनाओं को निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है।

विवरण

राज्य विद्युत बोर्डों के घाटे का विवरण
(सब्सिडी बगैर)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य विद्युत बोर्डों के नाम	1997-98
1.	एपीएसईबी	-1134.46
2.	एएसईबी	-439.58
3.	बीएसईबी	-225.42
4.	जीईबी	-1363.62
5.	एचएसईबी	-712.79
6.	केईबी	-321.77
7.	केएसईबी	-296.7
8.	एमपीईबी	-753.01
9.	एमईएसईबी	-52.00
10.	पीएसईबी	-555.27
11.	आरएसईबी	-639.53
12.	टीएनईबी	-317.75
13.	यूपीएसईबी	-1547.97
14.	डब्ल्यूबीएसईबी	-164.18
	कुल	-8424.05

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में रसोई गैस एजेंसियां

428. **श्री सुनील खां:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के सभी सातों खंडों के आस-पास कोई रसोई गैस एजेंसियां नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे स्थानों पर डीलरशिप को इस तरह स्थापित करने का है जिससे एक ही पेट्रोलियम कंपनी के उपभोक्ताओं को एम.पी. कोटा से गैस मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) फिलहाल पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में दुर्गापुर में 11 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालनरत हैं।

(ग) और (घ) जो व्यक्ति किसी सांसद प्राथमिकता कनेक्शन प्राप्त करने का इच्छुक हो परन्तु किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के प्रचालन क्षेत्र में न आता हो उसे अपने सबसे समीप के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होता है और एक नए एल पी जी कनेक्शन के लिए अपना नाम पंजीकृत करने के लिए उससे अनुरोध करना होता है। उस डिस्ट्रीब्यूटर के समक्ष सांसद प्राथमिकता वाऊचर प्रस्तुत करने के बाद कनेक्शन जारी किया जाता है।

लोक सभा और विधान सभा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन

429. **श्री कृष्णमराजू:**
श्री पवन कुमार बंसल:

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लोक सभा और विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के कार्य को चुनाव आयोग के सुपुर्द करने की वांछनीयता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) निर्वाचन आयोग ने इस प्रयोजन के लिए एक परिसीमन आयोग नियुक्त करने की बजाए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का संपूर्ण दायित्व स्वयं में निहित किये जाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। सरकार ने विशिष्ट रूप से नए सिरे से परिसीमन करने पर लगी संवैधानिक रोक और परिसीमन/सीटों के चक्रानुक्रमण संबंधी विषय पर राजनैतिक दलों के बीच सर्वानुमति के अभाव में इस प्रस्ताव को अब तक स्वीकार्य नहीं पाया है।

टेलीफोन सुविधा

430. **श्री मोहम्मद अनवारूल हक:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में 18 प्रखण्डों वाले शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी चम्पारण जिलों को जिला मुख्यालयों और ग्राम प्रखण्डों से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिवहर जिले के टेलीफोन खराब पड़े रहते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें सुचारू रूप से कार्यरत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) उक्त जिलों के गांवों में ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा (वीपीटी) कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी हां। सिहोर, सीतामढ़ी तथा पूर्वी चम्पारण जिलों के 49 ब्लॉक मुख्यालयों में से 42 ब्लॉक मुख्यालयों को जिला मुख्यालयों से संयोजकता प्रदान की गई है। जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

जिला	ब्लॉकों की कुल संख्या	ब्लॉक मुख्यालयों की संख्या जिन्हें जिला मुख्यालयों से सीधे जोड़ा गया है
सिहोर	4	2
सीतामढ़ी	18	16
पूर्वी चंपारण	27	24

(ग) और (घ) सिहोर जिले में टेलीफोन संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है। तथापि, जब और जहां भी कोई दोष उत्पन्न होता है उसे शीघ्र ठीक कर दिया जाता है।

(ङ) इन जिलों के सभी गांवों में मार्च 2002 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान किये जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

तेल चयन बोर्ड

431. श्री जयभद्र सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल चयन बोर्ड के गठन के क्या मानदण्ड हैं और इस समय कार्यरत ऐसे बोर्डों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2000 के दौरान गठन किये जाने हेतु प्रस्तावित तेल चयन बोर्डों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सरकार द्वारा तेल चयन बोर्डों की स्थापना समय-समय पर अलग-अलग संघटन से की गई है। अब डीलर चयन बोर्डों के रूप में ज्ञात तेल चयन बोर्डों को अंतिम बार पुनर्गठित वर्ष 1998-1999 में निम्नांकित संघटन से किया गया था:

(1)	उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश अथवा जिला न्यायाधीश	–	अध्यक्ष
(2)	एक अधिकारी जिसका पद एक/ संबंधित तेल कंपनी के मुख्य प्रबंधक से कम का न हो	–	सदस्य
(3)	अन्य कंपनी का एक अधिकारी जिसका पद मुख्य प्रबंधक का है	–	सदस्य

सरकार ने हाल ही में सभी डीलर चयन बोर्ड भंग कर दिए हैं।

(ख) डीलर चयन बोर्ड निकट भविष्य में गठित किए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

केरल में रसोई गैस एजेंसियां

432. श्री रमेश चेन्नितला: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के पट्टनमथिट्टा और मवेलिकरा जिलों में और उनके आस-पास रसोई गैस के वितरकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त जिलों में रसोई गैस कनेक्शन हेतु कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में रखे गए व्यक्तियों को रसोई गैस कनेक्शन कब तक जारी कर दिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पट्टनमथिट्टा जिले में 14 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और एलेप्पी जिले में मवेलिकारा के एक डिस्ट्रीब्यूटर सहित 14 डिस्ट्रीब्यूटर हैं।

(ख) पट्टनमथिट्टा जिले में एल पी जी कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में 34670 व्यक्ति हैं और एलेप्पी जिले में मवेलिकारा सहित 71502 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ग) नए एल पी जी कनेक्शन देश भर में एल पी जी की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लैक और उनकी व्यवहार्यता के आधार पर चरणबद्ध ढंग से जारी किये जाते हैं। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कंपनियों के पास 1.12.1999 को पंजीकृत सारी की सारी प्रतीक्षा सूचियों को निपटाने के लिए सरकार की योजना वर्ष 2000 के दौरान लगभग 1 करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की है।

[हिन्दी]

सतना, मध्य प्रदेश में पेट्रोल पम्प स्थापित करना

433. श्री रामानन्द सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के सतना जिले के बिरसिंहपुर, मझगवां और चित्रकूट कस्बों और सतना शहर में औद्योगिक परिवहन और कृषि आवश्यकताओं को देखते हुए पेट्रोल पम्प स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ये कब तक स्थापित हो जायेंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) तेल कंपनियों द्वारा सतना जिले में चित्रकूट तथा सतना शहर के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों के संबंध में विज्ञापन दिए गए हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के सतना जिले में बिरसिंहपुर और

मझगांव में खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। चयन प्रक्रिया आस्थगित रखी गई है तथा डीलर चयन बोर्ड भी भंग किये जा चुके हैं। साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिप चालू करने में आमतौर पर लगभग 6 से 12 महीने लगते हैं।

[अनुवाद]

केरल में रसोई गैस वितरक के लिए आवेदन

434. श्री टी. गोविन्दन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल द्वारा रसोई गैस वितरक के लिए किये गये आवेदनों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी;

(ख) क्या केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने राज्य में रसोई गैस वितरक के लिए आवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) तेल कंपनियों ने वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999 जनवरी, 2000 के दौरान केरल में 134 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) इनमें से कुछ मामलों में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा केरल राज्य के अंतर्गत कन्नूर में एक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए मैसर्स केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को आशय-पत्र भी जारी कर दिया गया है।

न्यायाधीशों के वेतनमान और न्यायिक सुधार

435. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र और राज्य दोनों में विभिन्न स्तरों पर न्यायपालिका के लिए एक समान वेतनमानों को लागू करने के लिए नए सिरे से कार्रवाई शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करने की वर्तमान स्थिति क्या है और राज्य सरकारों द्वारा इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) सरकार द्वारा प्रस्तावित/विचाराधीन अन्य न्यायिक सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान इस संबंध में क्या कार्यसूची तैयार की गई है; और

(च) उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों पर राज्य सरकारों द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (च) रिट याचिका सं. 1022/89 ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य में दिए गये भारत के उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने ऐसे सिद्धांतों को बनाया जो समूचे देश में अधीनस्थ न्यायपालिकाओं के न्यायिक अधिकारियों के वेतन तथा अन्य परिलब्धियों के ढांचे को शासित करेंगे, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों के वर्तमान परिलब्धियों के ढांचे और सेवा की शर्तों की समीक्षा करने, न्यायिक अधिकारियों की भर्ती की न्यूनतम अर्हताएं, आयु, भर्ती की पद्धति, आदि की समीक्षा और सिफारिश करने तथा कार्य पद्धति और कार्य के वातावरण, साथ ही न्यायिक प्रशासन में दक्षता के संवर्द्धन, न्यायपालिका, आदि का आकार आवश्यकतानुसार बनाने की दृष्टि से न्यायिक अधिकारियों के वेतन के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न भत्ते और वस्तु के रूप में उपलब्ध फायदों की भी समीक्षा करने तथा उसका सुव्यवस्थीकरण और सरलीकरण करने के लिए एक प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की स्थापना मार्च, 1996 में की थी।

प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने नवंबर, 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। प्र.रा.न्या.वे.आ. की प्रमुख सिफारिशें अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायिक सेवाओं के अनेक काडरों का तीन समान काडरों में आमेलन करने, कॉडर-वार स्वतंत्र वेतमान, केन्द्र द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के खर्चे में हिस्सेदारी और न्यायिक अधिकारियों के लिए क्वार्टर, सेवानिवृत्ति-आयु आदि में वृद्धि करने से भी संबंधित हैं।

अधीनस्थ न्यायपालिकाओं का संबंध प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों से है। प्र.रा.न्या.के.आ. की सिफारिशें राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को भेज दी गई हैं। प्र.रा.न्या.वे.आ. की सिफारिशों का जहां तक केन्द्रीय सरकार से संबंध है, उनकी समीक्षा की जा रही है। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार 3.2.2000 से छह

सप्ताह के भीतर प्र.रा.न्या.वे.आ. की सिफारिशों पर अपने विचार केन्द्रीय सरकार को भेज दें।

न्यायिक सुधार एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार ने मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अनेक उपाय किये हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, सिविल प्रक्रिया संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों की संख्या में वृद्धि, छोटे-मोटे आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायिक/महानगर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और विवादों के निपटारे के लिए सुलह, मध्यस्थता, माध्यस्थम् जैसी अन्य वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाना तथा लोक अदालतों, विशेष न्यायालयों और अधिकरणों की स्थापना करना भी है।

कच्चे तेल का भण्डार

436. **श्री मोहन रावले:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में कहा गया है कि भारत में वर्ष 2011-12 तक कच्चे तेल के भण्डार खत्म हो जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने नई खोजों में तेजी लाने के लिए कोई आकस्मिक योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) उत्पादन की मौजूदा दर पर, राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के ज्ञात शेष निकासी योग्य कच्चे तेल के भण्डार लगभग 20-25 वर्षों तक समाप्त होंगे।

(ख) से (ङ) अन्वेषण प्रयासों और हाइड्रोकार्बन भंडारों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों में निम्न शामिल हैं:

(1) देश में अन्वेषण गतिविधियों में वृद्धि करने के लिए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) की घोषणा। नीति में राजकोषीय और संविदागत छूट के लिए प्रावधान है तथा निजी निवेशकों एवं राष्ट्रीय तेल कम्पनियों, दोनों के लिए समान कार्य अवसरों का प्रावधान है।

(2) अन्वेषण और विकास गतिविधियों में निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

(3) उत्पादक बेसिन में निकासी कारकों में सुधार।

(4) मौजूदा बेसिन में अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि और पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के गहरे समुद्र सहित अन्वेषण न किए गए क्षेत्रों तक इसका विस्तार।

(5) कोल बैड मिथेन और गैस हाइड्रेट्स जैसे वैकल्पिक हाइड्रोकार्बन स्रोतों के अन्वेषण तथा दोहन को बढ़ावा देना।

पारादीप तेल शोधनशाला के लिए के.पी.सी. और आई.ओ.सी. के बीच संयुक्त उद्यम

437. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप तेल शोधनशाला की स्थापना के संबंध में कुवैत पेट्रोलियम निगम (के.पी.सी.) ने अन्ततः भारतीय तेल निगम के साथ संयुक्त उद्यम हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम का विचार परियोजना को स्वयं चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन ने महसूस किया है कि समग्र रूप से दक्षिण एशिया में शोधन क्षमता की उपलब्धता को देखते हुए परियोजना निर्माण कार्य अपेक्षाकृत एक लम्बी समयावधि के लिए चरणबद्ध किया जा सकता है।

(ग) और (घ) जी, हां। इंडियन आयल कारपोरेशन का इस विषय में जल्दी ही सरकार से अनुमोदन मांगने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

ऊर्जा संरक्षण विधेयक

438. **श्री रामदास आठवले:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत के दुरुपयोग करने वाले घरेलू तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को कानूनन रूप से अधिकार देने हेतु सदन में "ऊर्जा संरक्षण विधेयक" पेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) उक्त विधेयक को संसद में कब तक पेश किया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2000 लोक सभा में पहले ही अर्थात् 24 फरवरी, 2000 को पेश कर दिया गया है। विधेयक में ऊर्जा के कुशल उपयोग तथा व्यावसायिक व घरेलू उपभोक्ताओं सहित अर्थव्यवस्था के सभी केन्द्रों में इसके संरक्षण की व्यवस्था है। विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित प्रावधान है:

(1) केन्द्र सरकार ये उपाय करेगी:

(क) ऊर्जा खपत उत्पादन, पारेषण अथवा ऊर्जा आपूर्ति वाले किसी उपकरण अथवा उपस्कर के लिए ऊर्जा खपत के मानक निर्धारित करना और ऐसे उपकरणों अथवा उपस्करों के उत्पादन, बिक्री अथवा खरीद को रोकना, जो ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप न हो।

(ख) विनिर्दिष्ट उपकरण अथवा उपस्कर पर अनिवार्यत: लेबल लगाने के लिए स्कीम लागू करना;

(ग) ऊर्जा उपयोग का तीव्रता अथवा मात्रा को ध्यान में रखते हुए उद्योगों, स्थापनाओं अथवा किसी प्रयोक्ता या ऊर्जा खपत के वर्ग, भवन परिसर, जैसे विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं को अधिसूचित करना।

(2) सभी विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीय लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट अनिवार्य होगा।

(3) विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं को निर्धारित अर्हता वाले ऊर्जा प्रबंधकों को नियुक्त करने की जरूरत होगी। व्यय की गई ऊर्जा के रिटर्न और निर्धारित अवधि में यथा विधि विश्वसनीय ऊर्जा लेखा परीक्षकों की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई दर्शाने के लिए भी ऐसे विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं की जरूरत होगी।

(4) राज्य सरकारों को ऊर्जा संरक्षण भवन कोडों को अधिसूचित करने के लिए शक्ति प्रदान करना। इन कोडों को स्थानीय जलवायु एवं अन्य आवश्यक घटकों के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। विनिर्दिष्ट भवन परिसर ऊर्जा संरक्षण भवन कोडों को क्रियान्वित करेंगे और विश्वसनीय लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा करवायेंगे, ऊर्जा प्रबंधक को नियुक्त करेंगे।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन के लिए आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं को काउन्टर गारंटी

439. **श्री मोइनुल हसन:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा वित्तपोषित विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिनके लिए सरकार ने इस समय काउन्टर गारन्टी का आश्वासन दिया है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं में संलग्न निवेश की कुल राशि कितनी है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित वापसी की दर क्या है;

(घ) ऐसी काउन्टर गारन्टी किस अवधि तक मान्य रहेंगी; और

(ङ) उन विदेशी फर्मों की संख्या कितनी है जिन्होंने गत वर्ष के दौरान काउन्टर गारन्टी के अभाव में अपना काम बन्द कर दिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली निम्नलिखित आठ निजी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को भारत सरकार की प्रति-

गारंटी प्रदान करने के लिए चुना गया था:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित सम्पूर्ण लागत (के.वि., द्वारा दी गई तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के अनुसार)
1.	विशाखापट्टनम ताप विद्युत परियोजना, आंध्र प्रदेश	1040	943.75 मिलि. यूएस डालर+1324 करोड़ रु. (1 अमरीकी डालर = 35 रु.)
2.	नेवेली (लिगनाईट आधारित एकल यूनिट) ताप विद्युत परियोजना, तमिलनाडु	250	261.59 मिलि. अमरीकी डालर + 501.10 करोड़ रुपये, (एक अमरीकी डालर = 31.50 रु.)
3.	मंगलोर ताप विद्युत परियोजना कर्नाटक	1013.2	751.574 मिलि. यूएस डालर + 1580.89 करोड़ रु. (एक यूएस डालर = 31.50 रु.)
4.	भद्रावती ताप विद्युत परियोजना, महाराष्ट्र	1082	5187 करोड़ रु.
5.	इब वैली ताप विद्युत परियोजना, यूनिट ए और बी, उड़ीसा	500	326.02 मिलि. यूएस डालर+ 983.90 करोड़ रु. (एक यूएस डालर = 42.50 रु.)
6.	जेगरूपाडु संयुक्त साईकल गैस टरबाईन, आंध्र प्रदेश	216	827 करोड़ रु.
7.	गोदावरी संयुक्त साईकल गैस टरबाईन, आंध्र प्रदेश	208	748.43 करोड़ रु.
8.	दाभोल संयुक्त साईकल गैस टरबाईन, फेज-1, महाराष्ट्र	740	9051.27 करोड़ रु. (फेज-2 परियोजना की लागत समेत)

भारत सरकार की प्रति-गारंटी मैसर्स जीवीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जेगरूपाडु संयुक्त चक्र गैस टरबाईन (216 मे.वा.), इब वैली पावर प्राईवेट लिमिटेड की ईब वैली ताप-विद्युत परियोजना (500 मे.वा.) और मैसर्स दाभोल पावर कमपनी की दाभोल संयुक्त चक्र गैस टरबाईन (चरण-1), 740 मे.वा. को प्रदान की गई है। मैसर्स स्पेक्ट्रम पावर जेनरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में अपनी 208 मे.वा. गोदावरी संयुक्त चक्र गैस टरबाईन के लिए प्रति-गारंटी के अपने अनुरोध को वापस ले लिया है।

दिनांक 16.5.98 को सरकार ने आंध्र प्रदेश में मैसर्स हिंदुजा नेशनल पावर कम्पनी लिमिटेड की विशाखापट्टनम ताप-विद्युत परियोजना (1040 मे.वा.), महाराष्ट्र में मैसर्स सेंट्रल इंडिया पावर कम्पनी की भद्रावती ताप-विद्युत परियोजना (1082 मे.वा.) और तमिलनाडु में मैसर्स एसटी-सीएमएस की 250 मे.वा. एकल यूनिट लिग्नाईट आधारित नेवेली ताप-विद्युत परियोजना के मामले में संशोधित प्रक्रिया के जरिए प्रति-गारंटी प्रदान किये जाने अनुमोदित कर दिया था। इन परियोजनाओं को भारत सरकार की प्रति-गारंटी अगस्त, 1998 में जारी कर दी गई है।

ईब घाटी परियोजना पर निर्माण आरंभ होने से पहले उड़ीसा सरकार द्वारा पुन: विचार किया गया था। इसलिए इस परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दिनांक 26.2.99 को नए सिरे से प्रदान की गई। इस परियोजना और मैसर्स कोजेन्ट्रिक्स ईनर्जी इनकारपोरेशन की मैंगलोर ताप-विद्युत परियोजना के मामले में भारत सरकार की प्रति-गारंटी जारी करने को 22.12.99 को अनुमति प्रदान की गई।

(ग) समय-समय पर संशोधित दिनांक 30.3.92 की टैरिफ अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ 68.49 प्रतिशत संयंत्र भार

अनुपात पर उत्पादन कम्पनियों द्वारा संबंधित राज्य बिजली बोर्ड को विद्युत की बिक्री हेतु टैरिफ की निर्धारित लागत के एक हिस्से के रूप में उत्पादन यूनिट से संबंधित प्रदत्त और अभिदत्त पूंजी पर 16 प्रतिशत लाभांश प्रावधान करती है। 68.49 प्रतिशत से अधिक के पीएलएफ के उत्पादन के लिए, 68.49 प्रतिशत पीएलएफ में मानकीय स्तर से ऊपर प्रत्येक प्रतिशत बिंदु वृद्धि के लिए प्रदत्त और अभिदत्त पूंजी के 0.7 प्रतिशत तक का एक अतिरिक्त प्रोत्साहन देय होगा।

(घ) भारत सरकार की प्रति-गारंटी प्रदान करने की संशोधित प्रक्रिया के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि प्रति-गारंटी केवल रद्द होने की स्थिति के लिए दी जाएगी तथा यह केवल बकाया विदेशी ऋण तक ही सीमित रहेगी। सामान्यत: प्रति-गारंटी विद्युत केन्द्र को वाणिज्यिक रूप से प्रचालित घोषित किये जाने की तिथि से 12 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी।

(ङ) 11 फरवरी, 2000 के एक पत्र में, मैंगलोर टीपीपी के प्रवर्तक मैसर्स कोजेन्ट्रिक्स ने सूचित किया है कि उन्होंने मैंगलोर विद्युत परियोजना और मैंगलोर विद्युत कम्पनी में अपने हितों को चाईना-लाईट (मारीशस) लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया है और अब उनकी परियोजना अथवा कम्पनी में कोई रुचि नहीं है। इस तरह के निर्णय के पीछे उन्होंने कोई कारण नहीं बताया है।

बिहार में नये पेट्रोल पम्पों की स्थापना

440. श्री राजो सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नौवीं पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि में बिहार में स्थानवार कितने नये पेट्रोल पम्प लगाए जाने वाले हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): विभिन्न अनुमोदित विपणन योजनाओं से बिहार में 289 खुदरा बिक्री डीलरशिपें स्थापित की जानी हैं। डीलरशिप का चालू होना विज्ञापित स्थलों, डीलर चयन बोर्ड द्वारा किए गए साक्षात्कारों, प्रत्येक स्थल के लिए साक्षात्कार हेतु भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, अभ्यर्थियों को एल ओ आई जारी करने, भूमि प्राप्त करने और चयनित डीलरों द्वारा अनिवार्य स्वीकृतियां प्राप्त करने आदि जैसे कई घटकों पर निर्भर करता है। सामान्यतया, साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिप के चालू होने में 6 से 12 माह का समय लगता है।

वनों और वन्यजीवों का संरक्षण

441. श्री पी.आर. खुंटे: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में दुर्लभ प्रजातियों के वन्यजीवों और वनों के संरक्षण के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) भारत सरकार ने वनों और वन्यजीवों की दुर्लभ प्रजातियों के परीक्षण, विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं है। भारत सरकार ने देश में वनों के विकास के लिए राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना तैयार की है। तथापि, गिर सुरक्षित क्षेत्र (गुजरात) से कुछ एशियाटिक शेरों को उनके दूसरे वास स्थल के रूप में मध्य प्रदेश स्थित कुनो-पालपुर अभयारण्य में उनका पुनर्वास करने संबंधी एक विशेष योजना भी है। भारत सरकार गांवों के पुन:स्थापना संबंधी कार्य का समन्वय और निधिकरण कर रही है और कुनो-पालपुर में पुनर्वास संबंधी कार्य में भी सहायता कर रही है।

[अनुवाद]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

442. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में इस समय कौन-कौन से सदस्य हैं और इसका कार्य क्षेत्र क्या है; और

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का एक अध्यक्ष है, इसके पांच पूर्ण-कालिक सदस्य तथा चार अंश-कालिक सदस्य हैं। तथापि, इस समय एक पूर्णकालिक सदस्य तथा एक अंश-कालिक सदस्य का पद रिक्त है। भा.रा.रा.प्रा. को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का कार्यान्वयन जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कलकत्ता चार महानगरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज और श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा सिलचर को सौराष्ट्र से जोड़ने के लिए क्रमश: उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कारिडोर शामिल हैं।

(2) महत्वपूर्ण पत्तनों को जाने वाली सड़कों का विकास।

(3) कुछेक अन्य रा.रा. परियोजनाएं, जिनमें गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी निहित है।

(ख) एन एच ए आई कार्यक्रम से संबंधित निर्माण कार्य का प्रबंधन स्वयं एन एच ए आई कर रहा है। तथापि वर्ष 1999-2000 के दौरान रख-रखाव हेतु राज्यों को दी गई राशि संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। एन एच ए आई को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों का रख-रखाव कार्य 1998-99 में एन एच ए आई के पास नहीं था।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु 1999-2000 में जारी की गई राज्य-वार निधियां

क्र.सं.	राज्य	राशि (लाख रु.)
1.	हरियाणा	241.21
2.	आंध्र प्रदेश	1187.51
3.	उड़ीसा	1141.63
4.	कर्नाटक	1335.00
5.	तमिलनाडु	1671.52
6.	गुजरात	1482.00
7.	महाराष्ट्र	867.00
8.	उत्तर प्रदेश	1568.16
9.	बिहार	246.75
10.	राजस्थान	1124.00
11.	पश्चिम बंगाल	948.79
12.	दिल्ली	24.00
	जोड़	11837.57

[हिन्दी]

ग्राम-सार्वजनिक टेलीफोन संबंधी समिति

443. श्री तूफानी सरोज: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से ग्राम-सार्वजनिक टेलीफोन के संबंध में दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन और विकास संबंधी समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) जी, हां। सरकार को समिति की रिपोर्ट मिल गई है, जिसकी सिफारिशें विवरण के रूप में संलग्न हैं। इनको स्वीकार कर लिया गया है तथा कार्यान्वयन की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

विवरण

समिति की सिफारिशें

(1) पूरे देश में, तीव्र तथा अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए ग्रामीण दूरसंचार हेतु लगभग 25 किलोमीटर की रेंजों वाली वायरलेस इन लोकल लूप डब्ल्यूएलएल की शुरुआत की जानी चाहिए। प्रारंभ में ऐसे सभी सर्किलों में जहां अधिसंख्य गांवों में टेलीफोन सुविधा (वीपीटी) नहीं है, 500 लाइनों की क्षमता वाली एक-एक डब्ल्यूएलएल प्रणाली प्रत्येक एसडीसीए में मुहैया करवाई जानी चाहिए। डब्ल्यूएलएल प्रणाली की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए ताकि 2000-2001 के उपस्करों को नवंबर 2000 तक तथा 2001-2002 के उपस्करों को अप्रैल, 2000 तक प्राप्त कर लिया जाए। विक्रेताओं को यह निदेश दिए जाएं कि वे तत्काल अपने उपस्करों का विधिमान्यकरण करवा लें। उपस्करों की संपूर्ण समन्वित योजना को फरवरी 2000 तक पूरा कर लिया जाए।

(2) दूरस्थ एवं अलग-थलग पड़े क्षेत्रों के लिए सैटेलाइट टर्मिनलों की जरूरत काफी अधिक है। उपयुक्त प्रणालियों का चयन जल्दी से किया जाना चाहिए। सामान्य प्रापण प्रक्रिया अपनाते हुए बाजार से अपेक्षित मात्रा में उपयुक्त सैटेलाइट टर्मिनल प्राप्त किये जाने चाहिए।

(3) राज्य-वार ग्राम आंकड़ों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। ऐसे गांवों को ग्रामीण आंकड़ों से हटा दिया जाना चाहिए जिनकी आबादी को जनगणना में निर्धारित आबादी से कम दिखाया गया है तथा यदि कोई नया राजस्व गांव अस्तित्व में आया है तो उसे इन आंकड़ों में जोड़ दिया जाना चाहिए।

(4) जहां तक हो सके, वीपीटी पंसारी की दुकान में लगाया जाना चाहिए। प्रचालक/जगह का चयन विभागीय तौर पर किया जाना चाहिए।

(5) वीपीटी में एसटीडी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। मौजूदा एसटीडी सुविधा रहित वीपीटी को उत्तरोत्तर रूप से एसटीडी सुविधा मुहैया करवा दी जानी चाहिए। एसटीडी सुविधा युक्त सभी वीपीटी में इसके लगाने के एक वर्ष के अंदर पीसीओ प्रचालक द्वारा चार्ज इन्डीकेटर लगाए जाने चाहिए।

(6) वीपीटी पर एसटीडी सुविधा देने के लिए जमा की जाने वाली जमानती राशि को घटाकर 250 रु. किया जाना चाहिए। प्रति माह कम से कम 100 रु. के राजस्व अर्जन संबंधी शर्त को समाप्त किया जाना चाहिए।

(7) एसटीडी सुविधायुक्त वीपीटी प्रचालक को वही कमीशन मिलना चाहिए जो ग्रामीण एसटीडी/पीसीओ के प्रचालक को मिलता है।

(8) खराब एमआरआर प्रणालियों की मरम्मत की जानी चाहिए तथा बेकार प्रणालियों को बदला जाना चाहिए। एमएआरआर की स्थिति संबंधी रिपोर्ट दो माह के अंदर मिलनी चाहिए। शेष गांवों में वीपीटी सुविधा प्रदान करने के बाद एमएआरआर प्रणाली को उत्तरोत्तर रूप से बदला जाना चाहिए।

(9) भुगतान न किए जाने के कारण काटे गए वीपीटी को काटने की तारीख से तीन माह तक भुगतान की प्रतीक्षा के बाद, नए प्रचालक/नई जगह शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए।

(10) फील्ड सेवा प्रदाताओं (एफएसपी) ने संचार राज्य मंत्री के साथ हुई बैठक में इस बात को दोहराया है कि वे ग्रामीण दूरसंचार (वीपीटी) के संबंध में अपनी वचनबद्धता पर अडिग हैं। उनसे यह कहा जाए कि वे विभाग को अपना रोल-आउट प्लान बताएं और वीपीटी प्रदान करने का कार्य शुरू करें।

(11) विशिष्ट प्रयोजन के लिए आप्टिकल फाइबर केबल आधारित "एक्सेस प्रौद्योगिकी" के प्रयोग पर विचार किया जाना चाहिए।

(12) दूरसंचार विभाग को इस प्रकार की सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि वीपीटी उत्तरोत्तर रूप से पब्लिक टेलीफोन इनफोर्मेशन सेंटरों/इनफार्मेशन ढाबाओं का रूप ले सकें। माननीय लोक सभा अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति से यह अनुरोध किया जाएगा कि वे सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा कालेजों की इंटरनेट से जोड़ने के लिए कम्प्यूटर से संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए एमपीएलएडी फंड के प्रयोग की अनुमति प्रदान करें।

जम्मू और कश्मीर में विद्युत उत्पादन क्षमता

444. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में प्रत्येक विद्युत स्टेशन की विद्युत उत्पादन क्षमता में वर्षवार कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में इन विद्युत स्टेशनों की विद्युत उत्पादन क्षमता में और वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू व कश्मीर में प्रत्येक विद्युत स्टेशनों की वर्षवार विद्युत उत्पादन क्षमता निम्नवत है।

(मे.वा. में)

स्टेशन	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
जल विद्युत			
पुंछ	0.16	0.16	0.16
राजोरी	0.56	0.56	0.56

1	2	3	4
	भद्रवाल	0.56	0.56	0.56
	जम्मू केनल	1.00	1.00	1.00
	स्तकना	4.00	4.00	4.00
	मोहारा	9.00	9.00	9.00
	गन्धरबाल	15.00	15.00	15.00
	अपर सिंध	22.00	22.00	22.00
	चेनानी-1	23.00	23.00	23.00
	लोअर झेलम	105.00	105.00	105.00
	डियरकोरडीन	0.03	0.03	0.03
	कारगिल इकबाल ब्रिज	3.75	3.75	3.75
	चेनानी-2	–	–	2.00
	कारनाह	–	–	2.00
	उरी	480.00	480.00	480.00
गैस				
	सलाल	690.0	690.0	690.0
	पाम्पपोर-1	75.00	75.00	75.00
	पाम्पोर-2	100.00	100.00	100.00
डीजल				
	बेमीना श्रीनगर	5.00	5.00	5.00
	माइक्रो डीजल	1.76	1.76	3.94
	कुल	365.82	365.82	372.90

*अनंतिम।

(ख) और (ग) इन विद्युत स्टेशनों में से अपर-सिंध स्थित जल विद्युत स्टेशन की क्षमता में अभिवृद्धि 35 मे.वा. की 2 यूनिटों को जोड़ कर करने का प्रस्ताव किया गया है इनमें से एक को दिनांक 5.1.2000 को रोल कर दिया गया है। चेन्नई स्थित जल विद्युत स्टेशन की क्षमता में भी अभिवृद्धि 2.5 मे.वा. प्रत्येक की 3 यूनिटों को जोड़कर किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना

445. **श्री बब्बन राजभर:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में कोयाटी नूहन स्थान पर ताप विद्युत स्टेशन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सर्वेक्षण कार्य को पूरा कर लिया गया है; और

(ग) उक्त ताप विद्युत स्टेशन को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में कोयाटी नूहन नामक स्थान पर ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना का कोई विशेष प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाएं

446. श्री जारबोम गामलिन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान अरुणाचल प्रदेश राज्य में आरम्भ की जाने वाली जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है एवम् उनके नाम क्या हैं;

(ख) परियोजना-वार उन्हें पूरा करने की क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) उन्हें आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं, यदि कोई हों?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) चालू वर्ष के दौरान अरुणाचल प्रदेश राज्य में 3 मे.वा. से ऊपर की कोई हाइड्रो/थर्मल बिजली परियोजना आरंभ नहीं की जानी है। बहरहाल, अरुणाचल प्रदेश में नीपको के अंतर्गत रंगानदी एच.ई. परियोजना (3×135 मेगावाट) निष्पादित की जा रही है और 2001-02 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

अरुणाचल प्रदेश में राज्य क्षेत्र में 3 मेगावाट तक की निम्नांकित जल विद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं:

1. सिद्धिडप (3 मेगावाट)
2. सिपिट (2 मेगावाट)
3. लिरोमोबा (2 मेगावाट)
4. किटपी (3 मेगावाट)
5. दोमकरौन (2 मेगावाट)
6. कुश (2 मेगावाट)

चालू वित्त वर्ष के दौरान इनमें से कोई परियोजना पूरी होने की संभावना नहीं है। इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब का मुख्य कारण राज्य योजना आवंटनों का अभाव इसके अलावा एनएचपीसी अरुणाचल प्रदेश में कमबांग (2×1.5 मे.वा.), सिप्पी (2×1.5 मे.वा.) तथा जुग्दिन (3×1 मे.वा.) नामक लघु जल स्कीमों के क्रियान्वयन पर विचार कर रही है। कमबांग परियोजना के लिए 11.1.2000 को अरुणाचल प्रदेश के साथ करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। एनएचपीसी ने कमबांग परियोजना के निष्पादन के लिए जनवरी, 2000 में अरुणाचल प्रदेश सरकार के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना को अरुणाचल प्रदेश सरकार तथा अपारम्परिक स्रोत मंत्रालय द्वारा अद्यतन लागत अनुमान अनुमोदन के पश्चात् दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रस्ताव है। सिप्प तथा जुग्दिन परियोजनाओं के लिए समझौता-ज्ञापन पर अभी हस्ताक्षर होना है अतएव इनके पूरा होने की तारीख की जानकारी नहीं है।

पर्यावरण और वनों के संबंध में श्वेत-पत्र

447. श्री अनंत गुढ़े: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यावरण और वनों के संबंध में प्रस्तावित वित्त श्वेत-पत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) वनों, वन्यजीवन और पर्यावरण से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए तैयार की गई कार्य-योजना और इसे क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक अनुमानित संसाधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी/एफ डी आई भागीदारी के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी अनुमान क्या है;

(घ) विशेषज्ञ समिति/कार्यकारी समूह की सिफारिशों को लागू करने के लिए की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ङ) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) पहचान किए गए शेष महत्वपूर्ण मुद्दों विशेषकर महाराष्ट्र में, के समाधान हेतु किए गए किए/जाने वाले अन्य नवीन नीतिगत प्रयासों का ब्यौरा क्या है तथा गत एक वर्ष के दौरान राज्य में आरम्भ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट, राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, पर्यावरण, वन और वन्यजीवों से संबंधित हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल 3013.84 करोड़ रु. का प्रक्षेपण किया गया है।

(ग) से (ङ) कृषि वानिकी, फार्म वानिकी के साथ-साथ जल एवं वायु प्रदूषण के क्षेत्र में निजी/एफ डी आई की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। पर्यावरण एवं वन क्षेत्रों में एफ डी आई का विनियमन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन मंत्रालय के अंतर्गत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा किया जाता है। पर्यावरण एवं वन क्षेत्र में निजी/एफ डी आई भागीदारी पर अलग से कोई विशेषज्ञ समिति/कार्यदल नहीं है।

(च) प्रस्तावित किए गए प्रमुख नीतिगत उपायों में महाराष्ट्र सहित देश में बांस, औषधीय पौधों का रोपण करना और शहरी वनों का विकास करना शामिल है। पिछले वर्ष महाराष्ट्र में शुरू की गई परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

* दावानल उपशमन की आधुनिक विधियों की शुरुआत।
* भोगाधिकार हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों की सहभागिता।
* बाघ परियोजना।
* महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास।
* राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास।
* एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना।
* क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना।
* औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती वनोत्पाद।
* कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों का संरक्षण और प्रबंधन।

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर पुल का निर्माण

448. **श्री एम.के. सुब्बा:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौकीघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर एक पुल के निर्माण हेतु परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पुल की विशिष्टताओं सहित इसकी अनुमानित लागत तथा अन्य विवरण क्या हैं;

(ग) क्या इसके प्राक्कलनों को स्वीकृति दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) राज्य का लो.नि.वि. प्रस्तावित पुल के लिए विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा माडल अध्ययन कराने के लिए कदम उठा रहा है।

(ख) से (घ) प्रस्तावित माडल अध्ययन के आधार पर अनुमानित लागत और अन्य विवरण नहीं बताए जा सकते क्योंकि नदी की धारा में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परियोजना की समीक्षा की जानी अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

449. **श्री अवतार सिंह भडाना:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन पर कितना व्यय हुआ;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या थे और किस सीमा तक इन्हें हासिल किया गया; और

(घ) उत्तर प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों और मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि नियत की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में 22 राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव किया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया खर्च नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	रा.रा. (लाख रु.)	विदेशी सहायता प्राप्त	रख-रखाव और मरम्मत (लाख रु.)
1996-97	3000.00	4118.33	3469.05
1997-98	4631.16	6670.77	4703.98
1998-99	5808.39	4914.47	6071.10
1999-2000 (जन., 2000)	4373.98	1967.03	4065.44

(ग) और (घ) सड़क और पुल निर्माण कार्यों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में 323.65 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था। इसकी तुलना में 317.79 करोड़ रु. की राशि के सड़क और पुल निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे। निधियां राष्ट्रीय राजमार्गवार नहीं बल्कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए समस्त राज्य के लिए प्रदान किये जाते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में अस्थायी रूप से 761.55 करोड़ रु. का परिव्यय नियत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए निधियां पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए एक ही बार नहीं बल्कि वर्ष-वार प्रदान की जाती हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग-23 का रख-रखाव तथा विकास

450. श्री अनन्त नायक: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-23 का उचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग-23 का विकास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और विकास कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर एक योजना कार्यक्रम के रूप में किये जाते हैं। वार्षिक योजना 1999-2000 में इस राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास हेतु 26.93 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। 3.70 करोड़ रु. राशि के कार्य पहले ही संस्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 16 कि.मी. लम्बाई में सड़क गुणता में सुधार हेतु 2.74 करोड़ रु. की राशि भी स्वीकृत की जा चुकी है।

उड़ीसा के गंजम जिले में तेलशोधक कारखाना

451. श्री अनादि साहू: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और आस्ट्रेलिया ने उड़ीसा के गंजम जिले में एक तेलशोधक कारखाना स्थापित करने हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) भारत ने उड़ीसा में गंजम में तेल रिफाइनरी की स्थापना के लिए आस्ट्रेलिया के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

जुआरी पुल पर भारी वाहनों का चलना

452. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गोवा जुआरी पुल पर भारी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पुल को भारी वाहनों के लिए कब तक खोले जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) पुल में संक्षारण के कारण क्षतियाँ हो गई हैं, इसलिए सुरक्षा संबंधी कारणों से यातायात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(ग) पुल को जनवरी, 2001 में भारी वाहनों के लिए खोल दिए जाने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन बोर्ड की सिफारिशें

453. श्री रामचन्द्र वीरप्पा: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कृतिक बल की सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्य बल की सिफारिशों पर विचार किया और पुन:

प्रयोज्य प्लास्टिक विनिर्माण और उपभोग नियम, 1999 को 2 सितम्बर, 1999 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-2 खंड 3 उप खंड (2) में अधिसूचित किया है। इन नियमों के अंतर्गत पुन: प्रयोज्य प्लास्टिक से बनी थैलियों या कनटेनरों का भंडारण, भार ढोने, वितरण या खाद्य सामग्रियों की पैकेजिंग के रूप में प्रयोग निषेध है। कच्चे प्लास्टिक से बने थैले और कटेनर अपने प्राकृतिक रंग में या सफेद होंगे। अन्यों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुसार रंग द्रव्यों और रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक के थैलों की मोटाई 20 माईक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक की पुन: रिसाइकलिंग भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशानुसार ही होनी चाहिए।

केरल में लंबित पड़ी परियोजनाओं को मंजूरी देना

454. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल सरकार की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो इस समय केन्द्र सरकार के पास पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) परियोजना-वार पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड का शोर क्रूड आयल टैंक फार्म नामक केवल एक परियोजना प्रस्ताव हाल ही में (24.1.2000) को प्राप्त हुआ है और इस पर कार्रवाई की जा रही है।

मतदान के अधिकारों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें

455. श्री अमर राय प्रधान: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बांग्लादेश से घिरे भारतीय क्षेत्रों (इन्कलेव) में रह रहे भारतीय नागरिकों के मतदान के अधिकारों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें क्या-क्या हैं तथा ये किस तारीख को दी गई;

(ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु अब तक क्या कार्रवाई की गई तथा इसके क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने यह कथन किया है कि उसे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 9.1.1996 के उस आदेश का कार्यान्वयन न किए जाने की बाबत शिकायतें मिली थीं, जिसमें माननीय न्यायालय ने प्राधिकारियों को यह निदेश दिया था कि विधि के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में चकमाओं की नागरिकता को रजिस्टर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और उसमें यह अभिकथित किया गया था कि अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजोंग को नागरिकता के अधिकारों से इंकार किये जाने के कारण वे उस समय आसन्न लोक सभा निर्वाचन में अपने मताधिकार के अधिकार का प्रयोग करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। आयोग ने गृह मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश राज्य की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् और आयोग के समाधानप्रद रूप में उनके द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में कार्रवाई कर रहे हैं, इस टिप्पणी के साथ मामला बंद कर दिया कि किसी और शिकायत के रह जाने के मामले में शिकायतकर्ता न्यायालय के समक्ष विधि के अनुसार उपचार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन की योजना

456. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मांग पर रसोई गैस कनेक्शन की योजना शुरू की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में इस योजना के अंतर्गत कितने रसोई गैस कनेक्शन दिये गये हैं और उपभोक्ताओं से अभी तक कितनी राशि एकत्र की गयी है; और

(घ) राज्य में जिलावार रसोई गैस की प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में 'तत्काल' योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों/ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में एल पी जी कनेक्शन मांग पर जारी किये गये हैं। राज्य में अप्रैल-दिसम्बर, 1999 की अवधि के दौरान तेल कंपनियों के द्वारा जारी किए गए कुल कनेक्शनों की संख्या 93160 है। केवल एक सिलेन्डर कनेक्शन के लिए सामान्य जमा धनराशि 1000 रुपए है। 'तत्काल' योजना के तहत वसूल की जाने वाली धनराशि 4000 प्रति कनेक्शन है।

(घ) 1 दिसम्बर, 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत समस्त प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए सरकार की वर्ष 2000 के दौरान 1 करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की योजना है।

समुद्रतटीय विनियमन जोन से केरल को बाहर रखना

457. श्री पी.सी. थामस: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समुद्रतटीय विनियमन जोन के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंधों से राज्य-वार कुल कितनी भूमि प्रभावित हुई है;

(ख) इस जोन के अंतर्गत केरल राज्य की कितने प्रतिशत भूमि आ रही है;

(ग) क्या राज्य ने खुद को समुद्रतटीय विनियमन जोन से बाहर रखने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं को अंतिम अनुमोदन दिए जाने के बाद ही तटीय विनियमन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र पर निर्णय लिया जा सकता है। तटीय राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत की गई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 1996 में जारी अनुमोदन-पत्रों में लगाई गई शर्तों को पूरा करने पर ही अनंतिम रूप से अनुमोदित किया गया था।

(ग) केरल सरकार ने केरल की अद्वितीय विशेषताओं को देखते हुए तटीय विनियमन क्षेत्र (सी आर जैड) अधिसूचना, 1991 में ढील देने का अनुरोध किया है।

(घ) केरल सरकार के अनुरोध पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था तथा उठाए गए मुद्दों की जांच करने के लिए दिसम्बर, 1996 में बालकृष्ण नायर समिति गठित की गई थी। समिति ने मार्च, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसकी कुछ सिफारिशों को 9 जुलाई, 1997 को जारी सी आर जैड अधिसूचना, 1991 के एक संशोधन में शामिल किया गया था। नदियों, नदी मुहानों, संकरी खाड़ियों, पश्चजल के किनारे सी आर जैड को कम करने तथा केरल में सी आर जैड के "नो डेवलेपमेंट जोन" में अवसंरचना विकास तथा आवासीय निर्माण के बारे में सिफारिशों को पूरे देश में सी आर जैड के संदर्भ में आगे की जांच हेतु जून, 1997 में सल्दाहना समिति को दिया गया था। सितम्बर, 1998 में प्राप्त सल्दाहना समिति की सिफारिशों को 5 अगस्त, 1999 को जारी तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के संशोधन के प्रारूप में शामिल किया गया था।

पेट्रोनेट द्वारा भारतीय मालवाहक पोतों का उपयोग

458. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गैस लाने-ले जाने के उद्देश्य के लिए पेट्रोनेट को केवल भारतीय मालवाहक पोतों के इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेट्रोनेट को विशिष्ट जहाजों की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो पेट्रोनेट द्वारा इस कार्य में भारतीय जहाजरानी उद्योग को शामिल करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) के परिवहन के लिए पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड (पी एल एल) द्वारा जारी पूर्व-योग्यता बोली दस्तावेजों में यह व्यवस्था है कि बोलीदाता को एल एन जी टैंकर के स्वामित्व तथा प्रचालन में एक भारतीय जहाजरानी कम्पनी को सम्बद्ध करना होगा और भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव करना होगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पुनर्गठन

459. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

दूरसंचार विभाग का निगमीकरण

460. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुधारों के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने के लिए दूरसंचार विभाग को तोड़कर पांच निगमों में बांटने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा वैश्वीकरण के रुझानों का प्रबंधन करने पर एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस विचारगोष्ठी में सुझाये गये सुझावों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) दूरसंचार विभाग को पांच पृथक निगमों में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, निगमितिकरण की पूर्व कार्रवाई के भाग के रूप में नीति तथा लाइसेंस प्रणाली संबंधी कार्यों को सेवा व्यवस्था कार्यों से अलग करने हेतु नई दूरसंचार नीति 1999 के अनुसरण में 15-10-1999 को दूरसंचार सेवा विभाग बनाया गया है जो सेवा व्यवस्था संबंधी कार्य देखेगा।

(ग) से (ङ) कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने नई दिल्ली में 10 फरवरी, 2000 को "संचार उद्योग में सार्वभौमिक रुझान" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। उक्त संगोष्ठी में निजी प्रचालकों तथा मौजूदा प्रचालकों को प्रचालन के समान अवसर प्रदान करने राजकोष में संवर्धन की अपेक्षा अवसंरचना के विकास उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए लाइसेंस शुल्क ढांचे, सार्वभौमिक सेवा बाध्यता संबंधी मुद्दों तथा शक्ति प्राप्त तथा स्वतंत्र विनियामक की आवश्यकता जैसे अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। एनटीपी, 99 में उक्त मुद्दों को ध्यान में रखा गया है और हाल ही में टी आर ए आई (संशोधन) अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है।

इंटरनेट सेवाएं

461. **श्री टी. एम. सेल्वागनपति:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सलेम दूरसंचार जिले में वी.एस.एन.एल. इंटरनेट के पंजीकृत उपभोक्ता उक्त सुविधा से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को सलेम दूरसंचार जिले में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं, वीएसएनएल सलेम दूरसंचार जिले में किसी भी उपभोक्ता का पंजीकरण नहीं कर रहा है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) सलेम तथा धर्मापुरी एसएसए के इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए सलेम में दो इंटरनेट रूटर प्रदान किये गये हैं। सलेम गौण स्विचन क्षेत्र में सलेम तथा नामक्कल राजस्व जिलों में शीघ्र ही इंटरनेट नोड स्थापित किये जायेंगे।

[हिन्दी]

राजस्थान में डाकघर

462. **प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में गत एक वर्ष के दौरान जिले-वार तथा श्रेणी-वार कितने डाकघर कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितने डाकघर आज की तारीख तक चल रहे हैं तथा बंद पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार को बंद किए गए डाकघरों को पुन: शुरू करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है;

(ङ) सरकार द्वारा राज्य में, डाकघरों/डाक सुविधाओं के विस्तार हेतु क्या योजनाएं तैयार की गई हैं;

(च) इस समय कितने डाकघर किराये के भवनों में चल रहे हैं तथा गत एक वर्ष के दौरान राज्य में कितने डाकघरों को खाली कराए जाने संबंधी मामले चल रहे थे; और

(छ) सरकार द्वारा राज्य में डाकघरों को भवन उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) राजस्थान में 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार कुल 10371 डाकघर कार्य कर रहे हैं। इनका जिलावार व श्रेणीवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आज की तारीख तक कार्य कर रहे डाकघरों की कुल संख्या 10369 है। दो डाकघर नामत: तोपदारा उप डाकघर (अजमेर) तथा बीसलपुर डैम अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर (टोंक) बंद कर दिए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) बंद किये गये इन डाकघरों को पुन: खोलने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है।

(ङ) राजस्थान में वर्ष 1999-2000 में 27 नए शाखा डाकघर, 2 उप डाकघर तथा 40 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(च) राजस्थान में 1200 डाकघर किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं। किराए के भवनों के 59 मामलों में भू-स्वामियों ने अपने भवन खाली कराने के लिए दीवानी मुकदमे दायर किये हैं।

(छ) योजना में विनिर्धारित परिव्यय के अनुसार विभागीय भवनों के निर्माण के लिए कदम उठाये जा रहे हैं बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध रहे।

विवरण

31.3.1999 की स्थिति के अनुसार जिलों में डाकघरों का वर्गीकृत ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रधान डाकघर		वि.उ.डा.		अ.वि.उ.डा.		अ.वि.श्रा.डा.		कुल डाकघर	
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अजमेर	4	शून्य	68	37	6	शून्य	6	310	84	347
2.	अलवर	3	शून्य	33	35	1	1	शून्य	418	37	454
3.	बांसवाड़ा	1	शून्य	6	16	शून्य	शून्य	शून्य	252	7	268
4.	बारन	शून्य	शून्य	7	8	शून्य	1	शून्य	181	7	190
5.	भरतपुर	4	शून्य	37	19	1	2	4	347	46	368
6.	बाड़मेर	1	शून्य	7	27	शून्य	1	शून्य	441	8	469
7.	भीलवाड़ा	1	शून्य	29	18	2	7	शून्य	334	32	359
8.	बीकानेर	1	शून्य	30	14	1	3	शून्य	172	32	189
9.	बूंदी	1	शून्य	11	9	शून्य	शून्य	शून्य	155	12	164
10.	चित्तौड़गढ़	1	शून्य	23	22	1	5	3	343	28	370
11.	चुरू	2	शून्य	35	14	1	2	शून्य	341	38	357
12.	दौसा	1	शून्य	7	21	शून्य	शून्य	शून्य	211	8	232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	धौलपुर	1	शून्य	6	12	शून्य	2	शून्य	166	7	180
14.	डूंगरपुर	1	शून्य	5	24	शून्य	शून्य	शून्य	267	6	291
15.	हनुमानगढ़	1	शून्य	18	9	शून्य	1	1	209	20	219
16.	जयपुर	5	शून्य	96	38	शून्य	4	2	453	103	495
17.	जालोर	1	शून्य	7	18	शून्य	2	शून्य	237	8	257
18.	जैसलमेर	1	शून्य	6	14	1	शून्य	शून्य	132	8	146
19.	झालावाड़	1	शून्य	9	12	शून्य	शून्य	शून्य	228	10	240
20.	झुनझुनु	2	शून्य	32	35	शून्य	8	शून्य	336	34	379
21.	जोधपुर	2	शून्य	48	17	शून्य	1	शून्य	330	50	348
22.	करोली	1	शून्य	7	19	शून्य	शून्य	शून्य	220	8	239
23.	कोटा	2	शून्य	36	12	1	शून्य	2	143	41	155
24.	नागोर	3	शून्य	23	36	2	12	शून्य	466	28	514
25.	पाली	1	1	25	34	शून्य	5	शून्य	311	26	351
26.	राजसमन्द	1	शून्य	6	16	1	2	शून्य	184	8	202
27.	सवाईमाधोपुर	2	शून्य	8	20	शून्य	शून्य	शून्य	183	10	203
28.	सीकर	4	शून्य	25	47	शून्य	14	शून्य	375	29	436
29.	सिरोही	1	शून्य	15	10	शून्य	1	1	150	17	161
30.	श्रीगंगानगर	1	शून्य	19	17	शून्य	1	शून्य	287	20	305
31.	टोंक	1	शून्य	13	11	शून्य	3	शून्य	192	14	206
32.	उदयपुर	1	1	24	32	4	3	3	423	32	459
	कुल	53	2	721	673	22	81	22	8797	818	9553

सार

क्र.सं.	श्रेणी	शहरी	ग्रामीण	कुल
1.	प्रधान डाकघर	53	2	55
2.	उप-डाकघर	721	673	1394
3.	अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर	22	81	103
4.	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	22	8797	8819
	कुल	818	9553	10371

गुजरात में रसोई गैस एजेन्सियों का आबंटन

463. **श्री जी.जे. जावीया:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में कई तहसीलों में रसोई गैस एजेन्सियां नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में रसोई गैस एजेसियां उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किये गये हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार गुजरात सहित देश के विभिन्न भागों में निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार एल पी जी डीलरशिप स्थापित किये जाते हैं:

- 10,000 और इससे अधिक की आबादी की व्यवहार्यता का विचार किये बिना सभी शहरी स्थलों को और 15 कि.मी. के व्यास के अंतर्गत आने वाले ग्रामों को समाहित करना।
- 5000 और इससे अधिक की आबादी वाले सभी व्यवहार्य शहरी स्थलों और 15 कि.मी. के व्यास के अंतर्गत आने वाले ग्रामों को समाहित करना।
- 10,000 और इससे अधिक आबादी वाले केन्द्रीय ग्रामों के 15 कि.मी. व्यास के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के समूह।
- एक लाख और अधिक आबादी वाले कस्बों के आसपास 15 कि.मी. व्यास के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के लिए ग्रामीण डीलरशिप खोलना।

इसी के अनुसार, एल पी जी विपणन योजना 1996-98 तैयार की गई।

एल पी जी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, गुजरात के लिए एल पी जी विपणन योजना 1996-98 में 125 एल पी जी डीलरशिप शामिल की गई हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन

464. **श्री मनोज सिन्हा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सभी डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी कितने डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जानी है; और

(ग) राज्य के सभी डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं।

(ख) उत्तर प्रदेश सर्किल में 949 विभागीय उप डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन नहीं हैं।

(ग) जिन डाकघरों में टेलीफोन नहीं हैं, उनमें टेलीफोन कनेक्शन दूरसंचार प्राधिकारियों द्वारा मुहैया कराए जाएंगे बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर पथ कर संग्रह केन्द्र

465. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग-16 में भुसावल तथा नागपुर के बीच, स्थान-वार कुल कितने पथ कर संग्रह केन्द्र स्थापित किये गये हैं; और

(ख) ये केन्द्र कब से कार्य कर रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) फिलहाल, भुसावल और नागपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई पथकर वसूली केन्द्र नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यमुना में असंसाधित औद्योगिक अवशिष्टों का बहना

466. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या पर्यावरण और वन् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से जन स्वास्थ्य के हित में दिल्ली और हरियाणा में उद्योगों द्वारा यमुना में बहाए

जा रहे असंसाधित औद्योगिक अवशिष्टों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कड़ा निर्णय लेने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नदियों को प्रदूषित करने वाले उद्योगों को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही करने पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नदियों को साफ करने हेतु एक कार्य योजना कब शुरू की जायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगरीय मलजल एवं औद्योगिक बहिस्रावों के निस्तारण के कारण यमुना नदी के प्रदूषण की मानीटरी करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा दिल्ली जल बोर्ड जैसी विभिन्न एजेंसियों के साथ कार्य योजना की प्रगति की निगरानी के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने निर्धारित निस्तारण मानकों का पालन न करने पर जल प्रदूषण फैलाने वाली लगभग 2300 इकाइयों को 18 नवम्बर, 1999 से 10 फरवरी, 2000 के दौरान उनकी बिजली एवं जल कनेक्शन काटने सहित उन्हें बंद करने के निर्देश जारी किये हैं। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने इन दोषी इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दो सतर्कता दस्तों का गठन किया है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी ऐसी 302 औद्योगिक इकाइयों की पहचान की है जो यमुना में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बहिस्रावों का निस्तारण कर रहे थे। इनमें से 135 इकाइयां निस्तारण मानकों का पालन कर रही हैं, 48 इकाइयों ने अपना कार्य अपने आप बंद कर दिया है, 12 इकाइयों को बोर्ड के निर्देश द्वारा बंद कर दिया है, 24 इकाइयों को बोर्ड द्वारा बंद करने के निर्देश दिए गए हैं तथा बाकी 83 इकाइयों के विरुद्ध पर्यावरणीय कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई चल रही है।

(घ) यमुना नदी की सफाई के लिए यमुना कार्य योजना पहले से ही कार्यान्वित की जा रही है।

रसोई गैस भराई संयंत्र

467. श्री नामदेव हरबाजी दिवाडे: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1999 की तिथि के अनुसार देश में कार्य कर रहे रसोई गैस भराई संयंत्रों की संख्या कितनी है तथा उनकी राज्य-वार क्षमता क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन मंजूर/स्वीकृत किए गए नए रसोई गैस भराई संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जहां कार्य सम्पादन विभिन्न चरणों में अभी भी चल रहा है;

(ग) महाराष्ट्र में मंत्रालय की चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान उनके निर्धारित तथा हासिल किये गये लक्ष्यों के संदर्भ में उनकी प्रगति की कितनी समीक्षा हुई है; और

(घ) महाराष्ट्र में 2000-2001 के दौरान स्थापित किये जाने वाले नए रसोई गैस भराई संयंत्रों का ब्यौरा क्या है तथा वे कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1999 को देश में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के कुल 117 भरण संयंत्र थे जिनकी कुल प्रतिष्ठापित भरण क्षमता 4516 टी एम टी पी ए थी। डिब्बा बंद एल पी जी की भविष्यगत मांग को पूरा करने के लिए देश में एल पी जी भरण क्षमता जो 31 दिसम्बर, 1999 को 4516 टी एम टी पी ए थी उसे 9वीं योजना के अंत तक 7562 टी एम टी पी ए तक बढ़ाने के लिए तेल उद्योग द्वारा योजनायें तैयार की गई हैं।

(ग) महाराष्ट्र में जारी परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) महाराष्ट्र में स्थापित करने हेतु प्रस्तावित नए एल पी जी भरण संयंत्र निम्नांकित स्थानों पर हैं:

स्थान	क्षमता (टी एम टी पी ए)
नागपुर	22
नागपुर	22
वसई	10
नासिक	22
नासिक	44
सत्तारा	22

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कंपनी	प्रगति
1.	एच पी सी रिफाइनरी में डी एच डी एस परियोजना	एच पी सी एल	मार्च, 2000 तक पूरी होनी प्रत्याशित
2.	बी पी सी रिफाइनरी में एफ सी सी यू का जीर्णोद्धार	बी पी सी एल	प्रक्रिया परिरूप को अंतिम रूप दे दिया गया है। पूरे होने की संशोधित तारीख अप्रैल, 2001
3.	बी पी सी रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना	बी पी सी एल	प्रक्रिया अनुज्ञप्तिदाता चयन प्रगति में 1 मई, 2001 में पूर्ण होने का कार्यक्रम
4.	जे एन पी टी में पी ओ एल जेट्टी	बी पी सी एल/ आई ओ सी एल	पूर्ण होने का कार्यक्रम 1 फरवरी, 2002 है।
5.	उरान में अंतरराष्ट्रीय सह-उत्पादन संयंत्र	ओ एन जी सी	पूर्ण होने का कार्यक्रम, दिसम्बर, 2000 है।

एम.ए.आर.आर. प्रणाली को पुनः चालू करना

468. श्रीमती मिनाती सेनः क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संपूर्ण ग्रामीण दूरसंचार प्रणाली एम.ए.आर.आर. सेवाओं के अंतर्गत घटिया सामग्रियों के प्रयोग के कारण विफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समय पश्चिम बंगाल, विशेषकर जलपाईगुड़ी और कूचबिहार जिलों में एक्सचेंजवार कितने टेलीफोन एम.ए.आर.आर. प्रणाली के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और खराब पड़े हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रणाली को पुनः चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। इस समय, कूचबिहार में एमएआरआर प्रणाली के अंतर्गत 262 टेलीफोनों (6.1 प्रतिशत) में से 16 और जलपाइगुड़ी में एमएआरआर प्रणाली के अंतर्गत 529 टेलीफोनों (10.7 प्रतिशत) में से 57 और पश्चिमी बंगाल राज्य में एमएआरआर प्रणाली के अंतर्गत 11713 टेलीफोनों (7.6 प्रतिशत) में से 887 टेलीफोन खराब पड़े हैं।

(ग) वार्षिक अनुरक्षण ठेका सप्लायर कंपनियों के साथ किए गया है और सर्किल मरम्मत केन्द्र दोषपूर्ण प्रणाली की पुनः बहाल के लिए जून 1998 से काम कर रहा है।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में सुधार

469. डा. सुशील कुमार इंदौराः
श्री अजय सिंह चौटालाः
श्रीमती रानी नराहः
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलुः
श्री पी.सी. थामसः
श्री विलास मुत्तेमवारः
श्री अशोक ना. मोहोलः
श्री रतन लाल कटारियाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वयं अथवा कतिपय वित्तीय संस्थानों की सहायता से देश के विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यों को शुरू करने के लिए व्यापक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत मंत्री ने विद्युत क्षेत्र में सुधार संबंधी नीति तैयार करने के लिए हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ सुधार संबंधी प्रक्रिया के संबंध में की गई आपसी बातचीत का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में यदि कोई समझौता हुआ है तो वह क्या है; और

(च) देश में राज्यवार सुधार कार्य करने के लिए सरकार की पूर्ण कार्ययोजना क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (च) विद्युत क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया के संवर्धन हेतु भारत सरकार ने पहल की। सुधार संबंधी जरूरतों एवं संरचना पर आम सहमति बनाने के लिए सम्मिलित प्रयास शुरू किये गए। भारत सरकार ने परामर्शदाताओं को नियुक्त कर विभिन्न अध्ययन- शुरू करवाए। श्रीमती वी.एस. रेखा, कानूनी परामर्शदाता को विद्यमान केन्द्रीय विद्युत अधिनियमों की समीक्षा कर एक संशोधित एवं समेकित केन्द्रीय कानून सुझाने के लिए कहा गया जो विद्युत क्षेत्र के उदारीकरण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सके। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया ने भारतीय विद्युत क्षेत्र के नियामक प्रणाली के पुनर्गठन संबंधी अध्ययन किया।

श्री एस.जे. कोल्हो, गुजरात विद्युत बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने नेतृत्व वाली एक सदस्यीय समिति ने वितरण क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन किया। भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र संबधी सुधारों पर आम सहमति बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन का भी आयोजन किया।

हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने एक सलाहकार के रूप में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीईएआर) से कहा कि वो ऐसे वैधानिक परिवर्तन सुझाए जो सुधार प्रक्रिया को बनाने में सहायक हों।

एनसीईआर ने विद्यमान विद्युत कानूनों (भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 को प्रतिस्थापित करने के लिए एक विद्युत बिल प्रारूप प्रस्तुत किया है। प्रारूप बिल में राज्य विद्युत बोर्डों के निगमीकरण एवं विभिन्न इकाईयों में पुनर्संरचना जिससे लाभ केन्द्रों पर, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, जिम्मेवारी निर्धारित की जा सके और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1948 के अनुरूप नियामक आयोग की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण का सुझाव दिया गया है। इसमें कार्यकुशलता एवं प्रतियोगिता की जरूरतों पर बल दिया गया है जिससे कि सभी उपभोक्ताओं को प्रतियोगी मूल्यों पर विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति करायी जा सके। इसमें कर्त्तव्यों एवं जिम्मेवारियों की भी स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

एनसीएईआर द्वारा सुझाए गए प्रारूप बिल पर राष्ट्रीय बहस तैयार करने एवं आम सहमति बनाने के लिए इसकी प्रतिलिपियां सभी संबंधितों को उनकी टिप्पणी, सुझाव एवं सलाह के लिए भेज दी गई है। प्रारूप बिल में राज्य विद्युत बोर्डों के निगमीकरण एवं विभिन्न इकाईयों में पुनर्संरचना जिससे लाभ केन्द्रों पर, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, जिम्मेवारी निर्धारित की जा सके और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1948 के अनुरूप नियामक आयोगों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण का सुझाव दिया गया है। इसमें कार्यकुशलता एवं प्रतियोगिता की जरूरतों पर बल दिया गया है जिससे कि सभी उपभोक्ताओं को प्रतियोगी मूल्यों पर विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति करायी जा सके। इसमें कर्त्तव्यों एवं जिम्मेवारियों की भी स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

राज्यों में सुधारों की स्थिति की समीक्षा करने हेतु दिनांक 26.2.2000 को राज्यों के विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में नियामक आयोगों की स्थापना, राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन, सभी स्तरों पर एनर्जी फ्लो की लेखा परीक्षा, विद्युत चोरी का कारगर तरीके से उन्मूलन तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के लिए टैरिफ निर्धारण, उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क आदि के सुधार के लिए लागत प्रभावी निवेश की अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन समेत अन्य सुधारों को सुसंगत तरीके से लागू करने की जरूरत पर जोर दिया गया।

उड़ीसा, हरियाणा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों ने विश्व बैंक की सहायता से सुधार कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए आवश्यक ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं बिहार राज्यों ने अपने-अपने विद्युत क्षेत्रों का सुधार शुरू करने हेतु विश्व बैंक की परियोजना तैयारी सुविधा (प्रोजेक्ट प्रीप्रेशन फैसिलिटी) का उपयोग कर रहे हैं।

यह राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है कि वे सुधार कार्य शुरू करने के लिए मुख्यमंत्रियों, विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में बनी आम सहमति के अनुरूप एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करें।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सड़क निधि में बढ़ोत्तरी

470. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद द्वारा 1988 में पारित केन्द्रीय सड़क निधि संबंधी सरकार के संशोधित संकल्प के अनुसार पेट्रोल और डीजल का 5 प्रतिशत केन्द्रीय सड़क निधि के संवर्धन हेतु इस्तेमाल किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य के राजमार्गों में सुधार करने और उन पर कई पुराने और संकरे पुलों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 110 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा जमा की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन पर संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) विगत में कर्नाटक राज्य सरकार ने समय-समय पर अनेक स्कीमें भेजी हैं। तथापि, चूंकि 1988 का संशोधित संकल्प अभी सरकार द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया है, अत: सभी स्कीमों पर अनुमोदनार्थ विचार नहीं किया जा सका। लेकिन, संसद के 1977 के संकल्प के अनुसार पेट्रोल की खपत के आधार पर जमा राशि को ध्यान में रखते हुए 1988 से कर्नाटक राज्य के लिए 1314.83 लाख रु. की केन्द्रीय सड़क निधि के हिस्से के साथ 24 स्कीमें स्वीकृत की जा चुकी हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन लगाया जाना

471. डा. बलिराम:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.बी. जारी किये जाने के बाद भी टेलीफोन नहीं लगाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख में दिल्ली में एक्सचेंजवार ऐसे कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ग) क्या प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन लगाने के दिशा-निर्देशों का अधिकारियों द्वारा विशेषकर ट्रांस यमुना में पालन नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने जहां तक उक्त मामलों का संबंध है दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। उन क्षेत्रों में कुछ टेलीफोन ओबी जारी होने के बाद भी नहीं दिये जा सके हैं, जहां भूमिगत केबल पेयरों के उपलब्ध न होने/एक्सचेंजों की सीमित क्षमता के कारण तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं था। जहां कहीं भी व्यवहार्य है, वहां ओ बी जारी होने के बाद कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(ख) 21.2.2000 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों का एक्सचेंजवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) यमुनापार क्षेत्र में प्राथमिकता आधार पर टेलीफोन देने संबंधी सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों का सामान्य तौर पर पालन किया जाता है बशर्ते कि यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो।

(घ) यमुनापार क्षेत्र में अस्थायी तौर पर अव्यवहार्यता के कारण लंबित प्राथमिकता मामलों का एक्सचेंजवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

लक्ष्मीनगर	यमुना विहार	शाहदरा	लोनी रोड	कुल
7	2	3	2	14

नए नेटवर्कों की स्थापना कर शीघ्र ही उक्त प्राथमिकता मामलों को निपटाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ङ) और (च) एम टी एन एल में नए टेलीफोन लगाने तथा अन्य विकास कार्यों की दूरसंचार मुख्यालय द्वारा नियमित आधार पर मानीटरिंग की जा रही है।

विवरण

21.2.2000 के अनुसार लंबित मामलों के एक्सचेंजवार ब्यौरे

एक्सचेंज	21.2.2000 की स्थिति के अनुसार लंबित ओ.बी. की सं.		
	टीएफ	टीएनएफ	कुल
1	2	3	4
जनपथ	43	426	469
किदवई भवन	97	39	136
सेना भवन	2	62	64
राजपथ	21	10	31
जोरबाग	265	701	966
सीजीओ	148	225	373
ईदगाह	1789	3797	5586
तीस हजारी	339	2882	3221
दिल्ली गेट	1897	1200	3097
लक्ष्मी नगर	4251	3742	7993
विश्वास नगर	527	390	917
कड़कड़डूमा	120	114	234
मयूर विहार-1	797	96	893
मयूर विहार-2	944	2214	3158
शाहदरा	2758	3479	6237
जाफरादाबाद	295	600	895
लोनी रोड	649	492	1141
यमुना विहार	2871	5832	8703
शक्ति नगर	3317	5482	8799
रोहिणी सेक्टर-3	1931	1348	3279
सरस्वती विहार	667	293	960
रोहिणी सेक्टर-6	766	835	1601
रोहिणी सेक्टर-9	380	—	380
उत्तरी पीतमपुरा	134	33	167
केशवपुरम	1271	760	2031
बादली	1249	2082	3331
अलीपुर	187	538	725
नरेला	36	887	923
बवाना	908	217	1125
बीसीपी	732	374	1106
चाणक्यपुरी	96	—	96
वसंत विहार	39	—	39
हौजखास	635	2534	3169
बसंतकुंज	832	212	1044
छत्तरपुर	196	1026	1222
नेहरू प्लेस	3054	3696	6750
एशियाडगांव	124	8	132
सादिक नगर	237	291	528
ओखला	1579	2448	4027
सरिता विहार	1928	475	2403
तेहखंड	491	515	1006
तुगलकाबाद	1431	6781	8212
करोलबाग	3042	2693	5735
शादीपुर	535	152	687
जनकपुरी	1531	556	2087
पंखा रोड	2570	3013	5583
नजफगढ़	1049	1107	2156
दिल्ली कैंट	147	473	620
पालम	6	343	349
एनआईटीसी	85	44	129

1	2	3	4
समालखा	129	267	396
द्वारका	3206	3489	6695
रजौरी गार्डन	3318	2421	5739
हरिनगर	264	198	462
पीवीआर	308	64	372
नांगलोई	18	6617	6635
कुल जोड़	56241	78603	134844

[अनुवाद]

वाहनों में एल.पी.जी. किट का उपयोग

472. **श्री सुरेश चन्देल:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वाहनों में उपयोग किये जा रहे एल पी जी किटों को मान्यता दी है और उसका इस संबंध में कोई विधान बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में एल पी जी किटों का चोरी-छिपे निर्माण रोकने/उनका आयात करने के संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऐसे किसी विधान को अधिनियमित करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

(घ) एक वाहन ईंधन के रूप में एल पी जी का उपयोग करने के विषय में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के विद्यमान प्रावधानों का पालन करने निर्देश जारी किये गये हैं।

मिट्टी के तेल पर राज-सहायता वापिस लेना

473. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार, मिट्टी के तेल पर राज-सहायता को वापिस लेने अथवा कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इससे किस प्रकार गरीबों के हितों की रक्षा हो सकेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकार ने नवम्बर, 1997 में निर्णय लिया था कि मिट्टी तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) पर राजसहायता चरणों में कम की जाएगी ताकि यह 2001-2002 तक आयात समता मूल्य के 33.33 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाए। यह राजसहायता वर्ष 2002 से आगे राजकोषीय बजट में अंतरित कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-31 की स्थिति

474. **श्री भिखिल कुमार चौधरी:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 मरम्मत के अभाव में खराब स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महेशखुंड से गेराबाडी तक राजमार्ग के दोनों तरफ जल भराव के संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव और मरम्मत के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी खर्च की गई;

(च) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय एजेंसी के माध्यम से इसकी मरम्मत कराने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-31 सामान्यतया उपलब्ध संसाधनों के तहत यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ग) और (घ) बिहार सड़क निर्माण विभाग को सलाह दी गई है कि वे महेशखुंट से गेराबाड़ी तक राष्ट्रीय राजमार्ग के बचाव संबंधी कार्य हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए राज्य सिंचाई विभाग और रेलवे के परामर्श से जांच कार्य करें।

(ङ) रख-रखाव और मरम्मत हेतु निधियां राज्य-वार आबंटित की जाती हैं न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव/मरम्मत हेतु, जिसमें रा.रा.-31 भी शामिल है, संबंधित राज्यों को आबंटित राशि निम्न प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

	बिहार	पश्चिमी बंगाल	असम	कुल
1996-97	21.94	20.82	10.07	52.83
1997-98	34.11	32.65	11.63	78.39
1998-99	33.37	27.58	28.16	89.11
1999-2000	53.68	30.00	33.99	117.67
कुल	143.10	111.05	83.85	338.00

(च) जी नहीं।

(छ) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव/मरम्मत की जिम्मेदारी एजेंसी प्रणाली के तहत संबंधित राज्य सरकार को सौंप दी गई है।

[अनुवाद]

रसोई गैस वितरकों द्वारा सेवाओं में सुधार

475. **श्री ए. कृष्णैया:**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस दिशा में कोई प्रयत्न किया गया है कि बड़ी तेल कम्पनियों के रसोई गैस के वितरक आम जनता के प्रति अपनी सेवाओं और व्यवहार में सुधार लायें;

(ख) यदि हां, तो क्या वितरक जनता को ठीक प्रकार से और शिष्टाचारपूर्वक सेवा प्रदान नहीं करते;

(ग) क्या देश में कहीं भारतीय तेल निगम, एच पी सी एल अथवा बी पी सी एल ने जनता के साथ अपने संबंध सुधारने हेतु कोई उपभोक्ता कैम्प आयोजित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) तेल कंपनियां अपने एल पी जी वितरकों की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत नियमित/औचक जांच-पड़तालें तथा निरीक्षण करती हैं तथा शिकायतें प्राप्त होने पर इनकी जांच भी करती हैं। गलती करने वाले वितरकों के विरुद्ध एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अनुसार समय-समय पर उपयुक्त कार्रवाई भी की जाती है।

(ग) और (घ) उपभोक्ताओं को कुशल एवं शीघ्र सेवा उपलब्ध कराने तथा उनकी शिकायतों का उसी स्थान पर समाधान करने के लिए तेल कंपनियों के क्षेत्राधिकारी विनिर्दिष्ट तारीखों पर वितरक परिसरों में ग्राहक सेवा प्रकोष्ठ चलाते हैं।

बड़े पत्तनों के निगमीकरण के लिए प्रस्ताव

476. **डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:**
श्री चाडा सुरेश रेड्डी:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े पत्तनों का निगमीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कौन-कौन से पत्तनों का चयन किया गया है; और

(ग) सरकारी मार्गों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और जल परिवहन संबंधी संरक्षा और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जायेगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) मौजूदा महापत्तनों के चरणबद्ध रूप से निगमीकरण हेतु निर्णय लिया जा चुका है। शुरू में इन्नौर स्थित नए महापत्तन का तथा उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और हल्दिया पत्तन का निगमीकरण किया जाएगा।

(ग) निगमीकरण में महापत्तनों को कंपनियों के रूप में परिवर्तित करना निहित है। जल परिवहन की सुरक्षा से संबंधित

कानूनी अपेक्षाएं इन कंपनियों पर भी लागू होंगी। इसी प्रकार, सरकारी कार्गो, समय-समय पर जारी हिदायतों के आधार पर संचालित किया जाता रहेगा।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर तेल की खुदाई (ड्रिलिंग)

477. **श्रीमती रानी नरहः** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने ब्रह्मपुत्र के नदी क्षेत्र पर तेल की खुदाई (ड्रिलिंग) की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आयल इंडिया लिमिटेड इस समय अनुबंधित सेवाओं के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी के सतही भागों के द्विआयामी भूकम्पीय आंकड़े अर्जित करने की योजना बना रहा है। इन आंकड़ों की व्याख्या के परिणामों के आधार पर, आयल इंडिया लिमिटेड इस सम्भार तंत्र की दृष्टि से कठिन क्षेत्र में अन्वेषणात्मक वेधन करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगा।

मध्य प्रदेश में रसोई गैस की मांग

478. **डा. रामकृष्ण कुसमरियाः** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 तथा 1999 के दौरान अलग-अलग मध्य प्रदेश में रसोई गैस की कितनी आपूर्ति की गई तथा इसकी मांग कितनी थी;

(ख) क्या उक्त राज्य में रसोई गैस के सिलिन्डरों की कम आपूर्ति की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कम्पनियों द्वारा एल पी जी की बिक्री निम्नानुसार है:

वर्ष	एल पी जी की बिक्री (टी एम टी)
1997-98	209.7
1998-99	228.5

देश में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कम्पनियों के उपभोक्ताओं की मांग कमोबेश पूरी की गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश राज्य में एल पी जी सिलेन्डरों की आपूर्ति में किसी कमी की सूचना नहीं दी गई है। पर जब भी एल पी जी का बैकलाग उत्पन्न होता है सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कम्पनियां प्रभावित बाजारों में मांग पूरा करने के लिए आयात अधिकतम करने, वर्धित घंटों/रविवारों तथा अवकाश के दिनों में भरण संयंत्रों का प्रचालन करने आदि सहित विभिन्न उपाय करती हैं।

नई सहस्राब्दि में पेट्रोलिम उत्पादन के लिए नीति

479. **श्री के. पी. सिंह देवः** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई सहस्राब्दि में पेट्रोलियम उत्पादन और उत्पादों संबंधी चुनौतियों और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई नीतिगत उपाय शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हो पाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आगामी वर्षों, जिनमें नई सहस्राब्दी का पहला दशक सम्मिलित होगा, की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा हाल में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में निम्नलिखित नीतिगत उपाय किये गये थे:

(1) नवरत्न कम्पनियों अर्थात् इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड और गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को अधिक वित्तीय तथा प्रचालनात्मक स्वायत्ता प्रदान करना।

(2) निजी निवेश आकर्षित करने के लिए निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करना।

(3) देश में अन्वेषण कार्यों को तेजी से बढ़ाने के लिए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति की घोषणा। नीति में राजकोषीय

और संविदागत रियायतों की व्यवस्था है तथा यह निजी निवेशकों व राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के लिए समान कार्य अवसर प्रदान करती है।

(4) कोल बेड मिथेन तथा गैस हाइड्रेटों जैसे वैकल्पिक हाइड्रोकार्बन भण्डारों के अन्वेषण व दोहन को बढ़ावा देना।

(5) मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार तथा अन्वेषण कार्यों का गैर-अन्वेषित बेसिनों व गहन जल तक विस्तार।

(ग) से (ङ) स्वदेशी तेल उत्पादन तथा मांग के वर्तमान परिदृश्य से यह संकेत मिलता है कि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य निकट भविष्य में प्राप्त नहीं किया जा सकेगा क्योंकि मांग में वृद्धि की दर स्वदेशी उत्पादन की दर से अधिक बढ़ती जा रही है।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधाएं

480. **श्री राधा मोहन सिंह:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों को कोई विशेष सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, हां। अनुदेश 5 अक्तूबर, 1999 को ही जारी किये जा चुके हैं कि 65 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के वरिष्ठ नागरिक गैर-ओ वाई टी विशेष श्रेणी के अंतर्गत अपने नाम से एक टेलीफोन कनेक्शन दर्ज करवा सकते हैं। (प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।)।

विवरण

विषय : वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता आधार पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना

कल्याणकारी प्रयास के रूप में यह निर्णय लिया गया कि 65 वर्ष और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिक गैर-ओ वाई टी-विशेष'' श्रेणी के अंतर्गत अपने नाम से एक टेलीफोन कनेक्शन की मांग दर्ज करवाने के पात्र होंगे। अत: प्रदान किया गया। ऐसा टेलीफोन उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात् केवल उसकी जीवित पत्नी/पति के नाम सामान्य श्रेणी टेलीफोन के रूप में स्थानांतरित होगा और इसके बाद कोई स्थानांतरण मौजूदा टेलीफोन स्थानांतरण नियमों द्वारा शासित होगा।

कृपया उक्त स्कीम का व्यापक प्रचार किया जाए।

(एस.के. भारद्वाज)
सहायक महानिदेशक (पीएचए)

[अनुवाद]

हेरा-फेरी करके आई.एस.डी. सुविधा प्राप्त करना

481. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:**
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री उत्तमराव ढिकले:
श्री मोहन रावले:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जनवरी, 2000 को ''इंडियन एक्सप्रेस'' में ''मुम्बई डॉन्स चैट एम.टी.एन.एल. फुट्स बिल्स'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) मुम्बई में दो टेलीफोन लाइनों से आईएसडी सुविधाओं के गैर-कानूनी प्रयोग का पता चला है और तब से इन लाइनों को काट दिया गया है। इस मामले की विस्तृत जांच के लिए मामले को मुम्बई पुलिस को सौंप दिया गया है।

(ग) ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए निरोधात्मक उपाय के रूप में, विभिन्न प्रौद्योगिकियों का विस्तृत अध्ययन के बाद प्रणालियों में उपयुक्त संशोधन किया गया है। ऐसे संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी फील्ड यूनिटों को विशेष निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया है।

वन विकास परियोजनाएं

482. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **पर्यावरण एवं वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रदूषण संबंधी मानदण्डों को युक्तिसंगत बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अभियान में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्या भूमिका है;

(घ) क्या इस अभियान के अंतर्गत प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत सरकार ने पर्यावरणीय मानकों को अधिसूचित किया है, जोकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा अंगीकृत किये जाते हैं। तथापि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर और अधिक कठोर मानदण्ड निर्धारित कर सकता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत संयंत्र

483. श्री बच्चन राजभर: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बलिया जिला, उत्तर प्रदेश के कोइली मोहन सियार नामक स्थान पर ताप विद्युत संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव दस वर्ष पहले मंजूर किया गया था और संयंत्र के लिए सर्वेक्षण कार्य भी पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त स्थल पर इस संयंत्र को स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कोईली मोहन सियार नामक स्थान पर किसी भी ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना करने का प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) को प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि बलिया जिले में बेलथारा रोड में 3×250 मे.वा. क्षमता को विद्युत स्टेशन अधिष्ठापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यूपीएसईबी) का एक प्रस्ताव के.वि.प्रा. को 8.11.92 को प्राप्त हुआ है। चूंकि ईंधन और पर्यावरण जैसे निवेश सुनिश्चित किए बिना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसलिए तत्संबंधी अपेक्षित कार्रवाई करने तथा स्कीम को दुबारा से प्रस्तुत करने के लिए यूपीएसईबी से फरवरी, 1994 में अनुरोध किया गया था। इसके पश्चात् यूपीएसईबी से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा राष्ट्र-विरोधी कार्य

484. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ अनिवासी भारतीयों ने देश के कुछ भागों में अत्याधुनिक किन्तु अप्राधिकृत उपग्रह संचार नेटवर्क संस्थापित किया है और उसे यूरोपीय वाणिज्यिक उपग्रह से जोड़ दिया है और उक्त उपग्रहों का उपयोग कथित रूप से आतंकवादियों और आई.एस.आई. एजेंटों द्वारा राष्ट्र-विरोधी कार्यों के लिए किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कार्यों से जुड़े लोगों का पता लगाया है और उन पर मुकदमा चलाने और नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) देश में सेटेलाईट के माध्यम से आपरेट होने वाले गैर-कानूनी नेटवर्क संबंधी कुछ मामलों का पता चला है। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। जहां तक आतंकवादी संबंधी तथा आपरेटरों की शिनाख्त का प्रश्न है, उनका पता तभी लग सकता है जब सीबीआई जांच पूरी कर लेती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में मुगल राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलों का निर्माण कार्य

485. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली से कानपुर के बारास्ता इटावा, मुगल राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन पुलों की संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन पुलों को कब तक निर्माण कर लिये जाने की संभावना है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग की जीर्ण-शीर्ण स्थिति में सुधार हेतु इस पर कुल कितनी धनराशि का व्यय किया गया है;

(घ) क्या इटावा में इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक उप-मार्ग के निर्माण कार्य हेतु कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस उप-मार्ग का कब तक निर्माण कर लिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) इस समय रा.रा.-2 पर आगरा में केवल एक पुल (फ्लाईओवर) निर्माणाधीन है।

(ख) मार्च, 2000 ।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार और रख-रखाव पर किया गया खर्च इस प्रकार है:

वर्ष	रा.रा. (विकास कार्य) (लाख रु.)	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (लाख रु.)	रख-रखाव और मरम्मत (लाख रु.)
1996-97	3000.00	4118.33	3469.05
1997-98	4631.16	6670.77	4703.98
1998-99	5808.39	4914.47	6071.10
1999-2000 (जनवरी, 2000)	4373.98	1967.03	4065.44

(घ) और (ङ) जी हां, चरण-1 के अधीन 7.3 कि.मी. लम्बाई वाले दो लेन चौड़े इटावा बाइपास का उ.प्र. लो.नि.वि. द्वारा निर्माण किया जा चुका है। 6.7 कि.मी. लम्बे 4 लेन वाले शेष भाग के निर्माण और चरण-1 के अधीन निर्मित 7.3 कि.मी. को चार लेन बनाकर चौड़ा करने के लिए परियोजना तैयार करने का कार्य भा.रा.रा. प्रा. द्वारा किया जा रहा है।

(च) अभी चरण-2 के अधीन इटावा बाइपास के शेष भाग के निर्माण का समय नहीं बताया जा सकता।

[अनुवाद]

तेल चयन बोर्ड द्वारा एजेन्सियों का चयन

486. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार किन-किन स्थानों पर रसोई गैस की एजेंसियों और डीजल/पेट्रोल पम्प के डीलरशिप स्वीकृति प्रदान की गई है और तेल चयन बोर्ड द्वारा इसके लिए अपनाई गई चयन प्रक्रिया पर क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों में तेल चयन बोर्ड अस्तित्व में नहीं है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन राज्यों में कब तक तेल चयन बोर्डों का गठन कर लिया जाएगा;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां तेल चयन बोर्ड को भंग कर दिया गया था; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) वर्तमान विपणन योजना, 1996-98 में देश के लिए 927 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 2078 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं। तथापि, आम चुनावों की घोषणा के कारण जुलाई, 1999 से देश भर में चयन प्रक्रिया आस्थगित रखी गई है।

हाल ही में डीलर चयन बोर्ड भंग कर दिए गए हैं। नए डीलर चयन बोर्ड निकट भविष्य में गठित किये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

डाकघरों के भवनों का निर्माण

487. श्री राममोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री बृजलाल खाबरी:
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में राज्यवार कितने डाक घर हैं और उनमें से कितने डाकघर विशेषकर विजयवाड़ा जिले में किराए के भवनों में चल रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी धनराशि किराए के रूप में दी गई;

(ग) क्या सरकार का विचार उन स्थानों पर डाकघरों के लिए भवन बनाने का है;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी डाकघरों के अपने भवन हों, कोई उपाय किये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) देश में कार्य कर रहे डाकघरों की कुल संख्या 154149 है। देश में किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की कुल संख्या 22120 है। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कृष्णा (विजयवाड़ा) जिले में किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या 145 है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किराए के रूप में अब तक लगभग 21 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया गया है।

(ग) जी हां। सरकार का इन स्थानों पर डाकघर भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपयुक्त भूमि तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध रहें।

(घ) दीर्घकालिक योजना यह है कि सभी विभागीय डाकघर यथाशीघ्र विभाग के स्वामित्व वाले भवनों में स्थापित कर लिये जाएं। यह योजना भूमि तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन है।

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान विभागीय भवनों के निर्माण पर 21 करोड़ रु. की राशि खर्च होने का अनुमान है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य का नाम	आज की तारीख तक किराये के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या
1	2
1. आंध्र प्रदेश	2183
2. असम	445
3. बिहार	1382
4. दिल्ली	289
5. गुजरात	1203
6. हरियाणा	399
7. हिमाचल प्रदेश	397
8. जम्मू एवं कश्मीर	223
9. कर्नाटक	1503
10. केरल	1260
11. मध्य प्रदेश	1158
12. महाराष्ट्र	1867
गोआ	93
13. उत्तर-पूर्व	
अरुणाचल प्रदेश	34
मणिपुर	46
मेघालय	37
मिजोरम	29
नागालैण्ड	25
त्रिपुरा	57
14. उड़ीसा	970
15. पंजाब	637
16. राजस्थान	1202
17. तमिलनाडु	2572
18. उत्तर प्रदेश	2599
19. पश्चिम बंगाल	1518
कुल	22128

ग्राम-सार्वजनिक टेलीफोन

488. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:
श्री रामशकल:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन तंत्र के विस्तार के लिए एक नीति बनाने का निर्णय लिया है ताकि यह सुविधा सर्वसुलभ हो सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा;

(ग) इससे देश में ग्रामीण टेलीफोन-नेटवर्क का विस्तार करने में कहां तक मदद मिलेगी;

(घ) 1999-2000 के दौरान राजस्थान के विशेषकर थार, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में जिला-वार कितने ग्राम-सार्वजनिक टेलीफोनों की नियोजित तथा स्थापित किया गया;

(ङ) क्या बाड़मेर और जेसलमेर जिलों में 70 प्रतिशत ग्रामीण टेलीफोन खराब देख-भाल और गुणवत्ता की वजह से काम नहीं कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए इस प्रकार की कोई नीति नहीं बनाई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(घ) राजस्थान के शेष गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन एक निजी बुनियादी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किये जाने हैं। 1999-2000 के लिए दूरसंचार सेवा विभाग का कोई लक्ष्य नहीं है। तथापि, इस विभाग ने अब तक कुल 207 वीपीटी उपलब्ध करवाए हैं जिनमें से एक वीपीटी पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रदान किया गया है। बाड़मेर जिले में कोई भी वीपीटी प्रदान नहीं किया गया है।

(ङ) जी, नहीं। बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों की दोष-दर क्रमशः 7 तथा 9 प्रतिशत है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, एमएआरआर के कार्यनिष्पादन में और सुधार लाने के लिए विभाग ने इस प्रणाली के सप्लायरों को वार्षिक अनुरक्षण ठेका (एएमसी) दिया है। बेहतर कार्यनिष्पादन तथा विश्वसनीयता की दृष्टि से ओवर हेड लाइनों को भूमिगत केबलों से बदला जा रहा है। ग्रामीण एक्सचेंजों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आप्टिकल फाइबर केबलों का प्रयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

489. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के कुल अनुमानित ज्ञान भण्डार तथा दोहन कार्यों के लिए तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाए गए क्षेत्र कितने हैं;

(ख) देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन का विवरण क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितना व्यय किया जा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा कितनी मात्रा और मूल्य का कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद आयात किया गया तथा कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1.4.1999 को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के निकासी योग्य शेष भण्डार क्रमशः लगभग 590 मिलियन मीटरी टन (एम एम टी) और 635 बिलियन घन मीटर (बी सी एम) थे। तकनीकी रूप से और आर्थिक रूप से व्यवहार्य तेल और गैस उत्पादन क्षेत्र पश्चिमी और पूर्वी अपतटों में और गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं।

(ख) (1) वर्ष 1998-99 के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन क्रमशः 32.72 एम एम टी तथा 27.43 बी सी एम था।

(2) इस पर हुए व्यय का विवरण एकत्रित किया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान कच्चे तेल के आयात और पेट्रोलियम उत्पादों की वास्तविक मात्रा और मूल्य तथा साथ ही कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत नीचे तालिका में दी गई है:

	1998-99
*आयात (मात्रा)**	
कच्चा तेल (एम एम टी) –	39.81
पेट्रोलियम उत्पाद (एम एम टी) –	18.78

*आयात (मूल्य) (करोड़ रुपये में)**

कच्चा तेल	–	14876
पेट्रोलियम उत्पाद	–	9837

खपत

कच्चा तेल (एम एम टी)	–	68.54
प्राकृतिक गैस (बी सी एम)	–	25.72
पेट्रोलियम उत्पाद (एम एम टी)*	–	83.57

*इसमें निजी पक्षकारों द्वारा आयात शामिल नहीं है।

बिहार के विभिन्न जिलों में एल पी जी एजेंसियां पेट्रोल/मिट्टी के तेल की एजेंसियां

490. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में पेट्रोल/डीजल/एल पी जी एजेंसियां लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन स्थानों के लिए विज्ञापन दिये गये हैं और साक्षात्कार लिये गए हैं; और

(घ) उक्त स्थानों पर कब तक एल पी जी एजेंसियां/पेट्रोल और डीजल के बिक्री केन्द्र स्थापित कर दिये जायेंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सहरसा, सुपौल तथा मधेपुरा जिलों सगेत बिहार राज्य में विभिन्न अनुमोदित विपणन योजनाओं से लम्बित 309 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा 214 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में से 236 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा 191 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए तेल कंपनियों ने विज्ञापन जारी कर दिए हैं तथा 20 खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा 43 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए साक्षात्कार किए गए हैं।

(घ) वर्तमान में चयन प्रक्रिया स्थगित रखी गई है तथा डीलर चयन बोर्ड भी भंग कर दिए गए हैं। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने में साक्षात्कार की तारीख से सामान्यतया 6 से 12 माह तक लग जाते हैं।

[अनुवाद]

नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

491. श्रीमती गीता मुखर्जी:
श्री बृजलाल खाबरी:
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अगले पांच वर्षों के दौरान कितनी नयी परियोजनाएं स्थापित की जाने वाली हैं; और

(ख) इनमें से कितनी सार्वजनिक, संयुक्त और निजी क्षेत्रों में राज्यवार स्थापित की जायेंगी।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) नौवीं योजना (1997-2002) के मध्यवर्ती मूल्यांकन से यह इंगित हुआ है कि 28097 मे.वा. क्षमता जिसमें 139 विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं, सम्भाव्य है। 10वीं योजना (2002-07) के क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है। नौवीं योजना अवधि (1997-2002) के दौरान लाभों का राज्यवार/क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नवत है।

राज्य का नाम	परियोजना	राज्य क्षेत्र	निजी क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र
1	2	3	4	5
हरियाणा	5	1(210 मे.वा.)	2(200 मे.वा.)	2(430 मे.वा.)
हिमाचल प्रदेश	3	1(22.5 मे.वा.)	1(300 मे.वा.)	1(1500 मे.वा.)
पंजाब	2	2(1020 मे.वा.)	–	–
उत्तर प्रदेश	7	3(138.5)	–	4(1570 मे.वा.)
राजस्थान	5	1(500 मे.वा.)	1(130 मे.वा.)	3(1090 मे.वा.)

1	2	3	4	5
जम्मू एवं कश्मीर	6	5(124.5 मे.वा.)	–	1(390 मे.वा.)
गुजरात	17	7(769 मे.वा.)	6(1377 मे.वा.)	4(1300 मे.वा.)
मध्य प्रदेश	9	7(923 मे.वा.)	1(118 मे.वा.)	1(1000 मे.वा.)
महाराष्ट्र	9	7(2135.5 मे.वा.)	2(2184 मे.वा.)	–
आंध्र प्रदेश	12	3(1165 मे.वा.)	8(1567.9 मे.वा.)	1(1000 मे.वा.)
कर्नाटक	13	6(948 मे.वा.)	6(771.1 मे.वा.)	1(440 मे.वा.)
केरल	11	6(464 मे.वा.)	3(189 मे.वा.)	2(350 मे.वा.)
तमिलनाडु	11	5(80.5 मे.वा.)	5(741.5 मे.वा.)	1(210 मे.वा.)
पांडिचेरी	2	2(32.5 मे.वा.)	–	–
बिहार	4	(3(37 मे.वा.)	1(240 मे.वा.)	–
उड़ीसा	2	2(606 मे.वा.)	–	–
डीवीसी	1	1(210 मे.वा.)	–	–
पश्चिम बंगाल	4	3(697.5 मे.वा.)	1(500 मे.वा.)	–
असम	8	2(47.5 मे.वा.)	4(24.5 मे.वा.)	2(115 मे.वा.)
अरुणाचल प्रदेश	2	1(6 मे.वा.)	–	1(405 मे.वा.)
मणिपुर	1	1(36 मे.वा.)	–	–
नागालैंड	2	1(24 मे.वा.)	–	1(75 मे.वा.)
त्रिपुरा	2	1(8 मे.वा.)	–	1(84 मे.वा.)
सिक्किम	1	–	–	1(60 मे.वा.)

दिल्ली-लखनऊ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर यातायात

492. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली और लखनऊ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-24 में यातायात की भीड़-भाड़ होने से यात्रियों को होने वाली असुविधा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मार्ग पर यातायात की भीड़-भाड़ के कारण समय तथा ईंधन के हिसाब से अनुमानित हानि क्या है;

(ग) इस मार्ग को दोहरा करने तथा लखनऊ तक बाइपास बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी हां। हापुड़, मुरादाबाद, बरेली और लखनऊ के शहरी इलाके में भीड़-भाड़ है। यह सच है कि इस भीड़-भाड़ से समय और ईंधन की बर्बादी होती है। तथापि, धन के संदर्भ में इसकी गणना के लिए इस मंत्रालय ने रा.रा.-24 पर कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है।

(ग) और (घ) रा.रा.-24 पर दिल्ली से गाजियाबाद तक 28 कि.मी. की लम्बाई में पहले से ही दुहरा कैरिजवे है। गाजियाबाद से हापुड़ तक 32 कि.मी. की लम्बाई में चार लेन बनाने और 4 लेन के हापुड़ बाइपास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गढ़मुक्तेश्वर से मुरादाबाद तक चार लेन बनाने के लिए साध्यता अध्ययन प्रगति पर है. रा.रा. 24 को लगभग 385 कि.मी. की शेष लम्बाई में 4 लेन बनाने के लिए साध्यता अध्ययन कार्य की पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। हापुड़ और मुरादाबाद में बाइपास का निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है। शाहजहांपुर और सीतापुर में बाइपासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। बरेली और लखनऊ में भी बाइपास के निर्माण का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

विभागों द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उपकर की वसूली

493. **श्री अरुण कुमार:**
श्री अजित सिंह:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि के लिए पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर उपकर द्वारा वसूली गई धनराशि को हासिल करने के लिए संबंधित विभागों से बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विभागों से और किन-किन तिथियों को बातचीत की गई;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसी बातचीत के पश्चात् कोई ठोस निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) इस मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ परस्पर कार्यवाही की है। उन्हें 21.2.2000 को अनुपूरक अनुदान मांग भेजी गई थी जिस पर संसद द्वारा विचार किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) संसद ने प्रथम अनुपूरक मांग में 1900 करोड़ रु. की उपकर निधि अनुमोदित की है।

[अनुवाद]

गुजरात समुद्र तट के रास्ते विषैले पदार्थों का लाया जाना

494. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के तटों पर तोड़े जाने के लिए आने वाले जहाजों के माध्यम से देश में विषैला पदार्थ बेरोकटोक लाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) गुजरात मेरिटाइम बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार विषाक्त अपशिष्टों का परिवहन गुजरात तट में भंजन के लिए आने वाले पोतों के जरिए नहीं किया जाता है। भंजन के लिए अलग आने वाले पोत कारगो मुक्त होते हैं। समुद्र-तट पर खड़ा करने की अनुमति दिये जाने से पूर्व गुजरात मेरिटाइम बोर्ड द्वारा भंजन के लिए पोतों का निरीक्षण किया जाता है। विस्फोटक नियंत्रक द्वारा भी कटिंग की अनुमति दिए जाने से पहले पोतों का निरीक्षण किया जाता है।

राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करना

495. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री बृज भूषण शरण सिंह:
श्री होलखोमांग हौकिप:
श्री सुनील खां:
श्री अनन्त नायक:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान कितने और कौन से राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किया गया;

(ख) सड़कों का उन्नयन करने के लिए निर्धारित धनराशि का राज्यवार और सड़क-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए वर्षवार और सड़क-वार वास्तविक रूप से कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने के संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त कतिपय नए प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन लंबित पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और सड़क-वार ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का राज्यवार और सड़क-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन राज्य राजमार्गों को सड़क-वार कब तक राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग) राज्यवार आवंटन के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है। निधियों का आबंटन सड़क-वार नहीं किया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

गत चार वर्षों के दौरान घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग

क्र.सं.	रा.रा.सं.	रूट	राज्य		कुल लम्बाई
1	2	3	4		5
1.*	19	गाजीपुर-बलिया-हाजीपुर-पटना	उत्तर प्रदेश बिहार	120 कि.मी. 120 कि.मी.	240 कि.मी.
2.	57	मुजफ्फरपुर-दरभंगा-फारबिस गंज	बिहार	310 कि.मी.	310 कि.मी.
3.	58	गाजियाबाद-मेरठ-हरिद्वार-माना	उत्तर प्रदेश	527 कि.मी.	527 कि.मी.
4.	59	अहमदाबा-धार-इंदौर	मध्य प्रदेश- गुजरात	139 कि.मी. 211 कि.मी.	350 कि.मी.
5.	60	बालासोर-खडगपुर	उड़ीसा पश्चिम बंगाल	57 कि.मी. 68 कि.मी.	125 कि.मी.
6.	61	कोहिमा-कोखा-झंझी	नागालैंड असम	220 कि.मी. 20 कि.मी.	240 कि.मी.
7.	52क	ईटानगर-गोहपुर	अरुणाचल प्रदेश असम	22 कि.मी. 10 कि.मी.	32 कि.मी.
8.	52ख	कुलाजन-डिब्रुगढ़	असम	31 इख.णई.	31 कि.मी.
9.	रा.रा. 44 का विस्तार	अगरतल्ला-सबरूम	त्रिपुरा	135 कि.मी.	135 कि.मी.
10.	62	दामरा-बाघमारा	असम मेघालय	5 कि.मी. 125 कि.मी.	130 कि.मी.
11.	17-ख	पोंडा-बोरिम-वर्ना-वास्को	गोवा	40 कि.मी.	40 कि.मी.
12.	63	अंकोला-हुबली-गुडी	कर्नाटक आंध्र प्रदेश	370 कि.मी. 62 कि.मी.	432 कि.मी.

1	2	3	4	5	
13.	64	चंडीगढ़-पटियाला-भटिंडा	पंजाब	225 कि.मी.	225 कि.मी.
14.	65	अम्बाला-कैथल-हिसार-फतेहपुर	हरियाणा राजस्थान	240 कि.मी. 170 कि.मी.	410 कि.मी.
15.	66	पांडिचेरी-टिन्डीवनम-कृष्णगिर	पांडिचेरी तमिलनाडु	10 कि.मी. 234 कि.मी.	244 कि.मी.
16.	67	नागापट्टनम-करूर	तमिलनाडु	217 कि.मी.	217 कि.मी.
17.	68	उलुन्डुरपेट-सलेम	तलिमनाडु	134 कि.मी.	134 कि.मी.
18.	69	नागपुर-औबेदुल्लागंज	महाराष्ट्र मध्य प्रदेश	55 कि.मी. 295 कि.मी.	350 कि.मी.
19.	रा.रा.-6 का विस्तार	धूले-सूरत	महाराष्ट्र गुजरात	127 कि.मी. 160 कि.मी.	287 कि.मी.
20.	202	हैदराबाद-वारंगल-वेंकटपुरम-भोपाल-पट्टनम	आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश	280 कि.मी. 35 कि.मी.	315 कि.मी.
21.	रा.रा.-9 का विस्तार	विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम	आंध्र प्रदेश	50 कि.मी.	50 कि.मी.
22.	205	अनन्तपुर-कादिरी-तिरूपति-रेनीगुन्टा-तिरुत्तनी-चेन्नई	आंध्र प्रदेश तमिलनाडु	360 कि.मी. 82 कि.मी.	442 कि.मी.
23.	रा.रा.-54 का विस्तार	दाबोका-लमडिंग-अल्फलोंग-सिल्चर	असम	290 कि.मी.	290 कि.मी.
24.	80	मोकामा-मुंगेर-भागलपुर-साहबगंज-राजमहल-फरक्का	बिहार प. बंगाल	300 कि.मी. 10 कि.मी.	310 कि.मी.
25.	77	हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा	बिहार	142 कि.मी.	142 कि.मी.
26.	78	कटनी-शहडोल-नगर-अम्बीकापुर-जशपुरनगर-गुमला	बिहार मध्य प्रदेश	25 कि.मी. 534 कि.मी.	559 कि.मी.
27.	30क	फतुहा-चंडी-हरनौत-सक्सोहरा-बाढ़	बिहार	65 कि.मी.	65 कि.मी.
28.	रा.रा.-8क का विस्तार	कांडला-मुंदरा-मांडवी	गुजरात	95 कि.मी.	95 कि.मी.
29.	रा.रा.-6 का विस्तार	सूरत-हाजीरा	गुजरात	17 कि.मी.	17 कि.मी.
30.	8घ	जेतपुर-जूनागढ़-केशोड-सोमनाथ	गुजरात	127 कि.मी.	127 कि.मी.

1	2	3	4		5
31.	21क	पिंजोर-बादली-नालागढ़-स्वरफाट	हरियाणा हिमाचल प्रदेश	16 कि.मी. 49 कि.मी.	65 कि.मी.
32.	71क	रोहतक-गोहाना-पानीपत	हरियाणा	72 कि.मी.	72 कि.मी.
33.	73	रुड़की-सहारनपुर-यमुनानगर-शह-पंचकूला	हरियाणा उत्तर प्रदेश	105 कि.मी. 80 कि.मी.	185 कि.मी.
34.	71	जालंधर-मोगा-बरनाला-संगरूर-नरवाना-रोहतक-झज्झर-बावल	हरियाणा पंजाब	177 कि.मी. 130 कि.मी.	307 कि.मी.
35.	72	अम्बाला-नाहन-पोंटा साहब-देहरादून-ऋषिकेश-हरिद्वार	रियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश	50 कि.मी. 50 कि.मी. 100 कि.मी.	200 कि.मी.
36.	70	जालंधर-होशियारपुर-हमीरपुर-टोनी देवी-अहवा देवी-धर्मपुर-मंडी	हिमाचल प्रदेश पंजाब	120 कि.मी. 50 कि.मी.	170 कि.मी.
37.	रा.रा.-1ख का विस्तार	किश्तवार-छतरी-सिमथन-मैदान-सिमथन पास	जम्मू एवं कश्मीर	82 कि.मी.	82 कि.मी.
38.	1ग	दोमोल-कटरा	जम्मू एवं कश्मीर	8 कि.मी.	8 कि.मी.
39.	206	तुमकुर-शिमोगा-होनावर	कर्नाटक	363 कि.मी.	363 कि.मी.
40.	रा.रा.-13 का विस्तार	मंगलौर-तिर्थाहल्ली-सिमोगा-चित्रदुर्गा	कर्नाटक	200 कि.मी.	200 कि.मी.
41.	207	होसूर-सरजापुर-देवनहल्ली-डोड बालापुर-नीलमंगला	कर्नाटक तमिलनाडु	135 कि.मी. 20 कि.मी.	155 कि.मी.
42.	209	डिन्डीगुल-पट्टाची-कोयम्बटूर-अन्नुर-सत्यमंगलम- छमरंजनगर-कोल्लीगल-बंगलौर	कर्नाटक तमिलनाडु	170 कि.मी. 286 कि.मी.	456 कि.मी.
43.	208	कोल्लाम-पुनलुर-तेनकासी-राजापलायम-श्रीविल्लीपुट्टूर-तिरुमंगलम	केरल तलिमनाडु	70 कि.मी. 125 कि.मी.	195 कि.मी.
44.	75	ग्वालियर-झांसी-खजुराहो-छत्तरपुर-पन्ना-सतना-रीवा	मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश	440 कि.मी. 20 कि.मी.	460 कि.मी.
45.	200	रायपुर-बिलासपुर-सारंगढ़-राजगढ़-कनकतुरा-झासुगुडा-कोचिन्दा-प्रावसुनी-देवगढ़-तल्चर-चंडीखोल	मध्य प्रदेश उड़ीसा	300 कि.मी. 440 कि.मी.	740 कि.मी.
46.	79	अजमेर-नसीराबाद-भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़-नयागढ़-नीमच-रतलाम-घाटबिलोड (इन्दौर)	मध्य प्रदेश राजस्थान	280 कि.मी. 220 कि.मी.	500 कि.मी.

1	2	3	4	5	
47.	76	पिंडवारा-उदयपुर-मंगारार-चित्तौड़गढ़-कोटा-शिवपुरी-झांसी-महोबा-बांदा-करवी-मऊ-इलाहाबाद	मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश	60 कि.मी. 480 कि.मी. 467 कि.मी	1007 कि.मी.
48.	204	रत्नागिर-कोल्हापुर	महाराष्ट्र	126 कि.मी.	126 कि.मी.
49.	211	शोलापुर-उस्मानाबाद-औरंगाबाद-धूले	महाराष्ट्र	400 कि.मी.	400 कि.मी.
50.	150	एजवाल-तिपाइमुख-चुराचांदपुर-इम्फाल-उखरूल-जसामी-कोहिमा	मणिपुर मिजोरम नागालैंड	523 कि.मी. 141 कि.मी. 36 कि.मी.	700 कि.मी.
51.	रा.रा.-62 का विस्तार	बाघमारा-दालू	मेघालय	65 कि.मी.	65 कि.मी.
52.	रा.रा.-40 का विस्तार	जवाई-अमलारेम-दावकी	मेगालय	55 कि.मी.	55 कि.मी.
53.	44क	ऐजवाल-सायरंग-लेंगुपुई-ममित-मानू	मिजोरम त्रिपुरा	165 कि.मी. 65 कि.मी.	230 कि.मी.
54.	201	बरिगुमा-भवानीपटना-बोलनगिर-बारगढ़	उड़ीसा	310 कि.मी.	310 कि.मी.
55.	203	भुवनेश्वर-पुरी	उड़ीसा	59 कि.मी.	59 कि.मी.
56.	रा.रा.-64 का विस्तार	भटिंडा-डबवाली	पंजाब	31 कि.मी.	31 कि.मी.
57.	रा.रा. 45क का विस्तार	नागापट्टिनम-चिदम्बरम-कुडालोर-घोंडी	पांडि तमिलनाडु	20 कि.मी. 130 कि.मी.	150 कि.मी.
58.	रा.रा.-65 का विस्तार	फतेहपुर-नागर-जोधपुर-पाली	राजस्थान	280 कि.मी.	280 कि.मी.
59.	45ख	त्रिचि-विरालीमलाई-तोवाराकुरुच्छि-मेलूर-मदुरै-अरप्पूकटई-तूतीकोरिन	तमिलनाडु	257 कि.मी.	257 कि.मी.
60.	रा.रा.-67 का विस्तार	करूर-पल्लादुम-कोयम्बटूर	तमिलनाडु	140 कि.मी.	140 कि.मी.
61.	210	त्रिचि-पुडूकोटई-देवाकोटई-रामनाथपुरम	तमिलनाडु	160 कि.मी.	160 कि.मी.
62.	24क	बक्शी-का-तालाब (रा.रा.-24) चेन्हट (रा.रा.-28)	उत्तर प्रदेश	17 कि.मी.	17 कि.मी.
63.	56क	चेन्हट रा.रा.-56 का 16 कि.मी.	उत्तर प्रदेश	13 कि.मी.	13 कि.मी.
64.	56ख	16 कि.मी. (रा.रा.-56) रा.रा.-25 का 19 कि.मी.	उत्तर प्रदेश	19 कि.मी.	19 कि.मी.

1	2	3	4	5	
65.	25क	19 कि.मी. (रा.रा.-25)-बक्शी का तालाब (रा.रा.-24)	उत्तर प्रदेश	31 कि.मी.	31 कि.मी.
66.	74	हरिद्वार-नजीमाबाद-नगीना-अफजलगढ़-काशीपुर-किच्छा-जहानाबाद-पीलीभीत-बरेली	उत्तर प्रदेश	300 कि.मी.	300 कि.मी.
67.	रा.रा.-60 का विस्तार	खडगपुर-विष्णुपुर-बंकुरा-आसनसोल	पश्चिम बंगाल	180 कि.मी.	180 कि.मी.
68.	152	पटाचीकुची-भूटान सीमा	असम	40 कि.मी.	40 कि.मी.
69.	214	कट्टीपुडी-काकीनाडा-पमारू	आंध्र प्रदेश	270 कि.मी.	270 कि.मी.
70.	83	पटना-पुनपुन-गया-दोभी	बिहार	130 कि.मी.	130 कि.मी.
71.	85	छपरा-सिवान-गोपाल गंज	बिहार	95 कि.मी.	95 कि.मी.
72.	82	गया-राजगिर-बिहार शरीफ-माकामा	बिहार	130 कि.मी.	130 कि.मी.
73.	84	आरा-बक्सर	बिहार	60 कि.मी.	60 कि.मी.
74.	81	कोरहा-कटिहार-माल्दा रोड	बिहार पश्चिम बंगाल	45 कि.मी. 55 कि.मी.	100 कि.मी.
75.	88	शिमला-बिलासपुर-हमीरपुर-नदाऊ-रानीताल-कांगड़ा-भवन (रा.रा.-20 पर)	हिमाचल प्रदेश	115 कि.मी.	115 कि.मी.
76.	212	कोझीकोड-मैसूर-कोल्लागल	कर्नाटक केरल	160 कि.मी. 90 कि.मी.	250 कि.मी.
77.	213	पालघाट-कालीकट	केरल	130 कि.मी.	130 कि.मी.
78.	86	कानपुर-सागर	मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश	180 कि.मी. 180 कि.मी.	360 कि.मी.
79.	215	पानीकोली-राजामुंद्री	उड़ीसा	348 कि.मी.	348 कि.मी.
80.	89	अजमेर-बीकानेर	राजस्थान	300 कि.मी.	300 कि.मी.
81.	87	रामपुर-बिलासपुर-पटनागढ़-हल्द्वानी-नैनीताल	उत्तर प्रदेश	83 कि.मी.	83 कि.मी.
82.	151	करीमगंज-सुतराकंडी	असम	14 कि.मी.	14 कि.मी.
		जोड़			17952 कि.मी.

*यह आठवीं योजना अवधि में जनवरी, 1996 में घोषित किया गया था।

विवरण II

गत चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों का आबंटन दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3910.24	5957.19	4550.00	5045.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	000
3.	असम	1257.39	1860.80	2600.00	2186.83
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	बिहार	1583.35	1952.00	2950.00	6000.00
6.	चंडीगढ़	24.00	30.00	100.00	100.00
7.	दिल्ली	400.00	800.00	1400.00	1200.00
8.	गोवा	860.65	971.56	1100.00	1500.02
9.	गुजरात	3738.51	4322.42	5000.00	10451.43
10.	हरियाणा	11245.87	10040.00	7550.00	4500.00
11.	हिमाचल प्रदेश	1200.00	1700.00	2500.00	4500.00
12.	जम्मू और कश्मीर	100.00	150.00	100.00	135.00
13.	कर्नाटक	3530.54	4236.78	4400.00	4600.08
14.	केरल	6022.33	8042.48	7300.00	10468.12
15.	मध्य प्रदेश	1792.21	4657.06	8200.00	3226.75
16.	महाराष्ट्र	2943.93	8062.43	10600.00	10354.00
17.	मणिपुर	363.52	702.19	700.00	1010.75
18.	मेघालय	996.00	979.50	1000.00	1730.28
19.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	300.00
20.	नागालैंड	10.00	100.00	200.00	750.00
21.	उड़ीसा	5917.28	6475.20	9500.00	4350.00
22.	पांडिचेरी	50.00	70.00	100.00	319.46
23.	पंजाब	5801.79	5378.88	7800.00	2000.00
24.	राजस्थान	3638.80	4315.83	4000.00	5778.17
25.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
26.	तमिलनाडु	2024.67	2567.92	3400.00	6500.00
27.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	50.00
28.	उत्तर प्रदेश	7955.58	12535.27	11150.00	11005.35
29.	पश्चिम बंगाल	3608.00	7335.00	10000.00	5738.02
30.	जोगीघोपा पुल	2790.00	7298.17	3030.00	100.00
31.	मंत्रालय	3209.00	7298.17	3030.00	0.00
32.	बी आर डी पी	6300.00	7031.00	8500.00	11230.00
33.	एन एच ए आई	7179.00	20000.00	25200.00	0.00
34.	अन्य संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	88442.66	128815.68	142930.00	115129.57

[हिन्दी]

ऊर्जा क्षेत्र में जापानी विशेषज्ञता

496. श्री रामपाल सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ऊर्जा क्षेत्र में जापानी विशेषज्ञों को आमंत्रित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) क्रियान्वयन एजेंसियाँ विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन/आर एंड एम कार्य के लिए प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के आधार पर जापानी एजेंसियों/विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करती हैं। केन्द्र शासित सेक्टरों के बारे में सूचना निम्नानुसार है:

एनटीपीसी ने सीपैट एसटीपीसी चरण-1 (3×660 मे.वा.) के लिए किटिकले टेक्नोलॉजी के निमित्त मैसर्स इलेक्ट्रिक विद्युत विकास निगम लिमिटेड (ईपीडीसी), टोक्यो, जापान को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। एनएचपीसी ने मेसर्स निप्पन कोई कम्पनी लिमिटेड, जापान के साथ संयुक्त उपक्रम मेसर्स इलेक्ट्रोवाट इंजीनियरिंग लिमिटेड, स्वीटजरलैंड को धौलीगंगा एचई परियोजना चरण-1 (280 मे.वा.) के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। बीबीएमबी मेसर्स हिटाची इंडिया लिमिटेड के माध्यम से भाखड़ा लेफ्ट बैंक पावर हाउस तथा गंगावल एवं कोटा बिजली घरों के मशीन/उपकरणों के नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के प्रस्ताव की जांच कर रही है।

राज्य क्षेत्र के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

एस.टी.डी./आई.एस.डी. कॉलों का दुरुपयोग

497. श्री किरीट सोमैया: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों की मिलीभगत से एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथों तथा कुछ कार्यशालाओं को नि:शुल्क एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा दे दी थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में थाणे जिले के बोइसर टेलीफोन केन्द्र के अधिकारियों और चार अन्य व्यक्तियों को एस.टी.डी./आई.एस.डी. काल के घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किया गया है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप दूरसंचार विभाग को कुल कितना नुकसान हुआ; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) तथा (ख) देश के विभिन्न भागों में एसटीडी/आईएसडी सुविधाओं के दुरुपयोग की घटनाओं का पता चला है। ऐसे मामलों में यदि कोई विभागीय अधिकारी लिप्त होता है तो उसकी शीघ्र जांच की जाती है और उस पर उचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) थाणे जिले में बॉयसर (तारापुर) में किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है।

(घ) और (ङ) जांच सीबीआई को सौंपी गयी है तथापि, ऐसे मामलों में हानि को आंकना कठिन है। चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और दो सुरक्षागार्डों को सेवा से हटा दिया गया है।

राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन

498. **श्री अनंत गंगाराम गीते:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा हाल की हड़ताल के मद्देनजर विद्युत क्षेत्र पर पुनर्विचार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई विद्युत हड़ताल ने देश का ध्यान विद्युत क्षेत्र में सुधारों की गति को तेज करने की ओर आकृष्ट किया है।

उत्तर प्रदेश में हड़ताल की अवधि के दौरान अपेक्षित विद्युत आपूर्ति बनाये रखने में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग दिया।

भारत सरकार सुधार लागू करने वाले राज्यों को पूरा समर्थन दे रही है क्योंकि उसका विश्वास है कि अब विद्युत क्षेत्र में सुधार अनिवार्य हो गया है। सुधारों को शीघ्रता से लागू न करने पर विद्युत आपूर्ति की वर्तमान गुणवत्ता को बनाए रखना भी मुश्किल होगा।

नवलोडाई जलाशय योजना को मंजूरी

499. **श्री पी. कुमारासामी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में पालनी वी.के. डिंडिगुल जिले में करुमलाई के निकट आंदिउपथ ग्राम में "नवलोडाई जलाशय योजना" सरकार के पास काफी समय से मंजूरी के लिए लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सिंचाई योजना इस क्षेत्र में लगभग 1000 एकड़ भूमि की जुताई तथा पेयजल की भारी समस्या के समाधान के लिए अत्यंत आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कारण पर्यावरण संबंधी मंजूरी पर सहानुभूतिपूर्वक तथा शीघ्र विचार किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (घ) पर्यावरण मंजूरी के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पोतों/जहाजों की प्राप्ति हेतु प्रस्ताव

500. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम के पोत/जहाज पुराने पड़ गए हैं;

(ख) क्या भारतीय नौवहन निगम ने अधिक जहाजों की प्राप्ति/खरीददारी हेतु प्रस्ताव रखा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये प्रस्ताव चार वर्षों से मंत्रालय के पास लंबित पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार से मंजूरी नहीं मिलने के कारण भारतीय नौवहन निगम द्वारा बार-बार निविदाएं आमंत्रित करनी पड़ी थीं;

(छ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप अब तक लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ज) क्या सरकार सार्वजनिक राजकोष के घाटों और इस विलम्ब के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करेगी;

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ञ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिल जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं। भा.नौ.नि. के बेड़े की औसत आयु लगभग 15 वर्ष है।

(ख) जी हां।

(ग) 7 जलयानों अर्थात् 4 एफ्रामेक्स टैंकरों और 3 एल आर-II क्रूड आयल टैंकरों की खरीद के लिए भारतीय नौवहन निगम लि. के 2 प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी नहीं। तथापि, सर्वाधिक प्रतियोगी और लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से जनवरी, 2000 में भा.नौ.नि. से कहा गया कि वह तकनीकी अर्हक के रूप में चयनित सभी चारों शिपयार्डों को पहले ही दिए गए विनिर्देशों के आधार पर एफ्रामेक्स टैंकरों के लिए नए सिरे से अपनी वाणिज्यिक निविदाएं देने के लिए कहे।

(छ) संशोधित निविदाओं के आधार पर मूल्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

(ञ) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। तथापि शीघ्र से शीघ्र निवेश निर्णय लेने के प्रयास किये जा रहे हैं।

पंजीकृत पत्रों का गुम होना

501. डा. संजय पासवान: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जनवरी, 2000 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "पी एंड टी साइलंस आन मिसिंग रजिस्टर्ड लेटर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष डाक विभाग को प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इन मामलों में देश की कई उपभोक्ता अदालतों ने डाक विभाग को अभियोजित किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उपभोक्ता अदालतों के निर्देशों के अनुसार डाक विभाग द्वारा शिकायतकर्ताओं को दण्ड स्वरूप कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा डाक विभाग के कार्यकरण में सुधार लाने, विशेषरूप से पंजीकृत पत्रों/पार्सलों/मनीआर्डरों और अन्य के मामले में जिनके लिए डाक विभाग साधारण डाक की तुलना में अतिरिक्त शुल्क की वसूली करता है के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	सभी श्रेणियों के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	निम्न श्रेणियों के बारे में शिकायतें	
		पंजीकृत पत्र	मनीआर्डर
1996-97	7,12,718	2,47,163	2,94,636
1997-98	7,74,021	2,63,806	3,33,966
1998-99	8,13,063	2,58,783	3,86,091

(ग) पंजीकृत वस्तुओं का वितरण न होने/उन्हें क्षति होने तथा मनीआर्डरों का भुगतान न होने के लिए कुछ उपभोक्ता अदालतों ने ग्राहकों को प्रतिपूर्ति प्रदान करने का निर्णय दिया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अदा की गई प्रतिपूर्ति की राशि निम्नानुसार है-

वर्ष	अदा की गई प्रतिपूर्ति की राशि
1996-97	1,80,284.20 रुपये
1997-98	2,26,653.60 रुपये
1998-99	4,65,834.20 रुपये

(ङ) डाक सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) पंजीकृत वस्तुओं के पारेषण/वितरण की मॉनीटरिंग करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना कार्यान्वयनाधीन है;

(2) आकस्मिक विजिटों तथा ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए सर्किल जांच दल बनाए गए हैं;

(3) दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है;

(4) वित्तीय संस्थानों तथा हमारी सेवाओं को बड़ी मात्रा में प्रयोग करने वाले ग्राहकों के साथ नजदीकी संपर्क स्थापित किया जाता है;

(5) विलंब में कमी लाने तथा अधिक सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मनीआर्डरों का वी-सैट के जरिए प्रेषण प्रारंभ किया गया है;

(6) नकदी की ढुलाई के लिए निर्धारित सीमा की आवधिक पुनरीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मनीआर्डरों के भुगतान के लिए नकदी उपलब्ध है;

(7) डाक सेवाओं से संबंधित लोक शिकायतों की सूक्ष्म मॉनीटरिंग के लिए प्रत्येक सर्किल में एक वरिष्ठ अधिकारी नामित किया गया है;

(8) लेखायोग्य वस्तुओं के लेन-देन में अधिक सटीकता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण छंटाई केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं;

(9) ग्राहकों की शिकायत दर्ज कराने के सही तरीके के बारे में शिक्षित करने के लिए फील्ड यूनिटों को अनुदेश जारी किये गये हैं ताकि उन शिकायतों के तेजी से निपटान में सुविधा मिल सके;

(10) शिकायतों के त्वरित निपटान तथा प्रणाली के दोषों में सुधार के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाये जाते हैं;

(11) लोक शिकायतों के अधिक उत्तरदायी ढंग से निपटान के लिए 127 महत्वपूर्ण स्थानों पर कम्प्यूटरीकृत उपभोक्ता सुविधा केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

निजी बुनियादी दूरसंचार आपरेटरों द्वारा ग्राम-सार्वजनिक टेलीफोनों का प्रचालन

502. श्री चन्द्रकान्त खैरे: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी बुनियादी दूरसंचार आपरेटर समयबद्ध ढंग से ग्राम-सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपना वचन पूरा किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन निजी बुनियादी दूरसंचार आपरेटरों से उनकी प्रतिबद्धता पूरी करने हेतु जोर देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) छ: लाइसेंस धारकों में से केवल तीन ही टेलीफोन सेवाओं को, वह भी शहरी क्षेत्रों में आरंभ करने में समर्थ हुए हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण-सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने हेतु अपने वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत लंबी समय सीमा को आवश्यक बताया है।

(घ) विभाग तथा टी.आर.ए.आई. ने बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालकों को, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने में उनके संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए कई बार कहा है। उनमें, प्राप्त नहीं किये जा सके लक्ष्यों के बैकलॉग को निपटाने के लिए एक निश्चित समयबद्ध तिमाही-वार रोल आउट योजना प्रस्तुत करने तथा उसका पालन करने पर बात की गई है तथा ऐसा करने पर बल दिया गया है। उन्हें यह भी सूचित किया गया है कि न तो उनकी निष्पादन वचनबद्धताएं कम की जाएंगी तथा न ही उन्हें उनके द्वारा हस्ताक्षरित की ऐसी वचनबद्ध बाध्यताओं से छुटकारा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

503. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री रमेश चेन्निथला:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के महानगरों और ग्रामीण क्षेत्रों के टेलीफोन-कनेक्शन जारी करने और लगाने के लिए वर्तमान मानदण्ड क्या हैं;

(ख) उड़ीसा और केरल के विशेषकर आलपुझा और पाथनमथिट्टा जिलों और कर्नाटक में हासन जिले की तहसीलों में दूरभाष-कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-सूची में राज्यवार और तहसीलवार अलग-अलग कितने लोगों के नाम हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों और पूर्वोत्तर जिलों में जिला-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए;

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने दूरभाष-कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त राज्यों और जिलों में टेलीफोन-कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-सूची का निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) मौजूदा मानकों के अनुसार महानगरों एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ओ बी जारी होने के 15 दिनों के अन्दर तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने पर टेलीफोन कनेक्शन संस्थापित कर दिया जाना चाहिए।

(ख) उड़ीसा एवं केरल सर्किलों विशेषकर अलपुझा तथा पानमथिट्टा जिलों (केरल राज्य) तथा हासन जिले के तालुकों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए टेलीफोन कनैक्शनों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाने की प्रस्तावित संख्या निम्नवत है:

1. उड़ीसा सर्किल – 87,000
2. केरल सर्किल – लगभग 3.5 लाख कनेक्शन
3. कर्नाटक सर्किल (हासन जिलों सहित) – 3,00,000

(ङ) नए एक्सचेंजों की संस्थापना करने, एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करके, ज्यादा भूमिगत केबलें बिछाकर तथा डब्ल्यू एल प्रणाली का काफी उपयोग करके टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण I

उड़ीसा और केरल के जिलों तथा जिला हसन के तालुकों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	जिले/तालुक का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
	उड़ीसा सर्किल:	
1.	अंगुल	86
2.	बोलासोर	2999
3.	बारगढ़	1012
4.	भद्रक	3614
5.	बोलनगीर	554
6.	बौध	17
7.	कटक	5369
8.	देवगढ़	80
9.	धेनकनाल	3998
10.	गजपती	58
11.	गंजम	1562
12.	जगतसिंहपुर	96
13.	जाजपुर	1007
14.	झारसुगुडा	640
15.	कलाहंडी	1543
16.	केन्द्रपाडा	701
17.	क्योंझर	596
18.	खुर्द	11435
19.	कोरापुट	3020
20.	मलकानगीर	163
21.	मयूरभंज	824
22.	नयागढ़	137
23.	नौपाड़ा	146

1	2	3
24.	नवरंगपुर	535
25.	फुलबनी	195
26.	पुरी	2357
27.	रायगढ़	487
28.	सम्बलपुर	3567
29.	सोनपुर	113
30.	सुंदरगढ़	7908
31.1.2000 की स्थिति के अनुसार कुल प्रतीक्षासूची		54,889
केरल सर्किल:		
1.	त्रिवेन्द्रम	5317
2.	क्वीलोन	60900
3.	पथनमथिट्टा	36200
4.	अलपुजहा	49965
5.	कोट्टयम	41435
6.	एर्नाकुलम	44769
7.	इडुक्की	27799
8.	त्रिचुर	61286
9.	पालघाट	44220
10.	मालापुरम	1080
11.	कालीकट	68525
12.	वायनाड	20025
13.	कन्नानोर	62883
14.	कसारगोड	32630
15.	लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र	133
16.	माहे के संघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी	1621
केरल सर्किल का योग-686677		
जिला हसन:		
1.	अलर	488
2.	अरकलगुड	1139
3.	आरासिंकेरे	1209
4.	बेलूर	1331
5.	चन्नारयापटन	2077
6.	हसन	3735
7.	होलेनारसीपुरा	1151
8.	सकलेशपुरा	1309
31.1.2000 की स्थिति के अनुसार कुल प्रतीक्षा सूची-12439		

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों के ब्यौरे

क्र.सं.	जिले का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
उड़ीसा सर्किल				
1.	अंगुल	934	1468	1696
2.	बलसोर	1500	2282	3787
3.	बारगढ़	745	968	921

1	2	3	4	5
4.	भद्रक	903	1592	1740
5.	बोलनगीर	342	1207	904
6.	बौध	612	768	524
7.	कटक	2191	7664	7951
8.	देवगढ़	161	731	697
9.	धेनकनाल	1005	2895	3779
10.	गजपती	508	807	622
11.	गंजम	1912	6692	3915
12.	जगतसिंहपुर	808	1365	1269
13.	जाजपुर	714	1202	1186
14.	झारसुगड़ा	836	1057	950
15.	कालाहांडी	656	860	784
16.	केन्द्रपाड़ा	903	1091	904
17.	क्योंझर	832	1126	1269
18.	खुर्द	5520	12506	13695
19.	कोरापुट	804	1543	2107
20.	मलकानागिरी	197	368	686
21.	मयूरभंज	1008	1855	1738
22.	नयागढ़	914	963	1009
23.	नौपाड़ा	244	340	126
24.	नवरंगपुर	206	514	857
25.	फुलबनी	865	992	866
26.	पुरी	1232	2433	2437
27.	रायगढ़	387	872	1053
28.	सम्बलपुर	1405	4072	4197
29.	सोनपुर	698	780	606
30.	सुंदरगढ़	2963	6165	5900
	कुल	32505	67178	68175

1	2	3	4	5
केरल सर्किल				
1.	त्रिवेन्द्रम	19521	30135	36163
2.	क्वीलोन	13806	14617	19287
3.	पथनामथिट्टा	11000	15511	21174
4.	अलपुजहा	13618	15662	20018
5.	कोट्टायम	13084	17012	23513
6.	एर्नाकुलम	28698	32010	37392
7.	इडुकी	3873	4860	6226
8.	त्रिचूर	21373	30675	31128
9.	पालघाट	7801	11001	13217
10.	मालपपुरम	9257	15384	12253
11.	कालीकट	14792	14314	18324
12.	वायनाड	2030	3189	3601
13.	कन्नानोर	10388	16691	15548
14.	कसारगोड	3550	7296	9366
15.	लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र	627	1320	1524
16.	माहे के संघ राज्य क्षेत्र (पांडिचेरी)	77	333	2331
	कुल	172775	230010	271065
जिला हसन				
1.	हसन	5568	7606	8532

[हिन्दी]

बाई-पास और उपरि-पुलों का निर्माण

504. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के ग्रामीण लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा मुम्बई-पुणे एक्सप्रेस राजमार्ग और मुम्बई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितने बाई-पास और उपरि-पुल बनाए जाने की संभावना है;

(ख) योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त एक्सप्रेस राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) मुंबई-पुणे एक्सप्रेस मार्ग एक राज्यीय परियोजना है जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार ही जिम्मेदार है। जहां तक महाराष्ट्र

में मुंबई से महाराष्ट्र/गोवा सीमा तक रा.रा.सं.17 का संबध है, इस समय बाइपास अथवा उपरिपुल के निर्माण के लिए कोई परियोजना नहीं चल रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बंदरगाहों की कार्यकुशलता

505. श्री नवल किशोर राय: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बंदरगाहों की कार्यकुशलता बढ़ाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या जलयानों से माल उतारने और लादने में अत्यधिक समय लगता है;

(ग) यदि हां, तो भिन्न-भिन्न लदान क्षमता वाले जलयानों से माल को उतारने और लादने में लगने वाले औसतन समय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्य विकसित देशों के बंदरगाहों से माल को लादने और उतारने में लगने वाले समय की अपेक्षा औसतन कितना अधिक समय लिया जाता है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। पत्तनों में माल के लदान और उतराई की दर उपलब्ध उपकरणों और श्रम उत्पादकता के अनुरूप है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय महापत्तनों में जलयानों के औसत टर्न राउंड समय में कमी का रुख दिखाई दिया है और प्रति पोत बर्थ दिन के उत्पादन में वृद्धि का रुख दिखाई दिया है जैसा नीचे देखा जा सकता है-

	औसत टर्न राउंड समय (दिन)	प्रति पोत बर्थ दिन उत्पादन (टन)
1996-97	7.5	4497
1997-98	6.6	4634
1998-99	5.9	4915

(घ) विकसित देशों में पत्तनों के यंत्रीकरण और प्रबंधन प्रथाओं के स्तर भारतीय पत्तनों के वर्तमान स्तरों से भिन्न है। इसलिए भारतीय पत्तनों की अन्य देशों की पत्तनों से तुलना करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

विद्युत वित्त निगम द्वारा वित्त पोषण

506. श्री सुबोध मोहिते: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत निगम ने पारेषण और वितरण कार्य के लिए उन राज्यों को वित्त प्रदान करने का प्रस्ताव किया है जिन्होंने विद्युत क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया आरंभ की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव द्वारा कौन-कौन से राज्य लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) निधि के लिए विद्युत वित्त निगम के समक्ष राज्यवार लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) पावरफाइनैन्स कारपोरेशन अपनी सामान्य कार्यप्रणाली के अनुसार पारेषण एवं वितरण संबंधी कार्यों के लिए सभी राज्यों को चाहे उन्होंने तत्संबंधी सुधार कार्य शुरू किया हो या अन्यथा, निधियां मुहैया कराता है। हालांकि विद्युत क्षेत्र के सुधार/पुनर्गठन के लिए प्रतिबद्ध राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में पीएफसी एक्सपोजर मानदंडों सहित कुछ अन्य शर्तों में छूट देता है।

(ख) पीएफसी द्वारा विभिन्न राज्यों में पारेषण एवं वितरण कार्यों के लिए किए गए कुल संचयी संवितरण का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पीएफसी के समक्ष लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

31 जनवरी, 2000 तक ऋणी-वार संचयी संवितरण

क्र.सं.	ऋणी का नाम	पारेषण	यू.डी.	शंट कैपेसिटी
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा सरकार			

1	2	3	4	5
3.	एसवीपीएनएल	2351.16	1602.39	689.27
4.	एचपीएसईबी	2418.88	242	390.52
5.	पीएसईबी	6057.84	1221.81	3200
6.	राजस्थान सरकार	0.00	0.00	—
7.	आरएसईबी	25097.14	23989.54	3905.87
8.	यूपीएसईबी	20723.33	3829.32	3491.59
9.	गोवा सरकार	519.05	0	—
10.	जीईबी	25556.84	1491.83	2429.50
11.	एमपीईबी	38068.15	9586.40	2968.97
12.	एमएसईबी	93044.37	12564.15	5078.61
13.	बीएसईबी	0.00	4750	—
14.	अपट्रास्को	53119.89	19481.24	4326.08
15.	केपीटीसीएल	47008.15	24201.12	2658.76
16.	केपीसीएल	0.00	8105.26	—
17.	केएसईबी	6994.32	0	148.32
18.	टीएनईबी	32966.00	10272.28	6566.46
19.	बीएसईबी	0.00	281.51	—
20.	बीएसएचपीसीएल	407.00	0	—
21.	ओएसईबी	1029.93	0	382.42
22.	ग्रिडको	24089.70	8258.57	7.88
23.	सिक्किम पीडीडी	0.00	0	—
24.	डब्ल्यूबीएसईबी	2549.74	0	—
25.	अरुणाचल पीडीडी	0.00	0	—
26.	असम एसईबी	0.00	0	—
27.	मणिपुर पी.डी.डी.	405.00	0	—
28.	मिजोरम पी.डी.डी.	2456.00	0	—
29.	नागालैंड पी.डी.डी.	2583.33	345.90	—
30.	त्रिपुरा पी.डी.डी.	0.00	0	—
		390699.40	131277.71	38094.45

विवरण II

(सभी राशियां करोड़रुपये में)

आरएनजी सं.	क्र. सं.	राज्य/ऋणी	स्कीम का प्रकार	परियोजना की लागत	आवेदित धनराशि	स्थिति
1	1	यूपीएसईबी	एस.आई.	28.00	22.40	कार्यसूची नोट अनुमोदित। स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया है।
2	1	एचपीएसईबी	पारेषण	1.83	1.28	कार्य सूची नोट अनुमोदनाधीन है।
3	1	एएसईबी	पारेषण	15.45	10.82	कार्य सूची नोट अनुमोदनाधीन है।
4	1	नागालैंड	पारेषण	10.11	6.10	ईआईआरआर 12% वापिस किया जा रहा है।
5	1	डब्ल्यूबीएसईबी	यू.डी.	36.00	30.00	कार्य सूची नोट अनुमोदनाधीन है।
6	1	जीईबी	पारेषण	73.50	58.00	अतिरिक्त सूचना के लिए 21.1.2000 को अनुरोध किया गया।
7	2		पारेषण	15.30	12.00	अतिक्ति सूचना के लिए 21.1.2000 को अनुरोध किया गया है।
8	3		एस.आई.	48.90	38.00	अतिरिक्त सूचना के लिए 21.1.2000 को अनुरोध किया गया है।
9	4		पारेषण	13.65	10.00	अतिरिक्त सूचना के लिए 21.1.2000 को अनुरोध किया गया है।
		जीईबी का उप जोड़		151.35	118.00	
10.	1	एपीट्रांसको	पारेषण	15.40	10.80	मूल्यांकन नोट तैयार किया जा रहा है।
11	2		पारेषण	10.00	7.00	मूल्यांकन नोट तैयार किया जा रहा है।
12	3		पारेषण	15.70	11.00	मूल्यांकन नोट तैयार किया जा रहा है।
		एपीट्रांसको का उप जोड़		41.10	28.80	
13	1	केपीटीसीएल	पारेषण	30.86	21.60	अतिरिक्त सूचना प्रतीक्षित है।
14	2	केपीटीसीएल	पारेषण	12.90	9.03	अतिरिक्त सूचना प्रतीक्षित है।
15	3		पारेषण	9.05	6.33	अतिरिक्त सूचना प्रतीक्षित है।
16.	4		एस.आई.	153.72	123.00	कार्य सूची नोट अनुमोदनाधीन है।
		केपीटीसीएल का उप जोड़-		206.53	159.96	
17	1	टीएनईबी	यू.डी.	4.86	3.40	मूल्यांकन नोट तैयार किया जा रहा है।
18	2		यू.डी.	3.65	2.55	मूल्यांकन नोट तैयार किया जा रहा है।
19	3		यू.डी.	3.47	2.40	मूल्यांकन नोट तैयार किया जा रहा है।
20	4		पारेषण	112.10	78.00	अतिरिक्त सूचना प्रतीक्षित है।
		टीएनईबी का उप जोड़		124.08	86.35	

जवाहरलाल नेहरू पत्तन का बड़े पत्तन के रूप में विकास

507. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जवाहर लाल नेहरू पत्तन को कम उत्पादकता और जहाज खड़ा करने की जगह में कमी पर काबू पाने में समर्थ बनाने हेतु इसे बड़े पत्तन के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में चर्चा की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो इस मामले को अब तक प्राथमिकता न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) पत्तन को विकसित करने का अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) से (ङ) निर्यात संवर्धन बोर्ड ने जवाहर लाल नहेरू पत्तन (जे.एन.पी.) को पश्चिमी तट पर एक केन्द्र पत्तन के रूप में विकसित करने की सिफारिश की है। एक केन्द्र पत्तन बनाने के लिए पूर्व-अर्हताओं में अन्य बातों के साथ-साथ अधिक डुबाव के चैनल और हार्बर, पर्याप्त कार्गो एकत्र करना, परिष्कृत कार्गो हैंडलिंग उपस्कर, पर्याप्त स्टेकिंग क्षेत्र के साथ-साथ मुख्य लाइनों के पोतों को आकर्षित करने के लिए उद्यमशील विपणन शामिल है। इसके लिए एक कदम के रूप में जवाहर लाल नेहरू पत्तन के चैनल को गहरा करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

यात्री और कार्गो जहाजरानी सेवाएं

508. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तूतीकोरीन, तमिलनाडु और कोलम्बो के बीच यात्री और कार्गो जहाजरानी सेवाएं आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ऐसी जहाजरानी सेवाओं को क्या सरकार तटरक्षक अथवा नौसैनिक सुरक्षा प्रदान करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मिट्टी के तेल का उत्पादन

509. **श्रीमती निवेदिता माने:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल समन्वय समिति ने मिट्टी के तेल के अनिवार्य-उत्पादन के लिए तेलशोधक कम्पनियों का निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार, अपने आयात-विधेयक को निर्बन्धित करने का प्रस्ताव कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में डीजल और मिट्टी के तेल के बीच कीमत का अन्तर कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) डीजल का अनुमान अधिशेष देखते हुए तथा वर्तमान वर्ष 1999-2000 के दौरान निर्यात क्षतियां रोकने के लिए सभी रिफाइनरियां स्वैच्छिक रूप से सितम्बर 1999 से मार्च 2000 की अवधि के दौरान क्रूड थ्रुपुट के सात प्रतिशत की दर पर मिट्टी तेल का उत्पादन करने पर सहमत हो गई।

(ग) और (घ) मिट्टी तेल जैसे कमी वाले उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि से आयात बिल में कमी होगी। 1999-2000 के संशोधित अनुमान के अनुसार कुल आयात बिल 57,976 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ङ) पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में डीजल तथा मिट्टी तेल के बीच मूल्य अन्तर निम्नानुसार है:

प्रति लीटर मूल्य (रुपए में)

	एच एस डी	एस के ओ	अन्तर
भारत (दिल्ली)	14.04	2.67	11.37
बंगलादेश	11.04	11.04	-
पाकिस्तान	9.67	9.46	0.21

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्युत संयंत्र की स्थिति

510. श्री राजनारायण पासी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 दिसम्बर, 1999 के "दैनिक जागरण" में, "सबसे पुराना इन्द्रप्रस्थ भी अब मृतप्राय: है," शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या देश के अन्य राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के विद्युत संयंत्रों की लगभग यही स्थिति है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार कितनी निधि जारी की गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन्द्रप्रस्थ विद्युत स्टेशन, दिल्ली विद्युत बोर्ड में पाँच उत्पादन यूनिटे हैं। प्रथम यूनिट (36.6 मेगावाट) 1963 में स्थापित की गई थी और गैर-किफायती प्रचालन तथा अपेक्षित गुणवत्ता के कोयले की अनुपलब्धता के कारण जुलाई, 1995 में इस यूनिट का उत्पादन ठप्प हो गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस यूनिट को चरणबद्ध ढंग से आरंभ करने का निर्णय किया गया है। यूनिटें 2, 3 तथा 4 सन् 1960 में स्थापित की गई थी तथा यूनिट-5 1971 में स्थापित की गई थी। चूँकि इस यूनिटों का लाभप्रद जीवन पूरा हो चुका है, अतएव अवशिष्ट जीवन मूल्यांकन अध्ययन के पश्चात् इनका नवीकरण व आधुनिकीकरण करने का निर्णय किया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को यूनिटों 2, 3, 4 तथा 5 के आर एंड एम कार्यकलापों की इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य सौंपा गया है।

वर्ष	रुपये (करोड़ में)
1997-98	9
1998-99	7
1999-2000 (फरवरी, 2000 तक)	10

(घ) और (ङ) अन्य राज्यों से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त थर्मल यूनिटों की स्थायी बंदी के लिए प्रस्ताव के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विद्युत घर का नाम	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मे.वा.)
1.	इन्द्रप्रस्थ स्टेशन	दिल्ली	1	36.6
2.	ध्रुव जीटी	गुजरात	1	27
3.	उतरान	गुजरात	4, 5 और 6	13 प्रत्येक
4.	ए.ई.सी.ओ. (सी-1)	गुजरात	11, 12, 13 और 14	9 प्रत्येक
5.	पनकी टीपीएस	उत्तर प्रदेश	1	32

इस समय लगभग 59,000 मेगावाट की कुल तापीय क्षमता में से लगभग 1100 मेगावाट (20%) क्षमता वाली 117 यूनिटों ने पहले से ही 20 वर्ष से अधिक का समय पूरा कर लिया है और इनमें से 50% स्टेशनों का निष्पादन 45% पीएलएफ से कम है। ये यूनिटें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। 25 वर्ष के उपयोगी जीवन के बावजूद व्यापक आर एंड एम तथा जीवन विस्तार कार्यों के जरिए इन यूनिटों का समय 15-20 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, हरदुआगंज, ओबरा, पनकी थर्मल पावर स्टेशनों को विभिन्न यूनिटों को व्यापक आर एंड एम की जरूरत है।

(च) 31.12.99 तक आर एंड एम फेज-2 में शामिल थर्मल स्टेशनों के बारे में आर एंड एम कार्यों पर राज्यवार संचयी व्यय निम्नानुसार है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल व्यय (करोड़ रु. में)
1.	हरियाणा	27.84
2.	पंजाब	29.38
3.	राजस्थान	30.02
4.	उत्तर प्रदेश	46.69
5.	मध्य प्रदेश	133.04
6.	गुजरात	59.93
7.	महाराष्ट्र	179.63
8.	तमिलनाडु	43.88
9.	आंद्र प्रदेश	159.67
10.	पश्चिम बंगाल	46.76
11.	बिहार	45.70
12.	असम	47.43

जामनगर, गुजरात में पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेन्सियों का आबंटन

511. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999 में और 29 फरवरी, 2000 तक गुजरात में जामनगर शहर और जामनगर जिले में कितने पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेन्सियों का आबंटन किया गया;

(ख) वर्ष 1998, 1999 के दौरान और 29 फरवरी, 2000 तक रसोई गैस एजेन्सियों और पेट्रोल पम्प आबंटन के लिए प्राप्त आवेदनों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) आबंटन कब तक कर दिया जाएगा; और

(घ) जिला जामनगर, गुजरात में 2000 और 2001 के दौरान कितने पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेन्सियां आबंटित किये जायेंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्ष 1999 के दौरान तथा आज की तारीख तक गुजरात के जामनगर शहर व जामनगर जिले में कोई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप आबंटित नहीं की गई।

(ख) तेल कम्पनियों ने वर्ष 1998, 1999 के दौरान तथा आज की तारीख तक जामनगर शहर तथा जामनगर जिले में 6 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए विज्ञापन दिए हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल चयन प्रक्रिया आस्थगित रखी गई है क्योंकि डीलर चयन बोर्ड भंग कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

राज्य सरकार-कम्पनियों द्वारा लेखा पेश करना

512. श्री सी.के. जाफर शरीफ: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी कितनी राज्य सरकार-कंपनियां हैं जिन्होंने 31 मार्च, 1998 तक ए.जी.सी.आर. को लेखा-परीक्षण हेतु लेखा प्रस्तुत नहीं किया; और

(ख) चूककर्ता कम्पनियों पर इस चूक की जिम्मेवारी तय करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और लेखा की भारी बकाया-राशि का भुगतान करवाने के लिए क्या विधिक कार्यवाही की गई है साथ ही इस दिशा में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल कम्पनियों की स्वरोजगार योजना

513. श्री के.ए. सांगतम: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल कम्पनियों ने स्वयं के लिए प्रधानमंत्री स्व-रोजगार योजना को लागू करने के लिए विभिन्न वर्गों को आरक्षण देने संबंधी विपणन योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्रियान्वयन के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में अलग-अलग विशेषकर नागालैण्ड और राज्य के ब्लाक मुख्यालयों में, इस प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई एजेंसियों की संख्या क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) तेल कम्पनियों की प्रधानमंत्री की स्व रोजगार योजना के अंतर्गत 5782 खुदरा मिट्टी तेल की डीलरशिप, देश के प्रत्येक विकास ब्लाक में एक, स्थापित करने के लिए सरकार ने विपणन योजना को स्वीकृति दे दी है। तेल कम्पनियों ने 4500 से अधिक डीलरशिपें विज्ञापित कर दी हैं। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण निम्न प्रकार हैं:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	–	25 प्रतिशत
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	–	6 प्रतिशत
रक्षा कार्मिक	–	8 प्रतिशत
अर्द्ध सैनिक पुलिस, सरकारी कार्मिक	–	8 प्रतिशत
उत्कृष्ट खिलाड़ी	–	3 प्रतिशत
सामान्य श्रेणी	–	50 प्रतिशत

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलावा, सभी अन्य वर्गों में 27 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रहेगा।

उपर्युक्त सभी वर्गों में डीलरशिप का 33 प्रतिशत उन वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

देश के लिए 5782 डीलरशिप में से नागालैण्ड में विभिन्न विकास ब्लाकों के लिए 28 डीलरशिप चिन्हित किये गये हैं।

बिहार के रांची में रसोई गैस एजेंसियां

514. **श्री रामटहल चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) बिहार के रांची जिले में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां रसोई गैस एजेंसियां स्थापित की गयी हैं और वे कब से चल रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन एजेंसियों को रसोई गैस के कितने अतिरिक्त कनेक्शन दिये गये;

(ग) उक्त अवधि के दौरान नये कनेक्शन के लिए इन एजेंसियों में कितने लोग पंजीकृत किये गये; और

(घ) जिले में एजेंसीवार कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं और जारी किये गये अतिरिक्त कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) फिलहाल बिहार के रांची जिले में 21 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालनरत हैं। ये 1967 के बाद से स्थापित की गई थीं।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के 1997-98, 1998-99 और 1999 के दौरान तथा आज की तारीख तक बिहार के रांची जिले में 29800 कनेक्शन जारी किये गये।

फिलहाल बिहार के रांची जिले में 40912 एल पी जी कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं

515. **श्री बृजलाल खाबरी:**
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र की कितनी विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं और उनमें राज्यवार और परियोजना-वार कितनी लागत आई;

(ख) कितनी विद्युत परियोजनाएं बंद पड़ी हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कब तक कार्य शुरू किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) समझौता ज्ञापन एवं आशय-पत्र आदि के आधार पर (जिसकी लागत 100 करोड़ रुपये से भी अधिक है) सरकार द्वारा मॉनीटर की जा रही निम्नलिखित निजी विद्युत परियोजनाएं, जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति भी मिल चुकी है, स्थापित कर दी गई है एवं इन्होंने विद्युत उत्पादन कार्य

शुरू कर दिया है:

क्र.सं.	परियोजना/स्थल का नाम	क्षमता (मे.वा.)	लागत (के.वि.प्रा. द्वारा दी गई तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के अनुसार
गुजरात			
1.	हजीरा संयुक्त साइकिल गैस टरबाईन	515	228.35 मिलियन अमरीकी डालर+ 7708.70 करोड़ (1 अमरीकी डॉलर - 31.50 रु.
2.	बड़ौदा संयुक्त साइकिल गैस टरबाईन	167	19.56 मिलियन अमरीकी डॉलर+ 3026.94 करोड़ (1 अमरीकी डॉलर - 33.50 रुपये)
3.	पगुथन संयुक्त साइकिल गैस टरबाईन	654.7	2298 करोड़ रुपये
4.	सूरत लिग्नाइट ताप विद्युत परियोजना	250	44.538 मिलियन अमरीकी डॉलर+ 4.92 डीईएम 9999.90 करोड़ रुपये (1 अमरीकी डालर - 35.00 रुपये)
महाराष्ट्र			
5.	डाभोल चरण-1 सीसीजीटी	740	2828.524 मिलियन अमरीकी डालर (1 अमरीकी डॉलर - 32.00 रुपये) (चरण-1 एवं 2 की लागत)
आंध्र प्रदेश			
6.	जेगरुपाडु संयुक्त साइकिल गैस टरबाईन	216	827 करोड़ रुपये
7.	गोदावरी संयुक्त साइकिल गैस टरबाईन	208	748.43 करोड़ रुपये
कर्नाटक			
8.	तोरांगल्लू ताप विद्युत परियोजना	260	106.87 मिलियन अमरीकी डॉलर+ 3289.90 करोड़ रुपये (1 अमरीकी डॉलर - 34.50 रुपये)
तमिलनाडु			
9.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी	200	125.82 मिलियन अमरीकी डॉलर+ 3289.90 करोड़ रुपये (1 अमरीकी डॉलर - 34.00 रुपये)

वर्तमान तिथि में 56 निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं, जिनमें उपर्युक्त परियोजनाएं भी शामिल हैं तथा जिनकी कुल क्षमता लगभग 28,849 मे.वा. है, को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है। तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करते समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण प्रत्येक विद्युत परियोजना के लिए वित्तीय समापन की तारीख से परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित करता है। पर इनमें से स्वीकृत कई परियोजनाएं निजी प्रवर्तकों के विभिन्न इनपुट/लिंकेजों को जोड़ने में असफल होने तथा वित्तीय समापन नहीं होने के कारण निर्धारित समय-सीमा में या तो पूरी नहीं हो सकी है या उनके पूरा होने में कठिनाईयां आ रही है।

[अनुवाद]

विभिन्न तेल कम्पनियों में लंबित रिक्तियां

516. श्री कड़िया मुण्डा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न तेल कम्पनियों/उपक्रमों यथा, इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, आई.बी.पी. कम्पनी लिमिटेड, ओ.एन.जी.सी., आयल इंडिया लिमिटेड, ई.आई.एल., लुब्रिझाल इंडिया लिमिटेड और गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के दिल्ली स्थित कार्यालयों में उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्देश के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षित कोटे में समूह ''डी'' के अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली ऐसी सभी रिक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जिन 9 कम्पनियों का प्रश्न में जिक्र किया गया है उनमें सिर्फ निम्नलिखित दो कम्पनियों में ग्रुप 'डी' पद पर रिक्तियां उपलब्ध हैं:

(1) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	–	9
(2) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	–	3

(ख) और (ग) सभी 12 रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा चालू/आने वाले भर्ती वर्ष में भरी जानी हैं।

कलकत्ता पत्तन न्यास को राजसहायता

517. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कलकत्ता पत्तन न्यास को तलकर्षण हेतु राजसहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नियमों और शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित शर्तों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाती है:

(1) नदी निकर्षण और अनुरक्षण से प्रत्यक्षत: संबंधित मदों की लागत और वर्ष 1992-93 और उसके बाद हल्दिया जाने वाली नौवहन चैनल के अनुरक्षण निकर्षण से प्रत्यक्षत: संबंधित मदों की लागत की 100% प्रतिपूर्ति बशर्ते हल्दिया चैनल के निकर्षण पर पूंजीगत व्यय संबंधी मूल्यह्रास सब्सिडी के लिए हकदार नहीं होगा।

(2) ''आन एकाउंट'' के रूप में व्यय की पूर्ति हेतु कलकत्ता पत्तन न्यास की सहायता करने के लिए पिछले वर्ष के दौरान सब्सिडी के लिए देय राशि के 90% तक का भुगतान अगले वर्ष के प्रारंभ में पत्तन को कर दिया जाता है।

(3) किश्तों के साथ सरकारी ऋणों की देय किश्तों का निकर्षण व्यय के लिए कलकत्ता पत्तन न्यास को दी जाने वाली राशि से समायोजन।

चालू वित्त वर्ष के दौरान कलकत्ता पत्तन न्यास को निकर्षण पर उसके द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 233.42 करोड़ रु. जारी किए गए।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के गोंडा में रसोई गैस एजेंसी के विरुद्ध शिकायतें

518. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के गौंडा जिले में मनकपुर स्थित रसोई गैस एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रसोई गैस कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची

519. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के मणिपुर एवं अन्य जिलों में रसोई गैस कनेक्शन के लिए पंजीकृत कितने व्यक्ति पांच वर्षों से भी ज्यादा समय से इसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों को रसोई गैस कनेक्शन न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में रसोई गैस कनेक्शनों को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एल पी जी कनेक्शन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के पास प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 0.63 लाख थी और मणिपुर राज्य में 0.07 लाख थी।

(ख) और (ग) नए एल पी जी कनेक्शन एल पी जी की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लेक तथा उनकी व्यवहार्यता के आधार पर पूरे देश में चरणबद्ध रूप से जारी किये जाते हैं। फिर भी, सरकार ने 1.12.1999 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कम्पनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास दर्ज सारी प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए वर्ष 2000 के दौरान 1 करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की योजना बनाई है।

[हिन्दी]

ट्रक आपरेटरों की हड़ताल

520. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी ट्रक ऑपरेटर अपनी मांगों के समर्थन में हाल ही में हड़ताल पर चले गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितना नुकसान हुआ था;

(ग) हड़ताल समाप्त कराने के लिए ट्रक मालिकों और सरकार के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सड़क परिवहन को उद्योग का दर्जा दिए जाने के बाद इसकी क्षमता किस सीमा तक बढ़ जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) ट्रक आपरेटर डीजल के मूल्यों में वृद्धि के खिलाफ हड़ताल पर चले गए।

(ख) घाटे की गणना नहीं की जा सकती।

(ग) समझौते के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) सड़क परिवहन को उद्योग का दर्जा देने से अनेक लाभ मिल सकेंगे जैसे कि:

(1) अवसंरचना विकास के तहत कम लागत पर धनराशि की उपलब्धता।

(2) प्रयुक्त (पुराने) वाहन के वित्तपोषण, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं आदि के लिए उचित दरों पर धनराशि की उपलब्धता।

(3) वित्तीय कंपनियों के लिए कर रियायत।

(4) परिवहन कंपनियों को कर प्रोत्साहन के साथ अवसंरचना बांड जारी करने के लिए समर्थ बनाना।

विवरण

सरकार और ट्रक आपरेटरों के बीच समझौता

(1) डीजल के मूल्यों का मुद्दा:

माननीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की स्थिति से संसद को अवगत करा दिया गया है।

(2) सड़क परिवहन को उद्योग के रूप में घोषणा:

माननीय मंत्री इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और इस संबंध में आवश्यक उपाय करने पर सहमत हुए हैं।

(3) 11 अक्तूबर, 1999 की अधिसूचना को वापस लेना:

माननीय मंत्री ने इस अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है और संशोधन को वापस लेने का प्रस्ताव है।

(4) पथकर की वसूली :

जैसा कि माननीय मंत्री ने स्पष्ट किया है, वसूल किये जाने वाले पथकर की मात्रा की समीक्षा की संभावना की विस्तृत जांच की जानी चाहिए। यह कार्य सभी संबंधित पक्षों से अपेक्षित जानकारी एकत्र करने के पश्चात् एक समिति द्वारा किया जाएगा।

(5) न्यूनतम भाड़ा दरों का निर्धारण:

जैसा कि माननीय मंत्री ने स्पष्ट किया है, मोटरयान अधिनियम के तहत ये शक्तियां राज्य सरकारों को प्राप्त हैं। तथापि, अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस (ए आई एम टी सी) की मजबूत मांग को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री ने माल की ढुलाई के लिए न्यूनतम भाड़ा दरें निर्धारित करने और प्राथमिकता के आधार पर 30 दिनों के अंदर इसे अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु विभिन्न राज्यों से अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है।

(6) परमिट शुल्क की मात्रा में कमी:

जैसा कि माननीय मंत्री ने स्पष्ट किया है, मोटरयान अधिनियम के अनुसार, परमिट शुल्क की मात्रा का निर्धारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ए आई एम टी सी के बार-बार अनुरोध करने को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री इस मद को परिवहन विकास परिषद की अगली बैठक की कार्यसूची में शामिल करने पर सहमत हैं।

पेट्रोल पम्पों पर कदाचार

521. **श्री तरुण गोगोई: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 दिसम्बर, 1999 के हिन्दी दैनिक "दैनिक जागरण", दिल्ली संस्करण में "99 फीसदी पेट्रोल पम्पों पर ठगे जा रहे हैं उपभोक्ता" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो पेट्रोल पम्प डीलरों द्वारा विशेषकर छुट्टियों के दिनों में, किए जाने वाले कदाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) दोषी पेट्रोल पम्प मालिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकार को प्रश्न में उल्लेख किए गए समाचार की जानकारी है। तेल विपणन कंपनियां, मिलावट समेत विभिन्न कदाचारों को नियंत्रित करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों के नियमित/औचक निरीक्षण करती हैं। इसके अलावा कदाचारों को रोकने के लिए तेल कंपनियों के द्वारा, अपने निजी तौर पर तथा समय-समय पर सरकार के निदेशों के तहत भी, विशेष अभियान चलाये जाते हैं। मिलावट का निवारण करने के लिए तेल कंपनियों के द्वारा मिट्टी तेल (सा.वि.प्र.) को नीला रंग देने, फरफरल डोपिंग, फिल्टर पेपर टेस्ट, स्टाक मिलान, चल प्रयोगशालाओं के द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच पड़ताल, इत्यादि जैसे विभिन्न कदम उठाये जाते हैं।

मामले की गंभीरता पर निर्भर करते हुए कठोर कार्रवाई की गई है, जिसमें अनुज्ञप्तियों को रद्द करना तथा तेल कंपनियों के द्वारा आपूर्तियां बन्द करना शामिल है।

जोधपुर में गांव का विकास

522. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जोधपुर जिला, राजस्थान के खेजदाली गांव में उस स्थल का विकास करने के लिए कोई योजना बनाई गई थी जहां 363 बिश्नोई लोगों ने वृक्षों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना किस वर्ष सूत्रबद्ध की गई थी तथा उसमें कितनी लागत अंतर्ग्रस्त थी;

(ग) क्या पर्यावरण और वन मंत्री ने खेजदाली गांव के लिए एक करोड़ रुपये मंजूर किये थे;

(घ) यदि हां, तो उक्त धनराशि को खर्च न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार जोधपुर जिले के खेजदाली गांव में उपरोक्त स्थल का विकास करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पेट्रोल का आयात और उत्पादन

523. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित और आयातित तेल की मात्रा क्या है;

(ख) पेट्रोल का आयात किन शर्तों पर किया गया था;

(ग) अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस मूल्य पर पेट्रोल उपलब्ध है और क्या देश में उसी अनुसार पेट्रोल की कीमत को घटाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल के उत्पादन, आयात और मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	उत्पादन	आयात*	
	मात्रा टीएमटी	मात्रा टीएमटी	मूल्य (करोड़ रुपए)
1996-97	4704	449	365.29
1997-98	4849	331	254.98
1998-99	5573	251	186.98

*इसमें निजी पक्षकारों द्वारा किया गया आयात शामिल नहीं है।
टीएमटी: हजार मीटरी टन।

(ग) और (घ) अप्रैल, 1999 से सीसारहित एम एस (आवंटन 92) के लिए पोत पर्यन्त निशुल्क सिंगापुर आधार पर पेट्रोल का मूल्य निम्न प्रकार है:

माह	सीसारहित (डालर/एम टी)
1	2
अप्रैल, 1999	157.87
मई, 1999	150.67
जून, 1999	150.28
जुलाई, 1999	185.01
अगस्त, 1999	213.48
सितम्बर, 1999	221.19
अक्तूबर, 1999	202.98
नवम्बर, 1999	212.94
दिसम्बर, 1999	200.83
जनवरी, 2000	229.63
फरवरी, 2000×	246.20

×21.2.2000 तक

फिलहाल पेट्रोल के मूल्य में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वाहन प्रदूषण

524. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर बड़े नगरों में वाहनों द्वारा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसे नियंत्रित करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां। यद्यपि, दिल्ली के मामले में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि 1998-99 में वायु प्रदूषण का स्तर कम हुआ है।

(ख) वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने संबंधी उपायों में कठोर उत्सर्जन मानकों संबंधी अधिसूचना, ईंधन गुणवत्ता और वाहन प्रौद्योगिकी में सुधार करना, पुराने वाणिज्यिक वाहनों को हटाया जाना और स्वच्छ ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना शामिल है।

(ग) और (घ) जी, हां। दिल्ली और मुम्बई में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गई है जिसमें वाहनजनित प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाना भी शामिल है।

[हिन्दी]

लंबित विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी

525. श्री रामशकल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी अनेक विद्युत परियोजनायें हैं जिनको पर्यावरणीय मंजूरी दी जानी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये परियोजनायें कितने समय से लंबित हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को मंजूरी में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) 15 फरवरी, 2000 तक तीन पन बिजली एवं ग्यारह तापीय विद्युत-परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की जानी थी। परियोजनाओं के लम्बन की अवधि सहित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(ग) और (घ) परियोजना प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न किये जाने के कारण परियोजनाएं मुख्यत: लम्बित हैं। कुछ लम्बित परियोजनाओं के प्रस्ताव अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं। लम्बित परियोजनाओं के संबंध में पूरी सूचना प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

विवरण

पर्यावरण मंजूरी के लिए लंबित पावर परियोजनाओं की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कब से लम्बित
1	2	3
(क) पन बिजली परियोजना (परियोजनाएं)		
मेघालय		
1.	2×42 मेगावाट मैन्तडु (ली-शक) हाइड्रो-इलैक्ट्रो प्रोजैक्ट, स्टेज-1 मेघालय राज्य बिजली बोर्ड	12/1/2000
मिजोरम		
2.	100 मेगावाट तुबई हाइड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट आफ नोर्थ-ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन	23/9/1998
तमिलनाडु		
3.	20 मेगावाट कोलीमलई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजैक्ट, तमिलनाडु इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	08/10/1999
(ख) ताप विद्युत् परियोजनाएं		
आंध्र प्रदेश		
1.	मैसर्स ईदन पावर इन्टरनेशनल लि. की 34-56 मेगावाट डी जी पावर प्लांट, घानापुरम गांव, घाटकेशर मंडल, रंगारेड्डी जिला	27/10/1999
2.	मैसर्स कृष्णा गोदावरी पावर यूटिलिटी लि. की 2×30 मेगावाट कोल आधारित पावर प्लांट, वडापल्ली, नालगोडा, जिला	28/01/2000

1	2	3
	दिल्ली	
3.	मैसर्स अपोलो एनर्जी कं. लि. का नरेला दिल्ली में 330 मेगावाट कोल आधारित पावर संयंत्र।	25/4/1997
4.	दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा आई पी इस्टेट में 330 मेगावाट गैस आधारित प्रगति कम्बाइंड साइकिल परियोजना	02/02/2000
	कर्नाटक	
5.	मैसर्स गोदावरी शूगर मिल्स लि. द्वारा समीरवती में 1×24 मेगावाट का जेनरेशन पावर संयंत्र	12/11/1999
6.	मैसर्स कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. की कुदितनी गांव, बल्लैरी जिला में 1×500 मेगावाट विजयनगर थर्मल पावर परियोजना	31/01/2000
	मध्य प्रदेश	
7.	मैसर्स एम पी इलैक्ट्रिक बोर्ड का मंगथरगांव, जिला उमारिया में 1×500 मेगावाट संजय गांधी थर्मल पावर संयंत्र स्टेज-2	13/10/1999
8.	मैसर्स सोम पावर लि. का मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र, जिला रायसेन में 28.25 मेगावाट लिक्विड फ्यूल आधारित पावर संयंत्र	04/11/1999
	तमिलनाडु	
9.	मैसर्स सुजाना पावन (गांगीकोंडा) लि. का किल अरासदी गांव तुतीकोरन जिला में 1×115 मेगावाट सी सी पी पी	24/6/1999
10.	मैसर्स सुजाना पावर (तुतीकोरिन) लि. की किल अरसादी गांव में 1×115 मेगावाट सी सी पी पी	24/6/1999
11.	मैसर्स अबान पावर कं. लि. का बैलुर गांव, इनोर, नार्थ चैन्नई में 109 मेगावाट नेफ्था आधारित कम्बाइन्ड साइकिल गैस टरबाइन	11/10/1999

[अनुवाद]

वाहनों के लिए "सी एन जी"

526. श्री चिंतामन वनगा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मोटर वाहनों को "कम्प्रैस्ड नेचुरल गैस" उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) इस समय मुम्बई, दिल्ली, वड़ोदरा, सूरत और अंकलेश्वर शहरों में मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में सी एन जी उपलब्ध कराई जा रही है। परिवहन क्षेत्र के लिए सी एन जी की आपूर्ति हेतु और मुम्बई तथा दिल्ली में सी एन जी के वितरण के लिए मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा महानगर गैस निगम लिमिटेड (मुम्बई) तथा इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (दिल्ली) नामक दो संयुक्त उद्यम कंपनियां स्थापित की गई हैं। वड़ोदरा में सी एन जी की आपूर्ति गेल द्वारा की जा रही है तथा सूरत और अंकलेश्वर में निजी

कंपनी—गुजरात गैस कंपनी द्वारा सी एन जी उपलब्ध कराई जा रही है।

जहां पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति उपलब्ध है, उन्हीं स्थानों पर सी एन जी भरने की सुविधाएं स्थापित करना संभव है।

बामर लॉरी एंड कंपनी

527. **श्री विकास चौधरी:**
श्री सुनील खां:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बामर लारी फ्रेट कंटेनर्स लिमिटेड (बी एल एफ सी) जो बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, ने अपने आपको अत्यधिक रुग्ण घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कंपनी को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या उपाय किये गए हैं; और

(ग) तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा कंपनी के लिए 45 करोड़ रुपये का साफ्ट ऋण स्वीकृत करने के बारे में कंपनी के अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) बामर लारी फ्रेट कन्टेनर्स लि. (बी एल एफ सी) बामर लारी एण्ड कं. लि. (बी एल) की सहायक कंपनी नहीं है। यह 49 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ बामर लारी द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। 51 प्रतिशत शेयर संस्थागत निवेशकों और जनता के पास है। इस कंपनी ने अपने आपको औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत संभाव्य रूप से रुग्ण बताया है।

इस कंपनी का 45 करोड़ रुपए के कम ब्याज वाले ऋण के अनुदान से संबंधित प्रस्ताव अभी तेल उद्योग विकास बोर्ड के पास उनके विचारार्थ पड़ा है।

[हिन्दी]

चक्रवात के कारण गुजरात के पत्तनों को हानि

528. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष आए चक्रवात के कारण गुजरात के विभिन्न पत्तनों को कितनी हानि हुई;

(ख) क्या इसके कारण कुछ गोदी कर्मचारियों को जान व माल की हानि हुई; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनको मुआवजा दिये जाने हेतु कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) केन्द्र सरकार केवल महापत्तनों के लिए जिम्मेदार है। गुजरात में कांडला पत्तन न्यास नामक एक महापत्तन है। जून, 1998 में चक्रवात के कारण इस महापत्तन में 76 करोड़ रु. की हानि हुई।

(ख) जी हां। चक्रवात में पांच पत्तन कर्मचारी मारे गए और कांडला स्थित पत्तन कालोनी में मुख्य रूप से बाढ़ के कारण अनेक कर्मचारियों की घरेलू सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा।

(ग) इन पांच मृत कर्मचारियों के एक-एक आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर पत्तन न्यास में नौकरी देने के अतिरिक्त प्रत्येक मृत कर्मचारी के निकटतम संबंधी को एक लाख रु. की अनुग्रह राशि दी गई। चक्रवात के कारण जिन 352 कर्मचारियों की घरेलू सम्पत्ति की क्षति हुई थी, उन्हें 12.5 लाख रु. का भुगतान किया गया।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में रसोई गैस कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूचियां

529. **श्री वैको:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में रसोई गैस कनेक्शन के लिए कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) किस तिथि तक की प्रतीक्षा सूची को निपटा दिया गया है;

(ग) सरकार ने राज्य में रसोई गैस कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) राज्य में रसोई गैस इच्छुकों को कब तक मांग पर कनैक्शन मिलेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1 जनवरी, 2000 को तमिलनाडु राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के पास पंजीकृत एल पी जी कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में लोगों की संख्या 14.25 लाख थी।

(ख) से (घ) नए एल पी जी कनेक्शन देश भर में एल पी जी की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, वितरकों के पास उपलब्ध बकाया एवं इनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं। तथापि, 1 दिसम्बर, 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत समस्त प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए सरकार की वर्ष 2000 के दौरान 1 करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की योजना है।

केरल में विद्युत परियोजनाएं

530. श्री एस. अजय कुमार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान केरल में कितनी विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और कितनी पर अभी कार्य चल रहा है;

(ग) जिन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है उनमें कितनी प्रगति हुई है तथा वे कब तक पूरी हो जायेंगी; और

(घ) इस प्रकार की कितनी परियोजनाएं, यदि कोई हों तो, सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित हैं तथा इन्हें कब तक निपटा दिया जायेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) गत पांच वर्षों (अर्थात् वर्ष 1994-95 से 1998-99 तक) के दौरान केरल में निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं।

जल विद्युत

1.	कल्लाडा (2×7.5 मे.वा.)	पूरा किया
2.	मणियार (3×4 मे.वा.)	पूरा किया
3.	लोअर पेरियार (3×60 मे.वा.)	पूरा किया
4.	पोरिंगलकुथु (1×16 मे.वा.)	पूरा किया
5.	कक्कड़ (2×25 मे.वा.)	पूरा किया
6.	मलंकारा (3×3.5 मे.वा.)	निर्माणाधीन
7.	कुट्टियडी विस्तार (1×50 मे.वा.)	निर्माणाधीन
8.	कुट्टियडी टेल रेस (3×1.25 मे.वा.)	निर्माणाधीन

मलंकारा (10.5 मे.वा.), कुट्टियडी विस्तार (50 मे.वा.) और कुट्टियडी टेल रेस (3.75 मे.वा.) पर कार्य प्रगति पर है। कुट्टियडी विस्तार के नौवीं योजना के दौरान पूरा हो जाने की प्रत्याशा है। मलंकारा और कुट्टीयडी टेलरेस के नौवीं योजना के पश्चात् पूरा हो जाने की प्रत्याशा है।

इसके अतिरिक्त के.वि.प्रा. द्वारा केरल में निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

1. अदिरापल्ली जल विद्युत परियोजना (2×80 मे.वा.): योजना आयोग द्वारा निवेश संबंधी निर्णय अपेक्षित है।

2. पुयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना (2×120 मे.वा.): परियोजना के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वन दृष्टि से स्वीकृति अभी भी अपेक्षित है।

थर्मल

1.	ब्रह्मपुत्र डीजी फ्यूल प्रोजेक्ट (5×20 मे.वा.)	- पूरी की गई
2.	कोलीकोड डीजी फ्यूल प्रोजेक्ट (8×16 मे.वा.)	- पूरी की गई
3.	कायमकुलम सीसीजीटी फ्यूल प्रोजेक्ट (2×115.3 मे.वा.जीटी+1×119.4 मे.वा. एसटी)	- पूरी की गई
4.	ईल्लूर सीसीजीटी फ्यूल प्रोजेक्ट (कोचीन) (3×45 मे.वा. जीटी+1×38 मे.वा. एसटी) (मेसर्स बीएसईबी केरल) (लिक्विड फ्यूल)	- निर्माणाधीन - ईंधन लिंकेज प्रदान कर दिया गया है।
5.	मेसर्स लोकहदल प्रोजेक्ट (107 मे.वा.) (तरल ईंधन)	- ईंधन लिंकेज प्रदान कर दिया गया है। वित्तीय समापन प्राप्त नहीं हुआ और निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।

जहाँ तक इल्लौर सीसीजीटी विद्युत परियोजना (कोचीन) का संबंध है प्रत्येक 45 मे.वा. क्षमता की तीन गैस टरबान यूनिटों को पहले ही समकालित कर दिया गया है और स्टीम टरबाईन यूनिट (38 मे.वा.) को मार्च, 2000 तक पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त दो अतिरिक्त ताप विद्युत परियोजनाओं, नामश: मैसर्स सियासिन ईनर्जी लिमिटेड की वाईपीन सीसीजीटी परियोजना (679.2 मे.वा.) और मैसर्स कन्नौर प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड की कन्नौर सीसीजीटी परियोजना (3×111.90 मे.वा. जीटी + 1×177.3 मे.वा. एसटी) को क्रियान्वित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

केरल में नई जल विद्युत तथा ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जाँचाधीन नहीं है।

अपतटीय खुदाई-कार्य के लिए हेलीकाप्टर

531. श्री अकबर अली खांदोकर: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने अपने अपतटीय तेल खुदाई के लिए तीन नये हेलीकाप्टरों को किराये पर लेने हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा कितनी निविदाएं प्राप्त की गयी है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने सभी निविदाएं खोली थीं और क्या पूर्व आपूर्तिकर्ताओं और वर्तमान आपूर्तिकर्ताओं के हेलीकाप्टर के किरायों में बहुत ज्यादा अंतर होने का मामला प्रकाश में आया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तेल और प्राकृतिक गैस निगम को हेलीकाप्टरों की अपनी आवश्यकता का दुबारा निविदा भेजने का निर्देश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ एन जी सी) ने 3 बड़े और 3 मध्यम आकार के हेलीकाप्टरों को चार्टर भाड़े पर लेने के लिए दो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली निविदाएं आमंत्रित की हैं। बड़े हेलीकाप्टरों के लिए निविदाओं के प्रत्युत्तर में पांच और मध्यम आकार के हेलीकाप्टरों के लिए तीन बोलियां प्राप्त हुई थी। ये निविदाएं ओ एन जी सी की निविदा प्रक्रियाओं और बोली मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार निर्णयार्थ ओ एन जी सी द्वारा आगे की प्रक्रिया के अधीन है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-9 का रिबन-विकास कार्यक्रम

532. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शोलापुर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-9 के साथ खुली पट्टी (ओपन बेल्ट) को रिबन विकास कार्यक्रम के तहत चिन्हित किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या पट्टी क्षेत्र (बेल्ट एरिया) के विनियम के अभाव में एक तरफ तो अधिकाधिक अतिक्रमण बढ़ रहा है, इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग का आवश्यक विकास रुक गया है; और

(घ) यदि हां, तो "बिन बेल्ट" के चिन्हित किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि पर अनधिकृत कब्जे को रोकने और अतिक्रमण हटाने सहित विभिन्न मामलों को शामिल करते हुए उपयुक्त कानून बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस स्थिति में अभी से इसके ब्यौरे देना संभव नहीं है।

लापता कम्पनियों के खिलाफ मुकदमा

533. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश भर में 142 लापता कम्पनियों के खिलाफ मुकदमा चलाया है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक कम्पनी के संबंध में कुल कितनी धनराशि है; और

(घ) इन कम्पनियों पर किन आरोपों के अधीन मुकदमा चलाया गया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 14 कम्पनियों में से 36 कम्पनियां अपने दस्तावेज दायर करने में नियमित थीं। 8 कम्पनियां परिसमापनाधीन थीं, एक कम्पनी बी आई एफ आर कार्रवाई के अंतर्गत है, तीन कम्पनियों की परिसम्पत्तियां राज्य सरकारों के निगम द्वारा जब्त कर ली गई। चूककर्त्ता कम्पनियों के खिलाफ मुकदमा चलाने, शामिल राशि और जिन आरोपों के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया है उनके संबंध में अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	कम्पनी रजिस्ट्रार की अभ्युक्तियां टिप्पणियां	करोड़ रुपयों में
1	2	3	4
	गुजरात		
1.	एडवांश बलों-कोल (इंडिया) लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां (बी/एस एवं ए/आर) दायर न किए जाने के लिए अभियोग लगाया गया। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरम्भ की गई है।	4.86
2.	एफकोन सिक्यूरिटिज	परिसमापन आदेश, दिनांक 2.11.98 के अनुसार परिसमापनाधीन	5.45
3.	मा लीफिन एंड केपिटल लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किए जाने के लिए 13.7.99 को अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरम्भ।	4.34
4.	शुभम ग्रेनाइट्स लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरम्भ।	9.53
5.	सूर्या दीप साल्ट रिफाइनरी एंड केमिकल वर्क्स लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरम्भ।	7.50
6.	भावना स्टील कास्ट लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। पुलिस में शिकायत दर्ज।	1.80
7.	अंकुश फ़ीन स्टाक	दायर किए जाने का कार्य पूरा। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ	3.00
8.	एरो सिक्यूरिटिज	1998 तक दायर/तुलन पत्र एवं वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए	4.75
9.	चार्म्स सेरामिक्स लि.	दायर किये जाने का कार्य पूरा। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ	3.75
10.	ध्रुव मक्खन (इंडिया) लि.	उपलब्ध/तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए 13.7.99 को अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्मत कार्रवाई आरम्भ	7.35
11.	इन्टर एक्टिव फाइनेन्शियल सर्विसेज लि.	उपलब्ध/तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए 12.7.99 को अभियोजन दायर। 1999 तक दस्तावेज दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	1.85

1	2	3	4
12.	नई सगिक एग्रीटेक (इंडिया) लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन प्रारंभ। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरम्भ।	4.66
13.	निलकेम कैपिटल लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। 1999 तक दस्तावेज दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरम्भ।	7.10
14.	श्री सुरगोविन्द ट्रेडलिंक लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किए जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	3.75
15.	थ्री जी डाईन्केम लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	5.84
16.	स्पील फाइनेन्स लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	5.70
17.	फ्रंट लाईन फाइनेन्सियल सर्विसेज लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरम्भ	4.42
18.	ग्रोथ एग्रो इन्डस्ट्रीज लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरम्भ।	5.39
19.	गिरीश होटल्स रिसोर्ट्स एंड हेल्थ फार्म लि.	उपलब्ध। तुलनपत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	2.59
20.	इंटिग्रेटिड अम्यूजमेंट लि.	उपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ	8.38
21.	हाई-टेक वाइंडिंग सिस्टम्स लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	3.84
22.	इशान इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एंड रोल्टर्स लि.	दायर करने का कार्य पूरा। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई। आरंभ।	6.10
23.	केसर ग्रीनफिल्ड इन्टरनेशनल लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ	5.69
24.	कोम-आन कम्यूनि-केशन्स लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए दायर अभियोजन। 1999 तक दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	5.41
25.	मोबाइल टेलि-कम्यूनिकेशन्स लि.	उपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किए जाने के लिए अभियोजन दायर। 1998 के तुलन पत्र और 1999 की वार्षिक विवरणियां दायर किए गए। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	11.53
26.	शिवम अपैरेल्स एक्सपोर्ट्स लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	4.45

1	2	3	4
27.	श्री महालक्ष्मी एग्री-कल्चरल डेवलपमेंट्स लि.	उपबन्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	5.09
28.	एमी गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	उपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	3.00
29.	ओरियन्ट ट्रेडलिंक	दायर किए जाने का कार्य पूरा। धारा 209क कें अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	6.50
30.	टक्नो फोर्ज लि.	दायर किये जाने का कार्य पूरा।	2.80
31.	भारत थर्माइट लि.	दायर किए जाने का कार्य पूरा।	2.52
32.	मायो होस्पीटल लि.	दायर किए जाने का कार्य पूरा।	5.80
33.	प्रोटेक सर्किट ब्रेक्स लि.	दायर किए जाने का कार्य पूरा।	1.80
34.	टाप लाइन शूज लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरम्भ। पुलिस में शिकायत भी की गई।	4.65
35.	गुजरात बोनन्जा आटो	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरम्भ। पुलिस में शिकायत भी की गई।	5.40
36.	डी.आर. इंडस्ट्रीज लि.	उपलब्ध। वार्षिक विवरणियां अब तक दायर। तुलन पत्र दायर न करने के लिए अभियोजन दायर।	11.29
37.	गुजरात टेक्ससपीन लि.	दायर किए जाने का कार्य पूरा।	8.80
38.	बेफिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लि.	उपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर।	6.05
39.	जलधारा पम्प्स लि.	दायर किए जाने का कार्य पूरा।	5.13
40.	नुलाइन ग्लासवेयर लि.	दायर किए जाने का कार्य पूरा।	4.66
41.	जेम आईडोरन्स लि. नाम परिवर्तन के बाद अमरशीर आपटीकल्स	उपलब्ध। तुलनपत्र दायर करने का कार्य पूरा। वर्ष 1998 के लिए वार्षिक विवरणियां दायर नहीं की गई। वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर।	5.26
42.	गुडअर्थ आर्गेनिक्स लि.	परिसमापनाधीन	5.30
43.	केयरवेल हाईजिन प्रोडक्ट्स लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभ्यायोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	2.25
44.	सीमा इन्डस्ट्रीज लि.	बी आई एफ आर द्वारा यह कम्पनी एक बीमार औद्योगिक कम्पनी के रूप में सूचीबद्ध की गई थी तथा परिसमापन के लिए सिफारिश की गई है।	2.10
45.	सुकचैन सिमेन्ट लि.	दायर किए जाने का कार्य पूरा। धारा 209क के अंतर्गत निरीक्षण का आयोजन किया जा रहा है।	3.65

1	2	3	4
46.	हालमार्क ड्रग्स एंड केमिकल्स लि.	दिल्ली से पंजाब स्थानान्तरित। कमपनी की परिसम्पत्तियां पंजाब व राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. के द्वारा अपने कब्जे से ले ली गई।	7.00
47.	हिन्दुस्तान टूल्स एंड फारजिन्स	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। पुलिस प्राधिकरण की सहायता ली जा रही है।	5.96
48.	ओवरसिज केबल्स लि.	दायर किए जाने का कार्य पूरा।	4.16
49.	ड्रकग्रैफेन इंडिया लि.	कम्पनी दिनांक 29.12.98 के आदेश द्वारा बी.आई.एफ.आर. की कार्रवाई के अधीन है तथा पी एस आई डी सी द्वारा अपने नियंत्रण में ली जा चुकी है।	3.07
50.	कैलडिन एयरकान लि.	वार्षिक विवरणियां और तुलन पत्र दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ।	4.44
51.	डिजिटल लीजिंग एंड फाइनेन्स लि.	वार्षिक विवरणियां और तुलन पत्र दायर न किय जाने के लिए अभियोजन आरंभ। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	4.69
52.	फिनटेक कम्यूनिकेशन्स लि.	वार्षिक विवरणियां और तुलन पत्र द्वारा न किए जाने के लिए अभियोजन आरंभ। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	4.09
53.	हितेश टेक्सटाइल मिल्स लि.	वार्षिक विवरणियां और तुलन पत्र दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	7.47
54.	इचालकरान्जी सोया लि.	कम्पनी से जवाब प्राप्त। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किए जाने के लिए अभियोजन आरम्भ।	2.00
55.	लिम्फा लेबोरेट्रिज लि.	परिसमापनाधीन।	3.36
56.	पशुपती केबल्स लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	11.95
57.	रियलटाइम फिनलीज लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	5.63
58.	स्पार्कल फूड्स लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ।	5.00
59.	वाकर इंडिया लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ।	3.75
60.	विपुल सिक्यूरेटिज लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ	3.00
61.	गाजी सिक्योरेटिज लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ।	4.80
62.	माजदा इण्ड एंड. लीजिंग लि.	दायर किए जाने का कार्य पूरा।	2.27

1	2	3	4
63.	विसोडे एंड कं. लि.	उपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर।	4.96
64.	असाही कन्सट्रक्शन एंड हाऊसिंग फाइनेन्स लि.	उपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किए जाने के लिए अभियोजन आरम्भ।	2.59
65.	ब्रेक्स आटो (इंडिया) लि.	11.6.97 को मध्य प्रदेश से शिफ्ट हुई। दायर किए जाने का कार्य पूरा।	3.73
66.	मोनेशी एग्रो फूड्स लि.	उपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किए जाने के लिए अभियोजन दायर।	10.90
67.	फासट्रैक इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एंड कमर्शियल एडवाइजर्स (लि.) परिवर्तन नाम फिसकल लि.	उपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर।	2.54
	तमिलनाडु (कोयम्बतूर)		
68.	ए वी आर सिक्यूरेटिज लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	2.47
69.	ग्लोबल ब्लूम्स (इंडिया) लि.	अनुपलब्ध। पुलिस में शिकायत की गई। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किए जाने के लिए अभियोजन आरंभ। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	2.10
70.	नवाक्लराई स्पीनर्स लि.	अनुपलब्ध। पुलिस में शिकायत की गई। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	3.16
71.	पापिलोन एक्सपोर्ट्स लि.	अनुपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ। धारा 209 क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ। पुलिस में शिकायत दर्ज है।	2.20
72.	श्याम प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स लि.	अनुपलब्ध। दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ। पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	3.19
73.	ओरोंम कोक लि.	दायर किये जाने का कार्य पूरा।	4.18
74.	एसके टेलिकाम	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ।	3.00
75.	जी आर मैग्नेट्स	इसकी वार्षिक विवरणियां अब तक दायर है। तुलन पत्र दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर।	1.04
76.	मोराद प्रोपर्टीज एंड प्रोजेक्ट लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न दिये जाने के लिए अभियोजन दायर।	
		$ बढ़ी हुई राशि से संबंधित सूचना पब्लिक ईश्यू के 1.4.1992 से पहले होने के कारण सही-सही उपलब्ध नहीं है।	$

1	2	3	4
77.	निक्को कार्पोरेशन लि.	दायर किये जाने का कार्य पूरा।	9.89
78.	एलायड स्टाक इन्वेस्टर्स लि.	दायर किए जाने का कार्य पूरा।	0.35
79.	साकेत एक्सट्रजन लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	2.98
80.	कमीटमेंट फाईनेन्स लि.	अभी तक के तुलन पत्र दायर। वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ।	1.62
	आंध्र प्रदेश		
81.	आदित्य एल्कलाम्ड्स	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	2.16
82.	एक्वा देव इंडिया लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	3.55
83.	कामाक्षी हाऊसिंग फाइनेंस लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	4.20
84.	प्रीमियर एक्वा फार्मस लि.	तुलनपत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरम्भ। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	3.63
85.	श्री मुरली स्पीनिंग मिल्स लि.	दायर किए जाने का अभी तक का कार्य पूरा।	3.68
86.	के.पी. ग्रेडलाइट एंड केमिकल्स (इंडिया) लि.	परिसमापनाधीन	4.09
	तमिलनाडु (चेन्नै)		
87.	एमीगो एक्सपोर्ट्स लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ। पुलिस में शिकायत भी की गई। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	3.30
88.	यूनिकोर्न फर्मास्यू-टिकल्स इंडिया लि.	परिसमापनाधीन।	8.38
89.	बिटाला ग्लोबल सेक्यूरिटिज लि.	अभी तक का दायर किये जाने का कार्य पूरा।	2.25
90.	एडवांय मेडिकल केअर लि. जिसका परिवर्तित नाम सीशोर होस्पीटल लि.	अभी तक का दायर किये जाने का कार्य पूरा।	11.51
91.	नोवा इलेक्ट्रोमैग्ने-टिक्स लि.	उपलब्ध। 1995 तक तुलन पत्र दायर। 30.3.96, 97 और 98 के समाप्त हो रहे वित्तीय वर्षों के लिए रिटर्न दायर न किये जाने के लिए चूक नोटिस जारी किये गये थे। तब से कम्पनी ने सभी दस्तावेज दायर किये हैं।	6.37

1	2	3	4
	कर्नाटक		
92.	रेडी फूड्स लि.	27.3.97 के अदालती आदेश के अनुसार कम्पनी को परिसमापन के अधीन रखा गया था तथा इसके बाद दिनांक 6.11.98 के अदालती आदेश के अनुसार परिसमापन आदेश वापिस ले लिया गया। तदनुसार, तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन प्रारम्भ।	2.25
93.	विनफार्म एग्रो. इंडस्ट्रीज लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	19.60
94.	एक्मे स्पीनर्स लि.	दायर किये जाने का कार्य पूरा। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरम्भ।	2.58
95.	राघोजी सीमेन्ट्स एंड मैन्यू. कं. लि.	परिसमापनाधीन	3.00
96.	वीजन टेक्नोलोजी (आई) लि.	उपलब्ध। कम्पनी अपना लेखा वर्ष बदल लिया। 31.3.99 तक का तुलन पत्र अभी भी दायर किया जाना है। चूक नोटिस जारी।	4.10
97.	ओसिएन नीट्स लि.	कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम, बैंगलूर द्वारा जब्त।	2.61
	दिल्ली		
98.	एल्पस मोटर फाइनेन्स लि.	दायर किए जाने का कार्य पूरा।	2.44
99.	चिड़ाव फाईनेन्स इन्वेस्ट एंड लीजिंग लि.	अनुपलब्ध। अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ। पुलिस में शिकायत दर्ज।	3.24
100.	सिलसन फाइनेन्स एंड इन्वेस्ट लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर।	2.51
101.	ग्रीव्स होटल्स लि.	दायर किये जाने का कार्य पूरा।	4.98
102.	आई सी पी सिक्यूरिटिज लि.	अनुपलब्ध। अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ। पुलिस में शिकायत दर्ज।	2.34
103.	लक्ष्य सिक्यूरिटीज एंड क्रेडिट होल्डिंग्स लि.	अनुपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। पुलिस में शिकायत दर्ज। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	3.24
104.	पाटलीपुत्र क्रेडिट एंड सिक्यूरिटिज लि.	दायर किये जाने का कार्य पूरा।	7.49
105.	सिम्पलेक्स होल्डिंग लि.	दायर किये जाने का कार्य पूरा।	2.27
106.	स्टार इलैक्ट्रोनिक्स लि.	अनुपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। पुलिस में शिकायत दर्ज। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरम्भ।	2.47

1	2	3	4
107.	स्टार एग्जिम लि.	अनुपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। पुलिस में शिकायत दर्ज। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	2.76
108.	टैक्टफुल इन्वेस्ट लि.	अनुपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। पुलिस में शिकायत दर्ज। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	3.29
109.	वेलकम कोपर इन्ड. लि.	अनुपलब्ध। अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	6.66
110.	गोगा फूड्स लि.	अनुपलब्ध। अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	4.21
111.	कल्याणी फाइनेन्स लि.	अनुपलब्ध। अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरम्भ। पुलिस पुलिस में शिकायत भी दर्ज।	3.21
112.	परीक्ष फिन-इन्वेस्ट लीज लि.	दायर किए जाने का कार्य पूरा।	2.48
113.	राजगढ़ इन्वेस्टमेंट लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	3.05
114.	स्टेट्स एम जी एम सर्विसिज लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	1.81
115.	जेड इन्वेस्टमेंट्स लि.	अनुपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए के लिए अभियोजन दायर। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।	2.80
116.	बिग स्टार फिल्म्स लि.- जिससे पूर्व-मून होल्डिंग्स एंड क्रेडिट लि.	अनुपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर। पुलिस में शिकायत दर्ज। धारा 209क के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ।	2.69
117.	कोर्डे टेक्सटाइल लि.- परिवर्तित नाम- सेलिस्टे. इन्टरनेशनल लि.	दायर किये जाने का कार्य पूरा।	10.12
118.	हाटरोन नेटवर्क्स लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के अभियोजन दायर। पुलिस में शिकायत भी दर्ज।	3.40
119.	नोवा धातु उद्योग लि.	माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा कम्पनी को समापन के आदेश दिये गये हैं।	25.98
120.	इन्टेकाम (इंडिया) लि.	दायर किये जाने का कार्य पूरा।	2.76
121.	डेल्टा कोलोनाइजर्स लि.	दायर किये जाने कार्य पूरा।	4.03

1	2	3	4
	केरल		
122.	एबीएन ग्रेनाइट्स लि.	निरीक्षण किया गया था तथा तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ किया गया था।	2.78
	उड़ीसा		
123.	उड़ीसा लुमीनेरीज लि.	अनुपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर।	10.62
124.	यूनिवर्सल वीटा एलीमेंट लिमिटेड	अनुपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ	1.80
	मध्य प्रदेश		
125.	जनक इन्टर मेडियरिज लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ। पुलिस में शिकायत भी दर्ज।	2.80
126.	राजाधिराज एण्ड लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ। पुलिस में शिकायत भी दर्ज	2.50
127.	हाई-टेक ड्रग्स लि.	अनुपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ। पुलिस में शिकायत भी दर्ज।	3.24
128.	मध्यवर्त इक्सआयल लि.	अनुपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ। पुलिस में शिकायत भी दर्ज।	2.30
129.	आर.एल. एग्रोटेक लि.	उपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर।	6.37
130.	स्टर्लिंग काल्क्स एंड ब्रीक्स लि.	अनुपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ। पुलिस में शिकायत दर्ज।	4.44
131.	टोटल एक्सपोर्ट लि.	अनुपलब्ध। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन आरंभ। पुलिस में शिकायत दर्ज।	4.06
132.	रजनी एक्सट्रैक्शन्स लि.	दायर किये जाने का कार्य पूरा।	3.10
133.	राजश्री फोरेक्स लि.	दायर किये जाने का कार्य पूरा।	6.64
	उत्तर प्रदेश		
134.	रिच केपिटल एंड फिन. सर्वि. लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर।	5.00
135.	स्वर्णिमा आयल इंड. लि.	कम्पनी को दिल्ली से स्थानान्तरित कर दिया गया। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर।	4.60

1	2	3	4
136.	विजयश्री केमिकल्स	महाराष्ट्र से 8.7.98 को कानपुर में शिफ्ट की गई। तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर।	6.00
137.	एस आर पी इण्डस्ट्रीज लि.	दायर किये जाने का कार्य पूरा। सी एल बी के दिनांक 17.7.94 के आदेशनुसार बिहार से स्थानान्तरित।	15.00
	बिहार		
138.	ब्लू हैवेन्स एग्रो इन्ड. लि.	दायर किए जाने का कार्य पूरा।	1.47
139.	राबी हाइटिक प्रा.लि.	दायर किये जाने का कार्य पूरा।	2.04
140.	श्री वैष्णवी डाईंग एंड प्रिंटिंग लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर।	3.64
141.	बोध गया सेरामिक्स लि.	तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियां दायर न किये जाने के लिए अभियोजन दायर।	0.50
142.	हाइटिक इन्डस्ट्रीज लि.	परिसमापनाधीन।	8.50

एनरॉन की डाभोल विद्युत परियोजना की समीक्षा

534. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार का विचार एनरॉन की डाभोल विद्युत परियोजना की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह की समीक्षा के क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना को जारी रखे जाने संबंधी अंतिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या इससे चालू परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) मैसर्स एनरॉन द्वारा प्रवर्तित डाभोल विद्युत परियोजना की समीक्षा के प्रस्ताव से संबंधित ऐसी कोई भी सूचना महाराष्ट्र सरकार से नहीं प्राप्त हुई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

पावरग्रिड कार्पोरेशन की बिगड़ती स्थिति

535. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा पारेषण कर का भुगतान नहीं करने से पावर ग्रिड कार्पोरेशन की स्थिति बिगड़ती जा रही है जिसके परिणामस्वरूप नेशनल ग्रिड और कई महत्वपूर्ण पारेषण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा आ सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित घटक राज्यों की कमजोर वित्तीय हालत के कारण इन राज्यों के लिए पारेषण शुल्क 35 पैसे प्रति केडब्ल्यूएच निर्धारित किया गया है जो पावरग्रिड द्वारा अन्य क्षेत्रों में लागू टैरिफ शुल्क के लिए स्थापित मानदंडों की तुलना में काफी कम है। यहाँ तक कि उत्तर-पूर्वी राज्य 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से आकलित पारेषण शुल्क भी नहीं भुगतान कर सके हैं। इससे पावरग्रिड का राजस्व की काफी हानि हुई है।

(ख) और (ग) उत्तर-पूर्वी राज्यों की वित्तीय हालत को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार पावरग्रिड को उन राजस्व हानियों की क्षतिपूर्ति करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

भारवाही-वाहनों पर पथकर

536. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों ने नियमित रूप से राज्य परमिट शुल्क का भुगतान करने वाले राष्ट्रीय और राज्य-राजमार्गों पर चल रहे भारवाही वाहनों पर भी पथकर लगाया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे प्रत्येक राज्य के प्रवेश द्वारों पर भारी भीड़ और यातायात अवरोध हो जाता है जिससे प्रदूषण बढ़ने के साथ-साथ समय और धन की भारी हानि होती है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और देश भर में भारवाही वाहनों का मुक्त और बाधारहित यातायात सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई निर्धारित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत उत्पादन

537. श्री राजो सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1999-2000 के दौरान विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में कितने नये विद्युत स्टेशनों को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है और प्रत्येक विद्युत स्टेशन की प्रस्तावित अधिष्ठापित क्षमता क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) बिहार में वर्ष 1999-2000 में किसी विद्युत परियोजना को चालू करने की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ख) बिहार में निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएँ क्रियान्वयनाधीन हैं:

राज्य क्षेत्र

1. तेनुघाट टीपीपी चरण II

यूनिट-3	210 मेगावाट
यूनिट-4	210 मेगावाट
यूनिट-5	210 मेगावाट

2. मुजफ्फरपुर टीपीपी विस्तार

यूनिट 1	250 मेगावाट
यूनिट 2	250 मेगावाट

निजी क्षेत्र

1. जोजोबेरा टीपीपी

यूनिट 1 और 2	240 मेगावाट

इसके अतिरिक्त मेगा विद्युत परियोजना संबंधी सशोधित नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं को दसवीं और ग्यारहवीं योजना में बिहार में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

1.	उत्तर करनपुरा एसटीपीपी	एनटीपीसी द्वारा 2000 मेगावाट
2.	बाढ़ एसटीपीपी	एनटीपीसी द्वारा 2000 मेगावाट
3.	कहलगांव चरण II	एनटीपीसी द्वारा 1500 मेगावाट
4.	मैथन परियोजना	1000 मेगावाट (बीएसईबी और डीवीसी का संयुक्त उद्यम)

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एलपीजी एजेंसियां/पेट्रोल पंप

538. श्री बच्चन राजभर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पेट्रोल पंप और एलपीजी एजेंसियों के आवंटन हेतु दो वर्ष पहले आवेदन आमंत्रित किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो ये उक्त पेट्रोल पम्प और एलपीजी एजेंसियां कब तक स्वीकृत कर दी जाएंगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) फिलहाल चयन प्रक्रिया स्थगित है और डीलर चयन बोर्डों को अभी भंग किया गया है। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को

चालू करने में सामान्यत: साक्षात्कार की तारीख से लगभग 6 से 12 महीने लग जाते हैं।

अरूणाचल प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

539. श्री जारबोम गामलिन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अरूणाचल प्रदेश में विद्युत संयंत्र लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) नीपको द्वारा कार्यान्वित की जा रही रंगानदी परियोजना (405 मे.वा.) नौवीं योजना के दौरान आरम्भ होने का अनुमान है। नीरंग (6 मेगावाट) राज्य क्षेत्र परियोजना 1997-98 में स्थापित की गई थी।

नीचे दिए गए ब्यौरे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 31.01.2000 तक अरूणाचल प्रदेश में स्वीकृत विभिन्न विद्युत परियोजनाओं तथा परियोजना प्राधिकारियों को वापस की गई स्कीमों में हैं:

(क) सीईए द्वारा स्वीकृत/मूल्यांकित।

1. कार्मेंग एचईपी (एच) 4×150 मे.वा. 30.4.91 को टीईसी दी गई।

9/99 को प्राप्त 2874.57 करोड़ रु. के संशोधित लागत अनुमानों की जांच की जा रही है।

(ख) सीईए में जांचाधीन डीपीआर

शून्य

(ग) वापस/प्रस्तुत की गई स्कीमों का डीपीआर किया जाना है।

1. दिहांग एचईपी (एच) 40-500 मेगावाट

रिपोर्ट 1/91 में वापस की गई कार्यकारी एजेन्सी का निर्धारण संबंधित राज्यों की स्वीकृति जैसे मुद्दों पर अभी कार्रवाई की जानी है।

परियोजना जनवरी, 2000 में एनएचपीसी को सौंपी गई और डी.पी.आर. तैयारी के लिए सर्वेक्षण/जांच एनएचपीसी द्वारा आरंभ की गई।

2. सूबनसीरी-एचईपी (एच) 12×40 मे.वा.

1/93 को वापस की गई परियोजना जनवरी, 2000 में एनएचपीसी को सौंप दी गई है और डीपीआर की तैयारी के लिए सर्वेक्षण/जांच एनएचपीसी द्वारा आरंभ किया गया। परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में लाने के बारे में मामला विद्युत मंत्रालय में विचाराधीन है।

3. डेमवे एचईपी(एच) 8×65

2/93 में वापस की गई क्योंकि परियोजना प्राधिकारियों द्वारा परियोजना पैरामीटरों को संशोधित किया जा रहा है।

4. रंगानदी स्था.-2 एचईपी (एच) 2×50 मे.वा.
3×60 मे.वा.

5.6.98 को वापस की गई सैक्शन 18ए, के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से स्वीकृति विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 29(2) तथा 3 की धारा का अनुसरण जल तथा भूमि की उपलब्धता सीडब्ल्यूसी की अन्तर राज्य स्वीकृति, रक्षा संबंधी स्वीकृति तथा अन्य मामले लंबित हैं।

विद्युत दरों को युक्तिसंगत बनाना

540. श्री अनंत गुढ़े: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड और रिलायंस पातालगंगा पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की जा रही विद्युत की दरों में अत्यधिक अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) निजी क्षेत्र के विद्युत उत्पादकों द्वारा वसूल किये जा रहे विद्युत की दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान और चालू वर्ष में संशोधित विद्युत क्रय समझौतों का ब्यौरा क्या है और विद्युत क्रय समझौतों में संशोधन किये जाने संबंधी मांग क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के पश्चिम क्षेत्र में स्थित चार विद्युत केन्द्रों द्वारा दिसंबर, 1999 माह में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को (एमएसईबी) आपूर्ति किए गए विद्युत की

दरों/शुल्कों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	विद्युत केन्द्र का नाम/क्षमता (मे.वा.)	नार्मेटिव टैरिफ (68.49% पीएलएफ) पैसा/किवा.घ.
1.	कोरबा एसटीपीएस (2100 मे.वा.)	72.96
2.	विन्ध्याचल एसटीपीएस (1260 मे.वा.)	120.21
3.	कवास जीपीएस (656.20 मे.वा.)	250.20
4.	जेन्नौर गान्धार जीपीएस (657.39 मे.वा.)	242.58

महाराष्ट्र में मैसर्स रिलायन्स पातालगंगा पावर प्राईवेट लिमिटेड के पातालगंगा कम्बाइन्ड साईकल गैस टरबाईन (447.1 मे.वा.) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 319.02 यू.एस. मिलियन (यूएस $1=35.50 रु. की दर से)+246.66 करोड़ की अनुमानित लागत पर 22.1.1998 को तकनीकी आर्थिक मंजूरी दे दी गई है अभी इस परियोजना का वित्तीय समापन नहीं हुआ है और इसने अभी विद्युत उत्पादन भी नहीं शुरू किया है उत्पादित बिजली की टैरिफ जो प्रयुक्त ईंधन एवं विद्यमान विनिमय दर पर निर्भर है। संयंत्र के वाणिज्यिक रूप से कार्य शुरू करने के बाद ही पता चलेगा।

एमएसईबी द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को आपूर्ति कराये जा रहे बिजली की टैरिफ महाराष्ट्र सरकार के समग्र दिशा-निर्देश के अधीन विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 49 एवं 59 के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जबकि एनटीपीसी केन्द्रों द्वारा आपूर्ति किए गए बिजली के लिए टैरिफ को के.पी. राव समिति की रिपोर्ट में दिए गए मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य में एमएसईबी की बिजली बिक्री दर औसतन 216 पैसे प्रति यूनिट है।

(ग) और (घ) सभी निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं के बिजली बिक्री की टैरिफ का आंकलन इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में निहित घटकों तथा विद्युत उत्पादन कंपनी एवं बोर्ड के बीच हुए पीपीए के नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जाता है अन्य बातों के साथ साथ सरकार ने राज्यों को वैसी परियोजनाओं का चयन करने को कहा है जिनसे राज्य को न्यूनतम टैरिफ मिलता हो विद्युत क्रय करार (पीपीए) राज्य विद्युत बोर्डों एवं स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के बीच की एक ऐसी संविदा है जिसके अंतर्गत दो पार्टियों में विद्युत की खरीद/बिक्री की रूपरेखाओं पर बातचीत की जाती है। इस प्रकार पीपीए के मॉनीटरिंग का मामला संबंधित राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। सामान्यत: भारत सरकार इन समझौतों के पूर्ण होने पर इनकी प्रगति को मॉनीटर नहीं करती है। इन समझौतों के प्रारूपण में राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों को मदद करने हेतु भारत सरकार ने 1994 में पीपीए के संबंध में दिशानिर्देश परिपत्रित किए/विद्युत मंत्रालय ने भी पीपीए के एक ड्राफ्ट नमूने को परिचालित किया ताकि राज्य सरकारें अपने-अपने पीपीए स्वयं बना सके। साथ ही विद्युत मंत्रालय ने पीपीए पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयोजन किया।

गोवा में समाधान केन्द्रों की स्थापना

541. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा में मुकदमों से निपटने के लिए कई समाधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार न्यायालयों से मुकदमों का भार कम करने के लिए अन्य राज्यों में भी ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) इन्हें स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) और (ग) मुकदमा लड़ने वालों का, उनके विवादों का सौहार्द्रपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए उनका मार्गदर्शन करने और प्रेरित करने के लिए परामर्श और समाधान केन्द्रों की स्थापना के प्रश्न पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणों के तत्वावधान में हैदराबाद में तारीख 9.10.99 को आयोजित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के दूसरे वार्षिक अधिवेशन की कार्यसूची की मद सं. 7 के रूप में विचार किया गया था, जिसमें यह संकल्प किया गया था कि राज्यों के सभी जिलों में ऐसे केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए।

विधिक सेवा प्राधिकरणों से प्राप्त वस्तुस्थिति रिपोर्ट के अनुसार गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में ऐसे परामर्श और समाधान केन्द्र स्थपित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के लिए रसोई गैस की आवश्यकता

542. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के खीरी (लखीमपुर) और मोहनलालगंज जिलों के लिए रसोई गैस की अनुमानित मासिक आवश्यकता कितनी है और आपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ख) सरकार ने उक्त जिलों में रसोई गैस की पूर्ण आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या रसोई गैस की आपूर्ति में इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को नजरअन्दाज किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाने का विचार किया है; और

(ङ) उक्त जिलों में रसोई गैस सिलेंडरों की कमी को पूरा करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश के जिला खीरी और उत्तर प्रदेश में जिला लखनऊ के मोहनलालगंज बाजार की पैक्ड एल पी जी की मासिक मांग क्रमश: 251 और 36 एम टी है। मौजूदा ग्राहकों को की जाने वाली आपूर्ति मांग के अनुरूप है। तथापि, जब कभी एल पी जी का बकाया उत्पन्न हो जाता है तो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कंपनियां प्रभावित क्षेत्रों में मांग पूरी करने के लिए अधिकतम आयातों, बढ़ाए घंटों में, रविवारों और छुट्टियों के दिन भरण संयंत्रों के प्रचालन आदि सहित विभिन्न उपाय करती है।

[हिन्दी]

हरियाणा में रसोई गैस की मांग और आपूर्ति

543. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा 31 दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार हरियाणा में रसोई गैस की मांग और आपूर्ति कितनी थी;

(ख) क्या हरियाणा में, विशेषरूप से भिवानी क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति कम हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अगले दो वर्षों के दौरान उक्त कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान हरियाणा राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कंपनियों द्वारा एल पी जी की बिक्री निम्नानुसार है:

वर्ष	एल पी जी बिक्री (टी एम टी)
1996-97	133.5
1997-98	149.8
1998-99	172.3

फिलहाल हरियाणा राज्य में एल पी जी सिलेंडरों की आपूर्ति में किसी कमी की रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, जब कभी भी एल पी जी आपूर्ति का कार्य बकाया रह जाता है तो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कंपनियां प्रभावित बाजारों में मांग पूरी करने के लिए अधिकतम आयात करने, बढ़ाए गए घंटों/रविवारों और छुट्टी के दिनों के दौरान भरण संयंत्रों का प्रचालन करने इत्यादि सहित विभिन्न उपाय करती है।

[अनुवाद]

इंदिरा विकास-पत्र और किसान विकास-पत्र

544. श्री टी. गोविन्दन: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा विकास पत्र/किसान विकास पत्र जारी करने में दुरुपयोग/धोखाधड़ी की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां। पिछले कुछ वर्षों में इंदिरा विकास पत्रों/किसान विकास पत्रों को जारी करने में कदाचार/धोखाधड़ी के अनेक मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	मामलों की संख्या
1996-97	08
1997-98	12
1998-99	18

(ख) वर्ष 1999-2000 में किसी भी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(ग) सरकार द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं:

(1) डाक विभाग ने आज की तारीख तक रेलवे की अभिरक्षा से मार्ग में खो गए बचत-पत्रों की संख्या एवं सिरीज को देश के सभी डाकघरों में परिचालित किया है ताकि धोखाधड़ी से उन्हें जारी करने तथा वाद में किसी भी डाकघर में उन्हें भुनवाने से रोका जा सके।

(2) विभाग ने खोए बचत-पत्रों के संपूर्ण विवरण के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को भी सूचित किया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक तदनुसार इनके सिरीज नम्बरों को देश के विभिन्न राष्ट्रीयकृत सहकारी तथा निजी बैंकों को परिचालित कर सके जिससे इन्हें धोखाधड़ी से जारी करने तथा इन बचत-पत्रों को गिरवी रखकर बैंकों से ऋण लेने को रोका जा सके।

(3) मामले की सूचना केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भी दी गई हैं जो इन बचत-पत्रों को धोखाधड़ी से जारी करने तथा बाद में देश के विभिन्न भागों से इनके भुगताने के मामले की सक्रियता से जांच कर रही है।

(4) विभाग ने समय-समय पर सभी सर्किलों एवं डाकघरों को अनुदेश जारी किये हैं ताकि बचत-पत्रों को धोखाधड़ी से जारी करने तथा उनके भुगतान से बचा जा सके। कर्मचारियों को बचत-पत्र जारी करते समय तथा उनका भुगतान करते समय विनिर्धारित प्रक्रियाओं का कड़ाई से अनुपालन करने के निदेश भी दिए गए हैं।

(5) सरकार ने 16 अगस्त, 1999 से इंदिरा विकास पत्र जारी करना बंद कर दिया है।

(6) भारी दण्ड के अधिरोपण के लिए 37 विभागीय कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में डाकघर

545. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:

(क) इस समय मध्य प्रदेश में जिलेवार विशेषकर बिलासपुर जिले में कितने डाकघर कार्यरत है तथा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान कहां-कहां नए डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के सभी दूर-दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह सुविधा कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) मध्य प्रदेश में इस समय 11361 डाकघर कार्य कर रहे हैं। बिलासपुर जिले में 283 डाकघर कार्य कर रहे हैं। डाकघरों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उन स्थानों के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है जहां आगामी वित्त वर्ष में नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) डाक सुविधाएं ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। नए डाकघर संसाधन उपलब्ध रहने पर खोले जाते हैं बशर्ते कि मानदंड पूरे होते हों।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मध्य प्रदेश सर्किल में 15.02.2000 की स्थिति के अनुसार जिला-वार डाकघर

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रधान डाकघर	उप-डाकघर	अतिरिक्त वि.उ.डा.	अतिरिक्त वि.शा.डा.	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	बालाघाट	1	24	—	201	226
2.	बरवानी	—	12	4	102	118

1	2	3	4	5	6	7
3.	बस्तर	1	19	—	234	254
4.	बेतूल	1	22	—	198	221
5.	भिंड	1	23	1	230	255
6.	भोपाल	3	59	2	65	129
7.	बिलासपुर	1	33	—	249	283
8.	छतरपुर	1	23	1	200	225
9.	छिन्दवाड़ा	1	28	1	235	265
0.	दमोह	1	19	2	139	161
11.	दन्तेवाडा	—	14	—	156	170
12.	दतिया	—	9	—	89	98
13.	देवास	1	17	1	150	169
14.	धाम्तरी	—	7	—	86	93
15.	धार	1	17	11	181	210
16.	डिन्डोरी	—	8	—	110	118
17.	दुर्ग	2	56	—	269	327
18.	गुरिया	1	23	2	173	199
19.	ग्वालियर	2	43	1	147	193
20.	हारडा	—	6	2	62	70
21.	होशंगाबाद	1	24	2	150	177
22.	इंदौर	2	61	2	107	172
23.	जबलपुर	1	52	3	116	172
24.	जन्जगीर	—	22	—	262	284
25.	जशपुर	—	13	—	150	163
26.	झाबुआ	1	17	—	154	172
27.	कनकेर	1	11	—	144	156
28.	कटनी	1	23	1	196	221
29.	कवरधा	—	3	—	64	67

1	2	3	4	5	6	7
30.	खंडवा	1	33	2	192	228
31.	खरगोन	1	18	5	163	187
32.	कोरबा	1	22	—	70	93
33.	कोरिया	—	18	—	81	99
34.	महाशुमान्ड	—	7	—	126	133
35.	मान्डला	1	10	—	91	102
36.	मंदसौर	1	21	3	148	173
37.	मुरैना	1	16	1	183	201
38.	नरसिंहपुर	1	17	—	165	183
39.	नीमच	1	22	4	127	154
40.	पन्ना	—	14	1	140	155
41.	रायगढ़	1	14	—	245	260
42.	रायपुर	1	53	—	320	374
43.	रायसेन	1	16	5	188	210
44.	राजगढ़ (बीया)	1	17	4	144	166
45.	राजनन्दगांव	1	15	—	138	154
46.	रतलाम	1	26	7	150	184
47.	रीवा	1	37	—	299	337
48.	सागर	1	44	2	192	239
49.	सतना	1	26	2	260	289
50.	सिंहोर	1	22	8	137	168
51.	सियोनी	1	18	—	177	196
52.	हडोल	1	27	—	212	240
53.	शाजापुर	1	22	2	154	179
54.	शेयोपुरकाला	1	5	—	57	62
55.	शिवपुरी	—	20	5	198	224
56.	सिधी	1	19	—	183	203

1	2	3	4	5	6	7
57.	सरगुजा	1	13	—	170	184
58.	टीकमगढ़	1	19	—	165	185
59.	उज्जैन	1	35	9	156	201
60.	उमारिया (शहडोल)	—	6	—	61	67
61.	विदिशा	1	18	2	142	163
	जोड़	52	1358	98	9853	11361

[अनुवाद]

शुल्क में कमी

546. श्री तिरूनावक्करसू: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने हेतु सेलुलर मोबाइल टेलीफोन, लम्बी दूरी की टेलीफोन सुविधा, इंटरनेट और एसटीडी सुविधाओं के शुल्क को कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबध में अंतिम निर्णय कब तक किया जायेगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) टीआरएआई अधिनियम 1997 के प्रख्यापन के बाद टैरिफ निर्धारण के कार्य भारतीय दूरसंचार विनयामक प्राधिकरण को सौंप दिये गये हैं। इस प्रश्न में उल्लिखित प्रत्येक सेवा से संबंधित स्थिति इस प्रकार है:

1. *सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन्स:*

स्थायी लाइसेंस शुल्क से राजस्व हिस्सेदारी में लाइसेंस शुल्क व्यवस्था परिवर्तन होने के संदर्भ में प्राधिकरण सेल्यूलर मोबाइल टैरिफ की समीक्षा कर रहा है। जिससे प्रचालकों पर वित्तीय भार कम हुआ है।

2. *लंबी दूरी एसटीडी और आईएसडी कालें:*

मार्च 1999 के अपने आर्डर के जरिए टीआरएआई ने औसतन 20 प्रतिशत लंबी दूरी (एसटीडी और आईएसडी) दरें कम कर दी हैं जो 1 मई 1999 से प्रभावी हो गई हैं।

3. इंटरनेट:

टैरिफ निर्धारण, बाजार घटकों पर छोड़ दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग का सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अनुमोदन किया जाना

547. श्री सुकदेव पासवान: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुजफ्फर नगर-दरभंगा-फारबिसगंज-पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग का सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अनुमोदन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सड़क पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) कार्य के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं, यह सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग (एक्सप्रैस मार्ग) के रूप में अनुमोदित नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सीसा-युक्त पेट्रोल के उत्पादन पर प्रतिबंध

548. डा. अशोक पटेल:
श्री रामपाल सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्पूर्ण देश में सीसा रहित पेट्रोल की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए सभी तेल शोधनशालाओं में सीसायुक्त पेट्रोल के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्णय को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, हां। 1.10.99 से रिफाइनरियों ने पेट्रोल में सीसा मिलाना बंद कर दिया है।

(ग) पूरे देश में सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों पर 1.2.2000 से केवल सीसा रहित पेट्रोल की ही आपूर्ति की जा रही है।

[अनुवाद]

विकासात्मक परियोजनाओं हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थापित किया जाना

549. श्री नरेश पुगलिया: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांच हेक्टेयर से कम वन भूमि संबंधी राज्यों की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने हेतु कुछ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में महाराष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु महाराष्ट्र के चन्द्रपुर या नागपुर में एक पृथक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जाने की मांग है; और

(घ) यदि हां, तो इन स्थानों पर कब तक इस तरह का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालयों, उनके मुख्यालयों तथा उनके क्षेत्राधिकार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां। इस मंत्रालय को नागपुर में अलग क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की मांग प्राप्त हुई है।

(घ) चन्द्रपुर या नागपुर में अलग क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। तथापि कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए यह मंत्रालय महाराष्ट्र सहित उपयुक्त स्थानों में उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने पर विचार कर रहा है लेकिन वित्तीय कठिनाइयों तथा नई जनशक्ति एवं अवसंरचना के सृजन पर प्रतिबंध होने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया है। इस समय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ही महाराष्ट्र की विकास परियोजनाओं पर विचार कर रहा है।

विवरण

क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालय तथा उनके क्षेत्राधिकार

क्र.सं.	क्षेत्र	मुख्यालयों का स्थान	क्षेत्राधिकार
1.	पूर्व	भुवनेश्वर	उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केन्द्र शासित प्रदेश अण्डमान एवं निकोबार।
2.	दक्षिण	बंगलौर	गोआ, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा लक्षद्वीप एवं पांडिचेरी केन्द्र शासित प्रदेश।
3.	पश्चिम	भोपाल	गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव के केन्द्र शासित प्रदेश।
4.	मध्य	लखनऊ	राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश।
5.	पूर्वोत्तर	शिलांग	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम
6.	उत्तर	चण्डीगढ़	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, दिल्ली तथा केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़।
7.	पूर्वी पठार या अपर ईस्ट	रांची	बिहार और पश्चिम बंगाल।

टिप्पणी: वित्तीय कठिनाइयों तथा नई जन शक्ति और अवसंरचना के सृजन पर रोक होने के कारण रांची में क्षेत्रीय कार्यालय में कार्य शुरू किया जाना है।

इंटरनेट सेवाएं

550. **श्री भीम दाहाल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का (एम.टी.एन.एल.) दिल्ली और मुम्बई में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में विशेषकर खीरी और लखनऊ में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) एमटीएनएल ने दिल्ली और मुंबई में वर्तमान 3500 पोर्ट से 10000 पोर्ट तक पोर्ट क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) जी हां।

(घ) लखनऊ में मौजूदा इंटरनेट नोड का उच्चतम क्षमता में उन्नयन किया जा रहा है और एक इंटरनेट नोड खीरी में संस्थापित किया जाना है। तथापि, लखनऊ और खीरी में इंटरनेट सेवाएं लखनऊ के मौजूदा नोड से स्थानीय कॉल आधार पर पहले से ही मौजूद है।

[हिन्दी]

राजस्थान में विद्युत की मांग और उत्पादन

551. **प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राजस्थान को केन्द्रीय और राज्य विद्युत परियोजनाओं से अलग-अलग किस दर पर बिजली की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक सरकार से राजस्थान की किस विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है/ लंबित पड़ी है;

(ग) इन परियोजनाओं का किस प्रकार वित्त पोषण किए जाने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में इन परियोजनाओं के सुचारू कार्यकरण हेतु क्या योजना तैयार की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) उत्तरी क्षेत्र के एनटीपीसी, एनएचपीसी और एनपीसीआईएल के विद्यमान केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं से विद्युत क्रय, जिससे राजस्थान को भी अपना विद्युत का हिस्सा मिल रहा है, का टैरिफ निम्न प्रकार से है:

परियोजना का नाम	टैरिफ (पैसे/कि.वा. घं.)
(एनटीपीसी)	
सिंगरौली	66.65
रिहन्द	122.51
एफजीयूटीपीएस	153.03
दादरी	119.40=14.5.99 की स्थिति अनुसार
औरैया	103.41
अन्ता	99.34
(एनएचपीसी)	(1999-2000 हेतु)
सलाल चरण-1 और 2	40.49
चमेरा चरण-1	104.54
टनकपुर	64.80
उड़ी	99.61
एनपीसीआईएल (न्यूक्लीयर पावर कार्पोरेशन)	
नरौरा एपीएस राजस्थान एपीएस)	164.27 (20.5.98 से 31.3.2001 तक)
राजस्थान एपीएस-2	टैरिफ अभी निश्चित किया जाना है।

राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1997-98 के लिए राजस्थान में स्थित ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की औसत लागत क्रमश: 169.65 पैसे/कि.वा. घं. और 27.23 पैसे/कि.वा. घं. थी।

(ख) (1) राजस्थान की ताप विद्युत परियोजनाओं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी

गई है/दी जानी है का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

स्वीकृत परियोजनाएं/मूल्यांकित

1.	धौलपुर सीसीजीटी	707.7 मे.वा.
2.	बारसिंगसर लिग्नाइट टीपीपी	2×500 मे.वा.
3.	अन्ता सीसीजीटी चरण-2, एनटीपीसी	650 मे.वा.
4.	मथानिया समन्वित सोलर कम कम्बाईंड साइकिल प्लांट	140 मे.वा.
5.	आरएसईबी की सूरतगढ़ टीपीएस चरण-2	2×250 मे.वा.

डीपीआर स्वीकृत किया जाना है

1.	रामगढ़ सीसीजीटी चरण-2, आरएसईबी	71 मे.वा.

(2) राजस्थान राज्य में 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कोई भी जल विद्युत परियोजना पिछले तीन वर्षों से अब तक के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत होनी शेष नहीं है और न ही लंबित है।

(ग) के.वि.प्रा. के समक्ष प्रस्तुत अस्थायी वित्तीय पद्धति के अनुसार परियोजनाओं के वित्तपोषण की प्रक्रिया का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(1) धौलपुर एवं बरसिंगसर परियोजनाओं का प्रवर्तन निजी प्रवर्तकों द्वारा किया जाता है। परियोजना को भारतीय एवं विदेशी संस्थानों से ऋण एकत्रण कर नॉन रिसॉर्स प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

(2) अन्ता चरण-2 के लिए एनटीपीसी ने अपने आंतरिक संसाधन से इक्विटी के लिए वित्तीय योगदान (परियोजना लागत का 30%) तथा शेष खर्च के लिए घरेलू एवं विदेशी संस्थानों से वाणिज्यिक ऋण की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है।

(3) मथानिया आईएससीसी संयंत्र का वित्त पोषण ग्लोबल एनवारामेंट फंडिंग (यूएसए), केएफडब्ल्यू(जर्मनी) एवं भारत सरकार (परियोजना की लागत का 45%) द्वारा तथा शेष खर्च केएफडब्ल्यू (जर्मनी) (परियोजना की लागत का 49%) तथा राजस्थान सरकार के इक्विटी के जरिए उगाहा जाएगा।

(4) सूरतगढ़ चरण-2 का वित्त पोषण पीएफसी के जरिए राज्य सरकार के योजना सहायता तथा वाणिज्यिक बैंक/ लीज फाइनेंसिंग (परियोजना की कुल लागत का लगभग 64%) और शेष खर्च राजस्थान रा.वि. बोर्डों के इक्विटी के द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है।

(5) रामगढ़ सीसीजीटी का वित्तपोषण मुख्यत: राज्य सरकार से ऋण जो इसके वार्षिक योजना प्रावधानों के जरिए आवंटित है, के द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है। पीएफसी/ अन्य वित्तीय संस्थानों से भी इसके लिए ऋण सहायता लेने का प्रस्ताव है।

(घ) राजस्थान सरकार ने अपने विद्युत क्षेत्र को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है और इसी संदर्भ में एक अधिनियम पहले ही पारित किया जा चुका है। अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के विकेन्द्रीकरण एवं वितरण क्षेत्र के निजीकरण का भी विचार है। विद्युत नियामक आयोग भी स्थापित किया जा चुका है। इन उपायों से परियोजनाओं का कार्य सुचारू रूप से चलने में सहायता होगी।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में संशोधन

552. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रमुख पत्तनों को अवलम्बनकारी आधारभूत ढांचा प्रदान करने के लिए प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रमुख पत्तनों का निजीकरण करने अथवा उनके लिए संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु प्रस्तावित उपाय कौन-कौन से हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) महापत्तन न्यास (संशोधन), विधेयक, 1998 राज्य सभा में 4 दिसम्बर, 1998 को प्रस्तुत किया गया था। विधेयक को संसद की परिवहन एवं पर्यटन संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया

था। संसद की परिवहन एवं पर्यटन संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सभा को 8.3.1999 को प्रस्तुत की और दिनांक 4.3.1999 को इसे लोक सभा के पटल पर रखा गया था। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिए गए ब्यौरों के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों की सिफारिश की है।

(ग) से (ङ) सरकार ने महापत्तनों में निजी क्षेत्र की सहभागिता और महापत्तनों में शामिल होने वाले संयुक्त उद्यम संस्थापनाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं। निजी क्षेत्र की अनेक परियोजनाएं अनुमोदित की गई है। ऐसी परियोजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

अनुमोदित निजी क्षेत्र/आबद्ध पत्तन परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पत्तन का नाम
1.	कंटेनर टर्मिनल (2 बर्थ)	जवाहर लाल नेहरू (ज.ने.प.)
2.	तरल कार्गो बर्थ	ज.ने.प.
3.	पांचवीं तेल जेटी	कांडला
4.	तेल जेटियां	कांडला
5.	कंटेनर टर्मिनल	तूतीकोरिन
6.	बहुउद्देश्यीय बर्थ 5क और 6क	मुरगांव
7.	एसपीआईसी इलैक्ट्रिक कार्पोरेशन के लिए आबद्ध कोयला बर्थ	तूतीकोरिन
8.	ओसवाल फर्टीलाइजर्स के लिए आबद्ध बर्थ	पारादीप
9.	कंटेनर टर्मिनल का विकास और प्रचालन	कांडला

[हिन्दी]

नई टेलीफोन योजना

553. **श्री शिवराज सिंह चौहान:**
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1500 रुपए में नया टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की योजना की शुरुआत किये जाने के पश्चात् से दिल्ली में अब तक कितने नए टेलीफोन कनेक्शन जारी किये गये हैं;

(ख) क्या टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की इस योजना को देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी नए टेलीफोन कनेक्शनों को साथ-ही-साथ चालू कर दिया जा रहा है;

(ङ) क्या इस प्रकार के कनेक्शन लगाए जाने के पश्चात् प्रथम टेलीफोन बिल में कुछ अतिरिक्त धनराशि वसूल की जा रही है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अत्यधिक कठिनाई हो रही है;

(ज) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त योजना पर पुनर्विचार करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) दिल्ली में शुरू की गई 1500 रु. वाली योजना में लगभग 45000 नये टेलीफोन कनैक्शन दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां। सभी टेलीफोन सर्किलों में मुख्य महाप्रबंधकों को प्राधिकृत किया गया है कि वे त्योहारों आदि जैसे विशेष अवसरों पर फ्लैक्सीबल पंजीकरण शुल्क तय कर सकते हैं। योजना, अण्डमान एवं निकोबार, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्वी), पश्चिम बंगाल, मध्य-प्रदेश दूरसंचार सर्किलों तथा कलकत्ता टेलीफोन्स में समय-समय पर आपरेटिव होती हैं।

(घ) योजना के अंतर्गत किए गए पंजीकरणों को निपटाया जा रहा है और दूरभाष सतत रूप से दिये जा रहे हैं।

(ङ) कोई अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाता है। कॉल प्रभारों को छोड़कर पहले बिल में किराया, संस्थापना शुल्क और एक वर्ष का अग्रिम किराया, उपभोक्ता द्वारा पहले से दिए गए रजिस्ट्रेशन शुल्क का समायोजन करने के बाद प्रभारित किया जाता है।

(च) से (छ) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टाटा द्वारा दिल्ली विद्युत बोर्ड का अधिग्रहण

554. श्री रामजीवन सिंह:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाटा ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के अधिग्रहण सहित इसके उत्पादन कार्य और विद्युत के वितरण हेतु प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रणाधीन है। दिल्ली विद्युत बोर्ड ने सूचित किया है कि अभी तक उन्हें टाटा से ऐसा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

केरल में सड़क परियोजनाओं हेतु लंबित प्रस्ताव

555. श्री के. मुरलीधरन: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित सड़क परियोजनाओं हेतु केरल राज्य सरकार से प्राप्त कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) राज्य लोक निर्माण विभाग से अभी हाल में लगभग 70 करोड़ रु. लागत के 37 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की जा रही है।

इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों तथा पहचान-पत्रों का उपयोग

556. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चुनाव आयोग ने विधान सभा चुनावों में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों से मतदान कराने तथा पहचान पत्रों के उपयोग को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चुनाव आयोग ने देश के प्रत्येक पात्र नागरिक को पहचान पत्र जारी करने का कार्य पूरा कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (घ) जी, हां। लोक सभा और कतिपय विधान सभाओं अर्थात् मध्य प्रदेश, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में हुए पिछले साधारण निर्वाचनों में और अभी हाल ही में हरियाणा और उड़ीसा के लिए निर्वाचनों में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का व्यापक रूप से और सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। यद्यपि, मतदान के समय निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत किया जाना अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है, फिर भी निर्वाचन आयोग ने हाल ही में हुए हरियाणा में राज्य विधान सभा के निर्वाचन में, उनके प्रस्तुत किये जाने या कोई विनिर्दिष्ट या कोई अन्य अनुकल्पित सबूत प्रस्तुत करने पर बल दिया है, जब कि यह राज्य अपने 86.82% निर्वाचकों को फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने में समर्थ रहा है। विभिन्न राज्यों में निर्वाचकों को फोटो पहचान पत्र जारी किये जाने की प्रगति के संबंध में वस्तु-स्थिति रिपोर्ट दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि निर्वाचकों को फोटो पहचान पत्र जारी किया जाना एक निरंतर चलने और जारी रहने वाली स्कीम है और इसलिए व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं है कि किसी नियत समय पर देश में सभी नागरिकों को इस स्कीम के अधीन लाया जा सके।

विवरण

भारत का निर्वाचन आयोग

निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों के संबंध में प्रगति की वस्तुस्थिति रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		कुल निर्वाचक	निर्वाचक जिन्हें पहचान पत्र जारी किया गया है	3 के % के रूप में 4 का प्रतिशत
1	2		3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	अक्तूबर, 99	49,140,231	32,568,406	66.28
2.	अरूणाचल प्रदेश	मई, 99	565,283	371,734	65.76
3.	असम	मई, 98	12,575,854	67,479	0.54
4.	बिहार	अप्रैल, 98	58,438,317	21,681,836	37.10
5.	गोवा	जनवरी, 99	878,707	525,575	59.81
6.	गुजरात	नवम्बर, 99	29,507,882	23,177,051	78.55
7.	हरियाणा	अक्तूबर, 99	10,998,748	9,549,245	86.82
8.	हिमाचल प्रदेश	नवम्बर, 99	3,740,172	2,653,669	70.95
9.	जम्मू-कश्मीर		5,022,782	0	0.00
10.	कर्नाटक	दिसम्बर, 98	33,052,802	24,046,881	72.75
11.	केरल	अप्रैल, 99	21,152,899	15,327,431	72.46
12.	मध्य प्रदेश	दिसम्बर, 98	44,640,047	27,706,647	62.07
13.	महाराष्ट्र	मई, 99	56,173,068	44,261,305	78.79
14.	मणिपुर	जुलाई, 99	1,330,299	1,033,733	77.71
15.	मेघालय	सितम्बर, 98	1,157,450	644,140	55.65
16.	मिजोरम		441,844	0	0.00
17.	नागालैंड	दिसम्बर, 98	925,831	625,996	67.61
18.	उड़ीसा	जनवरी, 99	23,373,512	18,129,314	77.56
19.	पंजाब	अक्तूबर, 99	15,677,459	10,803,963	68.91
20.	राजस्थान	नवम्बर, 99	29,738,496	21,331,325	71.73
21.	सिक्किम	जुलाई, 99	252,190	200,077	79.34

1	2	3	4	5	6
22.	तमिलनाडु	अक्तूबर, 99	45,577,323	24,834,054	54.49
23.	त्रिपुरा	मई, 99	1,725,809	1,229,931	71.27
24.	उत्तर प्रदेश	फरवरी, 99	101,943,066	53,027,456	52.02
25.	पश्चिमी बंगाल	मई, 99	46,832,298	36,013,308	76.90
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	दिसम्बर, 98	231,928	180,805	77.96
27.	चंडीगढ़	अप्रैल, 99	538,607	381,048	70.75
28.	दादरा और नागर हवेली	मार्च, 99	95,832	67,000	69.91
29.	दमन और दीव	फरवरी, 99	71,931	45,645	63.46
30.	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली	अगस्त, 98	8,364,773	5,705,390	68.21
31.	लक्षद्वीप	फरवरी, 99	36,738	31,813	86.59
32.	पांडिचेरी	मई, 99	665,486	555,675	83.50
	सकल भारत का योग		604,867,664	376,777,932	62.29

ऑलिव रिडले कच्छप

557. श्री राम नायडू दग्गुबाटी:
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:
श्री प्रभात सामन्तराय:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिना रोकटोक मछली पकड़ने के कारण भारत के महत्वपूर्ण समुद्री संसाधनों, विशेषकर उड़ीसा के तटों पर ऑलिव रिडले कच्छपों को खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के तटों पर मछुआरों द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ने के खतरे से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) सभी प्रयत्नों के बावजूद समुद्री संसाधनों में फिशिंग से संबंधित कुछ दुर्घटनाएं, विशेषकर उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं (लेपिडोचेलिस ओलिवासिया) के साथ घट रही है।

(ख) इन कछुओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं जो निम्नलिखित हैं:

1. ऑलिव रिडले कछुए, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में रखे गये है जिसके मामले में अपराध की सजा छ: वर्ष की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना हो सकती है।
2. ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के सभी नेस्टिंग स्थलों को उड़ीसा समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम, 1982 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत "मत्स्यन निषेध क्षेत्र" घोषित किया गया है। ये तीन "नेस्टिंग" स्थल निम्नलिखित हैं:
   (1) धामरा नदी मुहाने से हुकीटोला द्वीप के मध्य गहीरमाथा के सामने का तटीय जल
   (2) देवी नदी मुहाने के सामने का तटीय जल
   (3) रूशीकुल्या नदी मुहाने के सामने का तटीय जल
3. गहीरमाथा "सी टरटल ब्रीडिंग" और "नेस्टिंग ग्राऊंड्स" तथा आसपास के तटीय जल को "कवर" करने वाले गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य को 27.9.1997 को अधिसूचित किया गया है।

4. समुद्री कछुओं के संरक्षण संबंधी पहलुओं का पुनरावलोकन/मानीटर करने के लिए 1996 से उड़ीसा के मुख्य मत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जा चुकी है।

5. समुद्री कछुओं सहित समुद्री संसाधनों के सर्वोत्तम हित में मछली विनियमन अधिनियम, 1982 और वन्यजीव अधिनियम, 1972 के उल्लंघन को रोकने के लिए वन विभाग की नावों द्वारा नियमित तौर पर गश्त की जाती है। अभयारण्य की सीमाओं में अवैध रूप से मछली पकड़ने वालों को पकड़ने में राज्य पुलिस भी वन विभाग की सहायता करती है। कुछ मछली पकड़ने वाली नावों, जिन्होंने वन्यजीव अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया, को जब्त कर लिया गया और उनके नाविकों पर इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया गया। उड़ीसा सरकार के मत्स्य विभाग ने मछली पकड़ने वाले जाल के लिए टी ई डी (टरटल एक्सक्लूसन डिवास) का प्रयोग निर्धारित किया है।

6. भारत सरकार के भारतीय तट-रक्षक भी अवैध रूप से मछली पकड़ने को रोके जाने के लिए समुद्री कछुओं की उपरोक्त "नेस्टिंग ग्राऊंड्स" के साथ लगे खुले समुद्र के क्षेत्र में गश्त लगाते हैं।

7. समुद्री संसाधनों की सुरक्षा के लिए सामरिक महत्व की दृष्टि से अनुकूल स्थानों पर संचार सुविधाओं से लैस सुरक्षा कैम्प स्थापित किये हैं।

8. मीडिया (ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन) तथा डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इंडिया, भारतीय वन्यजीव सुरक्षा सोसायटी आदि जैसे गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से जन-जागृति अभियान चलाये जाते हैं। स्थानीय लोगों विशेषकर मछली पकड़ने वाले समुदायों को शमिल करके भी जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

9. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने उड़ीसा और भारत के पूर्वी तट में ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं की सुरक्षा के लिए एक समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना आरम्भ की है। प्रारंभिक तौर पर परियोजना की अवधि दो वर्ष है तथा इसको और लम्बी अवधि तक बढ़ाए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

स्पीड पोस्ट सुविधा

558. **श्री हरिभाई चौधरी:**
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय किन-किन शहरों/कस्बों में स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध है और 2000-2001 के दौरान देश में राज्य-वार कहां-कहां यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने का विचार है;

(ख) स्पीड पोस्ट द्वारा डाक वितरण में कितना समय लगता है;

(ग) सरकार द्वारा देश में स्पीड पोस्ट सेवाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गुजरात के किन-किन जिला मुख्यालयों में अब तक स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ङ) इसके क्या कारण हैं;

(च) राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(छ) 1999-2000 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) दिनांक 1.2.2000 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट नेटवर्क से जुड़े 97 शहरों/कस्बों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) एक राष्ट्रीय केन्द्र से दूसरे राष्ट्रीय केन्द्र के बीच स्पीड पोस्ट वस्तुओं के वितरण में डाक में सौंपे जाने वाले दिन को निकालकर 1 से 3 दिन का समय लगता है। यह समय उन केन्द्रों की संबंधित भौगोलिक परिस्थितियों तथा उनके बीच उपलब्ध ढलाई के साधन पर निर्भर करता है।

(ग) डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवा का कार्यकुशल प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- समर्पित कर्मचारियों द्वारा वितरण;

- वितरण का मशीनीकरण;

- ग्राहकों के परिसर से निशुल्क पिक-अप सेवाएं;
- बुकिंग एवं वितरण का कम्प्यूटरीकरण;
- ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली की शुरुआत; तथा
- गुणवत्ता की मॉनीटरिंग

(घ) निम्नलिखित जिला मुख्यालयों में स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध नहीं है:

(1) अहवा (डांग)
(2) अमरेली
(3) भरूच
(4) भावनगर
(5) भुज
(6) दाहोद
(7) गोदरा
(8) हिम्मतनगर
(9) जूनागढ़
(10) जामनगर
(11) महेसाणा
(12) नाडियाड
(13) नवासाडी
(14) पालनपुर
(15) पत्तन
(16) पोरबन्दर
(17) राजपिपला
(18) सुरेन्द्र नगर
(19) वलसाड

(ङ) और (च) स्पीड पोस्ट एक प्रीमियम सेवा है जो समयबद्ध वितरण की गारंटी प्रदान करती है। इसे व्यावसायिक आधार पर चलाया जाता है। इस नेटवर्क का विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है जो बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है।

(छ) आवश्यकता के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण

1.02.2000 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्र

आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, विशाखापतनम, तिरुपति, विजयवाडा
असम	गुवाहाटी, सिल्चर, डिब्रूगढ़, जोरहाट
बिहार	पटना, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, मुजफ्फरपुर
दिल्ली	दिल्ली
गुजरात	अहमदाबाद/गांधी नगर, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट
जम्मू व कश्मीर	श्रीनगर, जम्मू
केरल	कोचीन, त्रिवेन्द्रम, अलुवा (अल्वाये), कालीकट, त्रिचूर, क्विलोन, कोट्टायम, तिरुवल्ला
कर्नाटक	बेंगलूर, मेंगलूर, मैसूर, उदुपी, हुबली, धारवाड़, बेलगाम, गुलबर्गा, रायचूर
मध्य प्रदेश	इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, रायपुर, जबलपुर
उत्तर पूर्व	अगरतला, इम्फाल, शिलांग, ऐजवाल, दीमापुर, कोहिमा
पंजाब	चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर
हिमाचल प्रदेश	शिमला
हरियाणा	फरीदाबाद, गुड़गांव, अम्बाला, पानीपत
उड़ीसा	भुवनेश्वर, कटक
राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर
तमिलनाडु	चेन्नई, कोयम्बटूर, त्रिची, मदुरै, सलेम, कांचीपुरम, पांडिचेरी, तिरूपुर, होसुर, नागरकोइल, तूतीकोरिन
उत्तर प्रदेश	कानपुर, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, देहरादून, बरेली, नोएडा, गाजियाबाद
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता, हावड़ा, सिलीगुड़ी, गंगतोक
एपीएस	56 एपीओ, 99एपीओ

[अनुवाद]

मीटर में पूर्व दर्ज हुए बिना की गई कालों संबंधी घपला

559. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:
डा. रमेश चंद तोमर:
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेरठ टेलीफोन एक्सचेंज में मीटर में दर्ज हुए बिना की गई कालों के घपले का भंडाफोड़ हुआ है, जैसाकि दिनांक 26 जनवरी, 2000 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो घपले की कार्य-प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को इस विशेष घपले के कारण कितना अनुमानित घाटा हुआ;

(घ) क्या मीटर में दर्ज हुए बिना की गई कालों के ऐसे ही घपले दूर-संचार अधिकरियों की सांठ-गांठ से अन्य शहरों और कस्बों में फल-फूल रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे घपले रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं। 26 जनवरी, 2000 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित ऐसे किसी घपले का पता नहीं चला है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) और (ङ) कुछ सूचनाएं मिली हैं जिसमें एसटीडी/आईएसडी सुविधाओं के दुरुपयोग की घटनाएं ध्यान में आई हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्य-प्रणाली अपनायी गयी है। अगर कोई दूरसंचार कर्मचारी इसमें शामिल होता है तो उसकी तत्काल जांच की जाती है और प्रत्येक मामले में उचित कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त अलग-अलग प्रौद्योगिकियों के महत्वपूर्ण अध्ययन किये गये हैं और प्रणालियों में उपयुक्त आशोधन करने का निर्णय लिया गया है और इस तरह के दुरुपयोगों को रोकने के लिए इन्हें कार्यान्वित किया गया है। सभी फील्ड अधिकारियों को ऐसे संभव दुरुपयोग पर विशेष निगरानी रखने के लिए अनुदेश दिये गये हैं।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की हाइड्रोकार्बन्स संबंधी रिपोर्ट

560. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र की तेल-कंपनियों पर "हाइड्रोकार्बन विजन-2000" रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई मुख्य सिफारिशों और प्रेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकारी क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू)/सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस रिपोर्ट की सिफारिशों पर प्रस्तावित कार्यवाही का बैरा क्या है; और

(ङ) विचाराधीन/हाल ही में तैयार अन्य मुख्य सुझावों का ब्यौरा क्या है और उनका क्या प्रभाव होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम-उत्पादनों में आत्म-निर्भरता

561. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से देश में पेट्रोल और डीजल की मांग को पूरा करने के लिए आयातित पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999 के दौरान दिसंबर तक देश में पेट्रोल और डीजल की मांग के पृथक-पृथक अनुमान क्या रहे हैं;

(ग) उक्तावधि के दौरान इन उत्पादों के आयात में कितनी मात्रा में बढ़ोत्तरी हुई; और

(घ) इन वर्षों के दौरान उक्त उत्पादों की मांग में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान पेट्रोल तथा डीजल की मांग एवं आयात निम्नवत थे:

(मिलियन टन)

वर्ष	मांग		आयात	
	पेट्रोल	डीजल	पेट्रोल	डीजल
1997-98	5.182	36.071	0.331	14.075
1998-99	5.511	36.887	0.251	10.485
1999-2000 *(अप्रैल-दिसम्बर)	4.386	29.537	नगण्य	4.108

*अनंतिम
आयात आंकड़ों में निजी पक्षकारों द्वारा किया गया आयात शामिल नहीं है।

(घ) भारत में ईंधन की प्रति व्यक्ति खपत विश्व की औसत खपत की तुलना में अभी भी बहुत कम है। देश में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास मांग में हाल की वृद्धि के लिए उत्तरदायी पहलू है।

कर्नाटक में नेफ्था आधारित द्रव्य ईंधन विद्युत परियोजना को मंजूरी

562. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने नई केन्द्र सरकार से राज्य की नेफ्था आधारित द्रव्य ईंधन विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकार का अनुरोध किस तिथि से लंबित पड़ा है;

(ग) इसके परियोजना-वार कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 31.1.2000 की स्थितिनुसार अपेक्षित ब्यौरे और सभी निवेश और के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) को दर्शाने वाला ब्यौरा नीचे दिया गया है:

परियोजना का नाम/ उत्पादक कम्पनी का नाम	क्षमता (मे.वा.)	के.वि.प्रा. में प्राप्ति की तिथि	लंबित निवेश/स्वीकृतियां
1	2	3	4
नंजनगुई सीसीपीपी (मै. आईपीएस पावर कम्पनी)	96.7	21.4.1998	केन्द्रय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जल उपलब्धता पर अंत:राज्यीय प्रस्ताव।
हासन सीसीपीपी (मै. हासन पावर सप्लाई कम्पनी लि.)	189	31.12.97	के.वि.प्रा. ने इस स्कीम को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिनांक 28.5.1999 को विचार किया तथा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना विकासकर्त्ता द्वारा हार्ड कॉस्ट में से 51 करोड़ रुपये कम तथा अतिरिक्त

1	2	3	4
			20 करोड़ रुपए कम करने और साफ्ट कॉस्ट को उचित स्तर तक कम करने पर ही परियोजना पर विचार किया जाएगा। लंबित निवेश/स्वीकृतियां केन्द्रीय जल आयोग जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जल उपलब्धता की दृष्टि से अंत:राज्यीय प्रस्ताव है।
मांड्या सीसीपीपी (मै. मांड्या पावर पार्टनर्स प्रा.लि.)	164.4	31.12.97 (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की दिनांक 31.1.2000 को संशोधित विस्तृत परि-योजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त हुई हैं।	लंबित निवेश/स्वीकृतियां विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा-29(2)-राजपत्र में संशोधित क्षमता और लागत के लिए शुद्धि पत्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र-केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय से जल उपलब्धता सुनिश्चित पूर्ण लागत, संशोधित क्षमता के लिए पुन: वैधीकरण विद्युत उत्पादन कंपनी के पक्ष में ईंधन लिंकेज की बढ़ोत्तरी और अंतरण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से ईंधन परिवहन स्वीकृति-संशोधित क्षमता, वित्तीय क्षमता के पुन: वैधीकरण इत्यादि के अनुपालन में है।

(घ) उपर्युक्त स्कीमों को संबंधित परियोजना प्राधिकारियों द्वारा लंबित निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

रोहतांग दर्रा के नीचे सुरंग का निर्माण

563. **श्री सुरेश चन्देल:**
श्री महेश्वर सिंह:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और रक्षा मंत्रालय के परामर्श से हिमाचल प्रदेश के लाहोल स्पीती जिले और लद्दाख को जोड़ने के लिए रोहतांग दर्रे के नीचे एक सुरंग बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना उनके मंत्रालय को सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना पर निर्माण कार्य को कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं। सुरंग के निर्माण के लिए निवेश निर्णय आगे जांच हो जाने के बाद ही लिया जाएगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दक्षिणी राज्यों में विद्युत उत्पादन में वृद्धि

564. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:**
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दक्षिणी राज्यों में विद्युत उपलब्धता बढ़ाने के साधनों का पता लगाने के लिए एक कार्य दल की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कार्य दल ने कोई कार्य योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो कार्य योजना लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को केरल से राज्य को आवंटित की गई बिजली का कोटा कम से कम 15 प्रतिशत बहाल करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हाँ। विद्युत आपूर्ति स्थिति की समीक्षा करने तथा दक्षिणी क्षेत्र में बिजली उपलब्धता में सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित की गई है।

(ख) और (ग) समिति अभी अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) क्षेत्र के घटक राज्यों में बिजली की कमी तथा क्षेत्र विशेष में राज्यों की आपात/मौसम संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों के अनावंटित कोटे से विद्युत आवंटन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दिसम्बर, 99 में दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति स्थिति की समीक्षा की। फरवरी, 2000 से जून, 2000 के दौरान केरल में बिजली आपूर्ति की स्थिति अन्य दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों की तुलना में ठीक-ठाक होने का अनुमान है। इसलिए अनावंटित कोटे में से केरल का आवंटन 5% (22 मे.वा.) से शून्य कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में ग्राम-सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा

565. श्री पी.आर. खुंटे:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, मध्य प्रदेश के विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों और बिहार के सहरसा और सुपौल जिलों में जिलावार ऐसे कितने ग्राम हैं, जिनमें ग्राम-सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा दी गई है और कितने ग्रामों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) 2000-2001 के दौरान इन राज्यों में स्थान-वार ऐसे कितने, टेलीफोन उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों सहित बहुत से गांवों तथा बिहार में सहरसा और सुपौल जिलों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है। गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई सुविधा की सूचना निम्नानुसार है:

		मध्य प्रदेश	बिहार	सहरसा जिला	सुपौल जिला
गांवों की संख्या		71526	79208	438	517
31.01.2000 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा युक्त गांव		43615	21856	287	275
ग्रामीण टेलीफोन सुविधा रहित ग्राम		27911	57352	151	242
गत तीन वर्षों के दौरा प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन	1997-98	3878	2615	56	48
	1998-99	3707	2137	42	24
	1999-2000 (31 जनवरी, 2000 तक)	334	503	16	12

जिलावार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार की वर्ष 2000-2001 के दौरान 3,000 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन मध्य-प्रदेश में तथा 17,700 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन बिहार में प्रदान करने की योजना है। ग्रामीण-सार्वजनिक टेलीफोन उन स्थानों पर प्रदान किये जाते हैं जहां पर लोग आसानी से पहुँच सकें।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदान किए गए सार्वजनिक टेलीफोन

क्र.सं.	जिले का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000 (21.2.2000 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	बालाघाट	124	152	80
2.	बस्तर	12	230	23
3.	बेलूल	14	260	15
4.	भिन्ड	87	28	0
5.	भोपाल	43	0	0
6.	बिलासपुर	20	350	166
7.	छत्तरपुर	24	55	0
8.	छिन्दवाड़ा	117	307	131
9.	दमोह	13	42	0
10.	देतिया	0	0	0
11.	देवास	36	33	0
12.	धार	3	0	0
13.	दुर्ग	5	134	28
14.	गुना	172	39	0
15.	ग्वालियर	0	0	0
16.	होशंगाबाद	112	81	0
17.	इंदौर	72	23	0
18.	जबलपुर	194	50	0
19.	झबुआ	218	17	0
20.	खंडवा	38	0	0

1	2	3	4	5
21.	खरगांव	102	154	94
22.	मांडला	33	143	39
23.	मंदसौर	251	81	0
24.	मुरैना	135	34	0
25.	नरसिंहपुर	100	152	114
26.	पन्ना	59	0	0
27.	रायगढ़	13	170	48
28.	रायपुर	0	200	20
29.	रायसैन	179	19	0
30.	राजगढ़	63	30	0
31.	राजानंदगांव	0	0	0
32.	रतलाम	170	15	0
33.	रीवा	12	70	0
34.	सागर	140	41	0
35.	सरगुजा	0	120	0
36.	सतना	202	101	0
37.	सिहौर	75	65	0
38.	सियौनी	90	222	148
39.	शहडोल	160	101	0
40.	शाजापुर	110	79	0
41.	शिवपुरी	302	70	0
42.	सिद्दी	29	0	0
43.	टीकमगढ़	14	5	0
44.	उज्जैन	154	0	0
45.	विदिशा	185	34	0
	कुल	3878	3707	906

बिहार के लिए राज्यवार आंकड़े

क्र.सं.	जिले का नाम	बसे हुए गांवों की कुल सं.	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए कुल गांवों की सं.	इन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की कुल सं.		
				1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7
1.	आरा	993	453	96	24	58
2.	अररिया	703	336	34	52	51
3.	औरंगाबाद	1738	382	48	36	24
4.	बांका	1618	411	80	63	41
5.	बेगूसराय	687	412	29	12	60
6.	बबुआ	1309	166	44	11	00
7.	भागलपुर	803	633	147	112	72
8.	बोकम	373	308	48	100	30
9.	बक्सर	813	210	58	11	47
10.	छपरा	1560	403	28	36	120
11.	चतरा	1411	91	00	05	00
12.	दरभंगा	1063	420	24	12	72
13.	देवधर	2927	345	24	40	12
14.	धनबाद	1820	514	96	198	56
15.	दुमका	1712	910	72	48	12
16.	पूर्वी चंपारण	1275	595	78	72	48
17.	पूर्वी सिंहभूम	1576	298	52	00	21
18.	गया	2650	464	48	48	24
19.	गढ़वा	851	174	00	21	29
20.	गिरीडीह	2865	365	38	36	05
21.	गौणा	1599	169	48	12	12
22.	गोपालगंज	1372	265	12	20	30

1	2	3	4	5	6	7
23.	घुमला	1393	268	48	26	12
24.	हजारीबाग	1258	461	48	42	08
25.	जहानाबाद	853	225	26	04	06
26.	जमुई	1288	218	52	40	39
27.	कटिहार	1224	315	58	60	48
28.	खगरिया	241	276	24	12	36
29.	किशनगंज	715	224	32	34	36
30.	कोडरमा	281	162	10	36	08
31.	लखीसराय	373	169	39	14	12
32.	लोहारडागा	353	184	22	10	04
33.	मधेपुरा	368	273	41	08	04
34.	मधुबनी	1029	543	24	14	72
35.	मुंगेर	504	210	46	36	24
36.	मुजफ्फरपुर	1712	483	54	48	04
37.	नालंदा	999	469	64	140	16
38.	नवादा	958	263	21	21	12
39.	पुकुर	1119	69	12	08	01
40.	पटना	1284	805	136	138	22
41.	पलामू	2126	311	06	36	30
42.	पुर्निया	1081	449	66	48	46
43.	रांची	2038	562	112	84	12
44.	रोहतास	1698	310	69	16	01
45.	सहरसा	438	287	42	36	16
46.	साहिबगंज	1286	118	30	22	12
47.	समस्तीपुर	1104	490	24	12	72
48.	सेवहर	337	64	05	04	01
49.	शेखपुरा	230	136	34	24	12

1	2	3	4	5	6	7
50.	सीतामढ़ी	647	468	54	48	02
51.	सिवान	1432	237	12	24	30
52.	सुपौल	517	275	44	36	12
53.	वैशाली	1402	515	80	29	44
54.	पश्चिम चम्पारण	1357	330	54	53	23
55.	पश्चिम सिंहभूमि	2280	430	62	02	34

पेट्रोल वाहनों को डीजल वाहनों में बदला जाना

566. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोल वाहनों को डीजल वाहनों में बदले जाने पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने वाहनों में ऐसे बदलाव किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह मंत्रालय ऐसे कोई आंकड़े संकलित नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

कंपनी अधिनियम तथा "कारपोरेट" कानून में परिवर्तन

567. श्री कृष्णमराजू: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 में कतिपय परिवर्तन किए जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनियों के दिवालियापन संबंधी कानून तथा कंपनियों के पुनर्गठन का अध्ययन करने हेतु किसी समिति का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है;

(च) क्या विभिन्न कारपोरेट कानूनों में भी परिवर्तन किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सभी प्रस्तावित परिवर्तनों को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) सरकार ने कम्पनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को लोक सभा में 23 दिसम्बर, 1999 को पुर:स्थापित किया है। इस विधेयक में कारपोरेट शासन तथा निवेशक संरक्षण पर अत्यावश्यक उपबन्ध निहित हैं। इस विधेयक को वर्तमान सत्र में पारित किये जाने का प्रस्ताव है। एक अन्य विधेयक नामश: कम्पनी विधेयक, 1997, जिसे 14.8.97 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था, गृह मामलों संबंधी विभाग की स्थायी समिति को भेजा गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने 22.10.99 को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है जिसमें कम्पनियों की कार्यवाहियों के समापन से संबंधित विद्यमान कानून की जांच करने के लिए विशेषज्ञ होंगे ताकि कारपोरेट कानून और शासन में अद्यतन विकास तथा नए परिवर्तन के अनुरूप इसे पुनर्गठित किया जा सके, और

इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में अनावश्यक विलम्ब से बचने हेतु कम्पनियों के दिवालियापन से संबंधित कार्यवाहियों में विभिन्न स्तरों पर अपनाई गई प्रक्रिया में सुधार के सुझाव दिये जा सकें।

यह समिति निम्नलिखित के बारे में जांच करेगी व सिफारिशें देगी:

(क) कम्पनियों के समापन से संबंधित वर्तमान कानून में परिवर्तन करने की वांछनीयता ताकि कम्पनियों के अंतिम समापन में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके और विलम्ब से बचा जा सके।

(ख) वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से समापन आदेश जारी करने के बाद कम्पनियों का प्रबंध चलाया जाएगा तथा प्राधिकार जो कार्यवाहियों का समय से पूरा किये जाने का पर्यवेक्षण करेगा।

(ग) समापन के नियम तथा कम्पनियों के दिवालिएपन का न्यायनिर्णय।

(घ) जिस तरीके से कम्पनियों की परिसम्पत्तियों को बिक्री के लिए लाया जाता है और प्राप्ति को कुशलता से आबंटित किया जाता है; और

(ङ) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 तथा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 को ध्यान में रखते हुए कम्पनियों के समापन पर एक स्वत: पूर्ण नोट ताकि निवेशकों, लेनदारों, श्रमिकों और अन्य शेयर धारकों के मन में विश्वास पैदा किया जा सके।

समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

(1)	श्री न्यायमूर्ति वी. बालकृष्ण इराडी, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश	–	अध्यक्ष
(2)	श्री एस रमैय्या, भूतपूर्व सचिव, विधायी विभाग	–	सदस्य
(3)	श्री सुबोध भार्गव, सीआईआई के नामजद	–	सदस्य
(4)	प्रोफेसर सी.जी. राघवन, भूतपूर्व डीन, प्रोफेसर तथा विधि विभाग के विभागाध्यक्ष, नागपुर विश्वविद्यालय	–	सदस्य
(5)	श्री ए.वी.संभाशिवा राव, एडवोकेट, उपाध्यक्ष, आल इंडिया भारतीय मजदूर संघ	–	सदस्य
(6)	श्री वी.के. भसीन, विधायी काउंसेल	–	सदस्य
(7)	श्री जी.एम. राममूर्ति, मुख्य महाप्रबंधक (विधि), आईडीबीआई	–	सदस्य
(8)	श्री यू.पी. माथुर, एडवोकेट	–	सदस्य
(9)	श्री अदुल श्रोफ, एडवोकेट, दिल्ली	–	सदस्य
(10)	श्री एस.बी. माथुर, निदेशक (जांच एवं निरीक्षण) कम्पनी कार्य विभाग	–	सदस्य-सचिव

(ङ) समिति अपनी रिपोर्ट अपनी पहली बैठक की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी।

(च) और (छ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों की जांच करने और एक आधुनिक प्रतिस्पर्धा कानून का प्रस्ताव करने हेतु 25.10.99 को एक समिति का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता श्री एस.वी. एस. राघवन करेंगे। समिति अपनी रिपोर्ट 31.3.2000 तक दे सकेगी।

(ज) कम्पनी अधिनियम, 1956 में परिवर्तन कम्पनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 और कम्पनी विधेयक, 1997 को संसद द्वारा पारित किये जाने पर निर्भर करता है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में परिवर्तन एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबंधों की जांच करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। सरकार के पास एक बार रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर ही सरकार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में संशोधन करने हेतु कदम उठाएगी।

दूरसंचार विभाग द्वारा सेलुलर फोन सुविधा

568. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे नगरों में दूरसंचार विभाग के माध्यम से सेलुलर फोन सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नगरों के चुनाव हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं;

(ग) देश में राज्यवार कौन-कौन से नगरों और नगर पालिकाओं का चुनाव किया गया है; और

(घ) कौन-कौन से नगरों में काम शुरू हो चुका है और कौन-कौन से नगरों में 2000-2001 के दौरान शुरू किये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) दूरसंचार सेवा विभाग ने देश के चार राज्यों में प्राथमिक रूप से अग्रगामी परियोजना के रूप में सेल्यूलर टेलीफोन सुविधाएं आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। विभिन्न कार्य-स्थितियों में ऐसी प्रणाली का प्रचालन करके अनुभव प्राप्त करने के लिए क्षेत्रों का चयन किया गया है। अग्रगामी परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के बाद इन सेल्यूलर सेवाओं की व्यापक रूप से शुरुआत करने के लिए मामले पर विचार किया जाएगा। अग्रगामी परियोजना के लिए प्रस्तावित शहर संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रस्ताव सेवाओं के शुरू होने की संभावना है।

विवरण

सर्किल	शहर
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
	विजयवाड़ा
	तिरुपति
	गुन्टूर
	विशाखापटनम
	अमलापुरम
	काकीनाडा
बिहार	पटना
	बिहारशरीफ
	हाजीपुर
	बध
	अराह
	राजगीर
तमिलनाडु	चेन्नई
	मदुरई
	कोयम्बटूर
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
	हल्दिया

निजी दूरसंचार ऑपरेटरों को हॉटलाइनों का आवंटन

569. **डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में निजी दूरसंचार ऑपरेटरों या उनके एजेन्टों को राज्यवार कितनी हॉटलाइनें (डिडिकेटेड लाइनें) आवंटित की गई;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान निजी आपरेटरों द्वारा इन लाइनों का वाणिज्यीकरण करने के बाद इससे सरकार को कितनी आय प्राप्त हुई;

(ग) इन लाइनों को अनिवार्य रूप से वाणिज्यीकृत न बनने के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निजी दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा नियमों के उल्लंघन किए जाने के कई मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और ऐसी कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ङ) उपभोक्ताओं को, हॉटलाइन/स्पीच सर्किट सामान्य तौर से, प्वाइंट-टू-प्वाइंट आधार पर पूर्ण रूप से निजी प्रयोग के लिए प्रदान किया जाता है। दूरसंचार विभाग, प्रदान किये गये हॉट लाइन के लिए किराया ले रहा है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 की घोषणा के बाद, बुनियादी सेवाओं सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं, इंटरनेट सेवाओं आदि जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए लाइसेंस जारी किये गये हैं। इन लाइसेंसधारियों द्वारा हॉट लाइन को पट्टे पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, अपने नेट वर्क एलिमेंट को जोड़ने के लिए वे लीज लाइन लेते हैं ताकि वे जनता को वैसी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सके जिसे प्रदान करना उनके लाइसेंस के अनुसार आवश्यक है।

तार अधिनियम

570. **श्री के. येरननायडू:**
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेतार के क्षेत्र में सरकार की नई योजना नीति के मद्दे नजर तार अधिनियम, 1885 आज असंगत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम को कब तक संशोधित कर संगत व अद्यतन बनाया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) भारतीय तार अधिनियम 1885 को समय-समय पर संशोधित किया गया है ताकि इस क्षेत्र की बदलती हुई आवश्यकताएं पूरी हो सकें। दूरसंचार सेक्टर में बड़े परिवर्तनों और प्रौद्योगिकीय विकास को देखते हुए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित ग्रुप द्वारा इस अधिनियम की समीक्षा की जा रही है। इस ग्रुप के मार्च 2000 के अंत तक अपनी रिपोर्ट दिये जाने की संभावना है।

विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश

571. **श्रीमती रानी नरह:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए समीचीन स्थिति पैदा करने हेतु अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया गया है;

(ग) भारत में कितने विदेशी निवेशक निवेश करने के लिए तैयार है;

(घ) इस समय निर्माणाधीन विदेशी निवेशकों की कुल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके पूरा हो जाने के पश्चात् कुल कितनी विद्युत पैदा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) विद्युत उत्पादन और वितरण में क्षमता अभिवृद्धि के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से विदेशी निवेशकों समेत निजी उद्यमों द्वारा निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए 1991 में एक नीति लागू की गई थी। विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए विदेशी इक्विटी हेतु स्वत: अनुमोदन के प्रयोजनार्थ सरकार ने विद्यमान दिशा-निर्देशों की समीक्षा की है और ऐसी परियोजनाओं के लिए स्वत: अनुमोदन हेतु प्रावधानों के कार्यक्षेत्र में विस्तार किये जाने का निर्णय लिया है। तदनुसार विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण संबंधी परियोजनाओं को स्वत: अनुमोदन रूट के आधार पर 100% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते ऐसी किसी भी परियोजना में विदेशी भागीदारी 1500 करोड़ रुपये से अधिक न हों।

वर्तमान में केन्द्रीय सरकार समझौता ज्ञापन/आशय पत्र आदि रूट (जिसकी लागत 100 करोड़ रु. से भी ज्यादा है) तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली रूट (जिसमें 1000 करोड़ रु. से भी ज्यादा की लागत शामिल है) के आधार पर संस्थापित विद्युत क्षमता के 54,967 मेगावाट विद्युत क्षमता के बराबर के 95 निजी विद्युत परियोजनाओं की मॉनिटरन कर रही है। इनमें विदेशी विकासकर्ताओं द्वारा प्रवर्तित 59 परियोजनाएं, जिनकी क्षमता 36,700 मेगावाट है, भी शामिल हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार निजी विद्युत क्षेत्र में लगभग 10,500 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश पहले ही किया जा चुका है। उपर्युक्त परियोजनाओं में से विदेशी विकासकर्त्ताओं समेत उन परियोजनाओं का, जो निर्माणाधीन हैं, ब्यौरा तथा इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर विद्युत उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मे.वा.)	प्रवर्तक
दाभोल सीसीजीटी-फेज-II	महाराष्ट्र	1444	एनरान
महेश्वर एचईपी	मध्य प्रदेश	400	महेश्वर हाईडल पावर
कोन्डापल्ली सीसीजीटी	आंध्र प्रदेश	350	कोन्डापल्ली पावर कोरपोरेशन
पिल्लईपेरू मलनाल्लुर सीसीजीटी	तमिलनाडु	330.5	पीपीएन पावर जेनरेशन कंपनी
वेमागिरी सीसीजीटी (नाप्था)	आंध्र प्रदेश	492	इस्पात पावर लिमिटेड
नेवेली टीपीपी	तमिलनाडु	250	एसटी-सीएमएस
समयानल्लुर डीजीपीपी	तमिलनाडु	106	बालाजी पावर
समलपट्टी डीजीपीपी	तमिलनाडु	106	समलपट्टी पावर

खतरनाक अपशिष्ट मानकों संबंधी समिति

572. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री अवतार सिंह भडाना:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़े गए संसाधित रसायनिक अपशिष्ट और ठोस पदार्थों को फेंकने की समस्या का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खतरनाक अपशिष्ट मानकों और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में एक समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, हां। शोधित रसायनिक अपशिष्टों तथा औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़े गए ठोस पदार्थों की डम्पिंग के बारे में कई अध्ययन किए गए हैं। परिसंकटमय रसायन अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए शोधन, भंडारण तथा निपटान की सभी सुविधाएं स्थापित करने के लिए सरकार ने कुछ स्थल-विशिष्ट अध्ययन भी किए है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 30 अक्तूबर, 1998 को परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन पर एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है। दल के विचारार्थ विषयों में प्रयोगशाला प्रमाणन के लिए पैरामीटरों की सिफारिश करना, परिसंकटमय अपशिष्टों को जमीन के भरने के लिए विनिर्देश तैयार करना तथा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 के कार्यान्वयन से संबंधित नीतिगत मुद्दों की जांच करना शामिल है। अब तक दल की दो बैठकें हो चुकी हैं। परिसंकटमय अपशिष्टों को भूमि में भरने के लिए मानदण्डों पर चर्चा की गई है।

अपशिष्टों का पुन: प्रयोग और उनका निपटान

573. **श्री के.पी. सिंह देव: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अपशिष्टों के पुन: प्रयोग और इनके निपटान हेतु प्रभावी रणनीतियां तैयार करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) जी, हां। अपशिष्टों के पुन: प्रयोग और उचित निपटान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विधायी और गैर विधायी उपाय अपनाए गए हैं। विधायी उपायों में नगर ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण और उचित निपटान पर प्रारूप नियमों की अधिसूचना शामिल है अर्थात् नगर ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1999। इन नियमों का नियम 8(1) प्रतिलभ्य पदार्थों के पुन: प्रयोग पर बल देता है। अपशिष्टों के अन्य विधायी उपायों में परिसंकटमय अपशिष्ट के प्रबंधन और हथालन पर अधिसूचना अर्थात् परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1989 तथा बाद में इसमें किया गया संशोधन, जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998 और फ्लाई ऐश तथा पुन: प्रयोज्य प्लास्टिक के उपयोग पर अधिसूचनाएं शामिल है।

पर्यावरण हितैषी पुन: प्रयोज्य और पुन: उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नानफेरस मेटेलिक अपशिष्ट प्रयुक्त तेल और प्रयुक्त लीड एसिड बैटरीज की उपलब्धता को केवल वास्तविक प्रयोगकर्ताओं तक सीमित कर दिया गया है। कुछ नगरपालिका निकायों को जैव अपशिष्टों की कम्पोस्टिंग सहित नगर पालिका अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। अपशिष्टों के न्यूनीकरण और स्वच्छ प्रौद्योगिकियां अपनाने को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिकों के लंबित मामलों का निपटान

574. **श्री राधा मोहन सिंह:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने, सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों को वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों) से संबंधित मामलों का तेजी से निपटान करने का निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने 22 अप्रैल, 1999 को लिखा था कि उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा 65 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित मामलों

को पूर्विक्ता के आधार पर निपटाया जाए। तारीख 3 और 4 दिसंबर, 1999 को आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में यह आशा की गई थी कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की उक्त संसूचना के अनुसरण में "विभिन्न उच्च न्यायालय, 65 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों के मामलों को, यथासाध्य पूर्विक्ता के आधार पर, शीघ्रता से निपटाए जाने के लिए प्रभावी रूप से कार्रवाई करेंगे।" सरकार ने मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन द्वारा इस बाबत पारित किए गए संकल्प को, सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों को जानकारी और समुचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दिया है।

[अनुवाद]

पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

575. श्री ए. नरेन्द्र: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में निर्णय लिए जाने से पूर्व आम नागरिक तथा उद्योगपतियों के विचार मांगे गए थे तथा उन पर विचार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के संबंध में हाल ही में जारी नियमों तथा विनियमों के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) पेट्रोलियम उत्पादों की खपत न्यूनतम करने के लिए किए गए विभिन्न उपाय अर्थव्यवस्था के औद्योगिक, परिवहन, कृषि और घरेलू क्षेत्रों में उनके संरक्षण पर केन्द्रित रहते हैं। इनमें वर्धित ईंधन कुशलता के अनुकूल पद्धतियों को अपनाना, व्यर्थ पद्धतियों पर नियंत्रण करना, ईंधन कुशल उपस्करों, सिंचाई पंपसेटों, मिट्टी तेल और एल पी जी चूल्हों और प्रकाश उपकरणों के इस्तेमाल को क्रमश: औद्योगिक, कृषि और घरेलू क्षेत्रों में बढ़ावा देना शामिल है। जागृति उत्पन्न करने के लिए व्यापक बहु-माध्यम संचार अभियान चलाए जाते हैं। इसके साथ-साथ कार्यशालाओं, उपभोक्ता सम्मेलनों और संगोष्ठियों के आयोजन के अलावा ऊर्जा निरीक्षण और ईंधन तेल निदान अध्ययन आयोजित किये जाते हैं। कुशलता में सुधार करने के लिए अभिप्रेत आर एण्ड डी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का राष्ट्रव्यापी संदेश फैलाने के लिए औद्योगिक संघों, वाणिज्यिक मंडलों, संस्थाओं, सरकार के सभी स्तरों पर सक्रिय गैर सरकारी संगठनों, पंचायत, महिला मंडलों, युवा मंचों, आवासीय कल्याण संघों आदि के माध्यम से एक व्यापक नेटवर्किंग दृष्टिकोण अपनाया गया है।

रसोई गैस के नए कनेक्शन जारी करना

576. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000 में रसोई गैस के 110 लाख और कनेक्शन जारी करने का है;

(ख) क्या इसके राज्यवार आबंटित किये जाने हेतु कोई सूची तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस 110 लाख गैस कनेक्शनों को जारी किये जाने पर इनके समुचित क्रियान्वयन हेतु रसोई गैस की कितनी नई एजेंसियां खोली जायेंगी;

(ङ) क्या रसोई गैस की नई एजेंसियों को खोलने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) एल पी जी की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, वितरक के पास उपलब्ध बकाया और व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए देशभर में चरणबद्ध तरीके से नए एल.पी.जी. कनैक्शन जारी किये जाते हैं। तथापि, 1.12.1999 तक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत सभी प्रतीक्षा सूचियों को निपटाने के लिए सरकार को वर्ष 2000 के दौरान 1 करोड़ एल.पी.जी. कनैक्शन जारी करने की योजना है।

(घ) से (च) नई एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करना एक सतत् प्रक्रिया है जोकि मांग आदि पर निर्भर है। वितरकों का चयन निर्धारित पद्धति के अनुसार वितरक चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है।

कृषि खपत में घोटाला

577. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 नवम्बर, 1999 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "स्कैम बिहाइंड इनफ्लेटेड फार्म कंजम्पशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के संबंध में तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) कृषि क्षेत्र द्वारा विद्युत खपत की काफी हद तक मीटरिंग नहीं की जाती है। प्रकाशित आंकड़े राज्य विद्युत बोर्डों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। प्रथम दृष्टि में कृषि क्षेत्र द्वारा विद्युत खपत के दर्शाए गए आंकड़े विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। इस समस्या के निदान हेतु राज्य विद्युत बोर्डों से कृषि उपभोक्ताओं समेत सभी उपभोक्ताओं को मीटर प्रदान करने और विद्युत ऊर्जा खपत के सभी क्षेत्रों की ऊर्जा गणना के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रसोई गैस कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची

578. **श्री रघुराज सिंह शाक्य:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के इटावा, औरैया, कन्नौज और मैनपुरी जिलों में रसोई गैस कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त जिलों में प्रतीक्षा सूची को निपटाने और मांग पर रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 31 जनवरी, 2000 को उत्तर प्रदेश के निम्नांकित जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों के पास नए एल पी जी कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

इटावा	21824
औरैया	600
कन्नौज	7454
मैनपुरी	4411

(ख) नए एल पी जी कनेक्शन देश भर में, एल पी जी उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, वितरकों के पास उपलब्ध बकाया एवं इनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध तरीके से जारी किये जाते हैं। तथापि सरकार की, 1 दिसंबर, 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत समस्त प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए वर्ष 2000 के दौरान 1 करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की योजना है।

[अनुवाद]

राजधानी में यातायात की भीड़-भाड़ की समस्या

579. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री साहिब सिंह:
श्री शिवाजी माने:
श्री रामपाल सिंह:
श्री एम.वी.वो.एस. मूर्ति:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजधानी में यातायात की समस्या से निपटने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा किन-किन उपायों का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राजधानी के समक्ष गंभीर यातायात की समस्या को हल करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ङ) एन सी आर पी बी शहरी विकास और रोजगार मंत्रालय के तहत है और उनसे उत्तर प्राप्त किया जा रहा है।

तेल शोधन क्षमता बढ़ाने संबंधी परियोजना

580. श्री पी.सी. थामस: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन तेल शोधन कारखाना, केरल ने अपनी तेलशोधन क्षमता बढ़ाने संबंधी परियोजना की मंजूरी के लिए एक योजना सरकार को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त परियोजना को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) अगस्त, 1998 में कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड (सी आर एल) ने अपनी कच्चा तेल परिशोधन क्षमता को 7.50 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 13.50 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(ग) और (घ) दिनांक 8.1.1999 को सम्पन्न हुई पीआईबी पूर्व बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया था और सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी) के विचारार्थ इसकी संस्तुति की गई थी। पी आई बी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

पत्तनों का निजीकरण

581. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पत्तनों का निजीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) महापत्तन न्यासों को निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए खोल दिया गया है और इसके लिए निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाया गया है:

(1) पत्तन की मौजूदा परिसम्पत्तियों को पट्टे पर देना।

(2) अतिरिक्त परिसम्पत्तियों जैसे कंटेनर टर्मिनलों, बहुउद्देश्यीय कार्गो बर्थों और विशिष्ट कार्गो बर्थों, वेयर हाउसिंग, भण्डारण सुविधाओं, टैंक फार्मों, कंटेनर फ्रेट स्टेशनों का निर्माण/सृजन, आबद्ध विद्युत संयंत्रों की स्थापना आदि।

(3) पत्तन में हैंडलिंग के लिए निजी क्षेत्र से उपकरण और फ्लोटिंग क्राफ्टों को पट्टे पर लेना।

(4) पायलटिज

(5) पत्तन आधारित उद्योगों के लिए आबद्ध सुविधाएं।

राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर में प्राकृतिक गैस का अनुमान

582. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम/"शैल इंडिया" द्वारा राजस्थान में विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में प्राकृतिक गैस के कुल कितने भंडार होने का अनुमान किया गया है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम/"शैल इंडिया" द्वारा पश्चिमी राजस्थान में गैस का समयबद्ध अन्वेषण नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में तेल और प्राकृतिक गैस निगम/"शैल इंडिया" की मानीटरिंग गतिविधियों संबंधी प्रणाली क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ एन जी सी) द्वारा राजस्थान के जैसलमेर बेसिन में अपने गैस क्षेत्रों के संबंध में 1.4.99 की तारीख के अनुसार 1.41 बिलियन घनमीटर गैस के अंतिम भंडार का अनुमान लगाया गया है।

शैल इंडिया प्रोडक्शन डेवलपमेंट, बी वी नीदरलैंड्स (एस आई पी डी) ने राजस्थान उत्पादन हिस्सेदारी संविदा क्षेत्र में गैस भंडारों का अब तक कोई अनुमान नहीं लगाया है।

(ख) ओ एन जी सी पश्चिमी राजस्थान में अपने अन्वेषण गतिविधियां जारी रखे हुए है तथा इसने नौवीं योजना के दौरान

1750 जी एल के द्विआयामी भूकंपीय आंकड़े इकट्ठा करने व 5 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन करने की योजना बनाई है।

तेल तथा गैस के लिए अन्वेषण योजना मैसर्स एस आई पी डी द्वारा उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी एस सी) के तहत अपनी संविदागत बाध्यता के अनुसार निच्छादित की जा रही है।

(ग) ओ एन जी सी के कार्यनिष्पादन की उनके अन्वेषण कार्यों सहित तिमाही रूप से निगरानी की जाती है। मैसर्स एस आई पी डी के कार्यों की उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन समितियों के माध्यम से भी निगरानी की जाती है।

वी.एस.ए.टी. तथा ई.एस.एम.ओ. सेवाओं का विस्तार

583. **श्री पी.डी. एल्लानगोवन:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान "वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल" (वी.एस.ए.टी.) टर्मिनल तथा एक्सटेन्डेड मनीआर्डर स्टेशन (ई.एस.एम.ओ.) की संख्या राज्यवार कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार 2000-2001 तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वी.एस.ए.टी. तथा ई.एस.ओ. की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश के सभी जिला मुख्यालयों में उक्त सुविधाओं को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ङ) उक्त सेवाओं का शुल्क दर संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार उक्त सेवाओं हेतु वर्तमान शुल्क दरों में भी कमी करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) डाक विभाग ने 75 वेरी स्माल ऊपरचर टर्मिनल (वी-सेट्स) तथा 610 एक्सटेन्डेड सैटेलाइट मनीआर्डर स्टेशन्स (ईएसएमओ) स्थापित किए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान 44 वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल (वी-सेट्स) तथा 458 एक्सटेन्डेड सैटेलाइट मनीआर्डर स्टेशन्स (ईएसएमओ) स्थापित करने का प्रस्ताव है। जबकि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 150 वी-सैट्स तथा 1500 ईएसएमओ स्थापित किए जाएंगे। इनका वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	वी-सैट्स	ईएसएमओ
1997-98	शून्य	316
1998-99	शून्य	शून्य
1999-2000	62	266
2000-2001	44	458
2001-2002	44	458

(घ) नौवीं योजना अवधि के अंत तक यह नेटवर्क सभी महत्वपूर्ण जिला मुख्यालयों के साथ जुड़ जाएगा तथा हो सकता है कि इस परियोजना को दसवीं योजना में भी शामिल करना पड़े।

(ङ) वी-सैट/ईएसएमओ के जरिए मनीआर्डरों के अंतरण के लिए शुल्क-दर स्थल मार्ग से भेजे जाने वाले मनीआर्डरों की शुल्क दर के समान है।

(च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) उपर्युक्त (च) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ज) चूंकि समूचे नेटवर्क को अभी स्थापित नहीं किया गया है, अत: इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

विवरण

क्र.सं.	सर्किल का नाम	मौजूदा वी-सैट्स की संख्या	मौजूदा ईएसएमओ की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	33
2.	असम	4	30
3.	बिहार	6	50
4.	दिल्ली	2	30
5.	गुजरात	4	50
6.	हरियाणा	2	10

1	2	3	4
7.	हिमाचल प्रदेश	3	25
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1	5
9.	कर्नाटक	5	32
10.	केरल	4	25
11.	मध्य प्रदेश	5	28
12.	महाराष्ट्र	6	58
13.	उत्तर-पूर्व	4	10
14.	उड़ीसा	3	24
15.	पंजाब	2	30
16.	राजस्थान	4	30
17.	तमिलनाडु	4	50
18.	उत्तर प्रदेश	7	59
19.	पश्चिम बंगाल	4	30
	कुल	75	610

[हिन्दी]

उप डाकघरों तथा शाखा डाकघरों का खोला जाना

584. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:**
श्री सुनील खां:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के सहरसा और सुपौल जिलों में ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जो नये उप डाकघरों तथा शाखा डाकघरों को खोले जाने के सभी मापदंड तो पूरा करते हैं, परन्तु वहां अभी तक खोले नहीं गए हैं;

(ख) स्थानवार उक्त डाकघरों को खोले जाने के कितने प्रस्ताव संबंधित विभाग में लंबित हैं;

(ग) कब तक उक्त डाकघरों को खोले जाने की संभावना है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के निकट कांकसा थाना अंतर्गत बमुनारा गांव के निवासियों ने शाखा डाकघर खोलने के लिए वर्ष 1997 में आवेदन किया था और उसी वर्ष इस संबंध में विभागीय सर्वेक्षण भी किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक इसे खोले जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) बिहार के सहरसा तथा सुपौल जिलों में उप डाकघर तथा शाखा डाकघर खोलने के लिए फिलहाल कोई औचित्यपूर्ण प्रस्ताव नहीं है।

(ख) बिहार के सहरसा तथा सुपौल जिलों के लिए कोई भी प्रस्ताव विभाग के पास लंबित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बामुनारा में अतिरिक्त विभागीय शाखा-डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जांच वर्ष 1997 में की गई थी परन्तु वित्तीय आधार पर इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया था। चालू वार्षिक योजना 1999-2000 के दौरान इसी प्रस्ताव को पुन: उठाया गया तथा इसकी जांच की गई। नए सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर जांच के पश्चात् इसे औचित्यपूर्ण पाया गया।

(ङ) चालू वार्षिक योजना 1999-2000 में एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

दूरभाष-केन्द्रों का विस्तार

585. **श्री सुनील खां:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्ष 2000-2001 के दौरान पश्चिम बंगाल के वर्तमान दूरभाष-केन्द्रों, विशेषकर बांकुरा जिले के बरजोरा दूरभाष केन्द्र, का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बांकुरा जिले के दूरभाष-केन्द्रों में बेहतर दूरभाष सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) 2000-2001 के दौरान पश्चिम बंगाल में मौजूदा एक्सचेंजों के विस्तार की विस्तृत योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, बजोरा टेलीफोन एक्सचेंज का 1000 लाइनों तक विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(ग) उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) ओवर हेड लाइनों को धीरे-धीरे भूमिगत जेली युक्त केबलों से बदला जा रहा है।

(2) पुराने तथा घिसे-पिटे ड्रापवायरों, घरेलू वायरिंग, टेलीफोन उपकरण इत्यादि को नए से बदलना।

(3) एक्सचेंजों की पुरानी बैटरियों को नई बैटरियों से बदलना।

(4) जहां कहीं भी विद्युत-आपूर्ति विश्वसनीय नहीं है वहां अतिरिक्त इंजिन आल्टरनेटरों की व्यवस्था करना।

(5) आप्टिकल फाइबर केबल प्रौद्योगिकी जैसी विश्वसनीय संचारण मीडिया को ग्रामीण नेटवर्क में शामिल करना।

(6) दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरसंचार सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए डब्ल्यूएलएल तथा टीडीएमए/पीएमपी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाएगा।

महिलाओं को रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

586. श्रीमती गीता मुखर्जी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न जिलों में महिलाओं को रसोई गैस एजेंसियों का वितरण आबंटित करने हेतु विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा एक अभियान चलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी महिलाओं को रसोई गैस की एजेंसियां आबंटित की गई हैं तथा इनमें से कितनी महिलाएं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग की हैं, और

(ग) सरकार द्वारा उन स्थानों में, जहां जनसंख्या वृद्धि के कारण वितरक रसोई गैस की समुचित मात्रा में आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और अधिक वितरक एजेंसियां आबंटित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार स्थानों के विज्ञापन और डीलर चयन बोर्डों द्वारा चयन की सामान्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से आबंटन की गई डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण निम्नानुसार उपलब्ध कराया जाता है:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	25 प्रतिशत
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	5 प्रतिशत
अर्ध सैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक	8 प्रतिशत
रक्षा कार्मिक	8 प्रतिशत
स्वतंत्रता सेनानी	2 प्रतिशत
उत्कृष्ट खिलाड़ी	2 प्रतिशत
सामान्य श्रेणी	50 प्रतिशत

ऊपर उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी में 33 प्रतिशत डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसी श्रेणी की महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं। तदनुसार 1996-98 की विपणन योजना में विभिन्न श्रेणियों में 703 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप महिलाओं के लिए आरक्षित है। 541 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित है।

(ग) एल.पी.जी. की बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिए और एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोली जाती है, मौजूदा एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों के विस्तार पटल खोलने की अनुमति दी जाती है, विभिन्न बाजारों की एल.पी.जी. रीफिल सिलेंडरों की बिक्री की अधिकतम सीमा समय-समय पर बढ़ाई जाती है।

रक्षा और रेल मंत्रालयों द्वारा वनरोपण

587. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के दो सबसे बड़े भू-संपदा स्वामियों यथा रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने वनरोपण हेतु प्रभावी कदम उठाए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके द्वारा वनरोपण के अंतर्गत अब तक इस प्रयोजन हेतु निर्धारित लक्ष्यों से संबंधित क्षेत्र कौन-कौन से हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी हां।

(ख) रक्षा मंत्रालय द्वारा वनीकरण के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। रेल मंत्रालय वृक्षों की संख्या के संदर्भ में वनीकरण हेतु वार्षिक लक्ष्य निश्चित करता है।

(ग) रेल मंत्रालय द्वारा 1997-2000 के दौरान निर्धारित किए गए वार्षिक लक्ष्य (वृक्षारोपण लाख में) नीचे दिए गए हैं:

1997-98	1998-99	1999-2000
155	135	115

(घ) रेल मंत्रालय ने अब तक लगभग 35,000 है. रेलवे भूमि पर वनीकरण किया है इस संबंधी आंकड़ों का रख-रखाव रक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता।

[हिन्दी]

एनटीपीसी तथा एनएचपीसी के अंतर्गत ऊर्जा उत्पादन इकाईयां

588. **श्री अरूण कुमार:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1999 के अंत तक देश में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम (एनटीपीसी) और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन.एच.पी.सी.) के अंतर्गत कार्य कर रही ऊर्जा उत्पादन ईकाईयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये ऊर्जा उत्पादन ईकाइयां अपनी औसत स्थापित क्षमता से कम ऊर्जा का उत्पादन करती है; और

(ग) यदि हां, तो इन इकाईयों में से प्रत्येक के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जा रही क्षमता का वार्षिक औसत प्रतिशत क्या है और स्थापित क्षमता के अनुप्रयोग के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) एनटीपीसी और एनएचपीसी स्टेशनों का वर्ष 1998-99 और वर्ष 1999-2000 (दिसम्बर, 1999 तक) के लिए ऊर्जा उत्पादन और संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) के लक्ष्य वास्तविक लक्ष्यों की तुलना में संलग्न विवरण में दिये गये हैं। वर्ष 998-99 के दौरान और अप्रैल से दिसम्बर 1999 तक एनटीपीसी स्टेशनों का पीएलएफ क्रमश: 70.4% और 67.1% के लक्ष्यों की तुलना में 75.6% और 77.0% था। इसी वर्ष/अवधि के लिए राष्ट्रीय औसतन पीएलएफ क्रमश: 64.6% और 65.6% था।

वर्ष 1998-99 और 1999-2000 (दिसम्बर, 1999 तक) के दौरान एनएचपीसी विद्युत स्टेशनों में ऊर्जा का उत्पादन क्रमश: 8520 मि.यू. और 7852 मि.यू. के लक्ष्यों की तुलना में 9932 मि.यू. और 7347 मि.यू. था। एनएचपीसी स्टेशनों में कम उत्पादन के कारण जलाशय में कम अंत:प्रवाह और कुछ विद्युत स्टेशनों में विद्युत चैनलों में गाद उत्पन्न होना है।

विवरण

एनटीपीसी और एनएचपीसी स्टेशनों का राज्य-वार ऊर्जा उत्पादन और संयंत्र भार घटक

स्टेशन का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	ऊर्जा उत्पादन (मि.यू.)						पीएलएफ (%)			
		1998-99			1999-2000 (दिस., 99 तक)			1998-99		1999-2000 (दिस., 99 तक)	
		लक्ष्य	वास्तविक	%	लक्ष्य	वास्तविक	%	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एनटीपीसी											
थर्मल											
बदरपुर	705	4300	4867	113.2	3153	3621	114.8	69.6	78.8	67.8	77.8
सिंगरेनी	2000	15000	15814	105.4	10768	12241	113.7	85.6	90.3	81.6	92.7
रिहंद	1000	7500	6815	90.9	4820	5471	113.5	85.6	77.8	73.0	82.9
दादरी थर्मल	840	5900	6728	114.0	4377	5301	121.1	80.2	91.4	79.0	95.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कोरबा	2100	15500	15903	102.6	11146	11392	182.2	84.3	86.4	80.4	82.2
विंध्याचल	1760	8500	9610	115.4	7971	7069	88.7	77.0	88.9	74.0	85.0
रामागुंडम	2100	16000	15863	99.1	10991	12284	111.8	87.0	86.2	79.3	88.6
फरक्का	1600	5100	5470	107.3	3593	4659	129.8	36.4	39.0	34.0	44.1
कहलगाँव	840	2670	3989	149.4	2282	3082	135.1	36.3	54.2	41.2	55.6
तलचर एसटीपीएस	1000	3190	4318	135.4	2676	3648	136.3	36.4	49.3	40.5	55.3
तलचर ओल्ड	460	1800	2740	124.4	1488	1802	121.1	44.7	55.6	49.0	59.4
उच्चाहार	840	2840	3023	106.4	2819	2334	83.5	77.2	82.2	67.8	81.0
गैस आधारित											
फरीदाबाद जीटी	286	0	0	0	0	565	0				
अन्ता जीटी	419.3	2800	2926	104.5	2058	2377	115.5				
औरय्या जीटी	663.3	3900	4157	106.6	2911	3808	130.8				
दादरी जीटी	830	4000	5098	127.4	3023	3886	128.5				
कवास जीटी	656.2	2700	4354	161.3	1651	3439	208.3				
गन्धार जीटी	657.4	2500	2165	86.6	1011	1826	180.6				
कायमकुलम	350	0	0	0	1063	803	75.5				
बेरासूल	180	750	750	100.0	625	294	47.0				
चमेरा	540	1700	2362	138.9	1675	1831	109.3				
टनकपुर	902	420	480	114.3	369	354	95.9				
शैलाल	690	2800	3254	115.5	2650	2894	109.2				
उरी	480	2400	2575	107.3	2060	1606	78.0				
रंगीत	60	—	—	—	114	0	0				
लोकतक	105	450	531	118.0	359	368	102.5				

[अनुवाद]

सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल बिक्री केन्द्रों की स्थापना

589. श्री रमेश चेन्नितला: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक तेल कंपनियों की योजना देश के सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन तेल कंपनियों ने इसके बावजूद किसी नई विपणन नीति का सहारा नहीं लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में चल रही मौजूदा प्रणाली की पुनरीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) दूर-दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के विषय में विद्यमान व्यवस्था के अंतर्गत पहले ही प्रावधान है।

पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त 927 स्थान वर्तमान विपणन योजना में शामिल किए गए हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाले स्थान भी शामिल हैं।

चूककर्ता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

590. **श्री किरीट सोमैया:**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की लघु निवेशकों की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में समस्याओं का समाधान करने हेतु मशीनरी में तेजी लाने संबंधी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में चूककर्ता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कितने मामले कंपनी मामले विभाग में लंबित हैं तथा इन कंपनियों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(घ) क्या इन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से कई कंपनियों का कोई अता-पता नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनका पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) इन चूककर्ता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से प्रत्येक कंपनी में कुल कितनी धनराशि जमा/एकत्र की गई है;

(छ) इन चूककर्ता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निवेशकों की बकाया धनराशि का कब तक भुगतान कर दिए जाने की संभावना है;

(ज) क्या सभी चूककर्ता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा कंपनी ला बोर्ड द्वारा यथा आदेशित जमा राशि के पुनर्भुगतान हेतु पुन: तैयार की गई समय सीमा का पालन किया जा रहा है; और

(झ) यदि नहीं, तो इस दिशा में और अन्य क्या कदम सुझाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (झ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एन.बी.एफ.सीज.) के कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किये जाते हैं। जहां कहीं भी जमाराशि का गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा भुगतान किए जाने में चूक होती है वहां कम्पनी विधि बोर्ड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 क्यू ए के अंतर्गत आदेश पारित करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। कम्पनी विधि बोर्ड के आदेशों का अनुपालन न किए जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 58 ई के अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के विरुद्ध शास्तिक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, उनके द्वारा एकत्र की गई जमाराशि और उनके विरुद्ध लम्बित मामलों के बारे में कार्रवाई की जाने संबंधी सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में राजमार्गों को चौड़ा करना और मजबूत बनाना

591. **श्री पी. कुमारासामी:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु राज्य सरकार की पुलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के अतिरिक्त 2,907 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य रेडियल मार्गों को चौड़ा करने और उन्हें मजबूत करने संबंधी योजना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या साधनों की कमी परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन में गतिरोध उत्पन्न कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सरकार को इस संबंध में सहायता प्रदान करेगी ताकि सड़कों की खराब स्थिति शीघ्रातिशीघ्र ठीक हो सके, और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय उपक्रमों पर बकाया राशि

592. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय क्षेत्रों के उपक्रमों पर राज्य विद्युत बोर्डों की बकाया राशि के पैकेज की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीग योजना सहायता विनियोग सीमा को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य सरकारें वर्षों से कई केन्द्रीय क्षेत्र उपक्रमों को भुगतान करने में चूक करते रहे हैं। इसलिए सरकार समय-समय पर संबंधित राज्य सरकार को देय केन्द्रीय योजना सहायता से इन बकाया देय राशियों को वसूल करने का सहारा लेती रही है मई 1990 मार्च, 1994 की अवधि से संबंधित केन्द्रीय योजना सहायता से इस प्रकार की तीन वसूलियां की गई थी बकाया देय राशियों को चार वार्षिक किस्तों में वसूल किया गया था। सरकार ने 31 दिसम्बर, 1996 की स्थितिनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देय राशियों की वसूली को फरवरी, 1997 में अनुमोदन प्रदान कर दिया है तथापि केन्द्रीय योजना सहायता के जरिये वसूली अधिक से अधिक 15% सीपीए तक प्रतिबंधित की गई है। इन वसूलियों में विद्युत मंत्रालय की पीएसयू कोयला विभाग, आटोमिक एनर्जी, रेलवे तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड शामिल है।

[हिन्दी]

टॉवर प्रणाली पर आधारित टेलीफोन

593. श्री रामानन्द सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश की जिला सतना की किन-किन ग्राम पंचायतों/गांवों में ब्लॉकवार बैटरी से चलने वाले टेलीफोनों की टॉवर प्रणाली लगाई गई है;

(ख) क्या इनमें से अस्सी प्रतिशत टेलीफोन खराब पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें ठीक से काम करने लायक बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सतना जिले के प्रत्येक 7 ब्लाकों की ग्राम पंचायतों/ग्रामों में, जहां बैटरी ऑपरेटिड टावर टेलीफोनों की व्यवस्था है, वह निम्न प्रकार है:

ब्लॉक का नाम	दूरभाषों की संख्या
अमर पाटन	56
मैहर	68
मझगांव	117
नागोड़	130
रामपुर बागेलान	69
सोहावल	151
उनेरा	13

ऐसी ग्राम पंचायतों/ग्रामों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) लगभग 39 प्रतिशत टेलीफोन कार्य नहीं कर रहे हैं। बैन्डरों की सहायता से दोषयुक्त टेलीफोनों के कोष दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों तक दिन प्रतिदिन रख रखाव तथा दोष दूर करने के लिए अलग टीमें बनाई गई हैं।

विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम
1	2
ब्लाक : अमर पाटन	
1.	अडुहकी
2.	अजमेन
3.	कररा
4.	सिलपारी
5.	खुटहा
6.	बछारा
7.	जिरिया
8.	बारा

1	2
9.	घाटुई
10.	तेवधारी
11.	किरहाई
12.	सरडाका
13.	बुधुरा
14.	पागरा
15.	भद्रा
16.	धावरहरा
17.	धमाना
18.	डारी
19.	ताला
20.	शाहपारा
21.	कुल्लुहा
22.	सोनगढ़
23.	इटमा पी-जोड़
24.	पौनी
25.	डेयू
26.	आईरा
27.	काल्ला
28.	करौडी
29.	जुसीसी
30.	हरदी
31.	कोकहम
32.	असशर
33.	माहट
34.	झगइन
35.	इटमाखगुरी
36.	अमझारा
37.	नौगवान

1	2
38.	भटगवान
39.	बेंडरखा
40.	जोधपुर
41.	पटरिहा
42.	कोटरा
43.	धनुटवा
44.	बिगौरी
45.	मोहरार
46.	सांची
47.	घुईसा
48.	चकेरो
49.	डुबेही
50.	बीड
51.	पाल
52.	डिचिया
53.	बेलभुरीकला
54.	कुमटारी
55.	जरमानी
56.	छैन
ब्लाक-मैहर	
1.	कंशा
2.	देल्हा
3.	हरदासपुर
4.	भेंडा
5.	गुडागी
6.	हिनौटकला
7.	खेरा
8.	बेरमा
9.	काहरा

1	2
10.	मगरौरा
11.	नकेरा
12.	मसटवरा
13.	देवरा
14.	बुद्धगढ़
15.	कुथिलंगवान
16.	कान्हवारा
17.	टिसगिओईकला
18.	सोनवरसा
19.	सेमरा
20.	गुगड
21.	महावडर
22.	उदयपुर
23.	सूरामा
24.	मिलटोलवा
25.	अमलोला
26.	परसोखा
27.	छपरा
28.	भरूली
29.	करूंडिया
30.	घनौरा
31.	अमुवा
32.	करसोरा
33.	धानुशिंकाला
34.	जूरा
35.	हिनोटांग जनौना
36.	अमिला
37.	डुंडी
38.	उरडानी

1	2
39.	आमडानी
40.	डोरियाबला
41.	हरडौडसानी
42.	गोधवा
43.	पथराट्टा
44.	बेलहा
45.	कुटाही
46.	भरेहे
47.	करुनधीडूबे
48.	आली
49.	गोहारीजा
50.	जरियारी
51.	लुधावटी
52.	नकटरा
53.	बिनाका
54.	इथारा
55.	करूआ
56.	टिंघुटा
57.	इतमा
58.	कल्याणपुर
59.	बारेथी
60.	बोरी
61.	रूपगंज
62.	धनेडी
63.	भैंसासुर
64.	रोहिनिया
65.	टिसगोइकाखुर्द
66.	महावपरसवा
67.	लोटी
68.	टिघरा

1	2
ब्लाक : मझगांवन	
1.	पुटरीचुआ
2.	चौराहा
3.	चिटहारा
4.	बंरौधा
5.	नकेला
6.	साहपुर
7.	हीरापुर
8.	खैरमाधवा
9.	मडिनिवी
10.	बरहा
11.	चोटाही
12.	चुलुहा
13.	टडमानिया
14.	हरडीकोथर
15.	पालीयां
16.	खुटहा
17.	पिपरीटोला
18.	बरखेरा
19.	अमीवटी
20.	कुधारी
21.	हनुमानधारा
22.	कंड़ार
23.	सती अनुसूईया
24.	चौबेपुर
25.	बैरन
26.	सुकवाह
27.	प्रतापपुर
28.	करौड़ीखुर्द

1	2
29.	बैरहना
30.	गुजवाहा
31.	मौधा
32.	नखुली
33.	हरदी
34.	आमुवा
35.	सुदामापुर
36.	बरला
37.	गुंटवा
38.	वाला
39.	खडुबा
40.	पटनाकला
41.	अर्जुनपुर
42.	खिलौरा
43.	सिंहपुर
44.	महटैन
45.	पड़री
46.	टांगी
47.	खदरा
48.	जरवर
49.	पछिट
50.	कानपुर
51.	हरदीकोटद्वार
52.	पाटनखुर्द
53.	मचकुरिन
54.	खेरामाधवगांव
55.	चुंडी खुर्द
56.	बरा
57.	झकौरा

1	2
58.	किटुईहा
59.	नडाना
60.	बीमा मऊ
61.	चनवाह
62.	खोही
63.	हरडुआ
64.	करीगोटी
65.	हरवाह
66.	रेओरी
67.	देओरा
68.	रसोइया
69.	बिटमा
70.	मिशिरगांव
71.	पटनाखुर्द
72.	बहेंरा
73.	बिहाना
74.	भडनटोला
75.	नगुरा
76.	कुरेंधी
77.	जहिरा
78.	रामपुर गासी
79.	गाहिरा
80.	सोहटवा
81.	खिरौढ़ी
82.	झारी
83.	मलयौसा
84.	सेंडा
85.	रोहनिया
86.	खरौला

1	2
87.	बनहारी
88.	किशनपुर
89.	बधाधा
90.	ऊंचाहार
91.	हीरापुर बेलहारा
92.	मौरियां
93.	हरदी जागीर
94.	जेलानी
95.	बंका
96.	बारपुर
97.	बरहा
98.	गुप्त गोदावरी
99.	नरडाहा
100.	पाथ कुचहर
101.	पालडिहो
102.	गुडवा
103.	हरिहरपुर
104.	लोखनवाह
105.	जनुवानी
106.	विटमा विजयपाप
107.	बरा
108.	कांच
109.	झोटा
110.	शिकारी
111.	टिगरा
112.	मचखाड
113.	पिपरावेन
114.	डोमहाई
115.	पिपरा

1	2
116.	कडिला
117.	बाउमरोही
ब्लाक : नागोड	
1.	पुजनारी
2.	सेमरिया
3.	अमलिया
4.	पिपराखार
5.	अफारहर
6.	चकडाही
7.	सरेन
8.	मझियाईकला
9.	राजहौल
10.	गिजहाटी
11.	अनकुईआ
12.	सरडोबा
13.	करहिटाखुर्द
14.	बिरवौली
15.	मुलनो
16.	बावूपुर
17.	हधा
18.	राजाह
19.	सकौना
20.	सतनारघुनटपटी
21.	राजपुर
22.	ठजनेही
23.	माधी
24.	सोमरवाड़ी
25.	सडवा
26.	बड़ापत्थर

1	2
27.	चन्द्राकुनिया
28.	रेनूवाखुर्द
29.	फुरटलखुर्द
30.	उरडन
31.	मझगवनखुर्द
32.	बंधाओन
33.	घुनहर
34.	कचलोहा
35.	उमरी
36.	बिलौंधा
37.	बांधी
38.	खमरियापुर
39.	पिपरिया
40.	बचवरी
41.	धेनखेर
42.	माओहारी
43.	अहीरगांव
44.	दिलौरा
45.	वीरपुर
46.	तुरी
47.	इटमाकला
48.	कोहुटा
49.	भारुहरा
50.	लखा
51.	वारी
52.	नौनिया
53.	पालिब
54.	झिगोडर
55.	चौनाब

1	2
56.	कपूरी
57.	डरकाछी
58.	टिकुरी
59.	बेला
60.	लालचडना
61.	लोहाडर
62.	कथोनकला
63.	पाकर
64.	अमलिया
65.	खामची
66.	गोगवरिया
67.	बसीधर
68.	हिलारधा
69.	खाईरी
70.	जिंगार
71.	डुबहिया
72.	रामपुर
73.	पोटरौनथा
74.	जाधवपुर
75.	सोमारी
76.	मडटोला
77.	माझगवन
78.	लखमथ
79.	चन्द्राकुनवा
80.	अकुना
81.	दुर्गापुर
82.	नूनगरा
83.	शिवराजपुर
84.	सामरीकोठर

1	2
85.	चिंडा
86.	डेओरा
87.	मधोखार
88.	नकटी
89.	कुलगधी
90.	अटरबिंडिया
91.	डरचिया
92.	डावर
93.	बरहा
94.	अमलिया
95.	मटरीमेन्द्रा
96.	पवरिया
97.	डुरेह
98.	कोटा
99.	डौटोना
100.	उमारी
101.	कहिरूआ
102.	बरकुनिया
103.	बिऔरी
104.	खखरौधा
105.	खमरीबंधी
106.	कोडर
107.	इटोरकला
108.	सिहाटी
109.	धौराहा
110.	श्यामनगर
111.	कचनूर
112.	कोठनखुर्द
113.	उमरहाट

1	2
114.	बरेथिया
115.	कंवल
116.	बरेहा
117.	रेरूआंकला
118.	शाहपुर
119.	टुरकहा
120.	बुलहाड
121.	मोहूझार
122.	पढवाड़ा
123.	धमाहा
124.	अमा
125.	रेवाड़ी
126.	पंगुरा
127.	मझुगवन
128.	भिटारी
129.	लालपुर
130.	डिलौरी
ब्लाक : रामपुर बागेलन	
1.	सगोनी
2.	सलेहा
3.	जनार्दनपुर
4.	करमऊ
5.	छिबौरा
6.	कटिया
7.	टेवानी
8.	भाटिया
9.	कूंड
10.	मिहिडलकला
11.	डागरहाट
12.	मझीयार
13.	पटराही
14.	देओमऊ
15.	खारी
16.	बीरानी
17.	खमरिया
18.	बीहरकलां
19.	पगराखुर्द
20.	लौनलंच
21.	राजखार
22.	अकनोआ
23.	गजगवन
24.	गजन
25.	महीडोलखुर्द
26.	बरटी
27.	मधीसोनवरसा
28.	चरमरी
29.	माझीयारकोटर
30.	चुलाही
31.	बेला
32.	बरिहा
33.	कोनियाकोटर
34.	रेनूनगर
35.	टोपा
36.	लिलटा
37.	रामनगर
38.	रिछाहारी
39.	खगौरा
40.	नेमुवा

1	2
41.	मोहनिया
42.	गलचटा
43.	पगराकला
44.	देओरा
45.	अटारहर
46.	मरौवा
47.	रघुनाथपुर
48.	शिवपुरवा
49.	कृष्णगढ़
50.	रेओ मौडलडल
51.	कोटहारी
52.	बागही
53.	कोडिया
54.	मालगांव
55.	किटहा
56.	देवमऊ
57.	बिहरा-2
58.	जमुना
59.	सोनवरसा
60.	दुआरी
61.	खरियाकोटर
62.	सोनौरा
63.	करपवाहकोठर
64.	खमहा
65.	कलवालिया
66.	पटनकला
67.	गुमकला
68.	गुड्डुरु
69.	बर्धाडीह

सतना जिले के टावर प्रणाली के बैटरी आपरेटिड ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन वाले गांव के नाम

क्र.सं.	गांवों के नाम
1	2
ब्लाक : सोहावल	
1.	कलबावन
2.	पुरेनी
3.	खमरियागढ़
4.	बमहेरी
5.	छापीयाडी
6.	अटहरा
7.	मागीगर
8.	कमा रूरिया
9.	भरिनकला
10.	पोइधकला
11.	मिलेहना
12.	भारजुनकला
13.	गौरिया
14.	रामस्थान
15.	अमोधकला
16.	बाबूपुर
17.	रागरेली
18.	कुवां
19.	कुडिया
20.	पवाईया
21.	भटियाकलां
22.	लिलौरी
23.	पैंधाकला
24.	देवरीकलां
25.	हारखर
26.	महुटा
27.	रायकुरा

1	2
28.	करकला
29.	गौरी
30.	गिरडी
31.	बछवाई
32.	खामखाज
33.	वडखार
34.	खोरगांव
35.	देवीपुर
36.	डाडीछुरा
37.	पवाईया
38.	टुररा
39.	टुकरीखुड
40.	सर्बहनी
41.	उमरी शारदानगर
42.	जमोडी
43.	सेमरा
44.	मोहनी
45.	कैमा उलमुनन
46.	टिकुरी कोलटार
47.	लालपारा
48.	पथोधी
49.	जिगनहाट
50.	भूमिकहर
51.	मुडाहकलां
52.	खरवाही
53.	बंडकी
54.	गुलुवा
55.	टिलही
56.	डगडीहा

1	2
57.	बरीकला
58.	टिकुरीकलां
59.	फुटनधा
60.	पटौरा
61.	कैना कोथर
62.	कुंची
63.	छोरारी
64.	खानगढ़
65.	उपरौंधा
66.	मझगांव
67.	करही
68.	चकबंडा
69.	बनखु खुर्द
70.	खेरा
71.	माइदेवी
72.	देवरा
73.	डेहुरा
74.	हरमाला
75.	लोखनिया
76.	टीकर
77.	मांड
78.	लोहरा
79.	खामरिया पयासीयाम
80.	खाजुरहरा
81.	इटमा
82.	भेला
83.	भथिया
84.	शिपुखा
85.	पुथकला

1	2
86.	निमी
87.	सकरिया
88.	अबेर
89.	महादेवा
90.	बारकलां
91.	गुबरौनखुर्द
92.	सोहास
93.	घुनचियाकी
94.	बिहरा
95.	भारजनखुर्द
96.	बारघ
97.	फुटौंधी
98.	सगमा
99.	नीमी
100.	भावनगर
101.	जुमुनाही
102.	रामपुरा
103.	गोरिया
104.	खेरा
105.	करडी पवाई
106.	हरडुमा
107.	तुमेन
108.	मुधाखुर्द
109.	भेररी
110.	जिगनाहाट
111.	सेमरीकलां
112.	मानिकवार
113.	गोपालपुर
114.	कैलाशपुर

1	2
115.	मझटोलवा
116.	झारी
117.	खामरिया
118.	कंची
119.	मेडनीपुर
120.	मरवा
121.	चम्पुरवा
122.	सुसुवार
123.	इटमा
124.	उमरी
125.	खोरवाली
126.	कटहाबम्ब्रटी
127.	कथुरियाकलां
128.	गौरा
129.	बमहौरला
130.	कुशियारा
131.	नानचानपुरा
132.	मडनी
133.	तुरी
134.	साहा
135.	झुघुवार
136.	कारसारा
137.	पाटरी
138.	मटिमा
139.	बैरहा
140.	पकौरी
141.	लालपुर
142.	रायपुर
143.	पडरौध

1	2
144.	मौहर
145.	पुरवा
146.	भारगवन
147.	पोडी
148.	चौरा
149.	सेमरिया
150.	खरसरा
151.	डिडौंध
ब्लॉक : उचेरा	
1.	धनेह
2.	शाहीजना
3.	माणिकपुर
4.	रामटुरवा
5.	करहीकेला
6.	गुडवा
7.	पावसमानिया
8.	नरहाटी
9.	पॉडीगरडा
10.	मथाई
11.	बहरहट
12.	पाथरेहटा
13.	करहीखुर

[अनुवाद]

उपग्रह-केन्द्र

594. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और रुद्रप्रयाग क्षेत्रों में कितने उपग्रह-केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन केन्द्रों में से बड़ी संख्या में लंबे समय से चालू स्थिति में नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त केन्द्रों को कब तक क्रियाशील स्थिति में ले आया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल में 44 अदद उपग्रह केन्द्र कार्य कर रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल गौण स्विचन क्षेत्र में 17 अदद उपग्रह केन्द्र हैं जो निम्नलिखित जिलों में वितरित किए गए हैं:

1. पौड़ी गढ़वाल –5
2. चमोली –6
3. रुद्रप्रयाग –6

(ख) से (घ) जी, नहीं। हालांकि 3 केन्द्र नामत: बद्रीनाथ, गंगोत्री तथा केदारनाथ शरद सत्र के लिए बंद कर दिए गए हैं और जब ये क्षेत्र प्रशासन द्वारा खोले जाएंगे तभी चालू किए जाएंगे। केवल थालीसेन स्थित एक भू-केन्द्र दिनांक 22.2.2000 को खराब हो गया है।

इस समय थालीसेन एमसीपीसी केन्द्र को जाने वाली रोड बर्फ गिरने के कारण बंद हो गयी है। रोड की अभिगम्यता हो जाने पर इस केन्द्र को ठीक कर लिया जाएगा।

आयल पूल एकाउंट में घाटा

595. डा. संजय पासवान: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जनवरी, 2000 के "इकॉनामिक टाइम्स" में "हाऊ टू लोअर आयल प्राइसेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत का आयात पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इस समय आयल पूल एकाउंट में घाटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अत्यधिक वित्तीय घाटे और राजस्व की कम वृद्धि दर को नियंत्रित करने हेतु आयात शुल्क में

कटौती करने अथवा तेल उद्योग को विनियमित करने तथा लागू नीति तंत्र की समीक्षा करने के साथ-साथ विपणन में प्रतिबंधित प्रवेश लागू करने का है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में क्रूड तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का कुल मूल्य अप्रैल 99 से जनवरी 2000 के दौरान 7568.09 मिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ गया है जबकि पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान यह 4773.16 मिलियन अमरीकी डालर था।

(ग) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार तेल पूल लेखे का घाटा लगभग 6000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(घ) से (च) सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था की चरणबद्ध समाप्ति के लिए सरकार द्वारा नवम्बर, 1997 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में अन्य उपायों के साथ-साथ निम्न उपाय किए गए हैं:

(1) कच्चे तेल पर सीमा शुल्क 1998-99 के केन्द्रीय बजट में कम करके 22 प्रतिशत तथा 1999-2000 के बजट में 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

(2) निजी तथा संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरियों को अपनी स्वयं की रिफाइनरियों में वास्तविक उपयोग के लिए आयात लाइसेंस के बिना मुक्त रूप से कच्चे तेल का आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

(3) कच्चे तेल के नौवहन के लिए लागत जमा सूत्र वापस ले लिया गया है।

(4) सभी रिफाइनरियों के लिए प्रतिधारण मूल्यनिर्धारण की प्रणाली समाप्त कर दी गई है तथा नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् एच एस डी, सुपीरियर कैरोसीन आयल, एविएशन टर्बाइन ईंधन तथा एल पी जी (घरेलू) के रिफाइनरी द्वार मूल्य आयात समता के सिद्धांत पर नियत किये जा रहे हैं। अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य नियंत्रणमुक्त कर दिए गए हैं।

(5) स्वदेशी कच्चा तेल उत्पादकों अर्थात आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन/आयल इंडिया लिमिटेड को 1991 रुपए/एम टी के न्यूनतम फ्लोर बेन्चमार्क मूल्य सहित वास्तविक आयात के 77.5 प्रतिशत भारित औसत पोतपर्यन्त निशुल्क मूल्य का भुगतान किया जा रहा है।

मुम्बई में इंदिरा गोदी को घाटा

596. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई में इंदिरा गोदी को भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे लाभप्रद बनाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

निजी कंपनियों द्वारा भूमिगत मार्ग और सड़क ऊपरि-पुलों का निर्माण

597. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकार द्वारा निजी कंपनियों को सौंपे गये भूमिगतमार्ग और सड़क ऊपरि-पुलों के निर्माण की कितनी परियोजनाएं हैं एवं उनके नाम क्या हैं;

(ख) उन्हें सौंपी गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) वर्तमान में निजी कंपनियों को कितनी परियोजनाओं को सौंपे जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन परियोजनाओं को निजी कंपनियों को सौंपने के लिए कौन-कौन से मानदंड अपनाये गये?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बी ओ टी (निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण) स्कीम के अंतर्गत निजी कंपनियों को इस मंत्रालय द्वारा दो ओवर ब्रिज परियोजनाएं सौंपी गई थी जो इस प्रकार है:

	परियोजना की निर्माण लागत (करोड़ रु.)
(1) रा.रा.-3 पर नरधाना में रोड-ओवर-ब्रिज (आर ओ बी)	34.21
(2) रा.रा.-6 पर नशीराबाद में रोड-ओवर-ब्रिज	10.45

महाराष्ट्र में नदी पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेन बनाने के लिए निम्नलिखित बी ओ टी परियोजनाओं में भी परियोजना के हिस्से के रूप में आर ओ बी एस का निर्माण शामिल है:

	परियोजना की निर्माण लागत (करोड़ रु.)
(1) थाणे-भिवण्डी बाइपास पर चार लेन बनाना	69.30
(2) रा.रा. 17 पर पातालगंगा पर रोड ओवर ब्रिज	33.3

(ग) कोई नहीं।

(घ) प्रथम स्तर पर निजी कंपनियों का चयन मुख्यत: उनकी वित्तीय सक्षमता और समान परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनुभव के आधार पर किया जाता है। द्वितीय स्तर में चुनी गई निजी कंपनियों द्वारा प्रतियोगी बोली में प्रस्तुत न्यूनतम रियायत अवधि का मानदंड अपनाते हुए परियोजना सौंपी जाती है।

[अनुवाद]

नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज

598. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंटरनेट सेवा प्रदानकर्त्ता के माध्यम से मार्ग-निर्धारण और नेटवर्किंग को सरल बनाने के लिए एक नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज को स्थापित करने के लिए तैयार की गई विधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे एक्सचेंजों की स्थापित करने के लिए चुने गए शहरों और नगरों के राज्य-वार नाम क्या हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) दूरसंचार सेवा विभाग द्वारा इस समय नेशनल इन्टरनैट एक्सचेंज की योजना नहीं है। तथापि, एक नैशनल इन्टरनैट बैकबोन स्थापित किया जा रहा है जो ईन्टरनैट सेवा प्रदाताओं को भी कनैक्टिविटी प्रदान करेगा।

(ख) (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में रसोई गैस एजेंसियों का स्थापना

599. **श्री अमर रायप्रधान:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के मठबंगा, हल्दीबारी और मेखलीगंज में रसोई गैस "डिस्ट्रीब्यूटरशिप" की स्थापना करने की मांग लंबित है;

(ख) यदि हां, तो ये कब से लंबित हैं; और

(ग) इन स्थानों पर रसोई गैस एजेंसियां कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए देश के विभिन्न भागों से समय समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में माथाबंगा, हल्दीबाड़ी और मेखलीगंज को एल.पी.जी. विपणन योजना में शामिल कर लिया गया है। डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने में साक्षात्कार की तारीख से सामान्यत: 6 से 12 माह का समय लग जाता है।

[हिन्दी]

रायगढ़ में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

600. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और नए टेलीफोन एक्सचेंज कब तक खोले जाएंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) जी हां। महाराष्ट्र को रायगढ़ जिले के पीरभॉन, मोरुबे, चोरडे, नेरे, पित्तालवाडी अदावाले तथा कपाडे में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पीरकॉन तथा पित्तालवाडी में टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित कर दिया गया है। मोरबे, चोरडे और नेरे में टेलीफोन एक्सचेंज की योजना बनाई गई है और जून 2000 तक इनके चालू किए जाने की संभावना है।

एडवाले और कपाड़े में पृथक एक्सचेंज संस्थापित करना अपेक्षित नहीं है और यहां टेलीफोनों की मांग को मौजूदा/प्रस्तावित एक्सचेंजों से पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

एम.टी.एन.एल. और दूरसंचार विभाग को राजस्व घाटा

601. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री राजनारायण पासी:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान दूरसंचार विभाग को 3000 करोड़ रुपए तक राजस्व घाटा होने का अनुमान है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) एस.टी.डी. और आई.एस.डी. अवैध कॉल करने हेतु सार्वजनिक टेलीफोनों के दुरुपयोग करने की वजह से गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक दूरसंचार विभाग और महानगर टेलीफोन निगम लि. को वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितना घाटा हुआ;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितने मामले उजागर हुए; और

(च) दूरसंचार विभाग और महानगर टेलीफोन निगम लि. को होने वाले ऐसे घाटे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) उपलब्ध आंकड़े, वित्त वर्ष 1999-2000 में टैरिफ पुन: संतुलन के कारण दूरसंचार सेवा विभाग (एमटीएनएल सहित) के राजस्व में संभावित लगभग 2000 करोड़ रु. की कमी का संकेत देते हैं।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

वन विकास परियोजनाएं

602. **श्री कोडीकुनील सुरेश:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वन विकास परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता लेती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी सहायता से लागू की गई वन विकास परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (ग) जी, हां। कुछ वन विकास परियोजनाएं विदेशी सहायता से क्रियान्वित की जाती हैं। इस प्रकार की चालू परियोजनाओं संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विदेशी सहायता प्राप्त चालू वानिकी परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम और परियोजना की अवधि	क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी का नाम	निधिकरण करने वाली एजेंसी का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	भौतिक लक्ष्य ('000 है. में)
1	2	3	4	5	6
राज्य खंड					
1.	**महाराष्ट्र वानिकी परियोजना (2328-आई.एन.) 1992-93 से 1999-00**	महाराष्ट्र सरकार	विश्व बैंक	431.51	369

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश वानिकी परियोजना (2573 आई.एन.) 1994-95 से 1999-00	आंध्र प्रदेश सरकार	विश्व बैंक	353.92	355
3.	इंदिरा गांधी नहर के किनारों पर वनीकरण एवं चरागाह विकास (आईडी-पी-73) 1990-91 से 1999-00	राजस्थान सरकार	जेबीआईसी (जापान)	107.50	61.5
4.	पश्चिमी घाट वानिकी परियोजना 1992-93 से 1998-99 (एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है)	कर्नाटक सरकार	डीएफआईडी यू.के.	84.20	61
5.	हिमाचल प्रदेश वानिकी परियोजना, कुल्लू मण्डी 1994-95 से 1990-00	हिमाचल प्रदेश सरकार	डीएफआईडी (यू.के.)	13.92	11
6.	मध्यप्रदेश वानिकी परियोजना (2700-आई एन) 1995-96 से 1999-00	मध्य प्रदेश सरकार	विश्व बैंक	245.94	235
7.	एकीकृत गुजरात वानिकी विकास परियोजना (आईडी-पी-112) 1995-96 से 2000-01	गुजरात सरकार	जेबीआईसी (जापान)	608.50	230
8.	राजस्थान वानिकी परियोजना (आईडी-पी-104) 1995-96 से 1999-00	राजस्थान सरकार	जेबीआईसी (जापान)	139.18	55
9.	तमिलनाडु वनीकरण परियोजना 1996-97 से 2001-02	तमिलनाडु सरकार	जेबीआईसी (जापान)	499.20	405
10.	पूर्वी कर्नाटक वनीकरण परियोजना 1996-97 से 2001-02	कर्नाटक सरकार	जेबीआईसी (जापान)	565.54	471
11.	वनों की भागीदारी आधार पर प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण परियोजना 1997-98 से 1998-99 (अभी पूरी की जानी है)	उड़ीसा सरकार	एसआईडीए (स्वीडन)	8.50	19
12.	उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 1997-98 से 2000-01	उत्तर प्रदेश सरकार	विश्व बैंक	272.00	160

1	2	3	4	5	6
13.	पंजाब वनीकरण परियोजना 1997-98 से 2004-05 (वर्तमान ऋण 4 वर्षों के लिए)	पंजाब सरकार	जेबीआईसी (जापान)	442.00	59
14.	केरल वानिकी परियोजना (1998-99 से 2001-02)	केरल सरकार	विश्व बैंक	183.00	54
15.	लैंड स्केप पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम के माध्यम से अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार हेतु क्षमता निर्माण परियोजना 1998-99 से 2000-01	केएफआरआई, केरल सरकार	एयूएसआईडी (आस्ट्रेलिया)	1.17	
16.	अरावली पहाड़ियों पर वनीकरण 1992-93 से 1999-00	राजस्थान सरकार	जेबीआईसी (जापान)	176.69	115
	कुल			4132.77	
केन्द्रीय खंड					
17.	एफ आर ई ई पी	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	विश्व बैंक	192.47	लागू नहीं होता
18.	पारि-विकास परियोजना	-वही-	-वही-	294.93	लागू नहीं होता
	कुल			4620.17	

नदियों में प्रदूषण

603. श्री अनन्त नायक: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की प्रदूषित नदियों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नदियों की सफाई के लिए कोई योजना लागू की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इन नदियों की सफाई के लिए उठाए गए कदमों और पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष व्यय की गई राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण निबंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार देश के 14 राज्यों के 22 मुख्य नदी क्षेत्रों के प्रदूषित होने का पता लगा है। नदियों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार ने 1985 में गंगा कार्य योजना चरण-I शुरू किया था जिसका 462 करोड़ रुपये की लागत पर मार्च 2000 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। सरकार ने अप्रैल 1993 से अक्तूबर, 1996 की अवधि के दौरान गंगा कार्य योजना चरण-II की स्कीमों और राष्ट्रीय नदी संरक्षक योजना को क्रमश: 1276 करोड़ और 737 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर भी अनुमोदित किया था, जिनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। कार्य योजना में ये कार्य शामिल हैं: (1) नदी में बहने वाले अपरिष्कृत सीवेज के लिए अवरोधन एवं उपचार के लिए दिशापरिवर्तन, (2) दिशापरिवर्तित सीवेज के शोधन के लिए सीवेज शोधन संयंत्र, (3) नदी किनारे खुले में शौच को रोकने के लिए कम लागत के शौचालय, (4) काष्ठ संरक्षण के लिए विद्युत एवं उन्नत काष्ठ आधारित शवदाहगृह तथा अधजले शवों को नदी में बहाने से रोक कर नदी प्रदूषण को रोकना, (5) स्नान घाटों आदि के सुधार से नदी तटाग्र विकास और (6) अन्य विविध कार्य। औद्योगिक प्रदूषण की मौजूदा पर्यावरण कानूनों के अंतर्गत निगरानी की जा

रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन नदियों की सफाई पर खर्च की गई राशि नीचे दी गई है:

वर्ष	(करोड़ रुपये)
1996-1997	108.23
1997-1998	94.65
1998-1999	103.65
1999-2000 (31.1.2000 तक)	130.30

विवरण

क्र.सं.	राज्य	नदी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. गोदावरी
2.	बिहार	2. सुवर्नरेखा,
		3. दामोदर,
		4. गंगा
3.	गुजरात	5. साबरमती
4.	कर्नाटक	6. तुगा,
		7. तुगभद्रा,
		8. कावेरी,
		9. भद्रा,
5.	मध्य प्रदेश	10. खान,
		11. ताप्ती,
		12. क्षिप्रा,
		13. बेतवा,
		14. नर्मदा,
		15. वैनगंगा,
		16. चम्बल,
6.	महाराष्ट्र	17. कृष्णा, गोदावरी
7.	उड़ीसा	18. महानदी,
		19. ब्राह्मणी
8.	पंजाब	20. सतलज
9.	राजस्थान	चम्बल
10.	तमिलनाडु	कावेरी
11.	हरियाणा	21. यमुना
12.	दिल्ली	यमुना
13.	उत्तर प्रदेश	गंगा, यमुना,
14.	पश्चिम बंगाल	22. गोमती गंगा, दामोदर

[हिन्दी]

पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य

604. श्री रामदास आठवले:
श्री पी.सी. थामस:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995 के पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, एल.पी.जी. सिलेंडर तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का पृथक-पृथक मूल्य क्या था;

(ख) तब से उपरोक्त पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की गई वृद्धि का तारीख-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अक्सर वृद्धि को कम करने हेतु प्रभावकारी नीति अपनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष गंगवार): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा नवंबर, 1997 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में मोटर स्प्रिट, हाई स्पीड डीजल, मिट्टी

तेल (सा.वि.प्र.), घरेलू एल.पी.जी. तथा एविएशन टर्बाइन ईंधन के मूल्य प्रशासित हैं। डीजल का मूल्य भंडारण स्थल स्तर पर आयात समता मूल्य निर्धारण के सिद्धांत पर नियत किया जाता है। नाफ्था, ईंधन तेल, लो सल्फर हैवी स्टाक, बिटुमैन, पैराफीन वेक्स आदि जैसे अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य 1.4.1998 से नियंत्रणमुक्त कर दिए गए है। तेल कंपनियां बाजार दशाओं के आधार पर नियंत्रणमुक्त उत्पादों का मूल्य निर्धारित करती है।

विवरण

मुख्य नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण स्थल तक के मूल्य दर्शाने वाला विवरण

(रुपए/एसयू)

	एमएस93	एमएस87	एचएसडी	एसकेओ (घरेलू)	एलपीजी(पी) (घरेलू)	एटीएफ (घरेलू)
निम्न तारीख तक						
01.01.1995	15344.34	12844.34	5717.28	2001.40	5309.19	9852.33
निम्न तारीख को संशोधित किया गया						
03/07/1996	19180.43	16055.43	7432.46		6901.95	10837.56
07/07/1996			6574.87			
02/09/1997	20180.43	17055.43	8374.87		7958.29	
07/11/1997			7918.04			
25/12/1997			7996.84			
01/03/1998			7839.24			
04/04/1998			7645.47			
03/06/1998	18335.43	15795.43				
20/05/1998			7536.89			
09/01/1999			6722.37			
01/02/1999					8944.21	
28/02/1999	18239.01	15399.01	6621.76		8732.87	10759.32
20/04/1999			6882.15			
06/10/1999			9634.60			

नोट: भंडारण स्थल तक के मूल्यों में शुल्क, भाड़ा, स्थानीय उद्ग्रहण आदि सम्मिलित नहीं है।

तेंदुओं की संख्या

605. श्री मोहन रावले: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत एक वर्ष के दौरान कम से कम 1000 तेंदुएं मारे गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में तेंदुओं के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1997 में तेंदुओं की संख्या लगभग 6000 थी।

(ख) जी, हां।

(ग) गाजियाबाद और खांगा में हाल में की गई जब्तियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 1000 तेंदुओं की मृत्यु हुई है। जब्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) देश में तेंदुओं की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय संलग्न-II विवरण में दिए गए हैं।

विवरण I

साहिबाबाद (उत्तर प्रदेश) में की गई जब्ती

क्र.सं.	वर्ष	महीना	दिन	राज्य	जब्ती जिला	स्थल	जब्त की गई सामग्री	मात्रा कि.ग्रा.सं.	की गई कार्रवाई	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1.	1999	दिसम्बर	19	उत्तर प्रदेश	साहिबाबाद	साहिबाबाद	तेंदुए बाघ लोमड़ी	50 03 05	30 व्यक्तियों को पकड़ा गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया।	मामला न्यायालय में लंबित है	वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम का उल्लंघन

खांगा (फतेहपुर जिला) उत्तर प्रदेश में की गई जब्ती

क्र.सं.	वर्ष	महीना	दिन	राज्य	जब्ती जिला	स्थल	जब्त की गई सामग्री	मात्रा कि.ग्रा.सं.	की गई कार्रवाई	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1.	2000	जनवरी	12	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	खांगा	बाघ की खाल तेंदुए की खाल काले बतख की खाल बाघ के नाखून तेंदुए के नाखून तेंदुए का लिंग तेंदुए का श्वान	04 70 221 137 18000 1 02	6 व्यक्तियों को पकड़ा गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया	मामला न्यायालय में लंबित है।	वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम का उल्लंघन

विवरण II

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

राष्ट्रीय स्तर पर

1. वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, तट-रक्षक, राज्य पुलिस, उप-निदेशक, वन्यजीव संरक्षण और वैज्ञानिक संगठन, यथा भारतीय प्राणि और वनस्पति सर्वेक्षण, जैसी प्रवर्तन एजेंसियों से राष्ट्रीय समन्वय समिति गठित करना।

2. वन्यजीव उत्पादों का व्यापार और तस्करी को रोकने में उपर्युक्त विभागों को पहले से सक्रिय व सजग रहने हेतु जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

3. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए किए गए प्रयासों में बेहतर समन्वय को सुनिश्चित करने हेतु सचिव (पर्यावरण एवं वन), विशेष सचिव (गृह), निदेशक, सीबीआई, और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के प्रतिनिधि को मिलाकर एक विशेष समन्वय समिति का सृजन किया गया है।

4. सशस्त्र बलों, वाहनों, संचार नेटवर्क की सुविधाओं सहित सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा पार्क प्रबंधकों के बीच समन्वय के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

5. उत्कृष्ट व शौर्यपूर्ण कार्य करने के लिए अवार्ड व पुरस्कार दिए जाने की एक स्कीम शुरू की गई है। इससे अवैध शिकार और व्यापार आदि घटनाओं का पता लगाकर उसकी सूचना देने को प्रोत्साहन मिलेगा।

6. राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सतर्कता और लगातार गश्त लगाने के कार्य में तेजी लाएं।

7. वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को बल प्रदान करने में गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य लोगों को शामिल करने के लिए जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

8. बाघ व्यापार वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों में सहायता देना तथा बाघ और उसके उत्पादों के लिए न्यायिक पहचान संदर्भ मैनुअल तैयार करना।

9. क्षेत्रों के पारि-विकास और उप पर जैविक दबाव को कम करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है।

10. बाघ परियोजना क्षेत्रों में विशेष स्थलीय दल।

11. व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पूरे देश में विशेष प्रहार बल।

12. वन्यजीव व्यापार नियंत्रण ब्यूरो का सृजन।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

1. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए बाघ रेंज देशों हेतु एक फोरम अर्थात् ग्लोबल फोरम को गठित करना।

2. बाघ संरक्षण के लिए सीमा-पार व्यापार को नियंत्रित करने और आपसी सहयोग हेतु:

(1) चीन गणराज्य के साथ एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए।

(2) नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(3) बंगला देश के साथ बातचीत चल रही है।

3. बाघ के अंगों और उसके उत्पादों का अवैध व्यापार रोकने के लिए भारत के प्रस्ताव पर सी आई टी ई एस में कई प्रस्तावों को अंगीकृत किया गया।

4. मार्च, 1999 में सहस्त्राब्दी बाघ सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन के घोषणा पत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघों के संरक्षण के लिए कई कार्य बिन्दुओं का सुझाव दिया गया।

सावरेन काउंटर गारंटी का दिया जाना

606. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक्सप्रेस सड़क परियोजनाओं के लिए सावरेन काउंटर गारंटी देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र में सरकार के विचाराधीन ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान चल रही और विचाराधीन नई परियोजनाओं पर हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और परियोजना-वार कितनी धनराशि जारी की गई और वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य को कितना परिव्यय उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गुजरात के जामनगर जिले में रसोई गैस कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

607. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के जामनगर जिले में रसोई गैस कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 31 जनवरी, 2000 तक कितनी थी;

(ख) सभी आवेदकों को कनेक्शन कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) जिले में 1998-99 के दौरान और 31.1.2000 तक प्रदान किए गए रसोई गैस के घरेलू और वाणिज्यिक कनेक्शनों की संख्या कितनी-कितनी थी; और

(घ) वर्ष 2000 तथा 2001 के दौरान दिए जाने के लिए लक्षित घरेलू और वाणिज्यिक कनेक्शनों की संख्या कितनी है तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 31.1.2000 की स्थिति के अनुसार गुजरात के जामनगर जिले में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 4362 है।

(ख) से (घ) एल.पी.जी. की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध स्लेक तथा इसकी व्यवहार्यता के आधार पर पूरे देश में नए एल.पी.जी. कनेक्शन चरणबद्ध रूप से जारी किये जाते हैं। तथापि सरकार ने 1.12.1999 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के यहां दर्ज सारी प्रतीक्षा सूची निपटाने के लिए वर्ष 2000 के दौरान 1 करोड़ एल.पी.जी. कनेक्शन जारी करने की योजना बनाई है।

जामनगर जिले में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों द्वारा जारी एल.पी.जी. कनेक्शनों की संख्या नीचे दी गई है:

1998	5605
1999	19017
जनवरी, 2000	1462

[अनुवाद]

जल विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

608. **श्री सी.के. जाफर शरीफ:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रस्तावित चार विद्युत परियोजनाओं कर्नाटक की शिव समुद्रम, मेकडाटू और तमिलनाडु की रासीमनाल, होगनकल के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को परियोजनाओं और उनके वित्तपोषण हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) कावेरी जल-विवाद ट्रिब्यूनल के अंतरिम आदेश के आधार पर जल-विद्युत परियोजनाओं के समन्वित विकास को आरंभ करने के लिए, राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम कावेरी नदी की अनुमानित 1140 मे.वा. (शिवसमुद्रम् 270 मे.वा., मेकडाटू 550 मे.वा. रासीमनाल 2000 मे.वा., और होगनकल 120 मे.वा.) की दोहन न की गई जल-विद्युत क्षमता के ईष्टतम समुपयोजन हेतु एक योजना तैयार कर रहा है।

एनएचपीसी चार परियोजनाओं को निष्पादित, प्रचालित और अनुरक्षित करने के लिए तैयार रहेगा जो सस्ती बिजली का उत्पादन करेंगी, परंतु यह कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार के मध्य इन परियोजनाओं की विद्युत के हिस्सेदारी को लेकर परस्पर रूप से संतोषजनक करार के तहत होगा।

नागालैंड में रसोई गैस डीलर चयन बोर्ड

609. **श्री के.ए. सांगतम:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसोई गैस के लिए डीलर चयन बोर्ड के अध्यक्ष को हटाए जाने के कारण आमतौर पर पूर्वोत्तर और विशेषकर नागालैंड में बोर्ड के कामकाज में रुकावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) नए अध्यक्ष को नियुक्त करके बोर्ड को कब तक समुचित कार्य योग्य बना दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) जुलाई, 1999 में आम चुनावों की घोषणा के बाद चयन की प्रक्रिया रोक दी गई। सरकार ने हाल में सभी बोर्ड भंग कर दिए हैं। डीलर चयन बोर्डों का निकट भविष्य में पुनर्गठन करने का अनुमान है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में बारामूला में रसोई गैस एजेंसियां

610. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में बारामूला जिले में किन-किन पंचायतों में निगम की गैस एजेंसियों के माध्यम से रसोई गैस सप्लाई की जाती है;

(ख) मुख्य सड़क अथवा वाहन योग्य सड़क से 500 से 1000 गज की दूरी पर कितने गांव स्थित हैं और वहां उपलब्ध कराए गए रसोई गैस कनेक्शन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्य सरकार का विचार इन गांवों में सिलेंडरों को घर पहुंचाने और जांच का कार्य वहां कार्य कर रही रसोई गैस एजेंसियों को सौंपने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) एच पी सी एल की दो गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिपें जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में प्रचालनरत हैं तथा इस जिले में उन पंचायतों के नाम नीचे दिए गए हैं, जहां एल.पी.जी. की आपूर्ति की जा रही है:

1. बारामूला
2. रहामा
3. डांगीवाचा
4. बोनियार
5. उड़ी
6. तंगमार्ग
7. सम्बल

311 गांव बारामूला जिले की उपर्युक्त पंचायतों के मुख्य मार्ग से 500 से 100 गज दूर स्थित है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ऐसे क्षेत्रों/गांवों में बारामूला जिले में दो डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा घर पर सुपुर्दगी की जा रही है जो इस समय कानून तथा व्यवस्था की दृष्टि से जोखिमपूर्ण नहीं हैं।

विवरण

पंचायत	गांवों की संख्या	उपभोक्ताओं की संख्या
बारामूला	32	7600
रहामा	28	1200
डांगीवाचा	22	1300
बोनियर	46	1600
उड़ी	58	1850
तंगमार्ग	75	1000
सम्बल	50	900

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप का आवंटन

611. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केवल उन्हीं लोगों, जिनकी जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, को पेट्रोल पंप आवंटित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विज्ञापन जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस नयी योजना में आरक्षण को जारी रखा जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) सरकार ने ढ़ाब रेस्तरां, पार्किंग सुविधाएं/प्रसाधन सुविधाएं, स्नान/धुलाई सुविधाएं, वाहन सेवा केन्द्रों, संचार केन्द्रों (एस टी डी/आई एस डी सुविधाएं), आदि जैसी बहुगुणक संबद्ध सुविधाओं के साथ कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/राजकीय मार्गों पर जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र योजना शुरू की थी।

इन जुबली बिक्री केन्द्रों के लिए उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के लिए ऐसे इच्छुक पक्षकारों से, जिनके पास अपनी जमीन है, प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापन जारी किए गए हैं। यह जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र तेल कंपनियों द्वारा सी ओ सी ओ आधार पर स्वयं चलाए जाएंगे। अत: इन केन्द्रों के लिए आरक्षण की नीति लागू नहीं होती है।

[अनुवाद]

महानदी पर पक्के पुल का निर्माण

612. **श्री निखिल कुमार चौधरी:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आजादी के पचास वर्षों के पश्चात् भी झोआ के निकट महानदी पर पक्के पुल का निर्माण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पुल न होने के कारण बड़वई सब-डिवीजन जिला मुख्यालय से कटा हुआ है और सब-डिवीजन से लोगों को जिला मुख्यालय पहुंचने में लम्बी यात्रा करनी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनहित में उक्त स्थान पर पक्के पुल का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक किए जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों और उन पर बने पुलों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अन्य सभी सड़कें और पुल संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। प्रस्तावित पुल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की कमी

613. **श्री बृजलाल खाबरी:**
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की अत्यधिक कमी होने के कारण वहां उसकी भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रसोई गैस की आपूर्ति मांग के अनुसार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों के पास दर्ज एल.पी.जी. ग्राहकों की मांग कमोबेश पूरी की गई है। फिलहाल तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के अलावा एल.पी.जी. की आपूर्ति में कमी सूचित नहीं की गई है। फिर भी, जब भी एल.पी.जी. का बैकलाग उत्पन्न होता है तब सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियां प्रभावित बाजारों में मांग पूरा करने के लिए आयात अधिकतम करने, वर्धित घंटों/रविवारों और अवकाश के दिनों में भरण संयंत्रों का प्रचालन करने आदि सहित विभिन्न उपाय करती है।

किराए के भवनों में दूरसंचार केन्द्र

614. **श्री बृज भूषण शरण सिंह:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोंडा जिले में किराए के निजी भवनों में चल रहे अधिकतर दूरभाष केन्द्र भविष्य में विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु उपयुक्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त जिले में दूरभाष केन्द्र भवन और कर्मचारी आवास बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। इलेक्ट्रानिकी एक्सचेंजों की स्थापना और नेटवर्क लाइनों की वृद्धि को देखते हुए 1A हजार क्षमता तक लाइनों का विस्तार करने के लिए भी उचित किराए के भवनों को लेने को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) के अनुसार।

(ग) विभाग ने, सभी एक्सचेंजों के लिए भूमि अधिग्रहण करने और विभागीय भवनों का निर्माण करने के लिए योजना बनाई

है। एक्सचेंज भवन अगरौला, आर्य नगर और तरब गंज में निर्माणाधीन हैं और स्टाफ क्वार्टर गोण्डा और बलरामपुर में निर्माणाधीन हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के अनुसार।

(ङ) उपयुक्त भवन उपलब्ध न होने और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा विभाग को भूमि हस्तांतरण करने में विलंब करना प्रमुख कारण रहे हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वनरोपण का विकास

615. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेषकर मणिपुर राज्य में वनरोपण परियोजनाओं के विकास के लिए विदेशों/विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गए धन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उपयुक्त धनराशि का वर्षवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) मणिपुर सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई विदेशी सहायता प्राप्त वनीकरण परियोजना स्वीकृति नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) जी, हां। विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को वनीकरण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है। इन स्कीमों के तहत स्वीकृत की गई परियोजनाएं 4-5 वर्षों की होती हैं और पिछले वर्षों में अप्रयुक्त की गई निधियां अगले वर्षों में जारी की जाने वाली निधियों में समायोजित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई और अप्रयुक्त राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1996-97 से वर्ष 1998-99 तक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को स्वीकृत और दी गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए में)

1. एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम (सौ प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)

	1996-97		1997-98		1998-99	
	जारी	अप्रयुक्त	जारी	अप्रयुक्त	जारी	अप्रयुक्त
अरूणाचल प्रदेश	74.32	0.00	65.21	38.13	14.94	0.00
असम	34.90	0.00	55.35	55.35	50.00	0.00
मणिपुर	261.50	0.00	98.30	23.54	283.72	0.00
मेघालय	16.31	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	81.50	0.00	77.11	77.11	96.26	0.00
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	30.35	0.00	65.00	36.72	58.57	0.00
कुल	498.88	2.52	360.97	230.85	503.49	0.00

2. क्षेत्रोन्मुख ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम (राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच 50:50 अंश की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)

	1996-97		1997-98		1998-99	
	जारी	अप्रयुक्त	जारी	अप्रयुक्त	जारी	अप्रयुक्त
अरूणाचल प्रदेश	12.23	1.83	6.00	7.83	0.00	2.60
असम	120.66	0.00	70.00	0.00	83.95	38.23
मणिपुर	146.82	0.00	100.00	0.00	128.75	1.21
मेघालय	74.46	58.16	0.00	58.16	0.00	58.16
मिजोरम	275.00	0.00	244.12	9.21	211.91	0.00
नागालैण्ड	10.00	2.29	0.00	0.00	4.23	4.23
त्रिपुरा	55.19	4.49	94.30	52.44	33.19	51.68
कुल	694.36	66.77	514.42	127.64	462.03	156.11

3. औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती वन उत्पादों का संरक्षण और विकास स्कीम (शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)

	1996-97		1997-98		1998-99	
	जारी	अप्रयुक्त	जारी	अप्रयुक्त	जारी	अप्रयुक्त
अरूणाचल प्रदेश	25.84	1.25	0.00	1.25	5.00	6.25
असम	15.00	8.70	13.50	22.20	14.00	7.50
मणिपुर	71.36	0.00	18.00	0.00	47.24	0.00
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
मिजोरम	8.50	0.00	17.90	17.90	25.00	7.47
नागालैण्ड	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
त्रिपुरा	8.00	2.25	6.35	0.74	10.15	1.74
कुल	138.70	12.20	55.75	42.09	118.39	27.96

4. भोगाधिकार में हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जाति और ग्रामीण गरीबों को शामिल करने की स्कीम (100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)

	1996-97		1997-98		1998-99	
	जारी	अप्रयुक्त	जारी	अप्रयुक्त	जारी	अप्रयुक्त
	1	2	3	4	5	6
अरूणाचल प्रदेश	राज्यों को स्कीम में शामिल नहीं किया गया।					
असम	राज्यों को स्कीम में शामिल नहीं किया गया।					
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36	0.00

	1	2	3	4	5	6
मेघालय			राज्यों को स्कीम में शामिल नहीं किया गया।			
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55	0.00
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29	0.29
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	0.00
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75	0.29

6. गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान

	1996-97		1997-98		1998-99	
	जारी	अप्रयुक्त	जारी	अप्रयुक्त	जारी	अप्रयुक्त
अरूणाचल प्रदेश			कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई।			
असम			कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई।			
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00
मेघालय	4.44	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00
मिजोरम			कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई।			
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00
त्रिपुरा			कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई।			
कुल	4.44	0.00	0.00	0.00	19.24	0.00

[हिन्दी]

राजस्थान में खनन की अनुमति

616. **श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान खनन की अनुमति प्राप्त करने संबंधी कितने प्रकरण भेजे गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के पास ऐसे कितने प्रकरण लंबित पड़े हैं;

(ग) ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें छह महीनों के भीतर ही खनन हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई साथ ही ऐसे मामलों में क्या दिशानिर्देश अपनाए गए है;

(घ) क्या खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के मामले में कुछ अधिकारी किसी घोटाले में लिप्त हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) राजस्थान सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों (1997, 1998 तथा 1999) के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत खनन के लिए भेजे गए मामलों की संख्या एवं उनकी स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत परियोजना पर निर्णय पूरी सूचना प्राप्त होने के 90 दिन के अन्दर

ले लिया जाता है। तथापि, पूरी सूचना उपलब्ध न होने के कारण किसी भी मामले को छह माह के अन्दर अनुमति नहीं दी गई थी। मंत्रालय ने 1994 की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत मामलों पर विचार करने के लिए खनन परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। 1992 की अरावली अधिसूचना के अंतर्गत सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में आने वाली परियोजनाओं पर पर्यावरणीय मंजूरी के लिए विचार नहीं किया जाता है। तथापि, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य/ राष्ट्रीय उद्यान के बाहर के मामलों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। वनभूमि के उपयोग वाली परियोजना के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पूर्व वानिकी मंजूरी लेनी पड़ती है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दिशानिर्देशों के अनुसार, हर दृष्टि से पूर्ण मामलों को केन्द्रीय सरकार द्वारा 90 दिन के अन्दर निपटा दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के 12.12.1996 के अंतरिम निर्देश के फलस्वरूप, राजस्थान राज्य सरकार से वर्ष 1997 में अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने से मंत्रालय ने क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य) चंडीगढ़ के संरक्षक श्री खजान सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया था ताकि राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की सैंपल जांच की जा सके। समिति की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश प्रस्तावों, विशेषकर एरियो स्टेटमेंट के संबंध में व्यापक असंगतियां पाई गई थीं। तदनुसार, राज्य सरकार से सभी प्रस्तावों की पुन: जांच करने और सभी अनिर्णत प्रस्तावों के लिए जांच रिपोर्ट/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। मंत्रालय ने निर्णय लिया कि इन गलत प्रस्तावों पर आगे तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती है जब तक कि राज्य सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती। तथापि, खनन पट्टों के नवीकरण से संबंधित प्रस्तावों के संबंध में पहले से ही ब्रोकन/प्रयुक्त क्षेत्र पर अनुमति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा नियमों के अंतर्गत तैयार दिशानिर्देश के विद्यमान उपबंधों के अनुसार अधिकांश मामलों में कार्रवाई करने की अस्थायी अनुमति दी गई थी। राज्य सरकार से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया है और ये कार्रवाई के विभिन्न स्तरों में हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (1997, 1998 तथा 1999) के दौरान राजस्थान की खनन परियोजनाओं की स्थिति

	1997	1998	1999	कुल
प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	213	53	22	288
अनुमोदित प्रस्ताव	108	16	01	125
नामंजूर/वापस किए गए/वापस लिए गए प्रस्ताव	026	12	05	043
राज्य सरकार से सूचना के अभाव में लम्बित प्रस्ताव	006	01	16	023
मंत्रालय के विचाराधीन प्रस्ताव	073	24	00	097
(ख) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन तथा अरावली अधिसूचना के अर्थात राजस्थान से खनन परियोजनाओं की स्थिति (1997-1999)				
प्राप्त प्रस्ताव	07	07	68	82
मंजूर प्रस्ताव	07	07	25	39
31.12.1999 की स्थिति के अनुसार लंबित प्रस्ताव	00	00	43	43

[अनुवाद]

पेट्रोल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

617. श्री रामसागर रावत: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पेट्रोल निर्यात के लिए रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड को अनुमति देने के क्या कारण हैं और पेट्रोल किस दर पर निर्यात किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के लिए परिशोधन क्षमता में भारत आत्मनिर्भरता के समीप है।

(ख) चालू वर्ष (1999-2000) के दौरान 39.90 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष (एम एम टी पी ए) की अतिरिक्त परिशोधन क्षमता के साथ, मौजूदा देशी परिशोधन क्षमता बढ़कर 109.04 एम एम टी पी ए हो गई है।

(ग) पेट्रोल का उत्पादन घरेलू मांग से अधिक है।

[हिन्दी]

खराब पड़े टेलीफोन एक्सचेंज

618. श्री रामशकल: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें सुचारू रूप से कार्यरत बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश तथा अन्य भागों में कोई भी एक्सचेंज खराब पड़ा हुआ नहीं है। तथापि, आंध्र प्रदेश में 113 एक्सचेंज तथा जम्मू एवं कश्मीर में 11 एक्सचेंज को अतिवादियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है तथा उन्हें अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है।

(ग) सुरक्षा क्लियरेंस प्राप्त होने तक कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार के बाद क्षतिग्रस्त तथा अस्थायी तौर से बंद पड़े एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर रूप से ठीक किया जा रहा है।

[अनुवाद]

जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन

619. श्री अकबर अली खांदोकर:
श्री दिनशा पटेल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल विद्युत परियोजनायें कम खर्चीली हैं और विद्युत का लोकप्रिय स्रोत हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने विद्युत क्षमता का विकास करने और देश में खासकर दूरवर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों में पांच वर्षों के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं के प्रोत्साहन के लिए क्या कदम उठाये है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हाँ।

(ख) भारत सरकार ने देश में विशेषतया सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में जल विद्युत संभावना के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। जल विद्युत विकास पर अगस्त, 1998 में एक नीति घोषित की गई थी, जिसमें गत तीन दशकों के दौरान जल विद्युत के हिस्से में कमी के विभिन्न मुद्दों, उपचारी उपायों तथा विकास गति में तेजी लाने के विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था। अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना, आईपीपी के जरिए निजी निवेश को बढ़ाना, क्रियान्वयनाधीन तथा नई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता का प्रावधान। केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत मौजूदा 2425 मेगावाट हाईडल क्षमता के मुकाबले सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1265 मेगावाट क्षमता की छह जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को मंजूरी दी है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तथा इसके आगे क्षमता संवर्द्धन के लिए 26261 मेगावाट क्षमता वाली हाईडल परियोजनाओं के बारे में अग्रिम कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है। परियोजनाएं, जो कि क्रियान्वयन हेतु हाथ में ली जा सकती हैं, का कार्यक्रम तैयार करने की दृष्टि से सरकार नए जल विद्युत स्थलों के सर्वेक्षण तथा जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भी उपाय कर रही है।

शोलापुर में टेलीफोन एक्सचेंज

620. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 और चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में शोलापुर के विभिन्न तालुकों में तालुक-वार टेलीफोन कनैक्शनों के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त कनैक्शन उपलब्ध कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों में टेलीफोन कनैक्शन कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 1998-99 के दौरान तथा 31.01.2000 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष के दौरान शोलापुर (ताल्लुका-वार) के लिए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सामान्यत: कोई विलम्ब नहीं हुआ है। तथापि, समय पर पारेषण माध्यम के लिए ओ एफ सी उपकरणों तथा स्विचन उपकरणों की प्राप्ति न होने पर प्रगति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) 31.01.2000 तक शोलापुर के 11 ताल्लुकाओं में 7389 टेलीफोन प्रदान कर दिए गए हैं। 31 मार्च, 2000 तक लगभग 8000 टेलीफोन प्रदान करने के लिए और प्रयास किये जा रहे हैं और 31.01.2001 तक लम्बित आवेदकों को क्रमिक रूप से टेलीफोन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

विवरण

वर्ष 1998-99 के दौरान तथा 31.1.2000 की स्थिति के अनुसार चालू वर्ष के दौरान शोलापुर के लिए प्राप्त टेलीफोन आवेदनों का ब्यौरा

क्र.सं.	ताल्लुका का नाम	1998-99 के दौरान (1-4-99 से 31.3.99 तक) प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष के दौरान (1.4.99 से 31.1.2000 तक) प्राप्त किए गए आवेदन
1.	अक्कलकोट	14	332
2.	बारसी	551	1811
3.	करमला	25	713
4.	माधा	690	623
5.	मलसिरस	336	1301
6.	मंगलवेधा	166	544
7.	मोहल	336	536
8.	पंधारपुर	373	1105
9.	संगोला	124	739
10.	शोलापुर (देहात)	21	650
11.	शोलापुर (शहरी)	485	2840
	कुल	3121	11134

भूमिगत केबिल डाला जाना

621. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली तथा हैदराबाद में भूमिगत टेलीफोन केबिल डालने का है;

(ख) यदि हां, तो योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक कुल कितने क्षेत्र में भूमिगत केबिल डाली गई है;

(ग) दोनों राज्यों में पृथक-पृथक कुल कितने केबिल नेटवर्क के बदले जाने की संभावना है;

(घ) "पोल वायर" को भूमिगत "वायर" प्रणाली में परिवर्तित किये जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त राज्यों में यह कार्य कब तक पूर्ण किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ङ) दिल्ली (एम टी एन एल): एमटीएनएल, दिल्ली टेलीफोन्स पहले से ही भूमिगत टेलीफोन केबल बिछा रहा है। पूरे एनसीटी क्षेत्र दिल्ली में केबल नेटवर्क है। पोल वायरों को भूमिगत वायर सिस्टम में बदलने के काम में कोई विलंब नहीं हो रहा है। एम टी एन एल दिल्ली टेलीफोन्स द्वारा पुनर्स्थापना की व्यापक योजना का कार्य पूरा किया जाता है। वर्ष 2003 तक कार्य पूरा हो जाने की संभावना है। हैदराबाद विभाग, परीक्षण आधार पर, दोषों को कम करने के लिए उपभोक्ता निवासों तक, ओवरहैड ड्रॉप वायरों को भूमिगत केबलों द्वारा बदलने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य हेतु, प्रत्येक एस एस ए में एक एक्सचेंज चुना जा रहा है। क्योंकि यह कार्य परीक्षण आधार पर किया जा रहा है, इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में एक्सप्रेस राजमार्ग का प्रस्ताव

622. श्री राजो सिंह: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य के मुख्य शहरों में एक्सप्रेस राजमार्गों के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा राज्य को उक्त परियोजना हेतु कितनी राशि प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं को कब तक, आरंभ किये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

हरियाणा तथा राजस्थान में रसोई गैस की एजेंसियां/पेट्रोल/डीजल के बिक्री केन्द्र

623. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसंबर, 1999 की स्थिति के अनुसार हरियाणा तथा राजस्थान में कितने अनुमंडलों तथा प्रखंडों में रसोई गैस एजेंसी/पेट्रोल/डीजल के बिक्री केन्द्र की सुविधा उपलब्ध नहीं थी;

(ख) सरकार द्वारा गत छः महीने के उक्त राज्यों में इनकी संख्या में वृद्धि किये जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत छः महीने के दौरान उक्त राज्यों में कहां-कहां कितनी रसोई गैस एजेंसियां तथा पेट्रोल/डीजल के बिक्री केन्द्र खोले गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) मौजूदा नीति के अनुसार, हरियाणा और राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य एल पी जी वितरकों की स्थापना करने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए हैं:

(1) 10,000 और इससे अधिक आबादी वाले सभी शहरी स्थलों सहित उनसे जुड़े 15 कि.मी. व्यास के अन्दर आने वाले ग्राम।

(2) 15 कि.मी. व्यास के अंदर आने वाले ग्रामों की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए 5000 और इससे अधिक आबादी वाले शहरी स्थल।

(3) 10,000 और इससे अधिक आबादी वाले केन्द्रीय ग्रामों के 15 कि.मी. व्यास के अंदर आने वाले ग्रामों के समूह।

(4) 1 लाख और इससे अधिक आबादी वाले कस्बों के आसपास 15 कि.मी. व्यास में आने वाले ग्राम।

विभिन्न स्थलों जो तेल उद्योग की मात्रा दूरी मानकों को पूरा करते हैं, पर खुदरा बिक्री डीलरशिप स्थापित किये जाते हैं।

तदनुसार, विपणन योजना 1996-98 में, हरियाणा के लिए 45 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 36 खुदरा बिक्री डीलरशिप चिन्हित किए गए हैं तथा राजस्थान के लिए 115 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 40 खुदरा बिक्री डीलरशिप चिन्हित किए गए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

624. श्री विलास मुत्तेमवार:
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 54,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना हेतु विदेशी-प्रत्यक्ष निवेश बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने करोड़ों रुपये की सहायता देने पर सहमति व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्ताव आबंटन राशि सहित पहली किस्त कब तक मिल जाने की संभावना है; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पहले चरण का कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) विश्व बैंक इस कार्यक्रम के लिए प्रति वर्ष 400 मिलियन अमरीकी डालर उधार देने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत है। इसी प्रकार, ए डी बी भी इस कार्यक्रम के लिए प्रतिवर्ष 200-300 मिलियन अमेरिकी डालर देने के लिए सहमत हो गया है।

(ग) प्रतिबंध उठाने के तत्काल बाद ए डी बी से सूरत-मनौर परियोजना के लिए पहली किस्त मिलने की संभावना है।

(घ) अनेक परियोजनाएं, जो एन.एच.डी.पी. का हिस्सा है, पहले ही कार्यान्वित की जा रही है।

मध्य प्रदेश में तेल चयन बोर्ड का गठन

625. **श्री पुन्नू लाल मोहले:**
श्री पी.आर. खुंटे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में तेल चयन बोर्ड गठित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और इसकी अवधि क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त बोर्ड को कब तक गठित कर दिए जाने और उसके कार्य करने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डीलर चयन बोर्डों का गठन निकट भविष्य में होने की संभावना है।

[हिन्दी]

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का पुनर्गठन

626. **डा. अशोक पटेल:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री रामशकल:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को भंग करके इसके स्थान पर न्यायिक शक्तियों से वंचित एक नया निकाय नियुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सदस्यों को नामित करने हेतु कौन से मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) किस तारीख को इसका पुनर्गठन किया गया था और इसके सदस्य कौन-कौन हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने 24 जनवरी, 2000 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया।

उक्त अध्यादेश के जरिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में कतिपय ढांचागत परिवर्तन किए गए हैं। टीआरएआई को अतिरिक्त कार्य भी सौंपे गए हैं और टीआरएआई के संस्तुति/परामर्शी कार्यों तथा विनियामक कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग-अलग परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, लाइसेंस संबंधी कतिपय मामलों में सरकार के लिए टीआरएआई की सिफारिश प्राप्त करना कानूनी रूप से अनिवार्य घोषित किया गया है।

टीआरएआई का भी पुनर्गठन किया गया है तथा अब इसका एक अध्यक्ष, अधिकतम दो पूर्णकालिक तथा दो अंशकालिक सदस्य होंगे जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जिन्हें दूरसंचार, उद्योग, वित्त, लेखा पद्धति, विधि, प्रबंधन या ग्राहक मामलों में सुविज्ञता तथा व्यावसायिक अनुभव प्राप्त हों। सरकार ने पहले ही टीआरएआई को पुनर्गठित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है तथा अध्यक्ष तथा सदस्यों के पदों पर नियुक्तियों का अनुमोदन कर दिया है।

चूंकि वैचारिक दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं था कि संस्तुति प्राधिकारी तथा अभिनिर्णय प्राधिकारी एक ही हों, अत: विवाद निपटान तंत्र पुनर्गठित करना तथा सुदृढ़ करना भी आवश्यक हो गया। तदनुरूप, टीआरएआई अधिनियम, 1997 के अध्याय IV, जिसके तहत टीआरएआई को सीमित अभिनिर्णयी शक्तियां प्रदान की गई थीं, को बदल दिया गया जिससे "दूरसंचार विवाद निपटान तथा अपील न्यायाधिकरण" नामक एक अलग ऐसे विवाद निवारण निकाय की स्थापना की जा सकेगी जो लाइसेंसदाता तथा लाइसेंस धारक के बीच दो या दो से अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच तथा किसी सेवा प्रदाता और ग्राहकों के समूह के बीच किसी भी विवाद का निर्णय करेगा और टीआरएआई के किसी भी निर्देशन, निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करेगा और उसका निपटान करेगा।

[अनुवाद]

भोपाल क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्यक्षेत्र

627. श्री नरेश पुगलिया: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य पांच हैक्टेअर से कम वनभूमि वाली राज्य की विकासपरक परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए स्थापित भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आता है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत की गई, नामंजूर की गई, महाराष्ट्र सरकार को वापस भेजी गई कितनी परियोजनाएं हैं और उनके नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी परियोजनाएं भोपाल क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित पड़ी हैं और प्रत्येक परियोजना में कितनी भूमि शामिल है; और

(ग) महाराष्ट्र सरकार को परियोजनाएं वापस करने और नामंजूर करने के क्या कारण हैं और लम्बित को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जनवरी, 1997 से प्राप्त परियोजनाओं (5 हैक्टेयर से कम) की स्थिति सहित उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विभिन्न प्रस्तावों, जिन्हें गुण दोष के आधार पर अस्वीकृत किया गया है, को तदनुसार दिखाया गया है। जबकि अन्य प्रस्ताव, जिन्हें अस्वीकृत दिखाया गया है उन्हें राज्य सरकार से सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण अस्वीकृत किया गया है।

राज्य सरकार के पास लंबित दिखाए गए प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव से संबंधित विभिन्न आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण लंबित है। इन प्रस्तावों पर आगे कार्रवाई केवल मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद ही की जानी संभव होगी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात जनवरी, 1997 से क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में वानिकी मंजूरी के लिए प्राप्त प्रस्तावों की विस्तृत स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	क्षेत्र	प्राप्त होने की तारीख	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
			महाराष्ट्र			
वर्ष 1997						
1.	वायरलैस स्टेशन की स्थापना	सतारा	0.06	1.1.97	4.2.97 को मंजूर	
2.	सिंगलचोड को एमडीआर 15	नासिक	0.57	1.1.97	26.2.97 को मंजूर	
3.	40 मी. ऊंची माइक्रोवेव टावर	थाणे	0.24	9.1.97	3.2.97 को मंजूर	
4.	जल आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत पाइप लाइन बिछाना	धुले	0.0525	14.2.97	11.8.97 को मंजूर	
5.	विसापुर में पीएचसी का निर्माण	चन्द्रपुर	0.90	19.2.97	2.7.99 को गुण-दोष के आधार पर नामंजूर	
6.	ओंद-योती-कुमबरगांव-गलमेवादी रोड	सतारा	1.20	11.3.97	25.3.99 को नामंजूर	

1	2	3	4	5	6	7
7.	श्री जीवादनीदेवी मंदिर का पुनर्निर्माण	थाणे	1.95	21.3.97	15.7.99 को सिद्धांत रूप से सहमत	
8.	धानु से वर्सोवा तक 220 केवी टीएल	थाणे	2.64	17.4.97	24.4.97 को मंजूर	
9.	एल.टी.टी.एल.	रायगढ़	0.504	9.4.97	3.6.98 को गुण दोष के आधार पर नामंजूर	
10.	यू जी पाइप लाइन	थाणे	0.307	9.4.97	10.12.99 को राज्य सरकार के पास लंबित	
11.	धागी-बोड़गांव प्लासखेड़ा रोड परियोजना	जालना	0.43	1.5.97	16.5.97 को मंजूर	
12.	पोगरवाडी फाटा को अरे दरे रिवांडे रोड	सतारा	3.30	13.5.97	24.7.97 को सिद्धांत रूप में सहमत	
13.	लेबर शेड का निर्माण एवं बिजली के खंभों को खड़ा करना	रायगढ़	0.0666	13.5.97	15.1.98 को मंजूर	
14.	यू जी वाटर पाइ़प लाइन	थाणे	2.834	14.5.97	24.10.97 को मंजूर	
15.	22 केवी एच टी लाइन	थाणे	0.2879	3.6.97	15.1.98 को मंजूर	
16.	आदिवासी वाडिज का टी एल के लिए विद्युतीकरण	रायगढ़	0.315	6.6.97	9.3.98 को मंजूर	
17.	राष्ट्रीय दोहरी गैस पाइप लाइन बिछाना	रायगढ़	0.867	17.6.97	25.7.97 को मंजूर	
18.	22 के वी एचटी लाइन	थाणे	0.162	17.6.97	14.10.97 को मंजूर	
19.	राजसबाई शेवाली जल पूर्ति स्कीम का कार्यान्वयन	धूले	0.1575	17.6.97	28.7.97 को मंजूर	
20.	नलवाडेवडी-हिरवारा-जम्ब रोड	सतारा	2.16	17.6.97	21.10.99 को अस्वीकृति	
21.	काटोल रोड से अमरावती रोड तक रिंग रोड	नागपुर	1.371	17.6.97	14.5.98 को मंजूर	
22.	कोचीनारा में विलेज टैंक	गडचिरोली	1.34	14.7.97	17.10.97 को सिद्धांत रूप में सहमत	
23.	बाम्बे प्वाइंट में 13 सिजनल स्थल्स की स्थापना	सतारा	0.0181	25.7.97	17.10.97 को मंजूर	
24.	रोहा जल आपूर्ति स्कीम	रायगढ़	0.418	2.9.97	16.10.97 को मंजूर	

1	2	3	4	5	6	7
25.	मानकपुर से डोगरशट रोड	नासिक	0.750	22.10.97	1.12.97 को गुण-दोष आधार पर नामंजूर	
26.	बालाजी मंदिर के परिसर को बढ़ाना	नागपुर	0.48	24.10.97	12.8.98 को सिद्धांत रूप में सहमत	
27.	रणविहिर से केलविहिर रोड	नासिक	0.320	4.11.97	15.1.98 को मंजूर	
28.	गोडे से उस्तोले रोड	नासिक	0.50	4.11.97	1.1.98 को मंजूर	
29.	नागभिर-नारखाक क्षेत्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति	चन्द्रपुर	0.3075	11.11.97	1.1.98 को मंजूर	
30.	राणेगांव से कोनासी रोड	अहमदनगर	0.2565	28.11.97	15.1.98 को मंजूर	
31.	पेय जल आपूर्ति स्कीम	पुणे	0.200	5.12.97	12.1.98 को मंजूर	
32.	गेल को 100 केवी टीएल को विद्युत आपूर्ति	रायगढ़	0.2596	17.12.97	5.1.98 को मंजूर	
33.	132 केवी विद्युत टीएल	नासिक	0.450	17.12.97	15.1.98 को मंजूर	
34.	भोरमल परकोलेशन टैंक	नासिक	2.00	1.1.97	21.10.99 को नामंजूर	
35.	गलवत परकोलेशन टैंक	नासिक	3.00	1.1.97	21.10.99 को नामंजूर	
36.	टडाला में एम आई टैंक को फिडर चैनल	चन्द्रपुर	0.740	1.1.97	11.1.2000 को राज्य सरकार के पास लंबित	
37.	केलविहिर परकोलेशन टैंक	नासिक	2.35	14.1.97	21.10.99 को अस्वीकृति	
38.	बैतखेड़ा परकोलेशन टैंक	औरंगाबाद	2.00	14.2.97	9.4.97 को सिद्धांत रूप में सहमत	
39.	काचोरपड़ा परकोलेशन टैंक	नासिक	2.80	14.2.97	9.4.97 को सिद्धांत रूप से सहमत	
40.	घुलघाट परकोलेशन टैंक	नासिक	1.90	26.2.97	2.4.97 को सिद्धांत रूप से सहमत	
41.	घोटा परकोलेशन टैंक	अमरावती	0.86	7.4.97	16.5.97 को मंजूर	
42.	वाई माइनार इरीगेशन टैंक स्कीम	यवतमाल	0.53	16.4.97	16.5.97 को मंजूर	
43.	भिंडवाल परलोकेशन टैंक	नासिक	0.30	2.5.97	12.6.97 को मंजूर	
44.	कोचीनारा विलेज टैंक	गढ़चिरोली	1.34	14.7.97	17.10.97 को सिद्धांत रूप से सहमत	
45.	कोडवी मिडियम योजना	कोल्हापुर	2.52	13.8.97	13.11.97 को सिद्धांत रूप में सहमत	
46.	सबकुंड परकोलेशन टैंक	नागपुर	3.50	28.8.97	17.11.97 को सिद्धांत रूप में सहमत	

1	2	3	4	5	6	7
47.	गंगायारी टैंक	भण्डारा	5.00	17.9.97	23.10.97 को सिद्धांत रूप में सहमत	
48.	कोलस्तीपाडा परकोलेशन टैंक	नासिक	2.85	19.9.97	5.10.99 से राज्य सरकार के पास लंबित	
49.	सलानगटोला नहर परियोजना	भण्डारा	1.89	19.9.97	11.11.97 को सिद्धांत रूप में सहमत	
50.	वराम्भे परकोलेशन टैंक	नासिक	3.25	23.9.97	17.11.97 को सिद्धांत रूप में सहमत	
51.	चिम्बाले परकोलेशन टैंक	अहमदनगर	1.71	30.9.97	16.12.97 को सिद्धांत रूप में सहमत	
52.	वाशी परकोलेशन टैंक	उस्मानाबाद	0.95	13.10.97	17.11.97 को मंजूर	
53.	माजरी मसाला सिंचाई टैक	अमरावती	4.47	22.10.97	21.8.98 को सिद्धांत रूप में सहमत	
54.	बिलोनी परकोलेशन टैंक	औरंगाबाद	0.94	5.12.97	15.1.98 को मंजूर	
55.	खपा निपनी परकोलेशन टैंक	नागपुर	1.00	17.12.97	15.1.98 को मंजूर	
56.	वनोला (पनोला) परकोलेशन टैंक	नांदेड	1.40	19.12.97	15.1.98 को सिद्धांत रूप में सहमत	
57.	नान्दरी माइनर सिंचाई टैंक	कोल्हापुर	2.18	31.12.97	15.1.98 को सिद्धांत रूप में सहमत	
वर्ष 1998						
1.	यूजी जल पाइप लाइन बिछाना	पुणे	0.005	9.2.98	31.3.98 को मंजूर	
2.	कुआं खोदना और पाइप लाइन बिछाना	नागपुर	0.045	13.2.98	31.3.98 को राज्य सरकार के पास लंबित	
3.	आरसीसी, जी एस आर सम्प और पंप हाउस	पुणे	0.161	10.3.98	5.5.98 को मंजूर	
4.	धाम नदी के ऊपर बड़े पुल का निर्माण	वर्धा	0.120	24.3.98	37.5.98 को मंजूर	
5.	पालघर और 26 गांवों का अगुमन्टेशन	थाणे	0.985	31.3.98	13.5.98 को मंजूर	
6.	दिगम्बर जैन मूर्ति के लिए मंदिर	नासिक	0.80	7.4.98	6.5.99 को मंजूर	
7.	पाइप लाइन, पंप हाउस और विद्युत आपूर्ति लाइन बिछाना	अहमदनगर	0.1485	17.4.98	30.4.98 को मंजूर	
8.	फार्म लैंड के लिए रोड	सतारा	0.15	1.5.98	27.5.98 को गुण-दोष आधार पर नामंजूर	

1	2	3	4	5	6	7
9.	यशवंत सहकारी पानी पूर्वथा संस्था लि.	सतारा	0.0074	8.5.98	8.6.98 को मंजूर	
10.	सड़क चौड़ा करना	नासिक	1.671	20.5.98	16.2.99 को मंजूर	
11.	बड़े ऊंचे स्तर का पुल	वर्धा	0.95	29.5.98	22.7.98 को मंजूर	
12.	खंडाला-माजरा संयुक्त जल आपूर्ति स्कीम	चन्द्रपुर	0.06986	15.6.98	11.8.98 को मंजूर	
13.	2 मीटर ओप्टिकल दूरबीन की स्थापना	पुणे	1.735	17.7.98	24.5.99 को मंजूर	
14.	यू जी पाइप लाइन बिछाना	अमरावती	0.135	30.6.98	11.8.98 को मंजूर	
15.	हनुमान मंदिर से मुनदेवी मंदिर तक रोड	जलगांव	1.80	22.7.98	15.4.99 को सिद्धांत रूप में सहमत	
16.	बड़ा गांव नान्दूर और 14 अन्य गांवों का अगुमेन्टेशन	अहमदनगर	0.995	22.7.98	23.9.98 को मंजूर	
17.	धमन्तरी में यूजी जल पाइप लाइन	अमरावती	0.0063	22.7.98	2.2.2000 को नामंजूर	
18.	लोन्धा नल्ला परियोजना	कोल्हापुर	4.007	7.12.98	14.1.99 को सिद्धांत रूप में सहमत	
19.	11 केवी टीएल	अकोला	0.0039	7.12.98	14.1.99 को मंजूर	
20.	11 केवी विद्युतीकरण	कोल्हापुर	0.378	14.12.98	14.1.99 को मंजूर	
21.	टीएलकम रिसिविंग टावर	नासिक	0.05	29.12.98	27.7.99 को मंजूर	
22.	लोही माइनर इरगेशन टैंक	योवतमल	4.43	19.1.98	20.2.98 को सिद्धांत रूप में सहमत	
23.	जेलुगढ़े माइनर इरिगेशन टैंक	कोल्हापुर	4.280	21.1.98	9.3.98 को सिद्धांत रूप से सहमत	
24.	तेमघर इरिगेशन प्रोजेक्ट	पुणे	2.42	20.2.98	15.5.98 को सिद्धांत रूप से सहमत	
25.	अरफल लैफ्ट बैंक कैनल टनल	सतारा	1.17	24.3.98	7.9.99 को मंजूर	
26.	बद्री टैंक से नहर निर्माण	जलगांव	0.50	20.5.98	3.7.98 को मंजूर	
27.	सबरोदरा परकोलेशन टैंक	नासिक	4.00	29.5.98	29.10.99 को नामंजूर	
28.	सोहाले में कोल्हापुर टाइप वायर का निर्माण	कोल्हापुर	0.24	24.7.98	17.11.98 को मंजूर	
29.	तरोड़ा परकोलेशन टैंक	नासिक	3.60	19.8.98	22.10.98 को सिद्धांत रूप में सहमत	
30.	लोन्धा नाला प्रोजेक्ट	कोल्हापुर	4.007	7.12.98	14.1.99 को सिद्धांत रूप में सहमत	
31.	गवासे माइनर इरिगेशन टैंक	कोल्हापुर	2.83	7.12.98	24.9.99 को मंजूर	

1	2	3	4	5	6	7
32.	तलेगांव माइनर इरिगेशन टैंक	वर्धा	0.425	7.12.98	14.1.99 को मंजूर	
33.	लक्काकोट इरिगेशन टैंक	नांदेड	3.87	8.1.99	10.2.99 को सिद्धांत रूप में सहमत	
34.	बोथा माइनर इरिगेशन प्रोजैक्ट	बलधाना	1.40	24.3.98	12.4.99 को सिद्धांत रूप से सहमत	
वर्ष 1999						
1.	चिंचले गांव के लिए 11 केवि लाइन के लिए विद्युतीकरण	नासिक	0.287	29.1.99	12.4.99 को मंजूर	
2.	जवाहर उर्दू हाइस्कूल, अष्टी	वर्धा	0.350	29.1.99	15.4.99 को गुण-दोष आधार पर नामंजूर	
3.	वीएसएनएल के लिए माइक्रोवेव लिंग टावर	रायगढ़	0.4456	9.2.99	11.3.99 को मंजूर	
4.	रिसेटलमैन्ट आफ लेनधरी विलेज	गडचिरोली	3.50	29.1.99	राज्य सरकार के पास 13.8.99 से लंबित	
5.	दहीसर से वसई तक यूजी पाइप लाइन बिछाना	थाणे	0.864	3.2.99	7.4.99 को मंजूर	
6.	रिसैटलमेन्ट आफ चिंचटोला विलेज	गडचिरोली	3.50	6.2.99	12.7.99 को गुण-दोष आधार पर अस्वीकृत	
7.	रिसैटलमेंट आफ बांधेगांव विलेज	गडचिरोली	1.50	3.2.99	राज्य सरकार के पास 13.8.99 से लंबित	
8.	रिसैटलमेंट आफ कुरखेडा विलेज	गडचिरोली	3.00	15.2.99	12.7.99 के गुण दोष आधार पर नामंजूर	
9.	एक्सवेकेशन आफ ट्रंच एंड लेईंग ओ एफ सी	थाणे	0.6481	4.3.99	11.3.99 से मंजूर	
10.	नई रोड का निर्माण	थाणे	0.035	26.3.99	5.7.99 से मंजूर	
11.	वनगांव ग्राम पंचायत वीकली मार्किट प्लेस एंड काम्पलैक्स	थाणे	0.06	19.4.99	2.7.99 से मंजूर	
12.	क्षेत्रीय आरडब्ल्यूएसएस के नीचे पाइप लाइन बिछाना	कोल्हापुर	0.4525	28.4.99	2.7.99 को मंजूर	
13.	यथोक्त	पुणे	0.72	28.4.99	6.5.99 को मंजूर	
14.	लेईंग 33 केवी मायनी वाडजल महस्वाद टीएल	सतारा	0.9075	10.5.99	2.7.99 को मंजूर	

1	2	3	4	5	6	7
15.	कृष्णा उपसा जल सिंचाई कोआपरेटिव जल आपूर्ति लि. में पाइप लाइन बिछाना	अहमदनगर	0.0645	20.5.99	12.7.99 को मंजूर	
16.	धारतवाडा जल आपूर्ति स्कीम	नागपुर	0.48	1.6.99	24.7.99 को मंजूर	
17.	श्री थाडैश्वर को-आपरेटिव सोसायटी लि., भिगवान को यू जी पाइप लाइन	पुणे	0.035	1.7.99	24.7.99 को मंजूर	
18.	यू जी जल आपूर्ति पाइप लाइन बिछाना	रायगढ़	0.0395	30.6.99	7.9.99 को मंजूर	
19.	जल आपूर्ति पाइप लाइन बिछाना	अहमदनगर	0.3462	30.6.99	7.9.99 से मंजूर	
20.	यूजी जल आपूर्ति पाइप लाइन बिछाना	रायगढ़	0.136	20.7.99	7.9.99 से मंजूर	
21.	0.44 केवी (एलटी) लाइन	रायगढ़	0.567	20.7.99	राज्य सरकार के पास 30.9.99 से लंबित	
22.	सोंकासवाडी में यू जी जल पाइप लाइन बिछाना	पुणे	0.0185	20.7.99	राज्य सरकार के पास 7.9.99 से लंबित	
23.	सोलकासवाडी में यू जी जल पाइप लाइन बिछाना	पुणे	0.0785	22.7.99	राज्य सरकार के पास 10.9.99 से लंबित	
24.	22केवी (एचटी) लाइन और एल टी लाइन	रायगढ़	1.98	22.7.99	राज्य सरकर के पास 30.9.99 से लंबित	
25.	22केवी, 95 सक्वायर एमएम एक्सएलपोई यू जी हाई टेंशन केबल टू माइक्रोवेव टावर	थाणे	0.060	3.8.99	7.9.99 से मंजूर	
26.	लेईंग डाउन आफ पाइपलाइन	धुले	0.362	16.8.99	10.9.99 से मंजूर	
27.	विसापुर हाईस्कूल का निर्माण	चन्द्रपुर	0.99	4.10.99	राज्य सरकार के पास 12.11.99 से लंबित	
28.	उजलेश्वर परकोलेशन टैंक	अकोला	0.77	8.2.99	12.4.99 से मंजूर	
29.	असोली टैंक	भण्डारा	4.00	25.3.99	2.7.99 से सिद्धांत रूप में सहमत	
30.	केशोरी विलेज टैंक	नागपुर	1.688	28.7.99	10.9.99 को सिद्धांत रूप से सहमत	
31.	कोल्हापुर टाइप स्टोरेज भंडारा आफ खैरकुटी	धूले	0.94	26.10.99	राज्य सरकार के पास 16.12.99 से लंबित	
32.	कोल्हापुर टाइप स्टोरेज भंडारा आफ संघवी	धूले	0.97	26.10.99	राज्य सरकार के पास 16.12.99 से लंबित	

1	2	3	4	5	6	7
33.	33 केवी एच टी विद्युत आपूर्ति	चन्द्रपुर	4.68	3.12.99	2.2.2000 से सिद्धांत रूप से सहमत	
34.	लेईंग डाउन पाइपलाइन एंड कन्सट्रक्शन आफ प्रोडक्शन वैल	धूले	0.135	8.12.99	राज्य सरकार के पास 20.1.2000 से लंबित	
35.	अपग्रेडेशन आफ एगजिस्टिंग पाथ वे फ्राम अजंता केवस	औरंगाबाद	0.22	31.12.99	राज्य सरकार के पास 10.2.2000 से लंबित	
36.	श्री जगदम्बी देवी मंदिर का पुनर्निर्माण	अहमदनगर	4.96	31.12.99	राज्य सरकार के पास 10.2.2000 से लंबित	
37.	गेल को 100 केवी विद्युत आपूर्ति	रायगढ़	4.4550	24.1.2000	2.2.2000 को सिद्धांत रूप में सहमत	

टिप्पणी (क) राज्य सरकार के पास लम्बित दर्शाये गये प्रस्ताव संबंधित परियोजना के संबंध में विभिन्न आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण की मांग के कारण लम्बित हैं यह सूचना/स्पष्टीकरण अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) गुण दोष के आधार पर अस्वीकृत प्रस्तावों के सामने स्थिति दर्शायी गई है। अन्य प्रस्ताव जो अस्वीकृत है उन्हें राज्य सरकार से सूचना/स्पष्टीकरण की मांग के कारण अस्वीकृत किया गया है।

सिक्किम में रंजीत पन विद्युत परियोजना

628. श्री भीम दाहाल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिक्किम की रंजीत पन विद्युत परियोजना के पूरा होने की वास्तविक समय सीमा क्या है;

(ख) परियोजना की मूल लागत क्या थी और अद्यतन मूल्य सूचकांक केअनुसार वर्तमान लागत क्या है;

(ग) परियोजना के लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं और इनमें से प्रत्येक का शेयर कितना है;

(घ) क्या परियोजना के लिए धनराशि की कोई कमी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये है/किये जाने वाले हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) सिक्किम में रंजीत जल विद्युत परियोजना को प्रारंभ में सितम्बर, 1995 में पूरा किये जाने का कार्यक्रम था।

(ख) अगस्त, 1989 के मूल्य स्तर पर परियोजना की मूल अनुमोदित लागत 181.16 करोड़ रुपये थी। रंजीत जल विद्युत परियोजना की संशोधित लागत अनुमान मई, 1997 के मूल्य स्तर पर 361.86 करोड़ रुपये है। परियोजना की संपूर्ण लागत 482 करोड़ रुपये होने की प्रत्याशा है।

(ग) इस परियोजना के लाभभोगी राज्य सिक्किम, पं. बंगाल, उड़ीसा, बिहार और दामोदर वैली कारपोरेशन है। प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी सभी जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों के लिए लागू विद्यमान मानदंडों के अनुसार होगी।

(घ) और (ङ) सरकार ने परियोजना के लिए इक्विटी के रूप में 181.93 करोड़ रुपये मुहैया कराई है। शेष निधियों की व्यवस्था नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) द्वारा ऋण के जरिए की गई है। परियोजना को पूरा कर दिया गया है और फरवरी, 2000 के प्रथम सप्ताह से ग्रिड के साथ समकालित कर दिया गया है। इसे मद्देनजर रखते हुए कोई निदानात्मक उपाय किये जाना अपेक्षित नहीं है।

कूड़ा-करकट प्रबंधन संबंधी कानून

629. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ठोस कूड़े के संग्रहण, विलगन, प्रसंस्करण और निपटान के संबंध में एक कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कूड़ा-करकट प्रबंधन के क्षेत्र में निगमित क्षेत्र को लाने के लिए कौन से उपाय करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) और (ख) सरकार ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1999 का प्रारूप, भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (2) में 27 सितम्बर 1999 को सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया था। बहुत बड़ी संख्या में सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।

(ग) वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कारपोरेट क्षेत्र को शामिल करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। तथापि नगरपालिका निकाय जो कि नगरपालिका ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और हथालन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, चाहे तो अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कारपोरेट क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (ट्राई) में संशोधन

630. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 (ट्राई) में संशोधनों की जांच हेतु गठित अरूण जेतली समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) सरकार ने वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में 13.12.99 को "दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी समाधिरूपता दल" गठित किया था। उक्त दल का एक विचारार्थ विषय, उपयुक्त विधायी संशोधन के जरिए टी आर ए आई को सुदृढ़ बनाने पर विचार करना तथा उसकी सिफारिश करना भी था। उक्त दल ने सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में एक उप दल गठित किया जिसे उक्त विषय पर विचार करके मुख्य दल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी। दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी समाधिरूपता दल ने उक्त उप-दल की रिपोर्ट पर विचार किया जिसके आधार पर सरकार ने टीआरएआई अधिनियम, 1997 में तत्काल संशोधन करने का निर्णय किया। तदनुरूप, 24 जनवरी, 2000 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 प्रख्यापित किया गया जिसके जरिए टी आर ए आई को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से टी आर ए आई अधिनियम, 1997 में कतिपय ढांचागत परिवर्तन किए गए हैं।

उक्त संशोधन की कुछेक मुख्य विशेषताएं हैं-टी आर ए आई के संस्तुति/परामर्शों कार्यों तथा इसके द्वारा किये जाने वाले विनियामक कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग-अलग परिभाषित करना। हालांकि टीआरएआई को कतिपय अतिरिक्त कार्य सौंपे गए हैं, नए सेवा-प्रदाताओं की आवश्यकता तथा समयोचितता और सेवा प्रदाता के लिए लाइसेंस की शर्तों के बारे में सरकार के लिए अनिवार्यत: टीआरएआई की सिफारिशें प्राप्त करने का निर्णय भी किया गया है। टीआरएआई की संरचना में परिवर्तन करने के अलावा, किए गए संशोधनों में "दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील न्यायाधिकरण" नामक पृथक विवाद निवारण निकाय गठित करने का भी प्रावधान है जिससे विवाद निपटान तंत्र सुदृढ़ होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु डीजल और पेट्रोल पर उपकर

631. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री अरूण कुमार :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीजल और पेट्रोल पर उपकर लगाकर वसूली गई राशि को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने हेतु खर्च करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त धनराशि सड़क निर्माण सडकों की लम्बाई सहित पर खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक प्रतिशत के हिसाब से कितनी लम्बी सड़क का निर्माण किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (घ) डीजल पर 1/- रु. प्रति लीटर की दर से वसूले जा रहे उपकर की 50% राशि ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु नियत की जाएगी। इसमें सभी राज्यों की ग्रामीण सड़कों का विकास भी शामिल होगा। इस बारे में ब्यौरों तथा कार्यविधि को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अतिरिक्त धन

632. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 अर्थात् अंकोला-हुबली-होसपेट-गुटी रोड के रख-रखाव के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के चित्रगुडा-शोलापुर खंड को सुदृढ़ करने हेतु एशियाई विकास बैंक/आर्थिक सहयोग विकास संगठन/विश्व बैंक जैसे बाहरी स्रोतों से 400 करोड़ रुपये की धनराशि की भी मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस अनुरोध पर सरकार द्वारा विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) राज्य सरकारों को निधियां राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु आबंटित की जाती हैं न कि राजमार्ग-वार। 1999-2000 के दौरान इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध संसाधनों के तहत अभी तक कर्नाटक राज्य सरकार को 34,10,99,000/- रु. आबंटित किए जा चुके हैं।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार ने विदेशी सहायता से रा.रा.-13 के इस खंड में सुधार का प्रस्ताव रखा है। तथापि, फिलहाल विदेशी सहायता हेतु इस परियोजना को वरीयता नहीं दी गई है।

न्यायिक प्रशासन का आधुनिकीकरण

633. श्री सुरेश चन्देल : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यायिक प्रशासन को आधुनिक बनाने/सुव्यवस्थित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) अब तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) 1999-2000 के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या न्यायिक प्रशासन के बारे में सरकार को राज्य सरकारों से, विशेषकर हिमाचल प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) विधि प्रशासन का आधुनिकीकरण/सुव्यवस्थीकरण एक निरंतर प्रक्रिया हैं जिसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों अन्तर्वलित है। इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं, जिसके अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों में अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण भी है।

"न्यायालय" परियोजना के अधीन सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय और सभी 18 उच्च न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। जिला न्यायालय कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्क कार्यक्रम के अधीन राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) ने देश में 430 जिला न्यायालयों को इसके अंतर्गत किया है।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित भी की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों को सम्मिलित करते हुए न्यायधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवास गृहों का संनिर्माण करना भी है। इस स्कीम के अधीन विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल 331 करोड़ रुपए की निधि अभी तक जारी की गई है।

(ग) न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक विकास से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन वर्ष 1999-2000 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में उपदर्शित है।

(घ) और (ङ) चालू वर्ष के दौरान, बहुत से राज्यों ने जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल भी हैं, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन निधि के आबंटन में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है। इस विषय पर योजना आयोग से वर्ष 2000-2001 के लिए अधिक निधियों का उपबंध करने के लिए पहले ही संपर्क किया गया है।

चालू वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार/हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय से विधि प्रशासन् के आधुनिकीकरण/सुव्यवस्थीकरण के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित राशि को उपदर्शित करने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

राज्य का नाम	आबंटित राशि
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	405.05
2. अरूणाचल प्रदेश	45.00
3. असम	280.00
4. बिहार	314.93
5. गोवा	39.00
6. गुजरात	181.78
7. हरियाणा	86.70
8. हिमाचल प्रदेश	39.00
9. जम्मू-कश्मीर	39.00
10. कर्नाटक	263.96
11. केरल	175.90
12. मध्य प्रदेश	323.82
13. महाराष्ट्र	347.43
14. मणिपुर	45.00
15. मेघालय	44.99
16. मिजोरम	45.00
17. नागालैंड	45.00
18. उड़ीसा	206.54
19. पंजाब	92.87
20. राजस्थान	249.47
21. सिक्किम	39.00
22. तमिलनाडु	349.39
23. त्रिपुरा	45.00
24. उत्तर प्रदेश	774.54
25. पश्चिमी बंगाल	521.63
संघ राज्य क्षेत्र	
1. अंडमान और निकोबार द्वीप	30.00
2. चंडीगढ़	29.00
3. दादर और नागर हवेली	19.00
4. दमन और दीव	18.00
5. दिल्ली	350.00
6. लक्षद्वीप	18.00
7. पांडिचेरी	36.00
योग	5500.00

कर्नाटक में लंबित जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं

634. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **विद्युत मंत्री** कर्नाटक में लंबित जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में 29 नवम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 106 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उक्त जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं कब से सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित है;

(ख) परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों ने कावेरी बेसिन पर के.आर.एस. बांध और मेटूर बांध के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) कर्नाटक में जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त करने की तिथि तथा अन्तर्राज्यीय विवादों के सुलझ जाने के पश्चात् उन्हें पुनः प्रस्तुत करने हेतु

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्राधिकारियों को लौटाने की तिथि समेत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) कावेरी नदी की दोहन न की गई अनुमानित 1150 मे.वा. जल विद्युत शक्यता के ईष्टतम समुपयोजन के लिए एक योजना तैयार कर रहा है। एनएचपीसी चार परियोजनाओं के क्रियान्वयन, प्रचालन और अनुरक्षण के लिये तैयार हो जाएगा जिससे इन परियोजनाओं में विद्युत की हिस्सेदारी के संबंध में कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच पारस्परिक सन्तोषजनक समझौता हो जाने की शर्त पर सस्ती विद्युत उत्पादित हो सकेगी।

विवरण

पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु लौटाई गई कर्नाटक की जल विद्युत बहुउद्देशीय स्कीमें

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	डीपीआर प्राप्ति की तिथि	लौटाने की तिथि	अभ्युक्तियां*
1.	महादायी	2×10+2×12.5 +2×150 = 345	8/91	3/92	गोवा के साथ अन्तर्राज्यीय पहलू शामिल है।
2.	कबीनी डैम	1×2=20	8/79	5/90	अन्तर्राज्यीय पहलू शामिल है कावेरी बेसिन में अवस्थित है।
3.	कतल एवं पलना	काली नदी बेसिन में विद्युत का विस्तार	11/85	10/87	गोवा के साथ अन्तर्राज्यीय पहलू शामिल है।
4.	शिवसमुद्रम सिजिनल	2×135=270	10/87	10/88	अर्न्तराज्यीय पहलू शामिल है कावेरी बेसिन में अवस्थित है।
5.	मेकादातू I एवं II	चरण-I-180+चरण-II-180 = 360	10/96	10/96	तमिलनाडु के साथ अन्तर्राज्यीय पहलू शामिल है कावेरी बेसिन में अवस्थित है।
6.	अपर कृष्णा-I (अलमाटी)	4×70+1×17=297	10/96	11/96	आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ अर्न्तराज्यीय पहलू शामिल है।
7.	टटीहाला संवर्धन स्कीम	संवर्धन स्कीम	8/98	9/99	के.वि.प्रा. की सहमति अपेक्षित नहीं है क्योंकि परियोजना की अनुमानित लागत 250 करोड़ रुपये से भी कम है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सारंगगढ़ में रसोई गैस एजेंसियां

635. श्री पी.आर. खुंटे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में सारंगगढ़ जिले में कितनी रसोई गैस एजेंसियां आबंटित की गई है;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कितनी एजेंसियां आवंटित की गई है; और

(ग) अगले कुछ वर्षों में जिला सारंगगढ़, मध्य प्रदेश में कितनी रसोई गैस एजेंसियां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) फिलहाल मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले सारनगढ़ में कोई एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मैसर्स इंडियन आयल कार्पोरेशन मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में सारनगढ़ के एक एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप के संबंध में विज्ञापन दिया है। फिलहाल डीलर चयन बोर्ड भंग कर दिए गए हैं। साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने में आमतौर पर 6 से 12 महीने लगते हैं।

[अनुवाद]

त्रुटि का स्वतः पता लगाने वाली सुविधा

636. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में त्रुटि का स्वतः पता लगाने वाली सुविधा आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में इस तरह की सुविधा वाले अन्य जिले कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या इस सुविधा से उपभोक्ता को अपने टेलीफोन की मरम्मत शीघ्र कराने में मदद मिलती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विलंब खुद कर्मचारियों द्वारा किया जाता है क्योंकि त्रुटि के ठीक करने के प्रति उनका उत्साह नहीं होता है; और

(च) यदि हां, तो खराबी को शीघ्रता से दूर करने हेतु अपने कर्मचारियों को दूरसंचार विभाग द्वारा किस प्रकार प्रेरित किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मौजूदा परीक्षण सुविधाओं के जरिए खराबियों का पता लगाया जाता है और इन खराबियों को तत्परता से ठीक किया जाता है।

(च) तत्परता से खराबियां ठीक करने के लिए प्रेरित करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं।

1. जाने माने प्रबंधन विशेषज्ञों द्वारा कर्मचारियों को प्रेरणा, ग्राहक-सुविधा तथा ग्राहकों के प्रति कर्मचारियों के व्यवहार संबंधित व्याख्यान दिये जाते हैं। सीनियर टीओए के प्रशिक्षण हेतु प्रेरणा से जुड़े विशेष मोड्यूल भी जोड़े गए हैं।

2. आन्ध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद सहित विशाखापट्नम, विजयवाड़ा, वारंगल तथा राजमुन्दरी नामक चार नगरों में फील्ड में कार्यरत लाइन-स्टाफ को पेजर दिए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों पर तत्परता से ध्यान दिया जा सके।

3. कार्य निष्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को संचार दूत, संचार श्री एवं संचार सारथी ईनाम दिये जाते हैं।

रावा तेल क्षेत्र में गैस का उत्पादन

637. श्री ए. नरेन्द्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी बेसिन में रावा तेल क्षेत्र से उत्पादित गैस को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने हेतु पाइप के माध्यम से लाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारतीय गैस प्राधिकरण, रावा संयुक्त उद्यमों तथा वीडियोकान पेट्रोलियम और केन्द्र सरकार के मध्य किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे राज्य के उपभोक्ताओं को किस हद तक लाभान्वित होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) संयुक्त उद्यम विकास पर रावा तेल और गैस क्षेत्र के "मौजूदा खोज" ब्लाकों से हाल में उत्पादित गैस की आपूर्ति डाऊन स्ट्रीम ग्राहक क्षेत्र को की जा रही है।

(ख) 27 जून, 1997 को विक्रेताओं के रूप में मैसर्स आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि., मैसर्स्स वीडियोकान पेट्रोलियम लि., मैसर्स कैरन एनर्जी इंडिया प्रा.लि. और मैसर्स रावा आयल (सिंगापुर) प्रा.लि. के संयुक्त उद्यम तथा क्रेता के रूप में गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. (गेल) के बीच औसत 0.7 मिलियन मानक घनमीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) की बिक्री के लिए उपबंध करते हुए एक गैस बिक्री संविदा पर हस्ताक्षर किए गए।

(ग) उपर्युक्त गैस बिक्री संविदा की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:-

* विक्रेता गैस का अपना भागीदारी हिस्सा वितरण केन्द्र पर मौजूदा खोजों से उत्पादित एकल स्ट्रीम के माध्यम से सम्मिश्रित रूप में बेचेगा।

* वितरण केन्द्र तक सुविधाओं का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण विक्रेताओं द्वारा अपनी जोखिम और लागत पर किया जाएगा। वितरण केन्द्र से आगे सुविधाओं का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण क्रेताओं द्वारा अपने जोखिम और लागत पर किया जाएगा।

* वितरण केन्द्र पर हक, नियंत्रण और जोखिम विक्रेता से क्रेता को अंतरित हो जाएगा।

* प्रत्येक संविदा वर्ष के दौरान विक्रेता दैनिक संविदा मात्रा में गैस क्रेता को उपलब्ध कराएगा।

* यह संविदा इसके हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी है और इसका कार्यकाल उत्पादन हिस्सेदारी के प्रभावी रहने अर्थात् अक्तूबर, 2019 तक की अवधि के लिए होगा।

ओ.एन.जी.सी. के अन्य क्षेत्रों से गैस सहित रावा क्षेत्र से गैस का परिवहन और आपूर्ति गेल द्वारा आंध्र प्रदेश में विद्युत और उर्वरक क्षेत्र के उपभोक्ताओं को की जा रही है।

एन.ई.एल.पी. के अंतर्गत तेल अन्वेषण अधिकार

638. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**
श्री पी.डी. एलानगोवन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नवीन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) के तहत कोई तेल अन्वेषण अधिकार प्रदान किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार प्रदत्त क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा किन्हीं उत्पादन सहभागिता अनुबंधों को अंतिम रूप दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) के अंतर्गत प्रथम दौर के प्रस्ताव में पच्चीस अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए गए हैं। इन ब्लाकों का स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इन ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी.एस.सीज) को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	ब्लाकों का नाम	बेसिन/क्षेत्र
1	2	3
1.	एआरपी-ओएनएन/97/1	अरूणाचल प्रदेश तटवर्ती
2.	जीवी-ओएनएन-97/1	गंगा घाटी तटवर्ती
3.	केजी-ओएसएन/97/1	कृष्णा गोदावरी उथला जल अपतटीय
4.	केजी-ओएसएन/97/2	-तदैव-
5.	केजी-ओएसएन/97/3	-तदैव-
6.	केजी-ओएसएन/97/4	-तदैव-
7.	एमबी-ओएसएन/97/4	मुंबई उथला जल अपतटीय

1	2	3
8.	एमबी-ओएसएन/97/3	मुंबई उथला जल अपतटीय
9.	एमबी-ओएसएन/97/2	-तदैव-
10.	केके-ओएसएन/97/3	केरल कोंकण उथला जल अपतटीय
11.	केके-ओएसएन/97/2	-तदैव-
12.	सीवाई-ओएसएल-97/1	कावेरी उतला जल अपतटीय
13.	सीवाई-ओएसएन-97/2	-तदैव-
14.	जीके-ओएसएन-97/1	गुजरात कच्छ उथला जल अपतटीय
15.	एसआर-ओएसएन-97/1	सौराष्ट्र उथला जल अपतटीय
16.	एमएन-ओएसएन-97/3	महानदी उथला जल अपतटीय
17.	एनईसी-ओएसएन-97/1	उत्तर पूर्व तट उथला जल अपतटीय
18.	एनईसी-ओएसएन-97/2	-तदैव-
19.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/1	कृष्णा गोदावरी गहन जल अपतटीय
20.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3	-तदैव-
21.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/4	-तदैव-
22.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/5	-तदैव-
23.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/1	-तदैव-
24.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-98/2	महानदी गहन जल अपतटीय
25.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-98/3	-तदैव-

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में विश्व बैंक से ऋण

639. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में आज की तिथि तक विद्युत क्षेत्र के विकास और उसमें सुधार के लिए विश्व बैंक से कुल कितना ऋण लिया गया है;

(ख) क्या उपरोक्त ऋण का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस संबंध में कौन कौन से निदेश जारी किये गये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) उत्तर प्रदेश और बिहार समेत विभिन्न राज्यों में विद्युत क्षेत्र के विकास एवं सुधार के लिए विश्व बैंक/आईबीआरडी द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि तथा इन ऋणों के समुपयोजन संबधी स्थिति के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) ऋणों का कुछ परियोजनाओं के मामले में विभिन्न कारणों जैसे ऋण संबधी प्रसंविदा सहमत कार्य के कार्यान्वयन संबंधी विफलता और परियोजना संबंधी विलंब के पूरा न करने से समुपयोजन नहीं किया जा सका है।

(ङ) ऋणों के पूर्ण समुपयोजन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विश्व बैंक के साथ सहमत ऋण संबंधी प्रसंविदा के अनुपालन के लिए कहा गया है।

विवरण

(राशि मिलियन अमरीकी डॉलर में)

क्र.सं.	ऋण सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत ऋण राशि	समुपयोजित राशि
1	2	3	4	5
महाराष्ट्र				
1.	3344-इन	दहाणु थर्मल पावर प्रोजेक्ट	200.000	194.986
2.	3239-इन	ट्राम्बे कम्बाईंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट	98.000	98.000
3.	3096-इन	महाराष्ट्र पावर प्रोजेक्ट	337.330	337.330
4.	3498-इन	दूसरी महाराष्ट्र पावर प्रोजेक्ट	350.000 112.253 (संशोधित)	112.253
5.	2452-इन	ट्राम्बे थर्मल पावर प्रोजेक्ट	134.409	134.409
6.	2544-इन	चन्द्रपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	280.000	199.400
गुजरात				
1.	2497-इन एवं 1553-इन	सरदार सरोवर एचई प्रोजेक्ट	300.000	244.400 एमएसडीआर
कर्नाटक				
1.	2827-इन	कर्नाटक पावर प्रोजेक्ट-I	260.000	80.699
2.	2827-इन	कर्नाटक पावर प्रोजेक्ट-II	69.637	69.637
3.	2938-इन	कर्नाटक पावर प्रोजेक्ट-II	220.000	41.694
उत्तर प्रदेश				
1.	2957-इन	श्रीनगर एचई प्रोजेक्ट	223.900	17.060
2.	पी-229	यू.पी./पावर क्षेत्र रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट	2.000	1.945
बिहार				
1.	पी-237	बिहार रिस्ट्रक्चरिंग पावर सैक्टर	0.624 (संशोधित)	0.624

1	2	3	4	5
उड़ीसा				
1.	2278-इन	अपर इन्द्रावती एचई	156.4	शून्य
2.	क्रेडिट 1356-इन	पावर प्रोजेक्ट	156 एमएसडीआर (170 एमयूएसएस)	156एमएसडीआर (170 एमयूएसएस)
3.	4014-इन	उड़ीसा एनर्जी सैक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट	350.000	27.716
हरियाणा				
1.	पी-225	हरियाणा पावर सैक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट	0.000 (संशोधित)	.001
2.	4271-इन	-वही-	60.000	29.379
आंध्र प्रदेश				
1.	4441-इन	आंध्र प्रदेश पावर सैक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट	210.000	14.034
हिमाचल प्रदेश				
1.	3024-इन	नाथपा झाकरी एचई प्रोजेक्ट एण्ड एक्सपेन्सन ऑफ टी एण्ड डी प्रणाली ऑफ हिमाचल प्रदेश	485.000	384.455
राजस्थान				
1.	पी.-235	राजस्थान पावर सैक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट	2.000	0.381

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

640. **श्री राम मोहन गाइडे:**
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए 146 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ग) इन्हें पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने राज्य विद्युत बोर्डों/बिजली विभागों द्वारा प्रायोजित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के लिए 2586.12 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मंजूर की है। स्कीमों के राज्यवार ब्यौरे और संस्वीकृत ऋण राशि संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम एक सतत् प्रक्रिया है जो मुख्यत: राज्यों के वित्तीय स्थिति विद्युत उत्पादन क्षमता एवं पारेषण और वितरण सुविधाओं पर निर्भर करता है।

विवरण

1999-2000 के दौरान आरईसी द्वारा स्वीकृत स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये मे)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत स्कीमें	
		संख्या	ऋण राशि
1.	आंध्र प्रदेश	74	22559
2.	अरूणाचल प्रदेश	32	2947
3.	गोवा	4	229
4.	गुजरात	49	8995
5.	हरियाणा	67	20656
6.	हिमाचल प्रदेश	11	4713
7.	जम्मू एवं कश्मीर	7	6230
8.	कर्नाटक	149	41212
9.	केरल	139	31325
10.	मध्य प्रदेश	76	6096
11.	महाराष्ट्र	157	24915
12.	मणिपुर	12	3464
13.	पंजाब	25	6012
14.	राजस्थान	118	26365
15.	तमिलनाडु	105	23318
16.	त्रिपुरा	11	1853
17.	उत्तर प्रदेश	86	27723
	जोड़	1122	258612

केरल में "कोचीन रिफाईनरीज" द्वारा स्थापित विद्युत परियोजना

641. **श्री पी.सी. थामस:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन रिफाईनरीज केरल द्वारा कोचीन में अम्बलामुगल में एक विद्युत परियोजना स्थापित किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव पेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई संभाव्यता अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजना से कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन होने का अनुमान है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) मेसर्स कोचीन रिफायनरी लिमिटेड (सीआरएल) ने अर्नाकुलम जनपद में अपने रिफायनरी के निकट अमबालामुगल में विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए 1998 में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणियाँ मैसर्स सीआरएल को इस अनुरोध के साथ भेजी गई है कि सभी आवश्यक निवेशों/सांविधिक स्वीकृतियों के उपरान्त वे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(ग) और (घ) सीआरएल द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट में 35.80 रु. प्रति अमरीकी डालर विनिमय दर पर 2994 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से लगभग 522 मेगावाट उत्पादन क्षमता के इन्टीग्रेटेड गैसीफिकेशन कम्बाइन्ड साईकल प्लांट की परिकल्पना की गई है। संयंत्र के व्यावसायिक प्रचालन के बारे में सुस्पष्ट ब्यौरे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्ति के पश्चात् ही पता चल सकेंगे।

तेल निगमों द्वारा एल.पी.जी. का परिवहन करने के लिए निविदाएं

642. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल निगमों ने अप्रैल, 1999 के दौरान एलपीजी का बड़ी मात्रा में परिवहन करने के लिए संयुक्त रूप से अखिल भारत आधार पर निविदाएं विज्ञापित की थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि एलपीजी टैंकरों की प्रकाशित मांग की तुलना में, उल्लिखित टैंकरों की संख्या मांग से 55 प्रतिशत अधिक थी;

(ग) तेल निगमों को दूसरे और अंतिम चरण की वार्ता को शुरू करने से पहले किन परिस्थितियों में सभी एल पी जी टैंकरों को लेने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसकी वजह से कार्टर को प्रतिस्पर्धा मूल्य की अपेक्षा काफी अधिक भाव प्राप्त हुआ;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में पूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करने हेतु जांच करने का आदेश दिया है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) और (ग) उद्योग निविदा में यह उल्लेख किया था कि ट्रैंक ट्रक जरूरत की संख्या, देश में एल.पी.जी. कुल मांग, किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश विशेष में एल.पी.जी. की मांग, वह स्रोत जिससे ऐसी मांग पूरी की जाएगी अर्थात आयात द्वारा अथवा घरेलू स्रोत से, परिवहन के किफायती माध्यम आदि जैसे अनेक घटकों पर निर्भर करेगी। टैंक ट्रकों की की गई मांग निविदा सूचना के जारी होने के समय पर अनुमान मात्र थी और तेल कंपनियां ऐसी दरों के लिए करार करती हैं जिन पर बाजार में वास्तविक मांग के समय निविदादाता अपने टैंक ट्रक देने के लिए तैयार होते हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने इस मामले की जांच करवाई है और तेल उद्योग से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

विभिन्न लाभ निधियों और चिट कम्पनियों द्वारा धोखाधड़ी

643. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में विभिन्न लाभ निधियों और चिट कम्पनियों द्वारा किए गए दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा धन के ऐसे दुर्विनियोजन और आम लोगों के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने निधियों/पारस्परिक लाभ निधि सोसायटियों के कार्यकरण के बारे में कोई कठोर दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन निधियों/पारस्परिक लाभ निधि सोसायटियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कार्य किया और तत्संबंधी वित्तीय स्थिति क्या है जैसाकि पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार को सूचित किया गया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कम्पनी के लेखापरीक्षक को अयोग्य घोषित करना

644. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य विभाग किसी कम्पनी के लेखा परीक्षक को उस कम्पनी में कोई शेयर लेने की अनुमति न देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक सनदी लेखाकार जो सरकारी लिमिटेड कम्पनी का शेयर धारक है, उस सरकारी लिमिटेड कम्पनी का लेखापरीक्षक बनने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के लिए नियुक्त किए जाने वाले लेखा परीक्षकों के लिए नियम और दिशानिर्देश के बारे में सनदी लेखाकार संस्थान के साथ कोई विचार विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो सनदी लेखाकारों/लेखा परीक्षकों के विरुद्ध विशेषकर सी आर वी ग्रुप के उपचार के मामले में विभाग और सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) सरकार ने 23 दिसम्बर, 1999 को लोक सभा में कम्पनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को पुर:स्थापित किया है। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति को अयोग्य घोषित किए जाने का प्रावधान है यदि उसके पास कम्पनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1999 के लागू किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद उस कम्पनी की कोई प्रतिभूति हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सी.आर.वी. ग्रुप कम्पनियों के लेखापरीक्षक कम्पनियों का कोई भी शेयर धारण नहीं कर रहे हैं। अत: उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उल्फा विद्रोहियों द्वारा ओ.एन.जी.सी. के पाइपलाइनों का काटा जाना

645. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री सी.के. जाफर शरीफ:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उल्फा विद्रोहियों ने असम के शिव सागर जिले में ओ एन जी सी की पाइपलाइन को उड़ा दिया था और कच्चे तेल की आपूर्ति को बाधित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके परिणामस्वरूप हुआ अनुमानित नुकसान कितना है;

(ग) पिछले दो वर्षों में ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें उल्फा विद्रोहियों द्वारा ओ.एन.जी.सी. की पाइपलाइनों को काट दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) सुरक्षा व्यवस्था में खामियों को पहचानने और इसे मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) 1.1.2000 को आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ एन जी सी) की कच्चे तेल की एक पाइपलाइन कथित रूप से यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट आफ असम (उल्फा) द्वारा असम के शिवसागर जिले में उड़ा दी गई जिससे 150 टन कच्चे तेल उत्पादन की क्षति हुई। उपर्युक्त घटना के अलावा कथित रूप से उल्फा द्वारा शिवसागर जिले में 8.9.1998 को ओ एन जी सी की बारह इंच ट्रंक आयल पाइपलाइन उड़ाने की एक और घटना हुई। ओ एन जी सी को इस घटना में तेल उत्पादन की कोई क्षति नहीं हुई क्योंकि पाइपलाइन कच्चे तेल के परिवहन के लिए उपयोग में नहीं लाई जा रही थी। फिर भी ओ एन जी सी ने पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करने के लिए लगभग इकयावन हजार रुपए खर्च किए।

(घ) असम के पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व वाली तटीय सुरक्षा समन्वय समिति सुरक्षा प्रबंधों की सावधि समीक्षा करती है तथा सुरक्षा बढ़ाने, अतिरिक्त जनशक्ति लगाने व ओ एन जी सी, सी आई एस एफ तथा स्थानीय पुलिस द्वारा मुख्य संस्थापनाओं की दिन-रात गश्त जैसे जरूरी उपाय करती है।

खनन उद्योग में रसायनों का उपयोग

646. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खनन उद्योग में रसायनों के उपयोग को विनियमित करने हेतु पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बारे में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला खानों में रसायनों का उपयोग करने से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अनुमति लेना सभी कोयला खानों के लिए अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) इस समय कोयला खानों को कोयला खानों में किसी रसायन के प्रयोग से पूर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। परन्तु सरकार ने कोयला खानों में धूल के निलंबित कणों को रोकने के लिए रसायन योज्य के प्रयोग से संबंधित पर्यावरणीय मामलों की जांच और रसायन परीक्षण प्रक्रिया के साथ-साथ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के उपायों पर सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की है।

मिनी रत्न पुरस्कार के लिए योजना

647. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अच्छा निष्पादन करने वाले सरकारी उपक्रमों को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान कर उन्हें पुरस्कृत करने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय नौवहन निगम इस प्रयोजन हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ऐसे पुरस्कार के योग्य है;

(घ) क्या भारतीय नौवहन निगम ने ऐसे पुरस्कार के लिए आवेदन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पुरस्कार को अनुमोदित अथवा उसे प्रदान कर दिया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा भारतीय नौवहन निगम को "मिनी रत्न स्टेटस" पुरस्कार न देने के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/36/97-फिन. दिनांक 9 अक्तूबर, 1997 में नियत मार्गनिदेशों के अनुसार किसी सा.क्षे.उ. को मिनी रत्न घोषित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाते हैं:

(1) सा.क्षे.उ. को गत तीन वर्षों के दौरान निरन्तर लाभ अर्जित किया हो, तीन वर्षों में से कम से कम एक वर्ष के दौरान उपक्रम का कर-पूर्व लाभ 30 करोड़ रु. अथवा अधिक रहा हो और सा.क्षे.उ. निवल मूल्य सकारात्मक हो।

(2) किसी सरकारी ऋण अदायगी/ब्याज के भुगतान में सा.क्षे.उ. की तरफ से कोई चूक न हो।

(3) सा.क्षे.उ. बजट सहायता अथवा सरकारी गारन्टी पर निर्भर नहीं रहेगा।

(4) सा.क्षे.उ. के निदेशक-मंडल में कम से कम तीन गैर-सरकारी निदेशक शामिल करके इसका पुनर्गठन किया जाए।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) जी हां। भा.नौ.नि. ने सरकारी मार्गनिदेशों के अनुसार "मिनी-रत्न" का दर्जा दिए जाने के लिए अनुरोध किया है।

(च) जी हां।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

"ट्राई" द्वारा लंबी दूरी के दूरसंचार शुल्क में कटौती

648. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग को, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के लंबी दूरी के दूरसंचार शुल्क में कटौती करने संबंधी आदेश के कारण लगभग 2500 करोड़ रु. की हानि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) उपलब्ध आंकड़े, वित्त वर्ष 1999-2000 में टैरिफ पुनः संतुलन के कारण दूरसंचार सेवा विभाग (एम टी एन एल सहित) के राजस्व में संभावित लगभग 2000 करोड़ रु. की कमी का संकेत देते हैं। विकासात्मक योजना के लिए आंतरिक संसाधनों में अनुवर्ती कमी को ऋण घटक (बोरोइंग कम्पोनेन्ट) को बढ़ा कर दुरुस्त किया जाएगा।

महाराष्ट्र में रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

649. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र की अनेक तहसीलों में गैस एजेंसियां नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इन तहसीलों में गैस एजेंसियां उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में रसोई गैस एजेंसी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव लंबित पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का वहां रसोई गैस की स्थापना करने का कब तक विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार, मौजूदा नीति के तहत देश के विभिन्न भागों में एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित की जाती हैं:

- 10,000 और इससे अधिक आबादी वाले सभी शहरी स्थलों को इनकी व्यवहार्यता का विचार किए बिना तथा इनके साथ जुड़े 15 कि.मी. अर्ध व्यास के अंदर आने वाले ग्रामों का संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए समाहित करना।

- 15 कि.मी. अर्ध व्यास के भीतर सभी पर्वतीय गांवों की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए 5000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले सारे व्यवहार्य शहरी स्थान।

- 10,000 और इससे अधिक आबादी वाले केन्द्रीय ग्रामों के 15 कि.मी. अर्ध व्यास के अंदर आने वाले ग्रामों के समूह।

– ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए 1 लाख और इससे अधिक आबादी वाले कस्बों के आपसपास 15 कि.मी. अर्ध व्यास में आने वाले ग्राम।

तदनुसार, चालू एल पी जी विपणन योजना 1996-98 तैयार की गई है जिसमें 2078 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आती हैं।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ में दो स्थल कलोड और अम्बीत को चालू एल.पी.जी. विपणन योजना में शामिल किया गया है। सामान्तया साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिप/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चालू होने में 6 से 12 माह का समय लगता है।

राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति बनाना

650. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सड़क/निजी सड़क परियोजनाओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु एक राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फाइनेन्स कार्पोरेशन ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए पहले ही नीतियां तैयार कर ली हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता से संबंधित विस्तृत और व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए सुविधा के उपाय

1. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 को संशोधित कर दिया गया है जिसके द्वारा सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए निजी व्यक्तियों/पक्षकारों के साथ समझौता कर सकती है और किसी व्यक्ति को प्रयोक्ता प्रभारों से निवेश की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति दे सकती है। उसे ऐसे राजमार्गों पर यातायात विनियमित करने का अधिकार दिया गया है और प्रचालन में किसी व्यक्ति द्वारा की गई शरारत दंडनीय अपराध है। इससे निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए मूल कानूनी ढांचा प्राप्त होता है।

2. निजी क्षेत्र के उद्यमियों को रियायत अवधि के पहले पांच वर्षों के दौरान कुछ कर/वित्तीय रियायतें उपलब्ध हैं। उद्यमी पांच वर्ष के लिए कर छूट अवधि का हकदार है और अगले पांच वर्षों के दौरान कर में 30% कटौती भी की जाएगी जिसे परियोजना के शुरू होने के 20 वर्ष के भीतर प्राप्त किया जा सकता है।

3. कुछ चुनिंदा निर्माण उपकरणों को आयात शुल्क से छूट दी गई है।

4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कुल इक्विटी की 30% सीमा तक निजी रूप से वित्त-पोषित परियोजनाओं की इक्विटी में भागीदारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

5. सरकार प्रतियोगी आधार पर परियोजना लागत की 40% सीमा तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान कर सकती है।

6. मार्गस्थ सुविधाओं के विकास आदि के लिए अपेक्षित भूमि को सरकारी प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि समझा जाएगा।

7. सरकारी निजी उद्यमियों के साथ जोखिमों में भागीदारी करने के लिए तैयार है और 100 करोड़ रु. से अधिक की परियोजनाओं के लिए रियायत करार के नमूने को अंतिम रूप दे दिया गया है।

8. विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ई सी बी) की 35% तक और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) की 100% तक अनुमति है (जिसकी कुल विदेशी इक्विटी 1500 करोड़ रु. तक है)।

9. 100 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली बड़ी बी ओ टी परियोजनाओं के लिए भी रियायत करारों के नमूनों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

अंतर्देशीय जल परिवहन नीति

651. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों के समुचित उपयोग हेतु कोई अंतर्देशीय जल परिवहन नीति बनायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जल मार्गों के विकास के लिए संबंधित राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गयी और उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए वस्तुत: कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(घ) राज्य-वार कितना विकास कार्य किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) अंतर्देशीय जल परिवहन से संबंधित नीति और इसके विकास हेतु रणनीति बनाने के बारे में एक विस्तृत प्रस्ताव पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को कोई धनराशि नहीं दी गई है क्योंकि भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध निधियों के आधार पर स्वयं राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास कार्य करता है।

डाकघर खोला जाना

652. श्री कोडीकुनील सुरेश:
श्री राम नायडू दग्गूबाटि:
श्री बी.बी.एन. रेड्डी:
श्री एम.के. सुब्बा:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे कितने गांव हैं जिनके अंदर दस किलोमीटर तक कोई डाकघर अथवा डाकघर की कोई शाखा नहीं है;

(ख) क्या सरकार को ऐसे गांवों के लिए डाकघर सुविधाओं के प्रस्ताव के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डाकघर कब तक खोले जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में विशेषत: केरल, पूर्वोत्तर राज्यों, दिल्ली के शालीमार बाग और संसद विहार क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार करने हेतु और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संचार क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा अवसर प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):

(क) असम राज्य

असम सर्किल में सभी गांवों के लिए 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर डाकघर हैं।

पूर्वोत्तर राज्य

उत्तर-पूर्वी राज्यों में 754 गांव ऐसे हैं जिनके लिए 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई डाकघर नहीं हैं।

(ख) असम राज्य

इस संबंध में अभी तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

पूर्वोत्तर राज्य

डाकघर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कुल मिलाकर 94 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) असम राज्य

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्य

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभ्यावेदनों की संख्या
1.	मेघालय	10
2.	मिजोरम	20
3.	नागालैंड	33
4.	मणिपुर	31

डाकघर खोलना संसाधनों की उपलब्धता तथा मौजूदा मानदंडों की पूर्ति पर निर्भर करता है।

(घ) देश के राज्यों में डाकघर खोलने के लिए वर्ष 2000-2001 की वार्षिक योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ङ) उपर्यक्त के अनुसार।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) संचार के क्षेत्र में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए भर्ती में आरक्षण के बारे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा विनिर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

जंगली जानवरों को अवैध तरीके से पालना

653. **श्री रामदास आठवले:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27.1.2000 के "नवभारत टाइम्स" दिल्ली संस्करण में "गुस्साए चीतल की भेंट चढ़ गया अर्जुन सिंह के घर तैनात सिपाही" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है या कराने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश के विभिन्न भागों में जंगली जानवरों को पाला जाता है और उनका अवैध तरीके से शिकार किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार ने जंगली जानवरों को अवैध तरीके से पालने और उनका शिकार रोकने के लिए राज्य सरकारों को क्या निर्देश दिए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी, हां।

(ख) वन्यजीवों की सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकार का है। मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की जांच कराई है और वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा कराई गई जांच से यह पता चला है कि दो चीतलों, जिनमें एक नर और दूसरी मादा भी, को कोरवा कोठी भोपाल के कैंपस में रखा गया था। मुख्य वन्यजीव वार्डन ने एक नर चीतल के लिए स्वामित्व की अनुमति दी थी। मादा चीतल को बिना अनुमति लिए पालतू बनाकर रखा गया था और वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 2000/- रु. जुर्माना करके इस पर समझौता हो गया है।

(घ) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीवों को पालतू बनाकर रखने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तथापि, वन्यजीवों को अवैध तरीके से रखने की बात से इंकार नहीं किया जा सकता। संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों जगहों पर ही अवैध शिकार के मामलों का पता लगाया गया है। तथापि, अवैध शिकार की घटनाएं संरक्षित क्षेत्रों से बाहर अधिक हुई हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में पर्याप्त प्रवर्तन ढांचा उपलब्ध नहीं है।

(ङ) और (च) 1991 में संशोधित वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राज्य सरकार को अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने की शक्तियां दी गई हैं। भारत सरकार ने अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने तथा साथ ही इस अधिनियम के उपबंधों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत कार्यान्वित करने हेतु निधियां उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट

654. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:**
श्री अनंत गुढ़े:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल और डीजल में मिलावट की समस्या देश भर में व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उद्देश्य पर कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किए गए विशेष उपायों और मिलावट में संलिप्त डीलरों और अधिकारियों के खिलाफ प्रस्तावित कड़े दंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान देश में कितने अधिकारियों और डीलरों पर मिलावट करने में संलिप्त होने का आरोप लगाया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) देश भर से पेट्रोल और डीजल में कथित मिलावट की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। मिलावट और कदाचारों की रोकथाम करने के लिए तेल विपणन कंपनियां खुदरा बिक्री केन्द्रों के नियमित/औचक निरीक्षण, मिलावट सहित विभिन्न कदाचारों पर नियंत्रण रखने के लिए करती हैं। इसके अलावा, कदाचारों की रोकथाम करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा स्वयं तथा सरकार के दिशानिर्देश के तहत समय समय पर विशेष अभियान आयोजित किए जाते हैं। मिलावट की रोकथाम करने के लिए मिट्टी तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) को नीला रंगने, फरफरल डोपिंग करने, फिल्टर पेपर परीक्षण करने, भंडार मिलान, सचल प्रयोगशालाओं द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच करने जैसे विभिन्न उपाय तेल कंपनियों द्वारा किये जाते हैं।

वर्तमान वर्ष के दौरान उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अप्रैल-सितंबर, 1999 की अवधि में 28025 खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच की गई। इसके अलावा 29.11.1999-3.12.1999 की अवधि के दौरान एक विशेष अभियान आरंभ किया गया और 1888 खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच की गई। शंकापूर्ण और साबित हुई मिलावट के मामलों में तेल विपणनकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा डीलरों के विरुद्ध डीलरशिप करार के अनुसार कार्रवाई की गई है। मिलावट में लिप्त पाए जाने पर अधिकारियों के विरुद्ध मंत्रालय के दिशानिर्देशों और तेल विपणनकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की नीति के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

गुजरात के जामनगर में पाइपलाइन में रिसाव

655. **श्री चन्द्रेश पटेल:**
श्री दिनशा पटेल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम के कच्चे तेल की पाइपलाइन में हाल ही में गुजरात के जामनगर जिले में बाडीनर पत्तन के नजदीक रिसाव हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(च) क्या प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, सी आर जैड नियमों और विभिन्न संबंधित नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) दिनांक 20.11.99 को वन विभाग ने बताया कि नराबेल, वाडीनार में तेल की चिकनाई है और ऐसा अंदेशा है कि यह इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई ओ सी) की पाइपलाइन प्रणाली से हो रहा है क्योंकि वह इसके पास है। आई ओ सी के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति तथा तदुपरांत गुजरात सरकार द्वारा गठित समिति ने भी तुरन्त आई ओ सी प्रणाली की गहन जांच की थी। दोनों का मानना था कि एकल बायमूरिंग तथा आई ओ सी की पाइपलाइन प्रणाली ठीक है।

(ङ) से (छ) गुजरात सरकार के परामर्श के अनुसार, इंडियन आयल कार्पोरेशन ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओसनोग्राफी, गोवा को अध्ययन करने और उपचारात्मक कार्रवाई के सुझाव यदि कोई हों, के लिए नियुक्त किया।

[अनुवाद]

नागालैंड में पेट्रोल और डीजल के नए खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना

656. **श्री के.ए. सांगतम: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामान्यत: पूर्वोत्तर में और विशेषकर नागालैंड में पेट्रोल और डीजल के नए खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने से संबंधित कार्य अभी शुरू होना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत दो वर्षों से लंबित जनता के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) डीलरों के चयन की प्रक्रिया जुलाई, 1999 में आम चुनावों की घोषणा के साथ ही रोक दी गई थी। हाल ही में सरकार ने इन बोर्डों को भंग कर दिया है, चयन प्रक्रिया के निकट भविष्य में पुन: चालू किए जाने की आशा है।

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.21 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन* हुए]

श्री कमलनाथ (छिन्दवाड़ा): महोदय, इस मुद्दे को नियम 184 के अंतर्गत उठाया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पूरे देश में साम्प्रदायिकता की आग भड़का रहा है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैंने नियम 184 के अंतर्गत इस मामले पर नोटिस दिया है *...(व्यवधान)* महोदय, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री पांडियन और कई अन्य सदस्यों ने नियम 184 के अंतर्गत इस मामले को उठाने से संबंधित नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, मुझे नियम 184 के अंतर्गत निवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: चर्चा की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मैंने नियम 184 के अंतर्गत नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। पहले सभा पटल पर रखें जाने वाले पत्र सभा पटल पर रखे जाने है, फिर आप अपना मुद्दा उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.03 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह, श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपको जो कहना है, अपनी सीट पर जाकर कहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप नियम 184 के अंतर्गत चर्चा क्यों मांग रहे हैं, यह अपनी सीट पर जाकर बोलिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.04 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): महोदय, मैं "आर्थिक समीक्षा, 1999-2000" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1310/2000]

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री तपन सिकदर

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मैं आपको सुनूंगा, आप जरा सीट पर जाकर बोलिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप जरा सीट पर जाकर बोलिये। आप जो कहना चाहते हैं, वह सीट पर जाकर कहिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप जो नियम 184 की बात कह रहे हैं, उसे आप सीट पर जाकर बोलिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन: जब तक नियम 184 नहीं लिया जाता कोई भी सरकारी कार्य नहीं होगा। *...(व्यवधान)* महोदय, मैंने 23 तारीख को ही नोटिस दे दिया था। *...(व्यवधान)* मैं अपना निवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूँ *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपको भी अनुमति दूंगा। कृपया अपना ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

हम आपको एलाऊ करेंगे। आप जरा सीट पर जाइये। आप यही बात सीट पर जाकर कहिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप जरा अपनी सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

आप सीट पर जाकर बोलिये। मैं आपको बोलने का इजाजत दूंगा। पहले आप सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय को यहाँ आकर निर्णय लेना चाहिए। आप सभा को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दें *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यही बात आप सीट पर जाकर बोलिये, मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप सीट पर जाकर बोलिये, आपको जो कहना है। आप नियम 184 के अंडर डिस्कशन मांग रहे हैं, आप सीट पर जाकर कहिये यही बात कि आप नियम 184 में डिस्कशन क्यों मांग रहे हैं, वह आप सीट पर जाकर बोलिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: ठीक है, आप शान्त होकर सुनिये। आप शान्ति से बोलिये। आप जो यह बात कह रहे हैं, यह बात अपनी सीट पर जाकर बोलिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: राजेश पायलट जी बोल रहे हैं, आप जरा शान्त हो जाइये। उनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: राजेश जी बोलना चाहते हैं, मैंने उनको इजाजत दी है, आप उनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप यही बात अपनी सीट पर जाकर शांति से बोलिए। हम सुनेंगे, सब बोलना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: संतोष मोहन देव जी बोलना चाहते हैं, उनको बोलने दें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: जो आप मांग कर रहे हैं, आप अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर कहें।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.02 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.02 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

नियम 193 के अधीन चर्चा

राज्य सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा अब नियम 193 के अधीन चर्चा की शुरुआत करेगी। श्री इन्द्रजीत गुप्त उपस्थित नहीं हैं। श्रीमती गीता मुखर्जी।

...(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, मैंने नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): हालांकि, संसद के सत्र के शुरू होने से पूर्व, मैंने नियम 193 के अधीन नोटिस दिया था, यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए, मैंने अपने नोटिस को नियम 193 के अधीन वापस ले लिया; और मैंने नियम 184 के अधीन नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष में किसी का इरादा नहीं है कि सदन में व्यवधान डाला जाए। हम भी समझते हैं कि और भी इतने महत्वपूर्ण विषय हैं लेकिन यह भी उतना महत्वपूर्ण विषय है। यह संविधान से भी जुड़ा हुआ है और यह समाज और देश की एकता से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारी पार्टी की ओर से नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के लिए नोटिस जरूर दिया गया था लेकिन हम उसको वापस लेते हैं और हम चाहते हैं कि नियम 184 में इस पर यहां बहस कराई जाए और इसलिए कराई जाए *...(व्यवधान)* मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। *...(व्यवधान)* हम भाषण नहीं देना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 193 के अंतर्गत चर्चा प्रारम्भ कर रहा हूं। *...(व्यवधान)* आर.एस.एस. और उसके स्वयंसेवक तथा आर.एस.एस. की कार्य-पद्धति के ऊपर दो-तीन दिन से यहां पर सदन में तथा सदन के बाहर अनेक प्रकार के आक्षेप हो रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने भी नोटिस दिया था।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार मानता हूं और *...(व्यवधान)* मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं आर.एस.एस. से सम्बद्ध रहा हूं और उस पर मुझे अभिमान है। संघ ने पिछले पचास वर्षों में *...(व्यवधान)* अनेक ऐसे कार्य किये हैं *...(व्यवधान)* जिनमें राष्ट्र की सेवा के लिए सामाजिक क्रांति लाने की दृष्टि से हजारों, लाखों स्वयंसेवक देश भर में *...(व्यवधान)* अनेक अलग-अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि 1962 में चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। उस समय देश की सेना के पीछे सामान सप्लाई करने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों को बुलाया गया था। 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया था, उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर.एस.एस. को मदद करने के लिए विनती की थी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन: अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 184 के अधीन इस मामले को उठाने का नोटिस दिया था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सिंधिया, कृपया समझें कि आप सभा की कार्यवाही चलने नहीं दे रहे हैं। आप प्रश्नकाल में भी बाधा उपस्थित कर रहे थे। प्रत्येक समय, आप सभा की कार्यवाही में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। यह सब क्या है? उनका नाम भी है। इसलिए, मैंने उन्हें अनुमति दी है। कृपया आप कार्यसूची को भी पढ़िए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: महोदय, 1948 में जब पाकिस्तान ने श्रीनगर के हवाई अड्डे को उड़ा दिया था, तो उसकी मरम्मत करने के लिए सेना ने आर.एस.एस. के स्वयं सेवकों को ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 4.06 बजे

(इस समय, श्री देवेन्द्र सिंह यादव, श्री रामदास आठवले, और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक बार, आप अध्यक्षपीठ को निर्देश नहीं दे सकते। आपको प्रक्रिया का भी पालन करना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री किरीट सोमैया के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: 1962 में जब चीन ने हमला किया, तो उस समय भी आर.एस.एस. की मदद ली गई थी। ...*(व्यवधान)* 1963 में 26 जनवरी की रिपब्लिक-डे परेड में अधिकृत तौर पर आर.एस.एस. को हिस्सा लेने के लिए भारत सरकार ने कहा था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: लोक सभा कल, 29 फरवरी, 2000 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 29 फरवरी, 2000/ 10 फाल्गुन, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पी.एल.एस.–48/4/4/2000 (एन०)
220

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।